माला, खंड 6, अंक 6

सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998
16 अग्रहायण, 1920 (शक)

F.C 11

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998/16 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 104	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	33-340
तारांकित प्रश्न संख्या 105 से 120	33-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1371	56-340
सभा पटल पर रखे गए पत्र	341-363
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक	363-364
केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश के बारे में विवरण और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश	364
कॉफी (संशोधन) विधेयक	364-365
संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग तथा संसद-सदस्यों को रसोई गैस और टेलीफोन का कोटा जारी किए जाने के बारे में	368-381
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भूख-हड़ताल किए जाने के बारे में	384-391
नियम 377 के अधीन मामले	399-405
(एक) उत्तर प्रदेश की सफीपुर और उन्नाव तहसील में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता — श्री देवी बक्स सिंह	399-400
(दो) पूर्वी दिल्ली से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए और अधिक हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता — श्री लाल बिहारी तिवारी	400
(तीन) रसोई गैस के विपणन हेतु रांची को भी पर्वतीय क्षेत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता — श्री राम टहल चौधरी	400
(चार) महाराष्ट्र में कपास के खरीद मूल्य को बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की आवश्यकता — श्री अशोक नामदेवराव मोहोल	401
(पांच) आन्ध्र प्रदेश में एल•एन•जी• टर्मिनल स्थापित किए जाने की आवश्यकता — डा• टी• सुब्बारामी रेड्डी	401-402

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(छह)	महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानीय लोगों के साथ पत्राचार के लिए मराठी भाषा का प्रयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले	402
(सात)	अवाड़ी समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने तथा केरल के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस॰ अजय कुमार	402–403
(आठ)	उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में प्रस्तावित ऊंचाहार विद्युत परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शैलेन्द्र कुमार	403
(नौ)	तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में रानीपेट रेलवे स्टेशन को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी॰ गोपाल	404
(दस)	हरियाणा में छोटी नदियों के जल-प्रबन्धन हेतु योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
	डा॰ सुशील इन्दौरा	404
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती शीला गौतम	404–405
रेल दावा अधिकरण (संशोधन) विधेयक		405–426
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री नीतीश कुमार	450,423–425
	श्री पी॰ सी॰ चाक्को	406–410
	श्री खारबेल स्वाई	410–413
	श्री सुधीर गिरि	413–419
	श्री शैलेन्द्र कुमार	419–420
	डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी	420–421
	श्री वारकला राधाकृष्णन	421–422
	श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन	422
	श्री मोहन सिंह	422–423
खंड 2 और।		425
पारित करने के लिए प्रस्ताव		425–426
नियम 193 के अधीन चर्चा		429–488
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि		
	श्री टी॰ आर॰ बालू	429–430
	श्री प्रभुनाथ सिंह	430–433
	कुमारी मायावती	434–437
	श्री सोमपाल	437–447

विषय कालम

श्रीमती जयन्ती पटनायक 448–449
श्री के॰ येरननायडू 450–455
श्री राजवीर सिंह 456–461
श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन 461–464
डा॰ सुशील इन्दौरा 465–468
प्रो॰ सैफुद्दीन सोज 468–470
श्री ई॰ अहमद 471–473
श्री पी॰सी॰ थामस 473–475
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी 475–476
श्री वारकला राधाकृष्णन 476–478
श्री शैलेन्द्र कुमार 478–480
श्री बी॰ एम॰ मेनसिंकाई 480–481
श्री रामशेठ ठाकुर 482–483
डा॰ रवि मल्लू 483–485
श्री चमन लाल गुप्त 485–486
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 486–488

लोक सभा

सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998/16 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पत्तन प्रचालन सुविधाएं

*101. **डा. असीम बाला :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पत्तन प्रचालन सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस समिति अथवा सरकार द्वारा विभिन्न पत्तनों पर विशेष रूप से कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर माल का लदान करने और उसे उतारने संबंधी सुविधाओं पर भी विचार किया जाएगा, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) महापत्तनों में माल के लाने-ले जाने की सुविधाओं का संवर्धन/स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य सार्वजनिक निवेश तथा गैर-सरकारी निवेश के जरिए किया जाता है।

(घ) और (ङ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के लिए 545 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। प्रमुख स्कीमों में एक तेल जेटी, रसायनों के लाने-ले जाने के लिए एक अलरा जेटी का निर्माण और हल्दिया में तीन बहु-उद्देश्यीय बर्थों का निर्माण शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पत्तनों से संबंधित है मैं उन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा जो पत्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी और अन्य।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मैं कोचीन से हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन लोगों को अवसर दूंगा जो पत्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

डा. असीम बाला : महोदय हम हल्दिया और कलकत्ता की ओर फैली बंगाल की खाड़ी में और कलकत्ता पत्तन के समीप गंगा नदी में जमा हो रही गाद से अत्यन्त चिंतित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बन्दरगाहों को साफ करने वाली पूर्णतया नई प्रणाली संबंधी अधिक प्रभावी नीति को प्रारम्भ करने की आयोजना तैयार कर रही है ताकि कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों का सभी संचालनात्मक गतिविधियों हेतु उन्नयन किया जा सके और भण्डारण, ट्रकिंग, उत्पाद स्वीकृति माल ढोने हेतु परिवहन और माल का कन्टेनर में भरा जाना सीमा शुल्क प्रक्रिया रेलहैडों या आई सी डी तक ले जाना आई सी डी से पत्तन संचालकों तक परिचलन, पत्तनों से बन्दरगाहों तक परिवहन पत्तनों में सीमा शुल्क संबंधी अभिलेखीकरण, पोत के एजेंटों से सम्पर्क, कन्टेनरों का पोत स्थल तक ले जाना, कन्टेनरों को बोर्ड पर लादना आदि सुविधाओं अर्थात् एक पूर्ण सुसज्जित और पत्तन सुविधाओं का अद्यतन आधुनिकीकरण किया जा सके।

डा. एम. तम्बी दुरई : सरकार गाद को बन्दरगाहों से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हम ऐसे सफाई कार्य के लिए सालाना 99 करोड़ रुपए दे रहे हैं। कलकत्ता व हल्दिया पत्तनों के बीच बन्दरगाह सफाई का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त नदी से संबंधित योजनाओं हेतु हमने नौवीं योजना परिव्यय में 295 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह योजना पहले से ही वहां है और हम अपेक्षा रखते हैं कि पी आई बी इसको स्वीकार करेगी और योजना आयोग इसे शीघ्र स्वीकृति दे देगा। इस आधार पर हम इसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता पत्तन के विकास हेतु हमने विक्रय-प्रणाली के नवीकरण हेतु 7.15 करोड़ रु. आबंटित किये हैं और दो समुद्रगामी लांचरों सहित सर्वेक्षण पोत के विस्थापन हेतु 18 करोड़ रु. आबंटित किये है हमारे पास अनुमोदित योजना परिव्यय के रूप मे 8 करोड़ रु. भी है। ये मुख्य उपाय है जो हमने कलकत्ता पत्तन के लिए उठाये हैं।

हल्दिया पत्तन के संबंध में हमने तेल के तीसरे जेटी के निर्माण का कार्य शुरु किया है। हमने इसके लिए 43 करोड़ रु. स्वीकृत किये हैं तथा इसका ठेका अप्रैल, 1998 में दिया गया। हमने 29.9.1998 को 43 करोड़ की लागत के बहुउद्देश्यीय गोदी निर्माण की स्वीकृति दी है और हमें आशा है कि निविदाएं 9.1.99 को आमंत्रित की जायेगी। हमें इन कार्य को मार्च, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है। हमारे पास रासयनिक माल हेतु एक जेटी के निर्माण की परियोजना भी है। हमारे पास इसका प्रस्ताव मार्च, 1998 में आया था। इससे संबंधित रिपोर्ट मार्च के महीने में अपेक्षित है ये सब वे कदम हैं जो हमने उठाये हैं। हल्दिया बन्दरगाह हेतु हमारी वार्षिक योजना परिव्यय लगभग 200 करोड़ रु. है। हम 1997-98 में पहले ही 21 करोड़ रु. खर्च कर चुके हैं। 1998-99 की वार्षिक योजना में हमने बन्दरगाह के सुधार हेतु 22 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। हम हल्दिया बंदरगाह का निजीकरण करने पर भी विचार कर रहे हैं। मंत्रालय ने हल्दिया में दो बहुउद्देश्यीय पोत कक्षों क्रमशः पोतकक्ष सं. 12 और 4 (क) के निर्माण को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है।

डा. असीम बाला : मैंने विशेष रूप से यह पूछा था कि कलकत्ता और हल्दिया के पत्तनों को साफ करने संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

डा. एम. तम्बी दुरई : हम पत्तन-सफाई हेतु प्रतिवर्ष 98 करोड़ रु. दे रहे हैं।

डा. असीम बाला : क्या यह केवल कलकत्ता पत्तन के लिए है या पूरे पश्चिम बंगाल के लिए?

डा. एम. तम्बी दुरई : नहीं, हम सभी पत्तनों के लिए 90 करोड़ रु. दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने, इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

डा. असीम बाला : पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के समीप, कुल्पी परियोजना के लिए 925 करोड रु. आबंटित किये गए हैं। यह एक संयुक्त उद्यम परियोजना है। यह प्रस्ताव में गत 4 वर्षों के लम्बित पड़ा है। सरकार द्वारा इस परियोजना का विस्तार किये जाने की संभावना है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह कुल्पी पत्तन परियोजना कब शुरू होने वाली है।

डा. एम. तम्बी दुरई : पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल्पी के निकट सर्वजलवायु बहुउद्देश्यीय परियोजना को 1000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से विकसित करने का प्रस्ताव रखा है यह कलकत्ता पत्तन के अन्तर्गत आता है। हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हम यह देखना चाहते थे कि इस पत्तन का निर्माण किस प्रकार मौजूदा कलकत्ता पत्तन को प्रभावित करेगा। हम विचार करना चाहेंगे कि कलकत्ता पत्तन किसी प्रकार प्रभावित न हो। इस पर विचार-विमर्श चल रहा है और हम इसके कलकत्ता पत्तन पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर, विचार करेंगे।

डा. असीम बाला : यह एक संयुक्त उद्यम परियोजना है।

डा. एम. तम्बी दुरई : मैं जानता हूं कि यह एक संयुक्त उद्यम परियोजना है। हमें यह देखना होगा कि क्या यह मौजूदा कलकत्ता पत्तन को प्रभावित करेगा अथवा नहीं। हम कलकत्ता में पहले से ही श्रम संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि कुल्पी पत्तन प्रारंभ होता है तो मौजूदा कलकत्ता पत्तन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि राज्य सरकार सब चीजों को अपनाने के लिए तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री पी.सी. चाक्को : चूंकि मंत्री जी बहुत विस्तार से उत्तर दे रहे हैं, मैं एक अति विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह सामान्य प्रश्न भारतीय पत्तनों में माल यातायात के आधुनिकीकरण के बारे में है। कोचीन, देश के प्रमुख पत्तनों में से एक है। मौजूदा कोचीन पत्तन के विस्तार के रूप में वेल्लार पदान में एक कन्टेनर टर्मिनल की स्थापना का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव छः या सात वर्ष पुराना है। कई मंत्री आए और जा चुके हैं। केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री करूणाकरन ने जिन्होंने छः वर्ष पूर्व इस परियोजना को अंतिम रूप दिया था। यहां बैठे हैं। भारत में पत्तन में कंटेनर स्थापित करने का कार्य अत्यंत मंदगति से चल रहा है। यह मंत्रालय का ही प्रस्ताव था और सारी सुविधाएं केरल सरकार द्वारा ही दी जानी थी। क्या सरकार सभा को यह आश्वासन देगी कि कोचीन में वेल्लार पदम में कन्टेनर पत्तन स्थापित करने का कार्य आवश्यक रूप से शुरू किया जायेगा? यदि कंटेनर स्थापित करने के कार्य में विलम्ब होता है, तो भारतीय पत्तनों में पोतों के आगमन समय में विलम्ब हो जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से बिल्कुल स्पष्ट उत्तर जानना चाहूंगा।

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, हमारे देश में कन्टेनरों का यातायात बढ़ रहा है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम इस मामले में पिछड़ रहे हैं। लेकिन अब, हम यह देखने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं कि कन्टेनर यातायात ठीक ढंग से नियंत्रित हो सके ताकि हम अधिक आय अर्जित कर सकें। इस संबंध में हम निविदाओं का चयन करने हेतु सभी कदम उठा रहे हैं। हम इसे शुरू करने जा रहे हैं और उस परियोजना को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पी. सी. चाक्को : यह आपकी परियोजना है, कृपया हमें उत्तर दें।

डा. एम. तम्बी दुरई : हम इसको शुरू कर रहे हैं। हम चयन कर रहे हैं और उस आधार पर हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, मुख्य प्रश्न का संबंध पत्तनों में संचालन सुविधाओं में सुधार के बारे में है। मैं मैंगलोर से हूं जो सर्वजलवायु वाला बड़ा पत्तन है। मेरा विचार है कि पत्तनों की संचालन सुविधाओं का विकास करने में पश्चप्रदेशों का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जब तक पश्चप्रदेश, पत्तनों के साथ बहुत अच्छी प्रकार से जुड़े न हों, तब तक संचालनात्मक सुविधाएं सुधर नहीं सकती। यह आज एक स्वीकार्य तथ्य है कि हमारे देश में सभी पत्तनों की संचालन क्षमता, विश्व स्तर से काफी कम है। हमारा विश्व में अन्यत्र उपलब्ध संचालन क्षपता के मामले में कोई भी स्थान नहीं है।

महोदय, जहां तक अध्ययन हेतु समिति गठित करने का प्रश्न है, मंत्री महोदय कोई ठोस उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह निश्चित उत्तर भी नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक उचित पूरक प्रश्न पूछना होगा, तब ही वे कोई निश्चित उत्तर दे सकते हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, वे मेरी सलाह से एक अनुमान तो निश्चित तौर पर लगा ही सकते हैं।

महोदय, निवेश के बारे में वे एक निश्चित सुझाव नहीं दे रहे हैं। अब हमारे पास धनराशि नहीं है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है। क्या मंत्रालय ने बड़े पत्तनों में परिचालनात्मक सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु निजी क्षेत्रों से निवेश करने हेतु कोई कदम सुझाए गए हैं?

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, मंत्रालय की राय भी माननीय सदस्य की राय जैसी है कि हम अन्तराष्ट्रीय पत्तनों के रखरखाव

संबंधी सुविधाओं की तुलना में थोड़ा-सा पीछे हैं। इसके लिए नौवीं योजना के दौरान हमने विद्यमान पत्तनों को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए मुख्य कदम उठाए हैं। इसलिए हमने काफी योजनाएं बनाई हैं और नौवीं योजना परिव्यय हेतु लगभग 16,000 करोड़ रु. के परिव्यय का आबंटन किया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वे पूछ रहे हैं कि क्या आप इसमें प्राइवेट लोगों शामिल कर रहे हैं अथवा नहीं?

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, मैं इस बात पर आ रहा हूं। हम बजट आवंटन के माध्यम से पत्तनों और लंगरगाहों पर लगभग 7,215 करोड़ रु. खर्च कर रहे हैं और हम निजी क्षेत्र से शेष 8,000 करोड़ रुपये मिलने की आशा कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी कदम उठा रहे हैं। हम कतिपय संयुक्त उद्यम परियोजनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। इस संबंध में मैं सदन के समक्ष एक नया विधेयक पेश करने जा रहा हूं।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के लिए 545 करोड़ रु. परिव्यय का प्रावधान किया गया है। कलकत्ता पत्तन के तहत काफी बड़ा क्षेत्र आता है जहां की परिस्थितियां बदतर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पत्तन परिचालन सुविधाओं में कलकत्ता पत्तन न्यास क्षेत्र, विशेषरूप से मध्य से उत्तरी दिशा क्षेत्र, के सौन्दर्यीकरण और विकास के प्रस्ताव शामिल हैं और यदि हां, तो क्या यह एक संयुक्त उद्यम परियोजना होगी?

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, जहां तक पत्तनों के सौन्दर्यीकरण का संबंध है, हम इसके लिए एक परियोजना पर विचार कर रहे हैं। जहां तक कलकत्ता पत्तन का संबंध है, वहां पर कुछ अतिक्रमण हुआ है। हम उसे खाली कराने और उस पत्तन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इन सभी कदमों को उठा रहे हैं।

श्री यू.वी. कृष्णमराजु : महोदय, अवसंरचनात्मक विकास हेतु पत्तनों परिचालनों का सर्वांगीण औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण हो गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कभी काकीनाड़ा पत्तन को बेहतर परिचालन हेतु अपने अधिकार में लेने को कहा है। यदि हां तो केन्द्रीय सरकार ने अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु काकीनाड़ा पत्तन का निजीकरण करने की बजाय अपने अधिकार में लेने हेतु कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसका निजीकरण किया जाता है तो लंगर पत्तन कर्मचारी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पत्तन परिचालन सुविधाओं को कारगर बनाने हेतु गठित की गई समिति, काकीनाड़ा पत्तन के परिचालन का भी अध्ययन करेगी?

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, हम बड़े पत्तनों की बात कर रहे हैं। काकीनाड़ा पत्तन छोटे पत्तनों के तहत आता है। यदि राज्य सरकार संयुक्त उद्यम के संबंध में कोई प्रस्ताव देती है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। इसीलिए हम बड़े पत्तनों के साथ-साथ छोटे पत्तनों को भी अधिकार में लेने को तैयार हैं।

श्री यू.वी. कृष्णमराजु : क्या उन्होंने इसके लिए कहा है?

डा. एम. तम्बी दुरई : उनकी ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री टी. आर. बालू : योजना आयोग द्वारा पूर्व अनुमान के अनुसार, 2002 तक, हमारे पत्तनों का क्षमतागत उपयोग 424 मिलियन मीट्रिक टन होगा। किंतु आज जैसी स्थिति है उसे देखते हुए इसमें 94 मिलियन मीट्रिक टन की कमी रहेगी। इस संबंध में सरकार के पास क्या कार्ययोजना है?

दूसरे, हमारे पास 11 बड़े पत्तन हैं। इनमें से सामान्यतया कितने पत्तन और विशेष रूप से चेन्नई पत्तन अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं?

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, जहां तक आगामी वर्षों में मांग के अनुसार पत्तनों को बेहतर बनाने संबंधी विषय का संबंध है, यह सही है कि चालू वर्ष में हमें लगभग 424 मिलियन टन की अनुमानित क्षमता की आवश्यकता है। इसके लिए हमने आठवीं योजना से 31 मिलियन टन की क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

हम नौवीं योजना में एक योजना पर भी काम कर रहे हैं ताकि अधिक सुविधाएं सृजन करके क्षमता को 124 मिलियन टन तक बढ़ा सकें। अतः नौवीं योजना में हमारे पास यह योजना है। हम छोटे पत्तनों के विकास और बड़े पत्तनों की उत्पादन क्षमता में 50 मिलियन टन की सीमा तक वृद्धि की भी आशा कर रहे हैं।

जहां तक चेन्नई पत्तन का संबंध है, हम पहले ही कतिपय लंगरगाहों का यह देखने के लिए निजीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कार्गो की संचालन क्षमता में वृद्धि आ सके। एन्नोर भी वर्तमान चेन्नई पत्तन का एक हिस्सा है। हम एन्नोर को एक अलग निगमित अस्तित्व बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार, हम मांग पूरा करने हेतु क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, उन्होंने यह नहीं बताया है कि कितने पत्तन अन्तर्राष्ट्रीय मानक वाले हैं?

डा. एम. तम्बी दुरई : हमारे सभी बड़े पत्तन अन्तर्राष्ट्रीय मानक वाले हैं। हम उन्हें बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, माननीय मंत्री ने श्री चाक्को के प्रश्न का उत्तर भली प्रकार से दिया है। कोचीन एक बड़ा पत्तन है और एन एल जी, विद्युत उत्पादन हेतु एक आधुनिक कच्ची सामग्री बनने जा रहा है। विशेषज्ञों का यह मत है कि एन एल जी के आयात हेतु कोचीन पत्तन एक उपयुक्त और आदर्श पत्तन है। कोचीन पत्तन ने एन एल जी के आयात हेतु एक कतिपय योजना और तंत्र पेश किया है और इसके लिए एक विशिष्ट लंगरगाह नियत किया है।

महोदय, माननीय मंत्री ने वल्लार पदम ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल के बारे में विशेष रूप से उत्तर दिया है। एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक वाले ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पत्तन का होना जरूरी है। कोचीन पत्तन ने वल्लार पदम पर ऐसे ही एक पत्तन स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है। मैं जानना चाहता हूं कि वल्लार पदम परियोजना का क्या हुआ और कोचीन में एनएलजी के आयात के संबंध में आपका क्या प्रस्ताव है?

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, जहां तक वल्लार पदम पत्तन के विकास का संबंध है, हमने पहले से ही अनेक निविदाएं मांगी हैं। अनेक पार्टियों ने हमसे संपर्क किया है। हम उनकी सूची बना रहे हैं। हम उस योजना को लागू करने जा रहे हैं और हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं।

जहां तक निर्यात का संबंध है, कोचीन पत्तन बहुत अच्छा काम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

डा. एम. तम्बी दुरई : आयात पक्ष में एक समस्या है। हम यह देखने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं, कि हम बंगलौर और अन्य क्षेत्रों को जोड़कर आयात में और वृद्धि कर सकें ताकि हम उस तरफ सभी माल पहुंचा सकें।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास लगभग 6,100 किलोमीटर का बड़ा समुद्री तट है। हमारे पास केवल ग्यारह बड़े पत्तन हैं। क्या भारत सरकार ने अन्य पत्तनों की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हां तो वे क्षेत्र कौन से हैं?

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि यद्यपि हमारे पत्तन अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन कहलाते हैं तथापि वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं। यदि आप सिंगापुर और हांगकांग को देखें जहां बहुत कम जनसंख्या है, उनके पास अन्तर्राष्ट्रीय मानकों वाले पत्तन हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास पत्तनों के विकास हेतु एक्विजम नीति की तरह की कोई नीति है? क्या सरकार ने अभी तक ऐसी किसी नीति की घोषणा की है?

डा. एम. तम्बी दुरई : जहां तक क्षेत्र में अन्य पत्तनों के विकास हेतु एक सर्वेक्षण कराए जाने के प्रश्न का संबंध है, हम सभी प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान पत्तनों को बेहतर बनाये जाने के संबंध में, हमारे पास पहले से ही कई योजनाएं हैं। हमने पत्तनों के विकास हेतु 16,000 करोड़ रु. की राशि नियत की है। इस संबंध में हम सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों के साथ तुलना की जा सके।

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि उन्होंने कालकत्ता और हल्दिया पत्तनों के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 549 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है। सभी 11 बड़े पत्तनों में गत दस वर्षों से हद से ज्यादा क्षमतागत उपयोग किया गया है। मैं माननीय मंत्री से विशेष तौर पर यह जानना चाहता हूं कि अन्य सभी दस बड़े पत्तनों के लिए योजना परिव्यय क्या है? वे बड़े पत्तनों की वर्तमान उपलब्ध क्षमता में कितनी क्षमता और बढ़ाने जा रहे हैं?

डा. एम. तम्बी दुरई : हमारे पास सभी 11 बड़े पत्तनों के विकास हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक मास्टर योजना है। यदि माननीय सदस्य प्रत्येक पत्तन के ब्यौरे चाहते हैं तो मैं प्रत्येक पत्तन के ब्यौरे प्रस्तुत करने को तैयार हूं। हमने बजट संसाधनों से पत्तन पक्ष हेतु 7,215 करोड़ रु. और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु 785 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। इस प्रकार हमने सरकार की ओर से 8,000 रु. आबंटित किए हैं। यदि माननीय सदस्य हमारे द्वारा प्रत्येक पत्तन को आबंटित की गई राशि का ब्यौरा चाहते हैं तो मैं उन्हें ब्यौरे दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन ब्यौरों को माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

यू.एन.डी.पी. की मानव संसाधन विकास संबंधी रिपोर्ट

+

*102. **श्री मोहन सिंह** :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एन.डी.पी. की मानव संसाधन विकास संबंधी अभी हाल की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान विश्व के देशों में सबसे नीचे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानव विकास सूचकांक में देश को विश्व स्तर पर लाने के लिए सरकार किस रणनीति पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की मानव विकास रिपोर्ट, 1998 के अनुसार, विश्व के 174 देशों में से मानव संसाधन विकास सूचकांक के मुताबिक भारत का 139 वां स्थान है। तथापि, मानव विकास सूचकांक के सभी तीन संकेतकों, जैसे दीर्घजीवी होना, शैक्षिक उपलब्धि और जीवन स्तर, में कुछ वर्षों से सुधार होता रहा है। इसमें और भी वृद्धि की आवश्यकता है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए दृष्टिकोण पत्र के अनुसार योजना के लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, स्वच्छ पेय जल की न्यूनतम मौलिक सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, समयबद्ध तरीके से सभी को आवास और एक दूसरे से जोड़ने की सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अकेले भारसाधक मंत्री जी से संबंधित नहीं है क्योंकि मानव विकास का जहां तक सवाल है, वह प्रति व्यक्ति आमदनी, देश की राष्ट्रीय-आर्थिक तरक्की और उस आर्थिक तरक्की में आम इंसान का हिस्सा, ये सब महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिसकी सफाई अकेले माननीय मंत्री जी नहीं दे सकते।

माननीय मंत्री जी को लज्जा लगे या न लगे, लेकिन मैं आज लज्जित हूं कि रक्षात्मक की दृष्टि से दुनिया का तीसरे नम्बर का देश, आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरे नम्बर का देश तथा सम्पूर्ण सम्पदा के हिसाब की दृष्टि से दुनिया का एक अद्भुत देश, मानव विकास के मामले में दुनिया के 174 देशों में 139वें नम्बर पर है। यह बहुत ही शर्म की बात है। आपने कुछ बाजें गिनाई हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या इनको करना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के मसविदे का दो-तीन बार रिवीजन हो चुका है। यदि हम अपने देश की विकास संबंधी योजनाओं को समाज के सामने और इस संसद के सामने लाने में तीन वर्ष लगायें और माननीय मंत्री जी द्वारा यह उत्तर दिया जाए कि हम मानव विकास की दृष्टि से कुछ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ लगातार घट रही है, मैं शिक्षा के मामले में एक सवाल माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा है कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने का जो हमारा मकसद था, उसको आपने खत्म कर दिया। प्राथमिक शिक्षा एक तौर से जो सरकार की ओर से होनी चाहिए, वह समाप्त हो रही है, जो उच्च शिक्षा है, उसे आपने अपने आने के बाद बहुत महंगा कर दिया है। आम परिवारों का कोई भी विद्यार्थी आज बढ़ती हुई महंगाई के चलते उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मुश्किल में पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से शिक्षा के क्षेत्र में ही यह सवाल करना चाहता हूं कि भारत में महंगी होती उच्च शिक्षा को सस्ता करने की दृष्टि से आप क्या कदम उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि यह प्रश्न बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा लगता है कि जहां कहीं मानव लिखा होता है, वह प्रश्न मानव संसाधन विभाग के पास आ जाता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं प्रश्नकर्त्ता माननीय सांसद महोदय से सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि हमने कोई शिक्षा मंहगी नहीं की। जो शिक्षा की दरें, शिक्षा की फीस थी, उसमें हमने किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की है।

दूसरी बात जहां तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रश्न है, यह सरकार पूरी तौर पर प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमने सात मुख्य मंत्रियों की एक टास्क फोर्स बनाई है जो इस संबंध में हमें अपनी राय देगी और योजना को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ेगी। बजट के हिसाब से भी इस सरकार का जो बजट एस्टीमेट है उसमें 1997-98 में उसमें हमने बहुत भारी मात्रा में वृद्धि की है। माइनोरिटिस के लिए इस बार 67 प्रतिशत के करीब वृद्धि करके पिछले साल जो राशि 33 करोड़ रुपए खर्च हुई थी, इस साल उसे 88 करोड़ रुपए किया है। महिलाओं की शिक्षा को निःशुल्क करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं और और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा छात्रावास के तौर पर चलाई जाए इसके लिए कस्तूरबा गांधी योजना चलाये जाने का विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को जीवन के सभी क्षेत्रों में अनिवार्य किया जाए और उसको सुलभ कराया जाए, इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। यह संवैधानिक दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि मानव संसाधन की दृष्टि से विकास करने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा कारक है, फैक्टर है और ह्यूमैन डेवलपमेंट उसका बहुत बड़ा कम्पोनेन्ट है।

ये तीन ही कंपोनेंट उसमें हैं। एक एजूकेशन है, दूसरी लौंगेविटी है कि आप कितने वर्ष जीवित रहते हैं और तीसरे आपकी जी.डी.पी. में किस प्रकार से वृद्धि होती है। ये तीन मुख्य कारक उसमें किए गए हैं। इसलिए एजूकेशन उसका एक महत्वपूर्ण कारक है। हमने अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना में 8 हजार करोड़ रुपए विद्यालयीन शिक्षा के लिए खर्च करने की बात कही थी, हमारे विभाग ने 78 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मांग की थी और अभी तक जो मुझे बताया गया है उसके अनुसार योजना आयोग उस पर 25 हजार करोड़ तक आबंटित करने पर विचार कर रहा है। इस प्रकार से हम 8 हजार करोड़ रुपए से उसको बढ़ाकर तीन गुना करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि देश में शिक्षा का सार्वजनिकीकरण हो, उसके लिए बहुत गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न किया कि जो क्वालिटी ऑफ एजूकेशन है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके सुधार के लिए आप 77 हजार करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, उसमें आज की स्थिति में जो प्राइमरी स्कूल हैं, उसी तरह के प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। जिससे मजबूर होकर 10 हजार रुपए वाली प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए धनाढ्य परिवार के लोग जाते हैं, उसी प्रकार से आज जो उच्च शिक्षा है उसमें 20 हजार लाख देकर के आप डाक्टर बन सकते हैं, 20 लाख देकर आप प्रशासकीय परीक्षाएं या प्रबंधकीय परीक्षाएं पास कर सकते हैं, उनकी डिग्रियां हासिल कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आठ और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने हैं।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या क्वालिटी ऑफ एजूकेशन को सुधारने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार की ओर से धन देकर जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं, चाहे उच्च शिक्षा के हों या प्राथमिक शिक्षा के, उनमें जाने के लिए लोग मजबूर न हों, इसके लिए आपका विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि शिक्षा के विस्तार और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राष्ट्र को यह निर्णय करना पड़ेगा कि अपने सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम छः प्रतिशत से बढ़ाकर आठ-नौ प्रतिशत तक ले जाने की चेष्टा करनी चाहिए। बिना उसमें निवेश किए हुए आप उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकते। हमारे देश में आज भी नौ लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं और लगभग एक सवा लाख प्राथमिक विद्यालय और खोलने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से और अध्यापक देने की आवश्यकता है। इसके लिए केवल प्राइमरी और एलीमेंट्री एजूकेशन को ही आगे बढ़ाने के लिए 40 हजार से 80 हजार करोड़ रुपए तक का तक प्रावधान करने की जरूरत है। यदि इतनी धनराशि हमें मिलती है तो यह काम किया जा सकता है। इस पर सारी संसद को विचार करना है कि हम किस प्रकार से इस धन की व्यवस्था करें। इसके अलावा भी शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्ता के सुधार के लिए सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं। अगर आप आज्ञा दें, तो मैं पढ़कर सुनाऊं अन्यथा आपके पास लिखकर भेज सकता हूं।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर एक दिन की बहस कराएं कि क्या कारण हैं कि हमारा इतना बड़ा देश दुनिया में आज इस दृष्टि से 139 वें नबंर है?...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं इसके लिए सहमत हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपना उत्तर "नहीं" से आरंभ किया है। वे भारत का नीचे से 35वां स्थान होने से संतुष्ट हो सकते हैं किन्तु हम नहीं हो सकते, इंडीकेटर के तहत, रहन-सहन के स्तर में बहुत सी बातें शामिल की गई थी इस पहलू पर 1995 में कोपेनहेगन में हुए विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई थी और उन्होंने कुछ मानक निर्धारित किये थे जिन्हें विभिन्न सदस्य देशों को प्राप्त करना था। हमने भी उस शिखर-सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

अन्य सामाजिक शिखर-सम्मेलन सन् 2000 में होगा। 1995 में हुई विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन में निर्धारित किये गये मानकों को प्राप्त करने में हम कहां तक सफल हो पाये हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इसके लिए नोटिस की जरुरत होगी क्योंकि वर्तमान प्रश्न ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स से संबंधित है।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : यह अन्तर-सम्बद्ध है। यह उसी से जुड़ा है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह प्रश्न सीधा उससे संबंधित है। उसके लिय नोटिस चाहिए। मैं इसका उत्तर दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में उल्लेखित किया है कि शैक्षिक विकास की गति को बढ़ाना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में निजी कॉलेजों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि हुई है। ये किसी भी शैक्षिक स्तर के अनुरूप नहीं हैं। इनमें पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और कक्षाएं नहीं हैं। मेरा प्रश्न यह है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे कि राज्यों में ऐसे निजी स्कूलों की आकस्मिक वृद्धि पर रोक लगाई जा सके जो किसी शैक्षिक स्तर के अनुरूप नहीं हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसमें राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता, खुल नहीं सकता। यू.जी.सी. ने क्रायटीरिया तय किया है। जब तक उस क्रायटीरिया के मुताबिक काम नहीं होता, तब तक कोई विद्यालय नहीं खुल सकता, मान्यता नहीं मिल सकती। यह प्रश्न राज्य सरकारों की नीति पर भी निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के स्कूल खोलना चाहती है।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें कोई दिशा निर्देश भेजे थे?

डा. मुरली मनोहर जोशी : वह उनके पास हैं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकीकरण के लिये भी प्रस्ताव है। लेकिन क्या यह सच है कि सरकार लड़कियों के लिय भेदभाव और लिंगभेद के आधार पर शिक्षा के विषय में विचार कर रही है। चूंकि प्रेस के एक वर्ग ने सूचना दी थी कि वे लड़कियों के लिये विशेष पाठ्यक्रम में पाककला और हांऊसकिपिंग (घर के लिए आर्थिक व्यवस्था) को भी शामिल करना चाहते हैं। यदि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है तो यह निश्चित रूप से भेदभाव और लिंगभेद पर आधारित है। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सरकार का लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई ऐसा प्रस्ताव है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : सरकार का लड़कियों की शिक्षा के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : मैं इस बारे में विशेष उत्तर चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैंने कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव विकास में भारत का स्थान 174 देशों में 139 वें नम्बर पर है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसका स्थान और ऊपर लाने के लिए इस बार शिक्षा में कितना बजट किया गया है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं ताकि इसका स्थान ऊपर आ जाए?

डा. मुरली मनोहर जोशी : मानव संसाधन के सूचकांक तीन हिस्से हैं-एक शिक्षा, दूसरा लौंगोविटी और तीसरा जी.डी.पी.। इसमें केवल जी.डी.पी. ऐसा फैक्टर है जिसमें हर वर्ष परिवर्तन होता है, वृद्धि हो सकती है या घटोत्तरी हो सकती है। लौंगोविटी और शिक्षा के परिणाम एक साल में पता नहीं लगते, ये दूरगामी परिणाम होते हैं, पांच-दस साल में पता लगते हैं। इसलिए हमारा शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, उसका पांच-सात साल से पहले प्रभाव पता नहीं लगेगा। हमने पहला काम यह किया है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए अधिक निवेश की प्रार्थना की जाए। हमने इसके लिए 78 हजार करोड़ रुपये इस पंचवर्षीय योजना में अनुमानित किए थे, जो हमारे हिसाब से इसमें लगने चाहिए। लेकिन योजना आयोग से जो सूचना मिल रही है, उसमें केवल 25 हजार करोड़ रुपये तक ही सैंक्शन होने की संभावना है। देश की अर्थव्यवस्था में आप शिक्षा को कितना हिस्सा देना चाहते हैं, शिक्षा में लगाया गया खर्च आप निवेश मानते हैं या खर्चा मानते हैं। पिछली सरकार ने शिक्षा को लो प्रॉयरिटी इवैंट माना था। हम इसे हाई प्रॉयरिटी इवैंट मानते हैं कि इसमें प्राथमिक निवेश होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और न्यूट्रीशन—इनके बिना मानव संसाधन का विकास नहीं हो सकता। हमने न्यूट्रीशन में फूड सबसिडी बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपये की है जो अपने आप में एक प्रतिमान है। हम चाहते हैं कि लोगों को भोजन मिले। मिड डे मील योजनाएं हम चलाते हैं, उसे और अधिक दृढ़ करने की योजना है ताकि बच्चों का पोषण ठीक से हो सके। न्यूट्रीशन, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं के हिसाब से यह कार्य करना हमारा पहला लक्ष्य है।

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

+

*103. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान के क्षेत्र में सक्षम इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की संख्या में भारत विश्व में सातवें स्थान पर है जबकि प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से यह विश्व में पैंतालीसवें स्थान पर है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या देश में अनुसंधान पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.9 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में अनुसंधान कार्य के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया गया और चालू वित्त वर्ष के लिए अनुसंधान कार्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) यूनेस्को स्टेटिस्टिकल ईयर बुक 1997 के अनुसार अनुसंधान और विकास कार्यों में रत वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की दृष्टि से भारत का स्थान सातवां है।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित "ग्लोबल कम्पीटिटिवनेस रिपोर्ट 1998" में प्रतिस्पर्धात्मकता की दृष्टि से 1998 में भारत का स्थान 50वां है।

(ग) और (घ) प्रकाशित किये गये उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों में सरकार द्वारा अनुसंधान गतिविधियों में किये गये व्यय पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वर्ष 1994-95 तक ही उपलब्ध है। इस आंकड़े के अनुसार भारत में अनुसंधान तथा विकास पर व्यय का प्रतिशत विगत कुछ वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत है। पूरे तौर पर भारत का अनुसंधान और विकास व्यय 1990-91 में 3974.17 करोड़ रुपये से 1994-95 में 6821.02 करोड़ रुपये तक बढ़ा है। इस आंकड़े में अन्य स्रोतों जिनमें वे व्यापार तथा कम्पनियां भी शामिल हैं जिन्होंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अपनी संस्थागत अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता देने हेतु आवेदन नहीं किया है, के खर्चों को शामिल नहीं किया गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेन्सियों के लिये कुल परिव्यय 3940 करोड़ रुपये का है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने पहले ही माना है कि क्वालीफाइड इंजीनियर्स का अगर कम्पीटीशन कराया जाये तो हमारे देश का सातवां नम्बर आता है, मगर रिसर्च पेपर्स को देखा जाये तो हमारे 70 परसेंट रिसर्च पेपर्स फोरेन इंजीनियर्स के लिखे होते हैं, इसका क्या कारण है?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से केवल 0.9 परसेंट रिसर्च एण्ड डैवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है, इसमें से कृषि के क्षेत्र में कितना खर्च किया जा रहा है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : कृषि क्षेत्र के आंकड़े हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के पास नहीं होते, उसके लिए आप हमें नोटिस दें, हम कृषि विभाग से मालूम कर लेंगे। आई.सी.ए.आर. हमारे अन्तर्गत नहीं आता है, उसके लिए पृथक नोटिस की जरूरत है। आपकी यह बात सच है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे अनुसंधान पत्रों की क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसी नहीं है, जैसी कि होनी चाहिए। हमने उसका विश्लेषण किया है कि इसका कारण क्या है।

पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में जितने प्रतिभाशाली लोगों को आना चाहिए था, उनका भी अभाव हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में प्रयोगशालाओं की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, जितनी कि होनी चाहिए थी। उनमें धन बहुत कम दिया गया। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों के अन्दर बहुत कम मात्रा में निवेश किया गया और इसलिए वहां की प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों को वह सुविधाएं नहीं मिल सकीं जिससे वहां उन्हें जो काम करना चाहिए था वे काम नहीं कर सके। हमने इस बार इस दृष्टि से परिवर्तन किया है और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं

प्रदान की जायें, अच्छे से अच्छे बच्चे विज्ञान के अन्दर आयें। उसके लिए कई कार्यक्रम हमने चलाये हैं।

दूसरी बात यह है कि टैक्नोलोजिकल कम्पीटीटिवनैस के कई फैक्टर्स हैं। जब हम सातवें नम्बर पर आते हैं तो उसमें ओपननैस कैसी है, गवर्नमैंट कैसे काम कर रही हैं, फाइनेंस की स्थिति क्या है, इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, लेबर की क्या स्थिति है, इंस्टीट्यूशंस की क्या स्थिति है, टैक्नोलोजी की क्या स्थिति है, ये सारे सवाल उसमें आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ मामलों में तो भारत आगे है और कुछ मामलों में पीछे है। इस तरह से कुल मिलाकर हमारा स्थान नीचे चला जाता है। जहां तक इंजीनियरों के फील्ड में और साइंस में लोगों के आने का सवाल है, उसमें भारत का नम्बर एक आ जाता है। लेकिन जहां टैक्नोलोजी में निवेश का सवाल आता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर का सवाल आता है, वहां हम बहुत पीछे चले जाते हैं। इन सब को मिलाकर हम 50वें नम्बर पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब जगह ही बहुत पीछे हैं। पहले हमारी व्यवस्था एक प्रकार से बन्द व्यवस्था थी, लेकिन अब वह खुली है, धीरे-धीरे और ज्यादा खुली होगी तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखा जायेगा।

इसी तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर में कम निवेश होगा।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1947 में क्या हमारा टैक्नोलॉजी एक्सपोर्ट 2.5 परसेंट था जो अब कम होकर 0.4 या 0.5 परसेंट रह गया है, इसका क्या कारण है?

दूसरे हमारी सरकार ने जो पांच परसेंट टैक्नोलॉजी इम्पोर्ट सैस लगाया है, क्या सरकार उसमें मल्टीनेशनल कम्पनीज के दबाव में आकर कमी करने जा रही है? जो इम्पोर्ट सैस लगा है, उससे जो धनराशि इकट्ठी हुई है, क्या वह रिसर्च एंड डवलपमैंट में ही लगी है? इससे कितनी धनराशि इकट्ठी हुई है और कितनी उसमें से रिसर्च एण्ड डवलपमेंट में कितना खर्चा हुआ है, यह मैं जानना चाहता हूं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है कि हम टैक्नोलॉजी इम्पोर्ट सैस के बारे में कुछ घटोत्तरी करें। उसका मतलब यही है कि टैक्नोलॉजी के विकास में ही यह सारी राशि लगाई जायेगी।

[अनुवाद]

श्री चिन्ता मोहन : अध्यक्ष महोदय, सरकार विज्ञान, अनुसंधान और विकास पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार भारत से निर्धनता उन्मूलन हेतु विज्ञान का उपयोग कैसे करेगी।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : हमने सी.एस.आई.आर. की सभी प्रयोगशालाओं के निदेशकों की एक बैठक ली थी और उनके साथ बैठकर यह चर्चा की गई थी कि अनुसंधान का लक्ष्य आम *आदमी के जीवन से सम्बंधित प्रश्नों* को हल करने के लिए होना चाहिए।

मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि चेन्नई में जो लैदर के सम्बन्ध में काम करने वाली प्रयोगशाला है, उसने सीधे-सीधे चमड़े के मामले में अनुसंधान किया। मृत पशुओं के चमड़े को निकाल कर उसे कैसे नर्म और अच्छा बनाया जा सकता है तथा कैसे सस्ते दाम पर दिया जा सकता है, इस नई टैक्नोलॉजी को ईजाद किया है। जिसके कारण 80,000 महिलाएं जो बेरोजगार होने जा रही थीं, उनको रोजगार की प्राप्ति हुई है। आज हम लैदर टैक्नोलॉजी के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो रहे हैं, जो सीधे गरीब आदमी से संबंधित है। दूसरे इसी तरह से हमारे देश में बड़ी मात्रा में सुपाड़ी के पेड़ों के पत्ते हैं, केले के पेड़ों के पत्ते हैं, जो बेकार चले जाते हैं। हमने ऐसी टैक्नोलॉजी का ईजाद किया है जिससे उन पत्तों से अच्छी प्लेट्स बनाई जा सकें, जो बायोडिग्रेडेबल भी होंगी, जिनको फेंकने में भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में इन पेड़ों के पत्ते पाए जाते हैं। जब इस तरह का सामान बनेगा तो इनका उपयोग भी होगा। आज हम कम्पीटिटिव रेट्स पर इनसे बनी हुई प्लेट्स सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से हमने साइंस एंड टैक्नोलॉजी को ऐसे काम में लगाने की चेष्टा की है जिससे बीज का विकास हो सके। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि इससे मूंगफली के बीज और उड़द के बीच की क्वालिटी बढ़ी है। फलों में उनकी सैल्फ लाइफ आगे बढ़ाई जा सके, इसके बारे में प्रयास किए गए हैं। हर राज्य में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल खोली गई है, जो इस बारे में चिंतन करेगी। प्रधान मंत्री जी के इस बारे में स्पष्ट निर्देश हैं कि विज्ञान का उपयोग जनसामान्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाए। सरकार इस पर निरंतर प्रयत्न कर रही है और निरंतर मानिटरिंग कर रही है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमारे बहुत से वैज्ञानिक विशेष तौर से, टेक्नोलॉजिस्ट और कम्प्यूटर वैज्ञानिक विदेशों में काम कर रहे हैं। मैं उनसे मिली जब मैं संयुक्त राष्ट्र को भेजे गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ न्यूयार्क गई। सॉफ्टवेयर में जिनका पहला स्थान है वो एक भारतीय हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सफल नहीं हैं। आप इन लोगों को भारत लाने का कोई प्रबन्ध क्यों नहीं करते? देश के हित में यह निर्णय ले कर और उसे कार्यरूप दे कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, क्या सरकार के पास वैज्ञानिकों को वापस लाने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : हमारे यहां कई प्रकार से वैज्ञानिक बाहर गए हैं। कुछ वे गए हैं जो वहां के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और प्रोजेक्ट समाप्त होने पर वापस आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स दो-तीन साल और कई बार पांच साल तक चलते हैं। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बाहर अनुसंधान और डिग्रिज लेने के लिए गए हुए हैं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यह बात मेरे प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं आपको बता रहा हूं कि हरेक के लिए क्या योजना है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो वहां कार्यरत दूसरी संस्थाओं में नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं। यह सवाल देश की इस व्यवस्था से सम्बन्धित है कि हम अपने यहां जॉब ऑपरचुनिटिस कितनी पैदा करते हैं। जिस मात्रा में हम अपने देश में लोगों को काम करने के लिए अवसर दे सकेंगे, उस मात्रा में लोग बाहर कम जाएंगे। हमने प्रयास किए हैं कि हम सी.एस.आई. आर. प्रयोगशालाओं में और सरकारी अधिकरणों में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा प्रश्न है : क्या सरकार की इन लोगों को विदेश से वापिस लाने की कोई मंशा है?

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं वही प्रपोजल बता रहा हूं। हमारे पास ऐसे प्रपोजल हैं जिस-जिस संस्था से प्रपोजल आते हैं उसके अनुसार हम पूरा काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैंने आपका उत्तर ध्यानपूर्वक सुना। मैं अत्यन्त खेद के साथ कह रहा हूं कि परिस्थिति चिन्ताजनक है। जी एन पी का केवल 0.8 प्रतिशत ही अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। 1994-95 में आपने अनुसंधान और विकास कार्यों पर 6,821 करोड़ खर्च किये थे जबकि चालू वर्ष में, कुल परिव्यय केवल 3,948 करोड़ रुपये है यह परिस्थिति निराशाजनक है। विकसित देशों में और विकासशील देशों में भी अनुसंधान और विकास कार्यों पर किया गया जी एन पी का 0.8 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। मुझे बताया गया है जापान में यह प्रतिशत 6 से भी ज्यादा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यह जितना होना चाहिये उससे कहीं कम है।

अन्य मुद्दा यह है कि यहां बहुत सी निजी कंपनियां हैं और अधिकतर पैसा सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भविष्य की अनुसंधान व विकास गतिविधियों को प्रभावित करता है। यह मेरी शिकायत है। मैं इस संबंध में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने के बाद।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय ठीक है।

महोदय, निजी कंपनियां अनुसंधान व विकास कार्यों पर कुछ भी खर्च नहीं कर रही हैं, यद्यपि उनका उत्पादन हजारों करोड़ रुपए तक होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित ऐसी कोई शर्त है कि भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादन का कुछ प्रतिशत खर्च अनुसंधान और विकास पर करना चाहिए; और क्या ऐसी कोई शर्त है कि सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां भी अपने उत्पादन का कुछ प्रतिशत खर्च करें। यदि नहीं तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई शर्त लगाने और उसे लागू करने पर विचार करेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, पहले मुझे यह गलतफहमी दूर करनी है कि जापान अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5 प्रतिशत अनुसंधान व विकास पर खर्च कर रहा है। वे केवल 2.9 प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : जैसा भी हो हम से ज्यादा ही है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हां, चीन केवल 0.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है जो कि हमसे कम है। हर तरह के देश हैं लेकिन मैं फिर भी इस बात से सहमत हूं कि भारत को इसके अनुसंधान व विकास पर अधिक खर्च करना चाहिये। मैं इस मत का प्रबल समर्थक हूं और मैं प्रयोगशालाओं और सरकार दोनों ही अनुसंधान पर अधिक राशि का निवेश करने पर जोर दे रहा हूं। विश्वविद्यालयों को भी अनुसंधान कार्य पर अधिक राशि दी जानी चाहिए।

यह देखा जा सकता है कि 1994-95 में वर्तमान मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 8,39584 करोड़ रुपये था और अनुसंधान व विकास पर व्यय 6,821 करोड़ रुपये था। 1991-92 में जिसमें यह केवल 4000 करोड़ रु. था, से इसमें सुधार हुआ है। और यह इस स्तर तक पहुंच गया है इसे और भी अधिक बढ़ाना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि इसके लिए अधिक राशि का निवेश किया जाना चाहिए और हम वित मंत्रालय से अनुसंधान और विकास हेतु अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

मैं इस पर भी सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र की इकाईयों और निजी क्षेत्र की निगमित इकाइयों दोनों को और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे आगे आएं और अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में अधिक निवेश करें। मुझे प्रसन्नता है कि ये इकाइयां हमारी प्रयोगशालाओं व विश्वविद्यालयों के अनुसंधान व विकास के साथ संयुक्त कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक प्रवृत्ति है। विशेष रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में। हमने पाया है कि बड़ी संख्या में कंपनियां, उत्पादन और अनुसंधान व विकास के क्षेत्रों में एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में भी वे आगे आ रही हैं और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनमें से कुछ तो सरकार को लाभांश भी दे रही हैं।

अतः वहां प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस प्रोत्साहन में थोड़ा और समय लेगा क्योंकि काफी वर्षों से ऐसी परम्परा नहीं थी और

निगमित क्षेत्र में अच्छा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में थोड़ा समय लगता है। यहां तक कि आयुर्वेदिक औषध निर्माताओं ने भी अब अपने अनुसंधान विभाग स्थापित कर लिये हैं। ट्रिप्स के बाद अब निजी क्षेत्र में और साथ-साथ सरकारी क्षेत्र में अधिक अनुसंधान व विकास हेतु जागरूकता आई है। इसमें थोड़ा और समय लगेगा परन्तु मैं पूर्णतया सहमत हूं तथा अनुसंधान और विकास में निवेश की वृद्धि करने संबंधी उनके विचारों की प्रशंसा करता हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

श्री ई. अहमद : महोदय, कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य बातों के लिए पश्चिमी देशों और अन्य देशों में जाते हैं, भारत वापस आएंगे।

मैं इसके विपरीत कहना चाहूंगा। सरकार द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी जब एक बार जाते हैं तो वे वापस नहीं लौटते हैं क्योंकि संबंधित सरकारों द्वारा उनको मुहैया करायी गई सुविधाएं हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं की तुलना में काफी अधिक हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनको वापस लाने और ये वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि क्या जहां तक हमारे वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों का संबंध है, उनका प्रतिभा पलायन हो रहा है और क्या सरकार के उनको वापस लाने की योजना है और हमारे वैज्ञानिकों को पर्याप्त अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने की कोई संदर्शी योजना है।

अध्यक्ष महोदय : आप वही अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : जैसा कि मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। हमने नौवीं योजना में अनुसंधान और विकास तथा अन्य सुविधाओं हेतु अधिक राशि मांगी है। जैसे ही यह स्वीकृत हो जाती है, हम अधिक सुविधाओं का सृजन करेंगे।

हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं का भी विस्तार हो रहा है और बहुत वैज्ञानिक वापिस आ रहे हैं क्योंकि उनको पता लग गया है कि सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। हमारी कुछ प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं।

महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कई ऐसे देश हैं जो अपने वैज्ञानिकों को हमारी प्रयोगशालाओं में हमारे साथ सहयोग में भेजने के लिए तैयार हैं। अतः हम सुविधाओं को बढ़ाने और नई सुविधाओं का सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप आश्वस्त रहें कि हम विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योजना परिव्यय में वृद्धि कर रहे हैं नये वैज्ञानिक संगठनों का सृजन कर रहे हैं और उन्नत अध्ययन केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं, उच्चतम विकास हेतु वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अतिरिक्त पदों के सृजन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। *ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमने किए हैं जैसा कि मैंने कहा है : "हमारे पास योजनाएं हैं और हम उनको क्रियान्वित कर रहे हैं।"*

वैज्ञानिक अनुसंधान निकायों को आवंटन

+

***104. श्री शिवराज सिंह चौहान :**

श्री विक्रम देव केशरी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, एसोसिएशनों तथा निकायों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) वर्ष 1996, 1997 तथा 1998 के दौरान इनमें से प्रत्येक को राज्यवार कितना वार्षिक बजट आवंटित किया गया;

(ग) क्या इन संस्थानों/एसोसिएशनों और निकायों में से अनेक आवंटित बजट का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) दो विवरण (विवरण-I तथा विवरण-II) सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

विवरण-I

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	संस्थान का नाम/पता	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	सेन्टर फार सेलुलर एण्ड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी, उप्पल रोड, हैदराबाद-500007	1127	1136	1311

1	2	3	4	5
2.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद-500007	1850	2043	2267
3.	राष्ट्रीय भूगर्भ भौतिक अनुसंधान संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद-500007	1216	1409	1692
असम				
4.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, पो आ-जोरहाट-785006, (असम)	871	858	889
बिहार				
5.	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, पो आ-एफ आर आई, धनबाद-828108	1334	1521	1606
6.	केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, बरवा रोड, धनबाद-826001	944	1007	1117
7.	नेशनल मेटालर्जीकल लेबोरेट्री, जमशेदपुर-831007	1279	1650	1940
चंडीगढ़				
8.	सेंट्रल सांइटिफिक इंस्ट्रूमेंटस आर्गनाइजेशन, सैक्टर-30 सी सी, चंडीगढ़-160020	1039	1049	1310
9.	इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, सैक्टर 39-ए, चंडीगढ़-160036	559	641	619
गोआ				
10.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओश्यनोग्राफी, डोना पोला, गोआ-403004	1141	1427	1609
गुजरात				
11.	सेंट्रल साल्ट एण्ड मेरिन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर-364002	671	688	788
हिमाचल प्रदेश				
12.	हिमालयी जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पो.बा. नं. 6, पालमपुर 176061	347	367	397
जम्मू और कश्मीर				
13.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, केनाल रोड, जम्मू तवी-180001	867	935	1066
कर्नाटक				
14.	सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर-570013	1309	1461	1605
15.	नेशनल एरोस्पेस लेबोरेट्रीज, पो बा नं. 1779, कोडीहाली, बंगलौर-560017	2981	3270	3563
केरल				
16.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, इंडस्ट्रियल इस्टेट, पो. आ. तिरुवनंतपुरम-695019	532	551	636
मध्य प्रदेश				
17.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज के निकट, नाका, भोपाल-26	492	476	452

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
18.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे-411008	2024	2266	2442
19.	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नेहरु मार्ग, नागपुर-440020	1064	1170	1338
नई दिल्ली				
20.	सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पो आ. सीआरआरआई, नई दिल्ली-110020	592	748	931
21.	जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, यूनिवर्सिटी कैम्पस, माल रोड, नई दिल्ली-110007	358	383	452
22.	भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखीकरण केन्द्र, 14 सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली-67	578	602	679
23.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान, हिलसाइड रोड, नई दिल्ली-110012	535	547	626
24.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान, डा.के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110012	296	338	412
25.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, डा. के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-12	1963	2022	2225
उड़ीसा				
26.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर-751013	683	809	895
राजस्थान				
27.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी-333031	966	973	1145
तमिलनाडु				
28.	केन्द्रीय इलेक्ट्रो रासायनिक अनुसंधान संस्थान,कराईकुडी, तमिलनाडु-630006	1141	1223	1282
29.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अदयार, चेन्नई-600020	1431	1691	1432
30.	मद्रास कम्पलेक्स, टी टी टी आई, तारामणी, चेन्नई-600113	117	123	112
31.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरी रिसर्च सेन्टर, पो बा. नं. 8287, तरामणी, चेन्नई-600113	489	581	769
उत्तर प्रदेश				
32.	सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की-247-667	825	1003	1210
33.	केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान, छत्तर मंजिल पैलेस, पो बा. नं. 173, लखनऊ-1	1423	1457	1761
34.	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स, पो आ. सीआईएमएपी लखनऊ-226015	765	919	997
35.	इंडस्ट्रियल टोक्सीकोलोजी रिसर्च सेन्टर, महात्मा गांधी मार्ग, पो बा. नं. 80, लखनऊ-1	657	740	841
36.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, पो आ.आई.आई.पी., मोहकमपुर, देहरादून-248005	1095	1240	1365
37.	नेशनल बटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राणा प्रताप मार्ग, पो बा. नं. 436, लखनऊ-1	934	914	1014

1	2	3	4	5
38.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर, सैक्टर-19, कमला नेहरू नगर गाजियाबाद-2	229	282	387
पश्चिम बंगाल				
39.	सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, 196 राजा एस सी मल्लिक रोड, कलकत्तर-700032	1106	1095	1289
40.	सेन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एम जी एवेन्यू, दुर्गापुर-713209	1298	1588	1796
41.	भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, 4 राजा एस सी मल्लिक रोड, जाधवपुर, कलकत्ता-700032	807	1018	1142
	बायोटेक्नोलोजी विभाग			
आंध्र प्रदेश				
1.	सेन्टर फार डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायगोन्स्टिक्स, हैदराबाद	204	391	400
महाराष्ट्र				
2.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे	597	548	751
नई दिल्ली				
3.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली	985	920	1159
4.	नेशनल सेन्टर फार प्लांट जीनोमी रिसर्च, नई दिल्ली	–	–	131
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
आंध्र प्रदेश				
1.	इंटरनेशल एडवान्सड रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटरोलॉजी एण्ड न्यू मैटिरियल्स, ए आर सी, इंटरनेशनल आर सी आई रोड, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद-500005	816	750	450
कर्नाटक				
2.	इंडियन एकेडमी आफ साईंसिज, सी वी रामन एवेन्यू बंगलौर-560080	116.15	135	126
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, शारजापुर रोड, बंगलौर-560034	1220	1382	1396
4.	जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवांसड साइंटिफिक रिसर्च, जाक्कर कैम्पस, जाक्कर पो आ. बंगलौर-560064	495	517	570
5.	रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी वी रमन एवेन्यू, सदाशिव नगर, बंगलौर-560080	635	769	887
केरल				
6.	श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल सांयसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, तिरुअनंथपुरम-695011	1525	1805	1844
महाराष्ट्र				
7.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियामेग्निटज्म, डा. नानाभाई मोसे मार्ग, कोलाबा बम्बई-400005	435	584	674

1	2	3	4	5
8.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मिटियोरोलॉजी, डा. होमी भाभा रोड, पच्चन पुणे-411008	365	381	408
9.	*महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, लॉ कालेज रोड, पुणे-411004*	250	281	293
नई दिल्ली				
10.	भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी, नं. 117, विजिटिंग फैकल्टी, नालंदा हाऊस, आई आई टी कैम्पस, हौज खास, नई दिल्ली-16	11	13	10
11.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	523	619	538
12.	टैक्नोलॉजी इंफारमेशन एण्ड फारकास्टिंग कांउसिल, टैक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली-110016	435	496.38	498
13.	विज्ञान प्रसार, टेक्नोलोजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016	75	75	75
उत्तर प्रदेश				
14.	बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, 53, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ-226007	316	390	418
15.	नेशनल एकडमी ऑफ साइंस, 5 लाजपतराय रोड, न्यू कटरा, इलाहाबाद-211002	40	44	43
16.	वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, 33, जनरल महादिओ सिंह रोड देहरादून-248001	343	380	407
पश्चिमी बंगाल				
17.	बोस संस्थान, पी-1/12, सी आई टी स्कीम, VII-एम, कलकत्ता-700009	585	640	630
18.	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सांयसेज, जाधवपुर, कलकत्ता-700032	690	719	790
19.	इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, 14 डा. बिरेश गुहा, स्ट्रीट, कलकत्ता-700017	60.50	75.51	66
20.	एस एन बोस नेशनल सेन्टर फॉर बेसिक सांयसेज, ब्लाक जे डी, सैक्टर-III, साल्ट लेक, कलकत्ता-700091	220	242	274

विवरण-II

11 संस्थानों के संबंध में निधियों का प्रयोग नहीं करने से संबंधित विवरण
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का नाम	पता (राज्यवार नगर का नाम)	निधियों का उपयोग नहीं करने की सीमा 1995-96	1996-97	1997-98	निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	इण्टरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सैन्टर फॉर पाउडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मेटिरियल्स (आई ए आर सी)	हैदराबाद	190.62	346.48	पूर्णतया प्रयुक्त	उपस्कर मुहैया कराने में विलम्ब

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक						
2.	रमन रिसर्च इन्स्टीट्यूटन (आर आर आई)	बंगलौर	46.63	81.14	पूर्णतया प्रयुक्त	उपस्कर मुहैया कराने में विलम्ब
महाराष्ट्र						
3.	महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साईंस (एम ए सी एस)	पुणे	20	1.38	पूर्णतया प्रयुक्त	उपस्कर मुहैया कराने में विलम्ब
नई दिल्ली						
4.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई एन एस ए)	नई दिल्ली	पूर्णतया प्रयुक्त	182	पूर्णतया प्रयुक्त	कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त विलम्ब
5.	प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद् (टी आई एफ ए सी)	नई दिल्ली	447.82	384.10	पूर्णतया प्रयुक्त	परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब
6.	विज्ञान प्रसार (वी पी)	नई दिल्ली	पूर्णतया प्रयुक्त	1.00	पूर्णतया प्रयुक्त	पदों के सृजन में विलम्ब।
उत्तर प्रदेश						
7.	बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी (बी एस आई पी)	लखनऊ	77.65	153.97	पूर्णतया प्रयुक्त	उपस्कर मुहैया कराने में विलम्ब
8.	वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (डब्ल्यू आई एच जी)	देहरादून	39.72	18.15	पूर्णतया प्रयुक्त	उपस्कर/पदार्थ मुहैया कराने में विलम्ब।
प. बंगाल						
9.	एस एन बोस नेशनल सैन्टर फॉर बेसिक साईंसिज (एस एन बी एन सी बी एस)	कलकत्ता	122.33	100.00	पूर्णतया प्रयुक्त	भवन निर्माण में विलम्ब।
महाराष्ट्र						
1.	नेशनल सैन्टर फॉर सैल साईंस (एन सी सी एस)	पुणे	पूर्णतया प्रयुक्त	436	पूर्णतया प्रयुक्त	आयातित उपस्करों को मुहैया कराने के लिए एल सी खोलने में विलम्ब
नई दिल्ली						
2.	नेशनल सैन्टर फॉर प्लान्ट जिनोम रिसर्च (एन सी पी जी आर)	नई दिल्ली	–	–	111	चूंकि केन्द्र को नवम्बर, 1997 में पंजीकृत किया गया इसलिए केवल 20 लाख रुपये विमुक्त किये गये तथा उनका उपयोग किया गया।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, मैंने उत्तरों का अध्ययन कर लिया है और यह देखने में आया है कि केवल ।। संस्थानों के संबंध में निधियों का अनुपयोग किया गया है। परन्तु यहां जो उत्तर दिया गया है वह विभिन्न राज्यों में लगभग सभी अनुसंधान संस्थानों के बारे में है।

यहां यह पाया गया है कि इन अनुसंधान संस्थानों में काफी राशि बिना खर्च किए हुए ही पड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह राशि कब खर्च की जायेगी और इन संस्थानों में जो कुछ भी अनुसंधान सामग्री का उत्पादन हो रहा है क्या उनका पेटेन्ट किया जा रहा है अथवा नहीं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय जिस राशि का उपयोग नहीं हुआ है वह अकुशलता के कारण नहीं है यह बल्कि विदेशों की अधिप्राप्ति के कारण है। कभी-कभी वांछित गुणवत्ता और वांछित उद्देश्य वाले उपकरण को प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। तत्पश्चात भूमि अधिग्रहण में भी विलम्ब होता है।

अतः सामान्यतयाः इन कारणों से विलम्ब होता है। यह धन राशि व्यपगत नहीं होती है यह अगले वर्ष में अंतरित हो जाती है क्योंकि यह प्रतिबद्ध राशि है। कई मामलों में क्रयादेश दिए गए हैं और वे वांछित उपकरण के निर्माण में काफी समय लेते हैं।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में यह विलम्ब कम किया जा सकता है ताकि अनुसंधान कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ किया जा सके और इसे देश के लोगों तक पहुंचाया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उत्पादित की जा रही अनुसंधान सामग्री के अतिरिक्त जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है, क्या यह पेटेन्ट किया जायेगा या नहीं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जहां तक पेटेन्ट करने का संबंध है, जो सामग्री पेटेन्ट की जानी है अथवा पेटेन्ट योग्य है उस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही हो रही है। अब, पेटेन्ट किये जाने हेतु अनेक आवेदन आए हैं। ये आवेदन प्रयोगशालाओं से आ रहे हैं।

जहां तक विलम्ब होने का संबंध है, यदि विलम्ब भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार के कारण है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि विलम्ब निर्माता के कारण हैं क्यों कि डिजाइन का निर्माण निर्धारित समयावधि में नहीं कर सकता, तो यह भी हमारे बस में नहीं है। तथापि हम प्रयत्न करेंगे और करते रहेंगे ताकि ये विलम्ब कम हो सकें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : विभिन्न प्रयोगशालाओं में कार्यरत अनुसंधान कार्यकर्ताओं की काफी शिकायतें हैं जो विभिन्न प्रयोगशालाओं में मुख्य कार्यों में लगे हुए हैं उनकी मुख्य शिकायत है कि इन प्रयोगशालाओं में किसी बुनियादी अवसंरचना का विकास नहीं हुआ है। बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी भारत सरकार ने इन अनुरोधों पर कोई उत्साहपूर्ण रवैया नहीं प्रदर्शित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रयोगशालाओं में बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास के बारे में किसी फर्म द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ये लोग विदेश जा सकते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. मुरली मनोहर जोशी : यदि माननीय सदस्य मुझे ऐसी सूची दे दें जहां से बुनियादी अवसंरचना विकास संबंधी शिकायतें आ रही हैं तो मैं अवश्य ही इसकी छानबीन करूंगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। औद्योगिकी सम्पदा, त्रिवेन्द्रम की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक प्रस्ताव भेजा है। आपने उस पर विचार नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बिट्ठल तुपे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1996-97 में जो फंड अलाट किए गए थे और मंजूर किए गए थे उसमें से बहुत से फंड अनयूटिलाइजड हैं। इसमें महाराष्ट्र की पुणे की एक संस्था है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक आपका अनुपूरक प्रश्न संक्षिप्त नहीं होगा, तब तक आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री बिट्ठल तुपे : नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने डिले इन ओपनिंग ऑफ एल.सी. के कारण ये फंड यूटिलाइज नहीं किये। क्या आपने इंक्वायरी की कि एल.सी. ओपनिंग करने में डिले क्यों हुआ और उसके लिए क्या कार्यवाही की?

डा. मुरली मनोहर जोशी : इस संबंध में आपको जानकारी प्रेषित कर दी जाएगी और उसमें जो भी डिले के कारण हुए थे, वे बता दिए जाएंगे। सामान्य तौर पर जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी स्थान से सामान मिलने में या बैंकिंग में कोई कठिनाई होती है तो कभी-कभी एल.सी खोलने में डिले हो जाता है और कभी-कभी इसलिए डिले हो जाता है कि जितने पैसे अपने पास होने चाहिए उतने पैसे उस दिन हमारे पास नहीं होते, इन सब कारणों से डिले हो जाता है। लेकिन उसका अर्थ मिस यूटिलाइजेशन नहीं होता, अगले साल वह सारा पैसा बचा रहता है और जैसे ही इक्विपमेंट आ जाता है उसका पेमेंट हो जाता है। इसमें इनएफिशियेंसी एक कारण हो सकता है, उसकी जांच कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना

***105. कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों तथा वन पर आश्रित आदिवासियों को शामिल करके उक्त प्रबंधन में मूलभूत परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार ने 1990 के दौरान सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अवक्रमित वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु भोगाधिकार आधार पर स्थानीय समुदायों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा महिलाओं की भागीदारी के तरीकों का पता लगाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 21 राज्यों ने लोगों की भागीदारी से वनों के प्रबंधन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव को पास कर दिया है। लगभग 7 मिलियन हे. अवक्रमित वनों को संयुक्त वन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में लाया गया है जिसमें गांव स्तर के लगभग 35,000 निकाय शामिल हैं। संयुक्त वन प्रबंधन, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत सभी पौधरोपण परियोजनाओं का केन्द्र तथा अभिन्न अंग हैं।

(ग) और (घ) संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित मामलों के संचालन में सलाह देने के लिए केन्द्र सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन पर एक स्थायी समिति गठित की है। यह इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को भी देखेगी।

भूमिगत जल में प्रदूषण

***106. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित बड़े शहरों में वायु के साथ-साथ भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली सहित देश में विभिन्न शहरों और नगरों में भूमिगत जल गुणवत्ता और परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। निगरानी परिणामों से दिल्ली सहित देश के शहरों/नगरों के कतिपय हिस्सों में भूमिगत जल संदूषण होने का संकेत मिला है। यद्यपि अधिकांश शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निर्धारित पैरामीटरों के भीतर है, दिल्ली और कलकत्ता में कतिपय प्रदूषकों की सांद्रता अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में कम अवधियों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है।

1. केन्द्र सरकार ने देश में भूमिगत जल के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण का गठन किया है।
2. पर्यावरण की सुरक्षा तथा इसके सुधार के लिए सरकार ने निम्नलिखित नीतिगत कदम उठाए हैं : द नेशनल कन्जर्वेशन स्ट्रैटेजी एंड पालिसी स्टेटमैंट ऑफ एनवायरमैंट एंड डेवलपमेंट, 1992, पालिसी स्टेटमेंट फार अबेटमैंट ऑफ पोल्यूशन, 1992 और राष्ट्रीय वन नीति, 1988
3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया गया है।
4. केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों का एक व्यापक प्रवर्तन ढांचा कार्य कर रहा है जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियां शामिल हैं।
5. परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता मानकों तथा क्रमशः वायु और जल में होने वाले उत्सर्जन तथा बहिस्राव मानकों को अधिसूचित किया गया है और इनका नियमित आधार पर मानीटरन किया जा रहा है।
6. विकास परियोजनाओं संबंधी 29 श्रेणियों के मामलों में पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है जिनमें सुनवाई तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया भी शामिल है।

7. निर्धारित मानकों के अनुपालन के प्रयोजन से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों का सख्ती से मानीटरन किया जा रहा है।

8. औद्योगिक इकाइयों के लिए अनेक सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

9. प्रदूषण में कमी करने के लिए तथा पर्यावरण में सुधार के लिए 24 अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों का पता लगाया गया है। 22 अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों के मामले में कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

10. नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए गंगा कार्य योजना तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 14 राज्यों के 156 शहरों को कवर करने वाली 22 नदियों में नगरीय अपशिष्ट प्रवाहित करने को रोकने तथा उनके अपयर्तन करने पर विचार किया गया है। जल-मल को उपचारित किया जाएगा और इसे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। नदियों के औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत की जाती है। ये कानून केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा लागू किए जाते हैं।

11. कतिपय अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयां टैक्सटाइल डाई और प्रिंटिंग इकाइयां, चमड़ा उद्योग तथा कृषि आधारित कागज इकाइयों के मामले में प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपशिष्ट न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

12. औद्योगिक इकाइयों की कुछ श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय लेखा परीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है।

13. वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए पहली बार 1990 में निर्माण स्तर पर होने वाले बहिस्राव संबंधी मानकों को प्रारम्भ किया गया था और 1996 में इन मानकों को और सख्त बना दिया गया। 1.4.2000 से बहिस्राव संबंधी और अधिक कड़े मानक लागू किए जाएंगे। सभी नए वाहनों की सभी तरह की श्रेणियों के सड़क चलित वाहनों के मामले में सकल बहिस्राव मानकों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

14. जून, 1994 से 4 महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में अल्प सीसायुक्त पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया था। इसके बाद 1.4.1995 से इन चार शहरों में सीसारहित पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया। 1.9.1998 से दिल्ली में केवल सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है।

15. पर्यावरण गुणवत्ता की सुरक्षा तथा उसके सुधार के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा उसे कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है।

16. मंत्रालय ने गुजरात, उड़ीसा, मुम्बई, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और दिल्ली में स्थित 7 अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति के संबंध में अध्ययन कराए हैं।

17. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए तथा उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटा कर अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

बालिकाओं की शिक्षा

*107. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों और विश्वविद्यालयों को अनुदेश जारी करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे शिक्षा में अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र प्रभावित नहीं होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इससे निपटने के लिए बनाई जाने वाली प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कालेज स्तर तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु योजना बनाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की योजनाओं की रूप रेखा तैयार की जा रही है।

(ग) यह अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

*108. **श्री माधवराव पाटील :**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिकता के आधार पर विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि की धनराशि बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने आज तक केन्द्रीय सड़क निधि की राशि नहीं बढ़ाई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी हां।

(ख) से (च) केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

औषधीय जड़ी-बूटियों की तस्करी

*109. **श्री रवि सीताराम नायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधीय जड़ी-बूटियों का ब्यौरा क्या है जिनका देश से निर्यात प्रतिबंधित है;

(ख) क्या करोड़ों रुपए कीमत की इन औषधीय जड़ी-बूटियों का उनके स्थानीय नामों की आड़ में अवैध निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तस्करी करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन जड़ी-बूटियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) इन औषधीय पौधों जिनके निर्यात पर प्रतिबंध है, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि इन पौधों की किस्मों से तैयार सम्मिश्रणों के निर्यात की अनुमति दी गई है। इन प्रजातियों की खेती किए गए पौधों के निर्यात के लिए अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। औषधीय जड़ी-बूटियों के थोड़ी मात्रा में तस्करी के प्रयास के कुछ मामलों के बारे में इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा पता लगाया जा रहा है।

(घ) दोषियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

(ङ) इन जड़ी-बूटियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :—

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-6 के अंतर्गत शामिल वन्य पौधों की प्रजातियों को किसी भी वन भूमि अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों से प्राप्त करने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
2. वनों से प्राप्त पौधों, उनके अंशों और उनसे प्राप्त तत्वों की 29 प्रजातियों के निर्यात पर प्रतिबंध है।
3. उपर्युक्त 29 प्रजातियों के पौधों के औषधों के अलावा, अन्य पौधों के निर्यात के लिए क्षेत्रीय उप-निदेशक, वन्यजीव परिरक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय अथवा संबंधित राज्य जहां से ये पौधे प्राप्त किए गए हैं के मुख्य वन संरक्षक अथवा उप-वन संरक्षक से ये कानूनी खरीद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
4. प्रतिबंधित की गई उपरोक्त 29 प्रजातियों के पौधों/उनके अंशों की खेती की गई किस्मों के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है। बशर्ते कि जहां कहीं भी लागू हो जिसके लिए खेती का प्रमाण पत्र और साइट्स अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. साइट्स के परिशिष्ट-1 के अंतर्गत शामिल प्रजातियों के संबंध में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है तथा साइट्स के परिशिष्ट-2 के अंतर्गत शामिल 17 प्रजातियों का विनियमन साइट्स के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।
6. जहां कहीं से वन्यपौधों के अवैध व्यापार के बारे में वन्यजीव प्राधिकारियों को सूचना प्राप्त होती है तो उनके द्वारा कई बार छापे मारे जाते हैं।

विवरण

वनों से प्राप्त नीचे विनिर्दिष्ट 29 पौधों के भागों और उनके अंशों का निर्यात (उनके सम्मिश्रण को छोड़कर) प्रतिबंधित है।

1. बैड्रोमस साइकाड (साइकस बैडोमेई)
2. ब्ल्यू वांडा (वांडा कोयरूलिया)
3. सौसूरिया कोस्ट्स
4. लेडीज स्लिपर ऑरकिड (पैफीयोपेडीरियम प्रजातियां)
5. पिच्चर प्लांट (नेपेंथीस खासियाना)
6. रैड वांडा (रिनैनथेरा इम्सशूटियाना)
7. राओवोलिफिया सरपेंटीना (सर्पगंधा)

8. सीरोपेजिया स्पेसिज
9. फरेरा इंडिका (सिन्दल मेंनकुंडी)
10. पोडोफाइलम हेप्सांड्रम (इमोदी) (इंडियन पोडोफाइलम)
11. सिया थीसि स्पेसिज (ट्री फर्वस)
12. सिया डेसिवा स्पेसिज (सिकाडस)
13. डायोसकोरिया डेल्टोइडिया (एलीफेंट फुट)
14. यूफोरबिया स्पेसिज (यूफोरबियाज)
15. आरकीडेसिया स्पेसिज (ऑरकिड्)
16. टैरोकारपस सेंटलीनस (रैडसैंडर्स)
17. टैक्सस वालिचियाना (कॉमन यू अथवा बिरमी लीवज)
18. एक्वीलेरिया मालाक्सेनिस (अगरवुड)
19. एकोनिटम स्पेसिज
20. कोपिटिस टीटा
21. कोसिनियम फेनेस्ट्रम (कोलम्बा वुड)
22. डेक्टीलोरहिजा हाटागिरिया
23. जेंटियाना कुरू (कुरू कुटकी)
24. नेटम स्पेसिज
25. कैम्फेरिया गैलेंगा
26. नारडोसटैकिस ग्रेंडीफ्लोरा
27. पैनेक्स सूडोजिनसैम
28. पाइकोरहिजा कुररूआ
29. स्वेरटिया चिराटा (चारयाटाहा)

* यहां प्रयोग किए गए शब्द सम्मिश्रण के अंतर्गत ऐसे उत्पाद शामिल होंगे जिनमें प्रतिबंधित पौधों के अंश/सत्व शामिल होंगे लेकिन यह सम्मिश्रण अभिज्ञेय न हों और उन्हें अलग न किया जा सकता हो।

[हिन्दी]

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

*110. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्कूली शिक्षा में विदेशी निवेश

*111. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक :**
श्री के. सी. कोंडय्या :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों की राय प्राप्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सरकार ने इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। इस संबंध में पूर्व प्राप्त कुछ विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के आधार पर निर्णय लिया गया है। वर्ष 1983 से 1998 के बीच सरकार को आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से तीन प्रस्तावों पर सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस संबंध में सामान्य नीतिगत निर्णय लेने से पूर्व सरकार राज्य सरकारों एवं शैक्षिक विशेषज्ञों सहित सभी संबंधितों से राय लेगी।

[हिन्दी]

तटीय विनियमन क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृति

*112. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय विनियमन क्षेत्र और वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) इनमें से 31 अक्तूबर, 1998 तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) स्वीकृति देने के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्र विनियमों में ढील देने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने तटीय क्षेत्र विनियमों को लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 19 फरवरी, 1991 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (समय-समय पर यथा संशोधित) की तटीय क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्यकलापों को विनियमित करती है। वे उद्योग, जिनका तटीय नगर भाग (वाटर फ्रंट) से सीधा संबंध है अथवा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से तटाग्र सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, को छोड़कर तटीय क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना करने तथा विद्यमान उद्योगों का विस्तार करने पर प्रतिबंध है। पत्तनों, बंदरगाहों तथा गोदियों के कार्यात्मक निर्माण, तेल, गैस के लिए पाइप लाइन बिछाने, तथा प्रशीतन प्रयोजनों के लिए समुद्री जल का प्रयोग करने तथा कतिपय निर्दिष्ट क्षेत्रों में समुद्री सैरगाहों की निर्माण आदि गतिविधियां हैं, जो सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञेय हैं। अनुज्ञेय गतिविधियां अनुमोदित करते समय पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है।

किसी गैर वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन लाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत जांच करने के बाद ही प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है। इसमें इस बात का पता लगाना भी शामिल है कि वन क्षेत्र की आवश्यकता स्थल विशिष्ट हो और कम से कम हो।

(घ) से (च) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए फादर सी जे सल्दान्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले सल्दान्हा समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों पर जनता से आपत्तियां मांगने का निर्णय लिया गया।

विवरण

31.10.1998 तक तटीय विनियमन क्षेत्र के अन्तर्गत 38 प्रस्ताव तथा वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत 41 प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लंबित प्रस्तावों की संख्या	
		तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत	वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	–
2.	आंध्र प्रदेश	4	3
3.	बिहार	–	2
4.	दमन व दीव	1	–
5.	गोवा	5	–
6.	गुजरात	3	2
7.	हिमाचल प्रदेश	–	3
8.	कर्नाटक	6	3
9.	केरल	2	–
10.	मध्य प्रदेश	–	11
11.	महाराष्ट्र	8	4
12.	मेघालय	–	1
13.	उड़ीसा	1	4
14.	राजस्थान	–	4
15.	सिक्किम	–	1
16.	तमिलनाडु	4	–
17.	उत्तर प्रदेश	–	3
18.	पश्चिम बंगाल	1	–
	कुल	38	41

इनमें से तीन तटीय विनियमन क्षेत्र के तीन प्रस्तावों को नवम्बर, 98 में स्वीकृति दे दी गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्यों को विद्युत की सप्लाई बंद करना

*113. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बिलों का भुगतान न करने की वजह से इस वर्ष अक्तूबर माह में कुछ राज्य विद्युत बोर्डों/राज्यों को बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य पर कुल कितनी राशि बकाया थी;

(घ) इसके क्या कारण हैं और इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) कुछेक राज्यों की विद्युत सप्लाई बंद करने के क्या कारण हैं जबकि बड़ी संख्या में राज्य विद्युत बोर्डों/राज्यों पर राशि बकाया है;

(च) क्या विद्युत की सप्लाई बंद करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/राज्यों को कोई अग्रिम नोटिस दिया गया था; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमार मंगलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने 10 और 11 अक्तूबर, 1998 की मध्य रात्रि से फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र से पश्चिम बंगाल को विद्युत की आपूर्ति का विनियमन करना आरम्भ किया था जो 31.10.98 तक जारी रहा।

(ग) 31.10.98 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी की बकाया राशियां 8883.70 करोड़ रुपये बैठती है। 31.10.98 की स्थिति के अनुसार बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कई राज्य बिजली बोर्डों ने एनटीपीसी को मासिक बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि का साख-पत्र नहीं खोला है और इसीलिए एनटीपीसी को भुगतान में चूक हो रही है जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशियां इकट्ठी हो गई हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :—

(1) विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा भुगतान संबंधी मामले की रा.वि.बो. और राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

(2) 31.12.96 की स्थिति के अनुसार बकाया राशियों को जो 3751.45 करोड़ रुपये बैठती है, प्रत्यक्ष विनियोजन के क्षरा वसूल किए जाने को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत करने का निर्णय।

(ङ) से (छ) 30.9.98 की स्थिति के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, दामोदर घाटी निगम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश (उ.प्र.), दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर की बकाया राशियां औसत बिलिंग के माह के रूप में सबसे अधिक थीं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

	राज्य/संगठन	औसत बिलिंग के माह
1.	बिहार	15.1
2.	पश्चिम बंगाल	12.9
3.	जम्मू और कश्मीर	12.3
4.	उड़ीसा	11.4
5.	दिल्ली	10.2
6.	डीवीसी	9.1
7.	उ.प्र.	9.9

चूककर्त्ता राज्यों को विद्युत की आपूर्ति का विनियमन करने के लिए एनटीपीसी द्वारा जिस मानदंड की अनुपालना की जा रही है, वह निम्नवत है :—

(1) बिलिंग के माह के रूप में बकाया राशियां सबसे अधिक थीं तथा

(2) वर्तमान भुगतान वर्तमान बिलिंग के स्तर से नीचे थे जैसा कि उनके द्वारा खोले गए साख-पत्र में दर्शाया गया है।

चूंकि जम्मू व कश्मीर ने साख-पत्रों के माध्यम से वर्तमान बिलिंग पर पूर्णतः निष्पादन किया था इसलिए उस राज्य को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। नोटिस बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उ.प्र. दिल्ली तथा डीवीसी को जारी किए गए थे इस संबंध में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार राज्यों के मुख्यसचिवों को भी पत्र जारी किए गए थे। केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने भी एनटीपीसी को देय बकाया राशियों का परिसमापन करने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों द्वारा बकाया देय राशियों का भुगतान न किए जाने की समस्या पर चर्चा करने के लिए एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों ने उड़ीसा और बिहार के मुख्यमंत्रियों के साथ क्रमशः 24.8.98 और 7.9.98 को बैठकें की हैं। पश्चिम बंगाल के ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ में दिनांक 1.9.98 को बैठक आयोजित की गई थी। एनटीपीसी ने अपने पूर्वी विद्युत स्टेशनों यथा फरक्का, कहलगांव और तालचेर सुपर ताप विद्युत स्टेशनों को दिनांक 1.9.98 से उत्तरोत्तर रूप से बंद करने के संबंध में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों की सरकारों तथा डीवीसी को 24.8.98 को नोटिस जारी कर दिए हैं।

केन्द्रीय विद्युत मंत्री और उ.प्र. के मुख्यमंत्री के बीच भी दिनांक 15.5.98 को एक बैठक हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई थी कि एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने उ. प्र. के मुख्यमंत्री के साथ 5.8.98 को मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान निम्नलिखित कार्यों के लिए सहमति व्यक्त की गई थी :

(1) 125 करोड़ रुपये तक साख-पत्र में अभिवृद्धि करना।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया राशियों के संबंध में एनटीपीसी को टांडा टीपीएस (440 मे.वा.) का हस्तांतरण करने की संभावना का पता लगाना।

चूंकि विभिन्न चर्चाओं के बावजूद भी उ.प्र. द्वारा उपरोक्त कार्रवाई नहीं की गई इसलिए 15.11.98 से विद्युत आपूर्ति नियंत्रित किए जाने के संबंध में एनटीपीसी ने उ.प्र. रा.वि. परिषद् को नोटिस जारी किया है। जहां तक दिल्ली का संबंध है दिल्ली विद्युत बोर्ड 9.5.97 को प्रधानमंत्री द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में दिए गए आश्वासन के बावजूद भी चालू बकाया राशियों का पूर्णतः भुगतान नहीं कर रहा है। 25.9.98 को एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ हुई चर्चा के दौरान दिल्ली विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया था कि हाल ही के टैरिफ, संशोधन के परिणामस्वरूप अक्टूबर, 1998 से भुगतान स्तर को बढ़ाना संभव होगा। एनटीपीसी ने विद्युत नियंत्रण से बचने के लिए इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता के संबंध में दिनांक 13.10.98 को दिल्ली विद्युत बोर्ड को नोटिस जारी किया है।

ग्रिडको ने 32 करोड़ रुपये तक साख-पत्र में वृद्धि की है जैसे कि वचनबद्धता की गई थी और 200 करोड़ रुपये मूल्य के बांड प्रस्तुत किए हैं। बिहार सरकार ने दिनांक 13.10.98 को एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और यह भी आश्वासन दिया है कि

वे 300 करोड़ रुपये की शेष धनराशि के भुगतान के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी। उ.प्र. के मामले में राज्य सरकार ने साख-पत्र 84 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये कर दिया है और बाद में 131 करोड़ रुपये की औसतन बिलिंग के संबंध में 120 करोड़ रुपये तक इसमें वृद्धि की है। राज्य सरकार ने आगे इसे नवंबर, 1998 के दौरान 131 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का आश्वासन दिया है और दिसम्बर, 1998 में 140 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का। उ.प्र. सरकार सिद्धांत रूप में एनटीपीसी को देय बकाया राशियों के संबंध में मनेरी-भाली जल विद्युत परियोजना को एनटीपीसी को हस्तांतरित करने पर विचार करने हेतु भी सहमत हो गई है।

दिल्ली के संबंध में डीवीबी ने 90 करोड़ रुपये के साख-पत्र की स्थापना की है जो कि औसतन मासिक बिलिंग के वर्तमान स्तर के 82 प्रतिशत मांग के समकक्ष है। अध्यक्ष डीवीसी ने यह आश्वासन दिया है कि वर्तमान भुगतान डीवीबी द्वारा किए जायेंगे। अक्टूबर, 1998 में डीवीबी ने साख-पत्र राशि से अतिरिक्त 13 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने बकाया राशियों के परिसमापन संबंधी मुद्दे का निपटान करने का आश्वासन दिया था लेकिन इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

इसके बाद दिनांक 11.10.98 की मध्यरात्रि से विद्युत आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल/डीवीसी को नोटिस जारी किए गए थे। बाद में प. बगाल रा. वि. बोर्ड 42 करोड़ रुपये की मासिक बिलिंग के लिए साख-पत्र 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के लिए तथा 15 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करने के लिए राजी हो गया है। पश्चिम बंगाल रा.वि.बो. पर बकाया राशियों की परिसमापन योजना में 729.11 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि के लिए साख-पत्रों के माध्यम से 5 करोड़ रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किए जाने की परिकल्पना की गई है। डीवीसी 22 करोड़ रुपये की मासिक बिलिंग के लिए साख-पत्र 11 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है। डीवीसी एनटीपीसी को उस धनराशि का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गया है जो कि बिहार और प. बंगाल के संबंध में केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से एनटीपीसी द्वारा प्राप्त की जानी है। साख संबंधी सद्भावना प्रदर्शन के रूप में एनटीपीसी दिनांक 1.11.98 से पश्चिम बंगाल को विद्युत की आपूर्ति पुनः आरंभ कर दी है।

विवरण

31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी की बकाया राशि

(करोड़ रुपये में)

सु.ता.वि.स्टे./रा.वि.बो.	अभी तक की बकाया राशि	लगाया गया अधिशुल्क	कुल बकाया राशि
1	2	3	4
बिहार रा.वि.बो.	892.10	491.17	1383.27
पश्चिम बंगाल रा.वि.बो.	550.89	178.22	729.11
जम्मू व कश्मीर	220.30	279.06	479.11
ग्रिडको	444.04	68.74	512.78
दिल्ली विद्युत बोर्ड	1195.60	544.33	1739.93
उत्तर प्रदेश रा.वि.बो.	1164.82	620.79	1785.61
दामोदर घाटी निगम	222.58	145.93	368.51
असम रा.वि.बो.	29.33	1.08	30.41
आंध्र प्रदेश रा.वि.बो.	166.57	70.68	237.25
हिमाचल प्रदेश रा.वि.बो.	5.08	9.10	14.18
मध्य प्रदेश रा.वि.बो.	235.91	210.83	446.74
गुजरात वि.बो.	172.43	96.76	269.19
कर्नाटक वि.बो.	53.53	33.56	87.09
महाराष्ट्र रा.वि.बो.	165.99	89.53	255.52
पॉडिचेरी	8.33	0.85	9.18
केरल रा.वि.बो.	28.55	22.49	51.04
गोवा (प. क्षे.)	8.68	1.59	10.27
गोवा (द.क्षे.)	3.51	0.54	4.05
तमिलनाडु वि.बो.	30.93	64.75	95.68
हरियाणा विद्युत पारासण निगम	21.12	228.19	249.31
पंजाब रा.वि.बो.	17.92	7.67	25.59
राजस्थान रा.वि.बो.	17.50	56.15	73.65
दमन एवं द्वीव	0.92	0.95	1.87
दादर एवं नगर हवेली	0.22	0.00	0.22
केन्द्रीय शासित चंडीगढ़	-0.43	0.00	-0.43

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में शिकार

***114. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1998 के "दैनिक ट्रिब्यून" में "व्हेदर गवर्नमेंट गिव्स लाइसेन्स टू किल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर जैसे विभिन्न राज्यों में शाही आमोद-प्रमोद के रूप में लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार की वैधानिक अनुमति दी जाती है और "स्माल गेम्स", "बिग गेम्स" तथा "स्पेशल गेम्स" के रूप में लाइसेन्स प्रदान किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर में प्रतिबंधित शहतूस के व्यापार की भी लाइसेन्स देकर अनुमति दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा और पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लाइसेंस के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 की अनुसूचियां II, III और IV में शामिल जानवरों के शिकार की अनुमति है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) जंगली जानवरों के व्यापार को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के माध्यम से विनियमित किया गया है जो जम्मू और कश्मीर के अलावा सभी राज्यों पर लागू हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता का निवारण, जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों के माध्यम से विनियमित किया जाता है जो जम्मू और कश्मीर के अलावा सभी राज्यों पर लागू है।

आई.पी.पी. विद्युत केन्द्रों की स्थिति

*115. **श्री टी. आर. बालू** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार द्वारा मंजूर किए गए आई.पी.पी. विद्युत केन्द्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी केन्द्र द्वारा अब तक विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है; और

(ग) इन विद्युत केन्द्रों द्वारा वर्ष 2000 इस्वी तक कितना विद्युत उत्पादन किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1998 प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ही विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है। मार्च, 1998 तक निजी क्षेत्र में 80106.974 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश तथा 19593 मे.वा. की कुल क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 40 स्कीमों को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से, 939 मे.वा. वाली तीन परियोजनाओं को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। 3415 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली अन्य 9 परियोजनाओं को आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है तथा यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2000 तक, पहले अधिष्ठापित 939 मे.वा. में 2125 मे.वा. और जोड़ लिए जायेंगे।

यू.एन.डी.पी. द्वारा पारिस्थितिकीय विनाश संबंधी रिपोर्ट

116. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या यू.एन.डी.पी. द्वारा सितंबर, 1998 में जारी मानवीय विकास संबंधी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत पारिस्थितिकीय विनाश की ओर अग्रसर है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने के प्रस्ताव हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) द्वारा 1998 में प्रकाशित "द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में विश्व स्तर पर खपत संबंधी पैटर्न के परिप्रेक्ष्य में मानव विकास के पहलुओं की जांच पड़ताल की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व स्तर पर खपत में नाटकीय वृद्धि के बावजूद, अधिकांश देशों में खपत संबंधी पैटर्न सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से कायम नहीं रखे जा सकते। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास आदि के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों के मामले में यह बात सच है। उक्त रिपोर्ट में केवल पर्यावरण संबंधी नुकसान की ओर मुख्य रूप से इंगित नहीं किया गया है बल्कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों और देशों के मानव विकास के अनेक पैरामीटरों जैसे; स्वास्थ्य, साक्षरता, गरीबी, खपत पैटर्न तथा लिंग संबंधी मामलों पर भी विचार किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिए भारत द्वारा भारी कीमत अदा की जा रही है जिसके अंतर्गत "पारिस्थितिकीय विनाश" तथा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को शामिल किया गया है। पर्यावरण के अवक्रमण की लागत की जहां तक बात की गई है, यह लागत भारत के मामले में 10 बिलियन अमरीकी डालर आंकी गई है जो 1992 के हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5 प्रतिशत है। गंगा नदी, शुद्ध पेयजल सफाई, खपत के स्तरों में असमानताएं, वायु प्रदूषण तथा पारि-प्रणालियों के अवक्रमण के संबंध में संदर्भ भी दिए गए हैं। कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग, वनीकरण, सूचना की प्राप्ति, स्वास्थ्य, जीवन की सुरक्षा तथा उन्नत शिशु सुरक्षा के लिए अपनाए गए विकल्पों हेतु भारत के प्रयासों की प्रशंसा की गई है।

गरीबी में रहने वाली जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए बढ़ती खपत न केवल एक वास्तविक आवश्यकता है बल्कि गरीबी से छुटकारा प्राप्त करने का एक मौलिक अधिकार भी है। हालांकि इस तरह की बढ़ती खपत से कुछ पहलुओं में सभी के लिए स्थायी मानव विकास की संभावना कम हो सकती है लेकिन पर्यावरणीय नुकसान को स्थायी विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करके ही बदला अथवा कम किया जा सकता है।

(ग) सरकार ने पर्यावरणीय मामलों को विकास के साथ एकीकृत करने के लिए अनेक उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं। आवश्यक कानून और नियामक उपायों के साथ साथ अनेक नीतियां और कार्यक्रम अपनाए गए हैं। इस दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:—

1. सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और उसके सुधार के लिए निम्नलिखित नीतिगत कदम उठाए हैं : "द नेशनल कन्जर्वेशन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी स्टेटमैंट ऑफ एन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट", 1992, पालिसी स्टेटमैंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, 1992 और राष्ट्रीय वन नीति 1988।

2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1998 प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण के लिए कानूनी आधार उपलब्ध कराते हैं।

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों सहित केन्द्र तथा राज्य सरकार की एजेंसियों का एक व्यापक प्रवर्तन ढांचा कार्य कर रहा है।

4. परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता के मानकों तथा वायु और जल में बहिस्रावों और उत्सर्जनों संबंधी मानकों को अधिसूचित किया गया है और उनका नियमित रूप से मानीटरन किया जा रहा है।

5. विकास संबंधी परियोजनाओं की 29 श्रेणियों के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें सुनवाई तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया भी शामिल है।

6. निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए अत्यधिक प्रदूषण उद्योगों की 17 श्रेणियों का संख्ती से मानीटरन किया जा रहा है।

7. औद्योगिक इकाइयों के लिए अनेक सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

8. प्रदूषण में कमी के लिए तथा पर्यावरण के सुधार के लिए 24 अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। 22 अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों के मामले में कार्रवाई योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

9. नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए गंगा कार्य योजना तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 14 राज्यों के 156 शहरों को कवर करने वाली 22 नदियों में नगरीय अपशिष्ट प्रवाहित करने को रोकने तथा उनके अपवर्तन करने पर विचार किया गया है। जल-मल को उपचारित किया जाएगा और इसे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। नदियों के औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत की जाती है। ये कानून केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा लागू किए जाते हैं।

10. कतिपय अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइया टैक्सटाइल डाई और प्रिंटिंग इकाइयां, चमड़ा उद्योग तथा कृषि आधारित कागज इकाइयों के मामले में प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपशिष्ट न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

11. औद्योगिक इकाइयों की कुछ श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय लेखा परीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है।

12. वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए पहली बार 1990 में निर्माण स्तर पर होने वाले बहिस्राव संबंधी मानकों को प्रारम्भ किया गया था और 1996 में इन मानकों को और सख्त बना दिया गया। 1.4.2000 से बहिस्राव संबंधी और अधिक कड़े मानक लागू किए जाएंगे। सभी नए वाहनों की सभी तरह की श्रेणियों के सड़क चलित वाहनों के मामले में सकल बहिस्राव मानकों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

13. जून, 1994 से 4 महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में अल्प सीसायुक्त पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया था। इसके बाद 1.4.1995 से इन चार शहरों में सीसारहित पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया। 1.9.1998 से दिल्ली में केवल सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है।

14. पर्यावरण गुणवत्ता की सुरक्षा तथा उसके सुधार के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा उसे कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

15. मंत्रालय ने गुजरात, उड़ीसा, मुम्बई, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और दिल्ली में स्थित 7 अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति के संबंध में अध्ययन कराए हैं।

16. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए तथा उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटा कर अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

17. वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी बहाली और पारि-विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

18. वन भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने पर सख्त नियंत्रण उपाय लागू किये गये हैं। यदि वन भूमि को विकास प्रयोजनाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण एक पहली आवश्यकता है।

19. निर्माण अवस्था से लेकर अंतिम रूप से निपटान होने तक परिसंकटमय रसायनों के प्रबंधन संबंधी समस्त पहलुओं के बारे में आवश्यक नियामक उपाय किए गए हैं।

20. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों को अधिसूचित किया गया है जिसके अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्टों के सृजन, एकत्रीकरण, उपचार, संग्रहण निपटान तथा आयात के बारे में नियंत्रण किया जाता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में मेगा विद्युत परियोजनाएं

*117. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नई मेगा विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन्हें कौन-कौन से स्थानों पर स्थापित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं का कुल परिव्यय कितना होगा और इनकी अपेक्षित क्षमता कितनी होगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास पर नीति का पुनः निर्धारण किया है। संशोधित नीति के अनुसार निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कुछ परियोजना स्थलों का निर्धारण ऐसी मेगा परियोजनाओं के गठन हेतु किया है जो एक से अधिक राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

निजी क्षेत्र में उड़ीसा में हिरमा परियोजना (6×660 मे.वा.) के अलावा, निम्नलिखित नई परियोजनाओं को भी आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है :—कुडुलोर (1000 मे.वा.) घरेलू एवं आयातित कोयले के मिश्रण पर आधारित कृष्णापट्टनम (1500 मे.वा.) घरेलू एवं आयातित कोयले के मिश्रण पर आधारित, पिपावाव (2000 मे.वा.) आयतित कोयले पर आधारित तथा नर्मदा (1000 मे.वा.) जिसे 2000 मे.वा. तक बढ़ाया जा सकता है (एलएनजी पर आधारित दो या तीन परियोजनाओं को बाद में पश्चिमी तट पर विकसित किया जा सकता हैं। इनके ईंधन के विकल्पों को व्यवहार्यता तथा लागत के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

जहां तक निजी क्षेत्र वृहत परियोजनाओं का संबंध है नीति में यह व्यवस्था है कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली के सिद्धांतों का टैरिफ प्रस्तावों को प्राप्त करते समय यथासंभव अनुपालन किया जाएगा। चूंकि बोली संबंधी प्रक्रिया को अभी आरम्भ नहीं किया गया है इसलिए विदेशी निवेश और सहयोग अथवा भागीदारी, यदि कोई हो, के ब्यौरे इंगित करना संभव नहीं है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास/उन्नयन

*118. **श्री संदीपान थोरात** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को आकर्षक शर्तों पर विदेशी निवेश के लिए खोलने सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित विकास/उन्नयन हेतु प्रमुख नीतिपरक पहल की है/निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों के प्रति विदेशी निवेशकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्तावित विशेष राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर-सरकारी निवेशकर्ताओं को सौंपे गए कार्य की प्रगति की हाल में की गई अद्यतन समीक्षा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास के लिए अभी हाल में कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए बजट आवंटन वर्ष 1997-98 में 1737.04 करोड़ रु. था

जो अब बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 2174.3 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(2) पूर्वी-पश्चिमी और उत्तरी-दक्षिणी कॉरीडोरों के रूप में सौराष्ट्र से सिल्चर और कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले लगभग 7000 कि.मी. लम्बे विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(3) सड़क क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) विदेशी निवेशकर्ताओं की प्रारंभिक प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक है। इस प्रयोजन के लिए विशेष साध्यता अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ङ) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रा.रा.सं.	राज्य	लागत करोड़ रु.	स्थिति
1.	*थाणे-भिवंडी बाइपास	3 एवं 4	महाराष्ट्र	103	पूरा हो चुका है।
2.	*चल्थन सड़कोपरि पुल	8	गुजरात	10	पूरा हो चुका है।
3.	*उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	24	पूरा हो चुका है।
4.	छः पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	50	प्रगति पर है।
5.	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	90	प्रगति पर है।
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	68	वित्तीय समापन की प्रतीक्षा है।
7.	नर्मदा पुल	8	गुजरात	113	प्रगति पर है।
8.	नरधाना सड़कोपरि पुल	3	महाराष्ट्र	34	प्रगति पर है।
9.	पाताल गंगा पुल	17	महाराष्ट्र	33	प्रगति पर है।
10.	हुबली-धारवाड़ बाइपास	4	कांडला	68	प्रगति पर है।
11.	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	73	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय समापन की प्रतीक्षा है।
12.	कोरतलैयारपुल	5	तमिलनाडु	30	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
13.	खंबात घाट सुरंग और सड़क	4	महाराष्ट्र	37.8	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
14.	नसीराबाद सड़कोपरि पुल	6	महाराष्ट्र	10.45	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
15.	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	32.6	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
16.	माही पुल	8	गुजरात	42	करार पर हस्ताक्षर किए गए। वास्तविक निर्माण शुरू होना है।
		जोड़		818.9	

* पूरे हो चुके हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं।

न्यायपालिका को वित्तीय स्वायत्तता

*119. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अक्तूबर, 1998 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में चीफ जस्टिसिस डिमांड ऑफ फाइनेंसियल आटोनोमी फोर जुडिशियरी जस्टिफाइड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्याय प्रशासन प्रणाली के मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को वित्तीय स्वायत्तता देने का है ताकि न्यायालय और अधिक सक्षम न्यायिक अधिकारियों की तैनाती करके और न्यायिक नेटवर्क और अन्य कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करके इस प्रणाली का सरलीकरण कर सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो न्यायपालिका को वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1992 में, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को अधिक वित्तीय शक्तियां, जिनके अंतर्गत विनियोग और पुनर्विनियोग की शक्तियां भी हैं, प्रत्यायोजित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात् दिसम्बर, 1997 में, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों और महालेखाकारों को इस निमित्त पत्र लिखा था।

[हिन्दी]

बिजली की मांग और आपूर्ति

*120. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में विद्युत की मांग का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुल कितनी बिजली का उत्पादन होने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार मौजूदा स्रोतों को विकसित करने और विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) 15वीं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आठवीं योजना के अंत तक (1996-97) देश के लिए सार्वजनिक यूटिलिटियों में ऊर्जा की आवश्यकता तथा व्यस्तमकालीन भार (विद्युत केन्द्र के बस-बार पर) क्रमशः 405823 मिलियन यूनिट तथा 68373 मे.वा. का अनुमान लगाया था।

(ग) नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्तमान स्रोतों का विकास करने तथा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का सृजन करने के लिए विद्यमान संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के एक कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। 1990-91 में आरंभ किए गए आर एंड एम चरण-2 कार्यक्रम के अनुसार 20869.43 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता तथा 198 यूनिट वाले 44 ताप विद्युत संयंत्रों को हाथ में लिया गया था। इसी प्रकार, 9653 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली 55 जल विद्युत स्कीमों को नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु अभिज्ञात किया गया है।

'नोराड' के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण

1151. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को "एम्प्लायमेंट-कम-इनकम जेनरेशन-कम-प्रोडक्शन यूनिट्स" (नोराड) के अंतर्गत नई दक्षताओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों में वार्षिक रूप से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

मानस संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या इस प्रकार है :—

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
कुल	13000	52840	36095	5260 (1.12.98 तक)
गाजियाबाद जिला	25	480	360	कोई नहीं
बुलन्दशहर जिला	कोई नहीं	कोई नहीं	60	कोई नहीं

[अनुवाद]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

1152. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अभी तक अन्तर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन कदमों से इन राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, विद्युत स्थिति में कितना सुधार हुआ है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में अप्रैल-अक्तूबर 97 और अप्रैल-अक्तूबर, 98 के दौरान विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

ऊर्जा (मि.यू. निवल में)

	अप्रैल-अक्तूबर, 97		अप्रैल-अक्तूबर, 98	
	उत्तर प्रदेश	बिहार	उत्तर प्रदेश	बिहार
आवश्यकता	23807	5455	24395	5050
उपलब्धता	20933	4207	22276	4585
कमी	2874	1248	202119	465
प्रतिशत कमी	12.1	22.9	8.7	9.2

अप्रैल-अक्तूबर, 1998 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी गत वर्ष की इसी अवधि में 12.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 8.7 प्रतिशत हो गई है। जहां तक बिहार का संबंध है ये कमियां राज्य में अपर्याप्त पारेषण और वितरण प्रणाली तथा केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों से विद्युत की निकासी करने में उत्पन्न वित्तीय सीमाओं के फलस्वरूप होती हैं

(ग) मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

— क्षमता अभिवृद्धि

— नवीकरण और आधुनिकीकरण के द्वारा विद्यमान विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन का आधुनिकीकरण-पारेषण और वितरण हानियों में कमी

— जल विद्युत, ताप विद्युत न्यूक्लीय और गैस टरबाईन विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन।

— अन्तर्राज्यीय/अन्तर क्षेत्रीय विद्युत अन्तरण को प्रोत्साहन देना

— मांग पक्ष प्रबंधन

— ऊर्जा संवर्धन

(घ) उत्तर प्रदेश में अप्रैल-अक्तूबर, 1998 की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी तथा व्यस्ततमकालीन कमी गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 22.9 प्रतिशत की तुलना में घटकर 8.7 प्रतिशत और 19.8 प्रतिशत हो गई है। पूर्वी क्षेत्र में विद्युत का अधिशेष है जिसका कि बिहार एक घटक है और इस प्रकार और विद्युत खपाने के लिए राज्य को अपनी पारेषण और वितरण प्रणाली में विस्तार करना होगा। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार करना होगा बल्कि केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से पूर्ण हिस्से की निकासी की जा सके तथा राज्य में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति में सुधार किया जा सके।

नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कोलैबोरेशन लेबोरेट्रीज

1153. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**

श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कोलैबोरेशन लेबोरेट्रीज को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किस हद तक यह प्रयास भारतीय निर्यातकों के लिए सहायक होगा; और

(घ) विदेशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा एन ए बी एल को सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय 1995 के दौरान क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यू सी आई) की स्थापना करने के निर्णय के एक अंश के रूप में किया गया। क्यू सी आई द्वारा दो अन्य प्रत्यायन बोर्ड नामतः उत्पाद एवं गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तथा गुणवत्ता प्रबंधन कार्मिक एवं प्रशिक्षण संगठनों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड स्थापित किए जाने की आशा है। आशा की जाती है कि एन ए बी एल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में कार्य करेगा तथा उपयुक्त समय पर इसको क्यू सी आई में विलयित कर दिया जाएगा।

एन ए बी एल तथा क्यू सी आई की स्थापना का उद्देश्य देशों की सीमाओं के बाहर उत्पाद प्रतिग्रहण के लिए अनुरूपता आकलन के विश्वव्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। विश्व व्यापार संगठन ने परीक्षण परिणामों तथा परीक्षण प्रमाणों को स्वीकृति प्रदान न करने को व्यापार में तकनीकी व्यवधान (टीबीटी) के रूप में मान्यता प्रदान की है।

(ग) और (घ) विदेशी प्रयोगशालाओं द्वारा भारत की प्रत्यायन प्रयोगशालाओं से परीक्षण परिणाम तथा परीक्षण प्रमाण स्वीकार करने की स्थितियां उत्पन्न करने के लिए एन ए बी एल की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आवश्यक हो गई है, ताकि पुनर्परीक्षण तथा माल उतारने के लिए जहाज को बन्दरगाह पर देर तक रोके रखने की आवश्यकता न हो। एक सोसाइटी के रूप में, एन ए बी एल को बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की स्वतंत्रता होगी ताकि एन ए बी एल क्षेत्रीय प्रत्यायन निकायों के साथ बहु पक्षीय अभिज्ञान करार (एम आर एज) कर सके। अब एन ए बी एल एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (ए पी एल ए सी) का पूर्णकालिक सदस्य है तथा ए पी एल ए सी एवं एन ए बी एल के बीच बहुपक्षीय अभिज्ञान करार प्रक्रियाधीन है।

व्यावसायिक शिक्षा

1154. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में किस चरण में ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों के लिए कौन-कौन से पाठ्यक्रम की सिफारिश की है;

(घ) क्या सरकार का विचार माध्यमिक स्तर पर शुरू किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, +2 स्तर और कॉलेज में पूर्व स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

(ग) राज्य सरकारें स्कूल स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम शुरू करती हैं। विश्वविद्यालय/कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभिनिर्धारित विषयों में पाठ्यक्रम चलाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति का मूल्यांकन करने और उपयुक्त संशोधन के सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी समूह गठित किया गया था। कार्यकारी समूह की सिफारिशें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित कर दी गई हैं।

सौर ऊर्जा चालित यातायात संकेतक प्रकाश प्रणाली

1155. श्री सुरेश चरपुडकर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सौर ऊर्जा चालित यातायात संकेतक प्रकाश प्रणाली का डिजायन तैयार तथा विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस प्रणाली की प्रति इकाई अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन सौर ऊर्जा चालित यातायात संकेतक प्रकाश प्रणाली का बड़े पैमाने पर निर्माण करने तथा इन्हें पूरे देश के बड़े नगरों/शहरों में लगाए जाने की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता लक्षित (पेस्टर) कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से निधिबद्ध परियोजना के अधीन उ.प्र. के साहिबाबाद स्थित भारत सरकार के उपक्रम सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सीईएल) ने सौर ऊर्जा चालित यातायात संकेतक प्रकाश प्रणाली का विकास किया है। नई दिल्ली स्थित अरबिंदो मार्ग, नया महरौली रोड, अधचीनी ट्रैफिक जंकशन में इस प्रणाली के प्रयोगात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। 2.1 कि.वा.पी. सौर पैनलों का उपयोग करते हुए इस प्रणाली का परीक्षण किया गया। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं; यह प्रणाली हमेशा कार्य करती रहती है चाहे ग्रिड पावर उपलब्ध हो या न हो, अतः ज्यादा ट्रैफिक वाले चौराहों पर इस प्रणाली की उन्नत विश्वसनीयता है, ग्रिड से विद्युत की आपूर्ति में रूकावट आ जाने पर यह प्रणाली स्वतः सौर पावर प्रणाली में परिवर्तित हो जाती है, कम बिजली खर्च ने और उच्च कार्यक्षमता वाले हैलोजन लैम्पों के उपयोग से काफी मात्रा में बिजली की बचत होती है; सौर ऊर्जा का उपयोग करने के कारण यह प्रणाली पारिस्थितिकी साहचर्य है।

(ग) और (घ) इस प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से विकसित ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आधार पर सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड (आई आर ई डी ए) से प्राप्त वाणिज्यिक आदेश पर नई दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस यातायात जंकशन पर बेहतर तकनीकी विशेषताओं वाली

इस प्रणाली को दोहराया है। इस प्रणाली की अनुमानित लागत लगभग 14.00 लाख रुपए है। पारिस्थितिकी साहचर्य वाली सौर ऊर्जा चालित यातायात संकेतक प्रणालियों के उपयोग के बारे में बढ़ती जागरूकता के मद्देनजर सीईएल देश में ऐसी प्रणालियों के और अधिक विस्तार के लिए आगे की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

मानव संसाधन विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

1156. **श्री महबूब जहेदी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मानव संसाधन विकास के लिए 630 करोड़ रुपए के विश्व बैंक ऋण की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण कितनी अवधि में लौटाया जाना है और इस पर कितना ब्याज लगेगा;

(ग) ऋण कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों पर ऋण का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा;

(घ) विभिन्न विषयों के कितने वैज्ञानिक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश यात्रा पर जाएंगे;

(ङ) विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस ऋण में उपकरण और संघटक आपूर्ति भी शामिल है; और

(छ) यदि हां, तो कुल ऋण में से कितने प्रतिशत ऋण धन के रूप में है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना का दुरुपयोग

1157. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम पुलिस का सतर्कता विभाग सिक्किम के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में रंगीत नदी के जल-ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना (सी.ए.टी.) का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने और इससे संबद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस जल-ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिये 1995-96 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सी. एस. एस.) के अन्तर्गत धनराशि प्रदान की गयी है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

समुद्र और नदी यातायात का प्रस्ताव

1158. *श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार का विचार समुद्र या नदी यातायात को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न राज्यों के बीच अनेक समुद्र व जलमार्ग हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में विभिन्न पत्तनों के विकास के कारण समुद्र मार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने के लिए सस्ता व बेहतर परिवहन होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में समुद्र व नदी मार्गों को विकसित करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) भारत के समुद्री तट की लम्बाई 5560 कि.मी. है। देश में विभिन्न राज्यों के बीच विभिन्न अंतर्देशीय जलमार्ग विद्यमान हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) सरकार भारत में तटीय नौवहन का विकास करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। तटीय नौवहन द्वारा ढुलाई के लिए कोयले, स्टील और उर्वरक की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। एक अलग तटीय नौवहन अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट फरवरी, 1999 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है।

केन्द्र सरकार द्वारा नौवहन और नौचालन के लिए तीन राष्ट्रीय राजमार्गों नामतः राष्ट्रीय जलमार्ग सं.1, गंगा-इलाहाबाद से हल्दिया तक (1620 कि.मी.), राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2, ब्रह्मपुत्र-धुबरी से सदिया तक (891 कि.मी.) और राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3, चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों (205 कि.मी.) के साथ-साथ कोट्टापुरम से कोलम तक पश्चिमी तटीय नहर का विकास किया जा रहा है।

भारतीय मूल के लोगों के बच्चों के लिए शैक्षणिक आवश्यकताएं

1159. **श्री के. एस. राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1998 के दूसरे सप्ताह में 19

देशों के भारतीय मूल के लोगों (पी.आई.ओ.) का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बच्चों की शैक्षिक स्थिति के बारे में किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को सरकार द्वारा किस प्रकार से कार्यान्वित करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) तथा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से विश्वव्यापी भारतीय उद्यमियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा आप्रवासी भारतीयों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा आप्रवासी भारतीयों के बच्चों को उचित शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना तैयार कर रही है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे संकाय

1160. श्री रामानंद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्य प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे संकायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय के कई संकायों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम से हैदराबाद तक पारेषण लाईन

1161. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने विशाखापत्तनम से हैदराबाद तक पृथक पारेषण लाइन विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु बड़ी धन राशि की जरूरत है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सिम्हादरी सुपर ताप विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत विशाखापत्तनम को वितरित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य विद्युत बोर्ड को 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत परियोजना लागत ऋण के रूप में जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त होने की आशा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या विशाखापत्तनम से हैदराबाद तक 400 के.वी. की दोहरी सक्रिट पारेषण लाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम (2×525 मे.वा.) और सिहांद्री (2×500 मे.वा.) ताप विद्युत केंद्रों से संबद्ध पारेषण प्रणाली को ओ. ई.सी.एफ. जापान से बाह्य सहायता के लिए सुनिश्चित की गयी है। आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वित्तीय पैकेज और योजना आयोग द्वारा जारी स्वीकृति में ओ.ई.सी.एफ. वित्त पोषण 85 प्रतिशत होगा। और शेष 15 प्रतिशत का वित्त पोषण आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से किया जाएगा ओ.ई. सी.एफ. द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण की दूसरी किश्त की राशि अभी सुनिश्चित की जानी है।

(ङ) जी, हां।

(च) 167.46 करोड़ रु. के निर्माण के दौरान ब्याज समेत परियोजना की कुल लागत 982.64 करोड़ रु. है। और 1996-97 के मूल्य स्तर पर सेवा प्रभार 0.97 करोड़ रु. है।

सी.एस.आई.आर. में अ. जाति/अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले लाभ को वापिस लिया जाना

1162. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) से पदोन्नति संबंधी आकलन हेतु अ.जा. /अ.ज.जा. श्रेणियों के वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे वापिस ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वापिस लिए जाने की क्या तिथि है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) दिनांक 1.4.92 से प्रभावी

सीएसआईआर की संशोधित मूल्यांकन योजना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्टाफ को सामान्य मूल्यांकन हेतु निर्धारित थ्रेशहोल्ड के 10 प्रतिशत की छूट स्वीकार्य थी। यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में शिथिल मानकों के साथ विचार किए जाने हेतु भारत सरकार के अनुदेशों की शर्तों के अनुसार था। मूल्यांकन वर्ष 1996-97 से आगे देय मूल्यांकनों के मामले में यह प्रावधान आशोधित कर दिया गया तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संबंध में सामान्य मूल्यांकन हेतु प्रत्येक मामले में निर्धारित थ्रेशहोल्ड के 10 प्रतिशत के स्थान पर 10 अंक कर दिए गए।

(ख) जी हां।

(ग) योग्यता तथा निर्धारित बेंच अंकों के संदर्भ के बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में विचार किए जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों और निम्नतर अर्हक अंकों की समाप्ति हेतु दिनांक 22.7.1997 को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार यह मामला सीएसआइआर की शासी निकाय के समक्ष रखा गया और इस बात का अनुमोदन किया गया कि मूल्यांकन वर्ष 1997 से आगे अर्थात् 1.4.1997 से उक्त प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए।

बालिका शिक्षा

1163. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नौंवी योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी निधियों के प्रावधान का प्रस्ताव है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, लोक जुम्बिश परियोजना, शिक्षाकर्मी परियोजना आदि जैसी अनेक योजनाओं में स्त्री-पुरुष के अन्तर को ध्यान में रखकर हस्तक्षेप किए गए हैं। तथापि, लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

1164. श्री रामपाल सिंह :

श्री विक्रम देव केशरी :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की क्षमता क्या है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में अनुमोदित की गई जल विद्युत विकास संबंधी नीति में यह परिकल्पना की गई है कि केन्द्रीय क्षेत्र में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं को उनके समापन तक पूरी बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जल विद्युत उपक्रमों द्वारा आरंभ की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता प्रदान करेगी। चालू परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	चालू करने का अद्यतन कार्यक्रम	अप्रैल, 98 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	नाथपा-झाकड़ी एच.ई. परियोजना (6x250 =1500 मे.वा.) हिमाचल प्रदेश	एनजेपीसी	7666.31	2001-02	3272.68
2.	टिहरी एचईपी चरण-1 (4x250 =1000 मे.वा.) उत्तर प्रदेश	टीएचडीसी	4962.43	2001-02	175394

1	2	3	4	5	6
3.	रंगानदी एचईपी चरण-I (3×135 =405 मे.वा.) अरुणाचल प्रदेश	नीपको	1265.02	2000-01	727.48
4.	दुलहस्ती एचईपी (3×130 =39.मे.वा.) जम्मू एवं कश्मीर	एनएचपीसी	3559.77	मार्च, 2001	2057.62
5.	धोलीगंगा (280 मे.वा.) उत्तर प्रदेश	एनएचपीसी	1881.49	2004-05	84.93
6.	*दोयांग एचईपी (3×25 =75 मे.वा.) नागालैंड	नीपको	671.22	1999-2000	460.34
7.	रंगित एचईपी (3×20 =60 मे.वा.) सिक्किम	एनएचपीसी	361.89	1999-2000	310.53
8.	तुरियल एचईपी (2×30 =60 मे.वा.) मिजोरम	नीपको	368.72	2006-07	3.20

*रंगानदी और दोयांग जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर पूर्वी परिषद्, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई निधियों से किया जा रहा है।

इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न जल विद्युत उपक्रमों द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं को आरम्भ करने हेतु अग्रिम कार्रवाई किए जाने की भी परिकल्पना की गई है जैसाकि ब्यौरा निम्नवत दिया गया है।

क्रम सं.	परियोजना	क्षमता	क्रियान्वयन एजेन्सी
1	2	3	4
1.	चमेरा चरण-II (हिमाचल प्रदेश)	300 मे.वा.	एनएचपीसी
2.	पार्वती चरण-II (हिमाचल प्रदेश)	800 मे.वा.	एनएचपीसी
3.	कोल बांध (हिमाचल प्रदेश)	800 मे.वा.	एनएचपीसी
4.	तीस्ता चरण-V (सिक्किम)	510 मे.वा.	एनएचपीसी
5.	लोकतक बिजलीधारा (मणिपुर)	90 मे.वा.	एनएचपीसी
6.	तुरवई (मिजोरम)	210 मे.वा.	नीपको
7.	लोअर कोपिली (असम)	150 मे.वा.	नीपको
8.	कामेंग (अरुणाचल प्रदेश)	600 मे.वा.	नीपको
9.	रंगानदी चरण-II (अरुणाचल प्रदेश)	160 मे.वा.	नीपको
10.	कोटेश्वर बांध व एचईपी (उत्तर प्रदेश)	400 मे.वा.	टीएचडीसी
11.	टिहरी पंपस्टोरेज परियोजना (1000 मे.वा.) (उत्तर प्रदेश)	1000 मे.वा.	टीएचडीसी
12.	रामपुर एचईपी परियोजना (हिमाचल प्रदेश)	535 मे.वा.	एनजेपीसी

यह अनुमानित किया गया है कि 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि हेतु अग्रिम कार्रवाई आरम्भ करने के लिए 9वीं योजना अवधि के दौरान 2000 करोड़ रुपये तक की बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी।

औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा किट का विवाद

1165. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक

विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने सुवाह्य चल विश्लेषक किट विकसित की है जिससे पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जीवाण्वीय एवं रासायनिक परीक्षण किए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि इन किटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पेयजल की शुद्धता की तुरंत जांच करने हेतु दिया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लखनऊ स्थित घटक यूनिट औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आईटीआरसी) ने पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जीवाण्वीय तथा रासायनिक परीक्षण करने में समर्थ वाहनधारित चल पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला का विकास किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पेयजल में जीवाण्वीय तथा रासायनिक संदूषण के विश्लेषण हेतु विभिन्न उपस्करों में माध्यम से विस्तृत परीक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है। एकल चल एकक में इन परीक्षणों को समन्वित व सम्मिलित करना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है।

[अनुवाद]

बक्रेश्वर विद्युत संयंत्र में अनियमितताएं

1166. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में 318 करोड़ रुपये के बक्रेश्वर विद्युत संयंत्र की निविदा में की गई अनियमितताओं की जांच हेतु कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

बिहार में वनों का विकास

1167. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वनों के विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) बिहार राज्य सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत वनों के विकास के लिए स्कीमों को वित्तीय सहायता देने हेतु भिजवाया है तथा राशियों की उपलब्धता के आधार पर नौवीं योजना अवधि में स्कीम वार परिव्यय, निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है।

1. अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में वनोपज भागीदारी आधार पर अनुसूचित जातियों और निर्धन ग्रामीणों की साझेदारी। परिव्यय-1.57 करोड़ रुपए।
2. एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम परिव्यय-3.19 करोड़ रु.
3. क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा स्कीम परिव्यय-6.84 करोड़ रु.
4. इमारती लकड़ी से इतर वन उत्पाद स्कीम परिव्यय-2.30 करोड़ रुपये।

[अनुवाद]

स्टैम्प एक्ट में संशोधन

1168. श्री नरेश पुगलीया : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अचल सम्पत्ति पर प्रभारित स्टैम्प ड्यूटी के वचन को रोकने हेतु अचल सम्पत्ति की खरीद/बिक्री के लिए मुख्तारनामे को एक कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए स्टैम्प एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) मुख्तारनामा के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विषय पर 14.9.98 को, नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों/राज्य के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। ऐसे साधारण मुख्तारनामा के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए संविदा की प्रकृति का हो सकता है, तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम में पारिणामिक संशोधनों के लिए सर्वसम्मति थी। अभी तक इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

गुजरात में अभ्यारण्यों का विकास

1169. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अभ्यारण्यों, प्राकृतिक पार्कों तथा वन सम्पदाओं के विकास तथा रख-रखाव हेतु योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक मंजूर नहीं की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी लागत आएगी और इसमें केन्द्र का कितना योगदान होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी हां।

(ख) "राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों का विकास" स्कीम के तहत चालू वर्ष 1998-99 के दौरान 58.35 लाख रु. की धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 85 लाख रु. के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 58.35 लाख के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। बाकी राशियों के प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए जा सके क्योंकि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं थे।

साक्षरता अभियान

1170. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि साक्षरता अभियान की प्रारंभिक गतिशीलता हाल में समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने गत दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को इसकी सफलताओं तथा असफलता की समीक्षा करने हेतु कहा है;

(ग) क्या उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से वर्ष 1999 के अंत तक 100 मिलियन वयस्कों को साक्षर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन्होंने इस अभियान को इसके सभी स्तरों पर वृहद तथा व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् पुनः शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) *प्रश्न नहीं उठता।*

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूकम्प की पूर्व चेतावनी

1171. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तहसील मुख्यालय पंधाना में 13 सितम्बर, 1998 की रात को भूकम्प के तीव्र झटके महसूस किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूकम्प संबंधी पूर्व चेतावनी के संबंध में हाल ही में की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए संभावित खतरे के बारे में लोगों को कोई पूर्व चेतावनी दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महोदय, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना तहसील में 14 सितम्बर, 1998 को प्रातः 2 बज कर 12 मिनट (भारतीय मानक समय) पर भूकम्प का हल्का झटका महसूस किया गया जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.6 मैग्नीट्यूड मापी गई। इस क्षेत्र में 11 सितम्बर, 1998 से ही हल्की भूकम्पीय गतिविधिया महसूस की जा रही हैं। इस श्रृंखला में सर्वाधिक 3.2 मैग्नीट्यूड का एक भूकम्प 20 अक्तूबर, 1998 को घटित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) ने भूकम्प की गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए स्थानीय क्षेत्र वेधशालाओं की स्थापना की है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो स्थान तथा समय के साथ भूकम्प का पूर्वानुमान कर सके तथा पूर्व चेतावनी दे सके। तथापि, निरंतर भूकम्पीय गतिविधि को देखते हुए स्थानीय अधिकारी सावधान हैं तथा एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए धनराशि

1172. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस.आई. आर.) की प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक का प्रयोगशाला आरक्षित निधि (एल.आर.एफ.) पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है;

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय सहित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान का वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक वर्षवार बाह्य धन प्राप्ति (ई.सी.एफ.) और प्रयोगशाला आरक्षित निधि (एल.आर.एफ.) के स्रोत क्या है; और

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहित इसकी प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान में उक्त अवधि के दौरान वर्षवार बाह्य धन प्राप्ति (ई.सी.एफ.) और प्रयोगशाला आरक्षित निधि (एल.आर.एफ.) के प्रत्येक स्रोत से कितनी धनराशि की प्राप्ति दर्शाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

कंपनी अधिनियम में संशोधन

1173. **श्री मदन पाटील** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 1956 मे संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, हां। कम्पनी विधेयक, 1997 राज्य सभा में 14.8.1997 को पुरःस्थापित किया गया था और विभाग की गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ लम्बित है। विधेयक की महत्वपूर्ण मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. कंपनियां पब्लिक सूचीबद्ध, पब्लिक गैर-सूचीबद्ध तथा प्राइवेट कंपनियों में वर्गीकृत हैं।
2. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड की स्थापना।
3. कतिपय शर्तों के अधीन कम्पनियों को अपने शेयरों को वापिस खरीदने की अनुमति देना।
4. कम्पनियों को डेफेरेन्सियल मताधिकारों सहित हाइब्रिड, व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स), विकल्पों साथ ही शेयरों तथा अर्द्ध इक्विटी इन्स्ट्रूमेन्टों को जारी करने की अनुमति देना।
5. लेखाकारिता मानकों को लागू करके वार्षिक लेखाओं की पारदर्शिता में वृद्धि करना।
6. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों तथा आवधिक निक्षेप प्राप्ति धारकों को नामांकन सुविधाओं की अनुमति देना।
7. प्रोक्सी धारकों को कम्पनी की साधारण सभा की बैठकों में बोलने तथा वोट देने की अनुमति देना। अधिसूचित क्षेत्रों में पोस्टल बैलट की अनुमति देना।
8. निदेशकों की जिम्मेवारियों को विनिर्दिष्ट करना।
9. *पब्लिक कम्पनियों के लिए कतिपय मामलों में बेहतर निगमित शासन सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी।*
10. तत्काल परिसमापन के लिए उपाय।
11. कम्पनी से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक विशेषीकृत न्यायालय के रूप में कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा।
12. कतिपय दिशा निर्देशों के तहत सरकार के अनुमोदन के बिना अन्तःनिगम निवेश करने और ऋण लेने के लिए कम्पनियों को इजाजत दी जाएगी।

महत्वपूर्ण संशोधनों में से कुछेक संशोधन पहले ही कम्पनी अधिनियम, 1956 में कर दिए गए हैं। कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को 31.10.98 को प्रख्यापित किया जा चुका है। इसके साथ-साथ कम्पनी अधिनियम, 1956 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

(क) कम्पनियों को उनकी अपनी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की अनुमति दी गई है।

(ख) कम्पनियों को "स्वीट इक्विटी" जारी करने के लिए सामर्थ्यकारी बनाया गया है-जैसे, बट्टे पर जारी किए गए शेयर या नकद के अलावा विचारार्थ-ज्ञान प्रदान करने के लिए या बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों की प्रकृति में अधिकारों को उपलब्ध कराना या मूल्य वृद्धि।

(ग) शेयर/डिबेंचर/निवेश धारकों के लाभ के लिए नामांकन सुविधा दी गई है।

(घ) एक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि की स्थापना की गई है।

(ङ) कम्पनियों के लिए लेखाकारिता मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति स्थापित की जानी है।

(च) कम्पनियों को दिशा निर्देशों के अनुपालन पर उनके अन्तः नैगमित निवेश/ऋण प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

हाकी पदाधिकारियों को वीजा

1174. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए अनुमोदित हाकी टीम के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों से कुछ हाकी पदाधिकारियों ने कुआलालम्पुर में हाल ही में सम्पन्न हुए

राष्ट्रमंडल खेल देखने हेतु भारतीय हाकी संघ की सिफारिश पर वीजा मांगे थे; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय हाकी संघ द्वारा अनुमति प्रदान किए गए ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा भारतीय हाकी संघ/व्यक्तियों द्वारा वहन किए गए उनके व्यय सहित उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नाम	दौरे का प्रयोजन
1. श्री के.पी. एस. गिल, अध्यक्ष, भारतीय हाकी परिसंघ तथा उपाध्यक्ष, एशियाई हाकी परिसंघ।	एशियाई हाकी परिसंघ (ए.एच.एफ.) परिषद की बैठक में भाग लेना
2. श्री के. ज्योति कुमारन, सचिव, भारतीय हाकी परिसंघ।	एशियाई हाकी परिसंघ द्वारा नियुक्त न्यायाधीश के रूप में भाग लिया।
3. कर्नल जी. ए. सिद्दीक, संयुक्त सचिव, भारतीय हाकी परिसंघ, अवैतनिक सचिव, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड।	प्रतिनिधि के रूप में एशियाई हाकी परिसंघ परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा नामित।
4. श्री कृष्णा मेक, मुख्य जन संपर्क अधिकारी, भारतीय हाकी परिसंघ।	भारतीय हाकी परिसंघ के पर्यवेक्षक।
5. श्री आर. ए. सुब्रामणियन, भूतपूर्व प्रबंधक, भारतीय हाकी परिसंघ।	भारतीय हाकी परिसंघ के पर्यवेक्षक।
6. श्री सुरेश के. शर्मा।	श्री गिल की सुरक्षा तथा समन्वय के प्रभारी पुलिस अधीक्षक।
7. श्री वी. रामचन्द्र राव, उपाध्यक्ष, हैदराबाद हाकी संघ।	भारतीय हाकी परिसंघ के पर्यवेक्षक।
8. श्री सुरेन्द्र पाल।	भारतीय हाकी परिसंघ के पर्यवेक्षक।

2. श्री के.पी.एस. गिल तथा श्री के. ज्योति कुमारन की टिकटें भारतीय ओलंपिक संघ ने उपलब्ध कराई थी। श्री सिद्दीक ने अपनी टिकट स्वयं ली थीं। भारतीय हाकी परिसंघ ने श्री कृष्णा मेक, *श्री आर.ए. सुब्रामणियन, श्री सुरेश के. शर्मा, श्री वी. रामचन्द्र राव तथा श्री सुरेन्द्र पाल को टिकटें उपलब्ध करवायी थीं।*

भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा टिकटों पर खर्च की गई कुल लागत लगभग 1,00,00/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा इनके ठहरने तथा अन्य खर्चों हेतु उपर्युक्त व्यक्तियों को 4,000/- अमरीकी डालर (केवल चार हजार अमरीकी डालर) जारी किए गए।

कटक पारादीप राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को चौड़ा किया जाना

1175. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-सं. 5 से जुड़ने वाली कटक से पारादीप तक की सड़क का विस्तार एवं चौड़ा करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु तैयार की गई परियोजना क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त सड़क को चौड़ा करने का कार्य आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) साध्यता अध्ययन करने और लागत प्राक्कलन के सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं का चयन किया जा रहा है। परामर्शदाता द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लिए जाने के बाद ही परियोजना की लागत निर्धारित की जा सकती है। इस स्तर पर कोई धनराशि नियत नहीं की जा सकती है।

बड़ी विद्युत परियोजनाओं संबंधी नीति

1176. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

डा. रवि मल्लू :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी विद्युत परियोजनाओं संबंधी नीति घोषित कर दी है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन (पी.टी.सी.) से तभी बिजली मिलेगी, जब उनके वितरण का निजीकरण किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत सरकार की वृहत् विद्युत परियोजनाओं संबंधी नीति विनिर्दिष्ट करती है कि लाभभोगी राज्यों को एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों में वितरण का निजीकरण करना होगा।

(ग) पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन को अतिशीघ्र स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तटीय जल में जहाजों का मलबा

1177. **श्री कमलनाथ :**

श्री चन्दूलाल अजमीरा :

श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1998 के "दि एशियन एज" में "कोस्टल वाटर्स आर ग्रेवयार्ड्स फॉर ओल्ड वेशल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्नगत समाचार एक प्रभावी मेरिटाइम विधान के अभाव के संबंध में है, जो समुद्र में प्रचालन हेतु अयोग्य ऐसे पोतों का समुद्र में प्रवेश को रोक सके जिनके मालिक बीमा राशि क्लेम करने के लिए कथित रूप से जानबूझ कर उन्हें डुबो देते हैं।

(ग) यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में तटीय जल और पत्तन पुराने जलयानों के लिए कब्रगाह बन गए हैं।

(घ) पत्तन सीमा में डूबे जलयान के लिए मालिक पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। इस अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि मलबा हटाने के लिए जहाज मालिक जिम्मेदार है, जबकि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पत्तन सीमा से बाहर, लेकिन भारत के क्षेत्रीय जल में मलबे को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी जहाज मालिक पर नहीं डाली गई है।

इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में संशोधन हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

1178. **श्री तेजवीर सिंह :**

श्री रामानन्द सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षा 10 तथा 12 की उत्तीर्ण प्रतिशतता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की औसत उत्तीर्ण प्रतिशतता की अपेक्षा लगातार ऊंची रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाएगा :—

वर्ष	कक्षा-10		कक्षा-12	
	के.वि.सं.	के.मा.शि.बो.	के.वि.सं.	के.मा.शि.बो.
1996	77%	62.24%	78.70%	72%
1997	79.11%	68.30%	83.31%	78.50%
1998	76.8%	63.2%	79.9%	72.6%

परन्तु, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 1997 के परिणाम की तुलना में 1998 में गिरावट का रुख नोट किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों से भी यही रुख दिखाई दिया है।

(ग) संगठन ने शैक्षिक कार्यकलापों की गहन मॉनीटरी, ठेका के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करके रिक्तियों को भरने, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों के सुव्यवस्थित सेवाकालीन प्रशिक्षण और दिसम्बर में पाठ्यक्रम को पूरा करने उसके बाद कमजोर छात्रों के लिए उपचारी शिक्षण तथा अन्य छात्रों के लिए पाठ दोहराने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार करने की आयोजना बनाई है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

1179. श्री विट्ठल तुपे :
श्री आर. एस. गवई :
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील :
श्री मगन्ती बाबू :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :
श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को मध्याह्न भोजन योजना के लिए गेहूं और चावल आपूर्ति करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितना गेहूं और चावल की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उक्त योजना के अन्तर्गत गेहूं और चावल की आपूर्ति बंद कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न उठाने के आंकड़ों में सामंजस्य और भारतीय खाद्य निगम को धन न दिए जाने से संबंधित समस्याओं के कारण जुलाई से सितम्बर, 1998 के दौरान अस्थायी तौर पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी गई थी। भारतीय खाद्य निगम की बकाया राशि का भुगतान करने पर अक्तूबर, 1998 से खाद्यान्नों की पूर्ति शुरू कर दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य प्रदेश	1995-96 ढोई गई मात्रा	1996-97 ढोई गई मात्रा	1997-98 ढोई गई मात्रा
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	52347.00	129164.00	188652.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1098.00	उपलब्ध नहीं	489.00
3.	असम	29648.00	17653.00	27801.00
4.	बिहार	28193.00	53926.00	76443.00
5.	गोवा	66.20	101.00	1470.00
6.	गुजरात	22001.00	26929.00	24356.00
7.	हरियाणा	10334.00	33296.00	38622.00
8.	हिमाचल प्रदेश	3151.00	8684.00	17098.00
9.	जम्मू और कश्मीर	3232.00	5986.00	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	50485.00	70766.00	135767.00
11.	केरल	5127.00	7567.00	53795.00
12.	मध्य प्रदेश	78996.00	141549.00	161140.00
13.	महाराष्ट्र	50903.00	100730.00	215278.00
14.	मणिपुर	1367.00	1430.00	5650.00
15.	मेघालय	4396.00	4363.00	6218.00
16.	मिजोरम	1917.00	2664.00	2900.00
17.	नागालैंड	1460.00	3212.00	2608.00
18.	उड़ीसा	25767.00	32886.00	77049.00
19.	पंजाब	5502.00	6908.00	15416.00
20.	राजस्थान	54965.00	60130.00	92585.00
21.	सिक्किम	1651.00	1145.00	1077.00
22.	तमिलनाडु	18737.00	26373.00	108225.00
23.	त्रिपुरा	8085.00	11082.00	11728.00
24.	उत्तर प्रदेश	48390.00	285768.00	367483.00
25.	पश्चिम बंगाल	25193.00	70992.00	164028.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	106.00	66.00	उपलब्ध नहीं
27.	चंडीगढ़	69.00	357.00	145.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	399.00	292.00	484.00
29.	दमन और दीव	142.00	211.00	265.00
30.	दिल्ली	2150.00	7540.00	12055.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	139.00	719.00	उपलब्ध नहीं
	भारत	536016.20	1112489.00	1808827.00

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंधों का प्रभाव

1180. **प्रो. पी. जे. कुरियन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबंधों के बाद अनेक क्षेत्रों में भारत को महत्वपूर्ण प्रौद्योगियां नहीं दी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंधों से उत्पन्न हुए प्रौद्योगिकीय अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : *(क) और (ख) जी, हां।* पहले भी विभिन्न गार्ब्स यथा दोहरे प्रयोग की प्रौद्योगिकियों का निर्यात नहीं करना आदि के अंतर्गत भारत को कई प्रौद्योगिकियां तथा उपस्कर नहीं दी गई। हमारे संस्थान स्वदेश में विकसित उपायों एवं वैकल्पिक स्रोतों को उपलब्ध कराकर इन प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण

1181. **डा. वल्लभभाई कथीरिया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा कितना वित्त और ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क विकास के लिए आधुनिक और जनोपयोगी डिजाइन नहीं अपनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात में सड़क विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अद्यतन डिजाइन का उपयोग किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) अभी तक अन्तर-राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कोई ऋण उपलब्ध नहीं करवाया है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अन्तर-राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को दिए गए निम्नलिखित ऋणों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

अंतर-राष्ट्रीय वित्त एजेंसी का नाम	ऋण राशि
विश्व बैंक	10 मिलियन अमेरिकी डालर
एशियाई विकास बैंक	245 मिलियन अमेरिकी डालर
ओवरसीज इकनामिक को-आपरेशन फंड	32070 मिलियन येन

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आधुनिक और लोकानुकूल डिजाइन अपना रहा है।

[हिन्दी]

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी

1182. **श्री अरविंद कांबले :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनके लिए विदेशी सहयोग लिया गया है तथा चालू वर्ष के दौरान काउंटर गारंटी दी गई है;

(ख) प्रत्येक ऐसी परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की काउंटर गारंटी दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं को काउंटर गारंटी देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान सरकार ने आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लि. (एचएनपीसीएल) की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.), महाराष्ट्र में मै. सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सीआई पीसीओ) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) तथा तमिलनाडु में मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी की लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप विद्युत परियोजना की 250 मे.वा. सिंगल यूनिट के मामले में काउंटर गारंटी प्रदान कर दी है। विदेशी ऋण की धनराशि, जिसके लिए इन तीनों परियोजनाओं को काउंटर गारंटी प्रदान की गई है, निम्नवत हैं :—

विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना	–	818 मिलियन यू.एस. डॉलर
भद्रावती ताप विद्युत परियोजना	–	332 यू.के. मिलियन पाउंड + 1480 मिलियन फ्रेंच फ्रेंक
नैवेली ताप विद्युत परियोजना		52.42 मिलियन यू.एस. डॉलर + 237.12 मिलियन डी. एम।

सामान्यतः यह काउंटर गारंटी विद्युत स्टेशनों के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की तिथि से 12 वर्षों तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।

प्रौढ़ शिक्षा योजना

1183. **श्री राजो सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्रौढ़ शिक्षा योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत बिहार में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य में वर्ष वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) क्या योजना के लिए निर्धारित धनराशि का बिहार में दुरुपयोग हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार को जारी की गई धनराशि निम्नवत है :

1993-94	1109.93
1994-95	1628.87
1995-96	1977.84
1996-97	1062.52
1997-98	446.98

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अतर्गत वार्षिक आधार पर लक्ष्य तथा उपलब्धियां निर्धारित नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 100 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में 52.31 लाख व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी विद्युत परियोजनाओं को प्रति गारंटी

1184. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन-चार माह के दौरान कुछ निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को प्रति गारंटी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्युत परियोजनाओं को प्रति गारंटी देने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विद्युत परियोजनाओं को प्रति गारंटी देने में उचित मानदंड तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में निजी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1991 में एक निजी विद्युत नीति तैयार की थी। ऐसा अन्य कारणों के साथ विद्युत क्षेत्र में अत्यधिक निवेश आवश्यकता के सम्मुख संसाधनों के अपर्याप्त उत्पादन और क्षीणमान बजटीय सहायता के कारण किया गया था। निजी विद्युत विकास-कर्त्ताओं में विश्वास जागृत करने के लिए भारत सरकार उन निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी जारी करने पर विचार कर रही है जिन्हें शीघ्र विकास हेतु अभिज्ञात किया गया था। मई, 1998 में निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी जारी करने से संबंधित पद्धति को संशोधित किया गया था। इस पद्धति के अंतर्गत यह निर्णय किया गया है कि गारंटी समाप्ति की दशा में ही दी जाएगी और यह बकाया विदेशी ऋण तक ही सीमित होगी।

अगस्त, 1998 माह के दौरान सरकार ने आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लि. (एनएचपीसीएल) की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.) महाराष्ट्र में मै. सेंट्रल पावर कंपनी (सिपको) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) और तमिलनाडु में मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी की 250 मे.वा. वाली लिग्नाइट आधारित सिंगल यूनिट नैवेली ताप विद्युत परियोजना के मामले में काउंटर गारंटी प्रदान की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदर्भ क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग

1185. **श्री आर.एस. गवई** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ क्षेत्र में पहले से मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जिन राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदर्भ क्षेत्र के सभी जिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई विदेशी निवेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में कुल मिलाकर 870 कि.मी. लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्ग विद्यमान हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं.	रा.रा.सं.	कि.मी. लम्बाई
1.	6	509
2.	7	252
3.	16	50
4.	69	59

इसके अतिरिक्त विदर्भ क्षेत्र के लिए फिलहाल नए राष्ट्रीय राजमार्ग की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में वन

1186. प्रो. चमन लाल गुप्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में कुल कितने क्षेत्र में वन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने क्षेत्र में वनों की कटाई कर दी गई;

(ग) इतने बड़े पैमाने पर वन कटाई के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर में वनों की कटाई के कारण प्रतिवर्ष अनेक बार अकस्मात बाढ़ आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) राज्य वन रिपोर्ट, 1997 के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में वन क्षेत्र 20,440 वर्ग कि.मी. है।

(ख) और (ग) सबसे हाल की राज्य वन रिपोर्ट, 1997 अक्तूबर-नवम्बर, 1992 से नवम्बर, 1995 तक की अवधि में वन क्षेत्र में परिवर्तन दिखाती है। इस अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य में वन क्षेत्र में 7 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) राज्य वन रिपोर्ट, 1997 के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में वन क्षेत्र तथा वन की सघनता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रम

1187. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आमतौर पर विभिन्न केन्द्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों और विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय में मुख्यधारा शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पहले ही शामिल किया जा चुका है;

(ख) क्या सरकार की योजना विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च प्रौद्योगिकी के और पाठ्यक्रम शुरू करने की है तथा ऐसे पाठ्यक्रमों वाले और ज्यादा संस्थान स्थापित करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1188. श्री एस.एस. ओवेसी :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन ने कुछ पारेषण सेक्शनों की पहचान की है जिसमें निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन ने संयुक्त उद्यमों के लिए विभिन्न निजी कंपनियों से वार्ता की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पहचान किए गए पारेषण सेक्शन निजी क्षेत्र को कब तक सौंप दिए जाएंगे;

(च) क्या इस प्रस्ताव को कार्यरूप प्रदान करने के लिए इस संबंध में सभी मापदंडों को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार के लिए पावरग्रिड द्वारा निम्नलिखित पारेषण लाइन खण्डों का निर्धारण किया गया है :-

1. मदुरई और इंडामन-250 कि.मी. (तमिलनाडु/केरल)।

2. मेरामुण्डोली एवं जैपोर-450 कि.मी. (उड़ीसा)

(ग) जी अभी तक नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) से (छ) दो पारेषण लाइन खण्डों का आरम्भिक सर्वेक्षण प्रगति पर है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्रय संबंधी करार

1189. श्री जगत वीर सिंह "द्रोण" : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9000 करोड़ के निवेश वाली उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के बारे में स्वीकृति मिलने और विद्युत बोर्डों व निजी क्षेत्र की कम्पनियों के बीच विद्युत क्रय संबंधी करार पर हस्ताक्षर होने के बावजूद भी, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) आज तक की स्थितिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 4046.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन/साख पत्र आदि माध्यम वाले (100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) 2 प्रस्तावों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। निजी प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त न कर पाने और निर्माण प्रक्रिया आरंभ न कर पाने की वजह से ये स्वीकृत परियोजनाएं उभरने में असफल रही हैं। स्वतंत्र विद्युत उत्पादक ऐसी एस्क्रो व्यवस्था को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं जो कि आई.एफ.आई. को स्वीकार्य हो। भारत सरकार समय-समय पर इन परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग करती रही है और जब भी उपयुक्त हो आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला कोष

1190. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा इसकी स्थापना से लेकर अब तक महिलाओं को कितनी राशि ऋण स्वरूप दी गई है;

(ख) राज्यवार और वर्षवार संवितरित किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में महिलाओं की जीवन यापन की दशाओं पर ऋण राशि के संवितरण के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा इसकी स्थापना से 23-11-98 तक गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं में 4145.928 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।

(ख) वितरित किए गए ऋण का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं पर ऋण के प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा सात अध्ययन कराए गए तथा उनके परिणाम एक संयुक्त रिपोर्ट में समेकित किए गए हैं। सुधार के लिए उपायों का सुझाव देते हुए समेकित रिपोर्ट में कुल मिलाकर इस बात की सराहना की गयी है कि ऋण का महिलाओं के समाजार्थिक जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसमें ऋण प्राप्त कर्ता द्वारा परिवार की आय में पर्याप्त योगदान, अतिरिक्त पारिवारिक आय का परिवारजनों के लिए अतिरिक्त भोजन हेतु उपयोग, घरेलू सामान की खरीद, बच्चों की शिक्षा तथा कुछ मामलों में तो भूमि की खरीद भी शामिल है। कुछ मामलों में परिवार में पति तथा बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा गया।

विवरण

राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा प्रदत्त ऋण का वर्ष-वार तथा राज्य-वार विवरण

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 31-11-98 की स्थिति के अनुसार।
1. आंध्र प्रदेश	015.558	117.110	208.470	350.270	635.130	288.700
2. असम	–	–	–	–	–	000.500
3. बिहार	012.956	004.044	010.000	003.500	020.000	001.000
4. गुजरात	–	–	007.500	006.500	040.500	010.000
5. हिमाचल प्रदेश	–	–	001.000	000.500	020.000	013.500
6. हरियाणा	–	–	000.860	–	–	–
7. जम्मू और कश्मीर	–	–	–	010.000	–	–
8. कर्नाटक	–	022.036	001.500	024.214	025.000	024.000
9. केरल	021.000	063.470	042.000	072.650	122.000	013.500
10. मध्य प्रदेश	009.000	012.590	005.910	–	003.500	–
11. महाराष्ट्र	047.000	061.007	037.843	068.917	047.000	099.083
12. मणिपुर	–	010.000	030.000	025.000	026.000	000.500
13. नई दिल्ली	–	–	–	–	–	001.000
14. उड़ीसा	–	005.400	001.000	005.150	018.000	008.000
15. राजस्थान	–	–	040.550	056.885	060.000	–
16. तमिलनाडु	026.398	095.127	138.955	221.700	278.380	124.750
17. उत्तर प्रदेश	003.910	019.060	010.340	024.475	041.380	033.500
18. प. बंगाल	005.000	019.692	027.908	047.000	058.500	044.000
कुल	140.822	429.526	563.836	916.761	1395.390	662.033

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामले का अंतरण

1191. श्री पी.एस. गढवी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भ्रष्टाचार संबंधी मामले की जांच को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अंतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा क्या प्रगति की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्राज्यीय नदियों पर विद्युत परियोजनाएं

1192. श्री के.पी. मोहन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन से अन्तर्राज्यीय नदियों पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने अनुरोध किया है कि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा कर्नाटक के साथ अंतर्राज्यीय संबंध रखने वाले रसीमनाल (600 मे.वा.) और होगेनकल (250 मे. वा.) स्थित तमिलनाडु में दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन को हाथ में लिया जाए।

(ख) एनएचपीसी के अधिकारियों के एक दल ने जिला धामापुरी (तमिलनाडु) के होगेनकल स्थित स्थल का दौरा किया है। केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन करने के लिए तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों के साथ दिनांक 12 नवंबर, 1998 को विचार-विमर्श किया गया था। एनएचपीसी द्वारा किए गए दो वैकल्पिक प्रस्तावों पर तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार के विचारों हेतु अनुरोध किया गया है। प्रथम प्रस्ताव में माकादातू (550 मे.वा.) रसीमनाल (200 मे.वा.) और होगेनकल (120 मे.वा.) स्थित 3 बांधों और दूसरे प्रस्ताव में कर्नाटक में माकादातू (550 मे.वा.) और तमिलनाडु में रसीमनाल (200 मे.वा.) के दो बांधों की परिकल्पना की गई है। दोनों प्रस्ताव 205 टीएमसी जल प्रवाह सहित लगभग 2450 मि.यू. ऊर्जा उत्पादित करेंगे। एनएचपीसी परियोजनाओं का वित्तपोषित निर्माण और प्रचालित करेगी। ये परियोजनाएं शुद्धतः विद्युत परियोजनाएं होंगी और इसमें किसी भी प्रकार के सिंचाई संबंधी घटक नहीं होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को घाटा

1193. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को कुल कितना घाटा हो रहा है;

(ख) केन्द्र सरकार का इस बोर्ड के पास कुल कितना बकाया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम्) : (क) वर्ष 1996-97 तक के उपलब्ध लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार आर्थिक सहायता की गणना करते हुये जैसा कि लेखों में प्रावधान है, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली परिषद को संचयी रूप से हानि नहीं हो रही है।

(ख) 30 सितम्बर, 1998 की स्थितिनुसार उ. प्र.रा. वि. परिषद द्वारा विद्युत मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 3483.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बोर्ड के पास केन्द्र सरकार का कोई बकाया शेष नहीं है।

(ग) और (घ) विनियामक आयोगों की स्थापना से, जैसा कि संसद द्वारा पारित अधिनियम में प्रावधान किया गया है, टैरिफ का यौक्तिकरण किया जा सकेगा और जहां कहीं आवश्यक हो, आर्थिक सहायताओं के प्रावधान में पारदर्शिता लाई जा सकेगी उ.प्र. राज्य सरकार विनियामक आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का विकल्प इस शर्त पर चुन सकती है कि राज्य सरकार पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करके रा. वि. बो. को प्रतिपूर्ति प्रदान करे। जहां का यौक्तिकरण हो जाएगा और बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी तभी उ.प्र. रा.वि. परिषद अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकेंगे।

[हिन्दी]

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाएं

1194. **श्री एच.जी. रामुलू** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास कितनी विद्युत परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ख) सरकार ने अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) 31.10.98 की स्थितिनुसार कर्नाटक में 11 परियोजनाओं के संबंध में पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से चार को पहले ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और शेष 7 परियोजनाएं जांचाधीन हैं। स्वीकृत/जांचाधीन परियोजनाओं के विवरण निम्नांकित हैं :—

क्र. स.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्रा.में प्रगति की तारीख	टीईसी की तिथि
1	2	3	4	5
	ए. के. वि. प्रा. द्वारा मंजूरी प्राप्त/मूल्यांकित			
1.	सरापदी एचईपी (एच)	3×30	7/89	4.12.90
2.	रायचूर चरण-2 (टी)	2×210	7/95	19.12.95
3.	लोरांगल्लू टीपीएस (टी)	2×120 (2×130)	3/95 संशोधित	22.03.96

1	2	3	4	5
4.	मंगलौर टीपीएस (टी)	4×250	1/95	22.04.96
	बी. के.वि.प्रा. में निरीक्षणाधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट			
5.	मंजनगुड सीसीपीपी	110	31.12.97	
6.	तटीहल्ला (एच)	410 जी डब्ल्यूएच	8/98	
7.	कनीमिंके (बंगलौर) (टी)	107.8	31.12.97	
8.	माण्ड्या सीसीपीपी (टी)	164.4	31.12.97	
9.	हासन सीसीपीपी (टी)	189	31.12.97	
10.	तालगी (बीजापुर) टीपीपी (टी)	1×350	30.3.98	
11.	नागार्जुन टीपीपी (टी)	2×500	27.7.98	

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में सार्वजनिक भागीदारी

1195. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री डी.एस. अहिरे :

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

श्री चन्द्रशेखर साहू :

श्री तथागत सत्पथी :

श्री रामपाल उपाध्याय :

श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और स्थानवार कितने केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या इन सभी विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इन विद्यालयों के प्रबंधन में सार्वजनिक भागीदारी पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) देश में 873 केन्द्रीय विद्यालय और 396 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। इन विद्यालयों की राज्यवार और स्थानवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था पर्याप्त निधियों और प्रायोजक प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा मुफ्त जमीन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 873 केन्द्रीय विद्यालयों में से, 337 विद्यालय बिना स्थाई भवन के हैं और 66 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। धन उपलब्ध होने पर इन सभी विद्यालयों में अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। नवोदय विद्यालयों के संबंध में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, 105 विद्यालयों में उपलब्ध करा दी गई हैं जहां पर विद्यालयों के स्थाई परिसर का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(घ) से (च) केन्द्रीय विद्यालयों के प्रबंध में जनता की सहभागिता विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समितियों और अभिभावक शिक्षक संघ के रूप में और मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड में पहले ही विद्यमान है। इसी प्रकार नवोदय विद्यालयों के प्रबंध में जन प्रतिनिधियों की सहभागिता विद्यालय सलाहकार समिति और विद्यालय प्रबंध समिति स्तर पर प्रदान की गई है।

केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	आदिलाबाद (सीसीआई)
2.	अनंतपुर (एसके विश्वविद्यालय)
3.	भीमुनिपट्टनम (आईएनएस कालिंगा)
4.	गाचीबोली
5.	गुट्टी, अनंतपुर
6.	गुंटकल
7.	गुंटूर
8.	हैदराबाद, बेगमपेट (आई एफएस)
9.	हैदराबाद, सीआरपीएफ
10.	हैदराबाद, डूंडीगल सं. 2 (एएफए)
11.	हैदराबाद, डूंडीगल सं. 1 (एएफए)
12.	हैदराबाद, गोलकुंडा सं. 1
13.	हैदराबाद, गोलकुंडा सं. 2
14.	हैदराबाद, कंचनबाग (डी आर डीओ)

1	2
15.	हैदराबाद, एसवीपी (एनपीए)
16.	*हैदराबाद, उप्पल सं. 1 (एसओआई)*
17.	*हैदराबाद, उप्पल सं. 2 (एसओआई)*
18.	कुरनूल
19.	मछलीपट्टनम
20.	मेडक (ओएफ)
21.	न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्मलैक्स घाटकेसर
22.	राजामुंदरी (ओएनजीसी)
23.	रामागुंडम सं. 1 (एफसीआई)
24.	रामागुंडम सं. 2 (एनटीपीसी)
25.	सिकन्दराबाद, बोलारम
26.	सिकन्दराबाद, बावनपल्ली
27.	सिकन्दराबाद, हकीमपेट (एएफएस)
28.	सिकन्दराबाद, पिकेट
29.	सिकन्दराबाद, त्रिमूलघेरी
30.	श्रीकाकुलम
31.	सूर्यलंका (एएफएस)
32.	तंदूर (सीसीआई)
33.	तिरूपति सं. 1
34.	तिरूपति सं. 2
35.	विजयवाड़ा सं. 1
36.	विजयवाड़ा सं. 2
37.	विशाखापट्टनम, स्टील प्रोजेक्ट
38.	विशाखापट्टनम, मलकापुरम
39.	विशाखापट्टनम, नाड
40.	विशाखापट्टनम, नौसेना बाग सं. 1
41.	विशाखापट्टनम, नौसेना बाग सं. 2
42.	विशाखापट्टनम, श्रीविजयनगर सं. 1
43.	विशाखापट्टनम, श्रीविजयनगर सं. 2
44.	विशाखापट्टनम, वाल्टेयर
45.	येररागुंटला (आईसीएल)

1	2
अरुणाचल प्रदेश	
46.	*अलोग (II असम राइफल्स)*
47.	*ईटानगर सं. 1*
48.	ईटानगर सं. 2
49.	कीमिन (9 असम राइफल्स)
50.	निर्जुली (एनईआरआईएस व टी)
51.	पासीघाट
52.	रुपा
53.	तेंगावेल्ली
54.	तेजू
असम	
55.	बारागोली (सीआईएल)
56.	बोकाजन (सीसीआई)
57.	बोंगईओगांव (बीआरपीएल)
58.	काचर पंचग्राम (एचपीसी)
59.	छबुआ (एएफएस)
60.	धौलयेरा (बीएसएफ)
61.	दीगारू (एएफएस)
62.	दिंजन सं. 1
63.	दिंजन सं. 2 (एएफएस)
64.	दीफू
65.	डूमडूमा (एआरसी)
66.	दुलियाजन (ओआईएल)
67.	गोहाटी (आईओसी)
68.	गोहाटी, अमेरियागोग (सीआरपीएफ)
69.	गोहाटी, बोरझार
70.	गोहाटी, खानापारा
71.	गोहाटी, मालीगांव
72.	गोहाटी, नारंगी
73.	हाफलौंग (एसएसबी)
74.	जागीरोड (एचपीसी)
75.	जोरहाट सं. 1 (एएफएस)

1	2
76.	जोरहाट सं. 2 (ओएनजीसी)
77.	करीमगंज
78.	खटखटी (सीआरपीएफ)
79.	कोकराझार (हाथीमठ)
80.	कुम्मीग्राम (एएफएस)
81.	लकवा
82.	लेखापानी
83.	लोकरा
84.	लुमडिंग
85.	मसीमपुर
86.	मिस्सामरी सं. 1
87.	मिस्सामरी सं. 2
88.	मोहनबारी (एएफएस)
89.	नामरूप (एचएफसी)
90.	न्यू बोंगाईगांव
91.	नौगौंग
92.	नौगौंग, मीसा कैंट
93.	पानबारी (बीएसएफ)
94.	शिवसागर सं. 1 (ओएनजीसी)
95.	शिवसागर सं. 2 नजीरा (ओएनजीसी)
96.	सिल्चर
97.	सोनाईरोड (ओएनजीसी)
98.	तेजपुर सं. 1
99.	तेजपुर सं. 2 (एएफएस)
100.	तेजपुर सं. 3 (एएफएस)
101.	तिनसुकिया
102.	उमरांगसो (एनईईपीसीओ)
बिहार	
103.	अवाम
104.	आमझोर (पीपीसीएल)
105.	बरौनी सं. 1 (एचएफसी)
106.	बरौनी सं. 2 (आई ओ सी)
107.	बरकाकाना
108.	भुरकुण्डा
109.	विहाटा (ए एफ सी)
110.	बोकारो सं. 1
111.	बोकारो सं. II
112.	बोकारो सं. III (रेलवे)
113.	बोकारो थर्मल (डीवीसी)
114.	चक्रधरपुर
115.	चक्रधरपुरा (सीटीपीएस)
116.	डाकरा (सीसीएल)
117.	दानापुर कैंट
118.	दरभंगा (एएफएस)
119.	धनबाद भूली टाउनशिप
120.	धनबाद गोविंदपुर क्षेत्र (भा को को लि)
121.	धनबाद कोयला नगर (भा को को लि)
122.	धनबाद मायथन बांध (डीवीसी)
123.	धनबाद, पुराना डी वी एस भवन
124.	दुग्दा कोल वाशरी
125.	गढ़हरा
126.	गया सं. 1
127.	गया सं. II
128.	गिडी "क" (के को लि)
129.	गोमो
130.	हजारीबाग (सी सु बल)
131.	जमालपुर
132.	जवाहर नगर
133.	कहल गांव (एनटीपीसी)
134.	कारो विशेष परियोजना (के को लि)
135.	कटिहार
136.	केडला नगर (सी सी एल)
137.	खगड़िया

1	2
138.	खगोल
139.	किशनगंज (सी सु बल)
140.	लक्खी सराय
141.	मेघाहतुबुरू (आई ओ पी)
142.	मोकामाघाट (के रि पु बल)
143.	मुजफ्फरपुर
144.	पटना सं. I
145.	पटना सं. II
146.	पतरातू
147.	पूसाराव
148.	रामगढ कैंट
149.	रांची (सी सी एल)
150.	रांची (के रि सु बल)
151.	रांची (एच ई सी) सं. I
152.	रांची दीपातोली
153.	रांची, हिंगो
154.	रांची नामकुम
155.	सहरसा
156.	समस्तीपुर
157.	सिंघरसी
158.	सोनपुर
159.	सुरदा घाटसिला (एच सी एल)
160.	टाटा नगर
गोवा	
161.	बाम्बोलिम कैंप
162.	मान्डोवी (आई एन एस)
163.	पोन्डा
164.	वास्को-डि-गामा सं. I
165.	वास्को-डि-गामा सं. II
गुजरात	
166.	अहमदाबाद कैंट
167.	अहमदाबाद सं. I (एम आर कैम्पस)
168.	अहमदाबाद (एस ए सी)
169.	अंकलेश्वर (ओ एन जी सी)
170.	बड़ौदा सं. I (हरनी रोड़)
171.	बड़ौदा सं. II (ई एम ई कैम्पस)
172.	बड़ौदा सं. III मकरपुरा (एएफएस)
173.	बड़ौदा सं. IV.(ओ एन जी सी)
174.	भावनगर पाड़ा
175.	भुज सं. I (ए एफ एस)
176.	भुज सं. II (कैंट)
177.	कैम्बे (ओ एन जी सी)
178.	चंद खेड़ा (ओ एन जी सी)
179.	दांतीवड़ा (सी सु बल)
180.	धारन गंधारा
181.	गांधी धाम (आई एफ एफ सी ओ)
182.	गांधी धाम, रेलवे कॉलोनी
183.	गांधी नगर कैंट
184.	गांधी नगर सं. I (सेक्टर-30)
185.	गांधी नगर (के रि सु बल)
186.	हिम्मत नगर
187.	जामनगर सं. I (ए एफ एस)
188.	जामनगर सं. II (आई एन एफ-लाइन्स)
189.	जामनगर सं. III (ए एफ-II)
190.	झनोर (एन टी पी सी)
191.	जूनागढ़
192.	मेहसाना (ओ एन जी सी)
193.	नलिया (ए एफ एस)
194.	ओखा
195.	पोरबंदर
196.	राजकोट
197.	साबरमती
198.	समाना (एएफएस)

1	2
199.	सूरत सं.1 (इच्छानाथ)
200.	सूरत सं. II हजीरा (कृभको)
201.	सूरत सं. III के जी पी पी (एन टी पी सी)
202.	सूरत सं. IV, हजीरा (ओ एन जी सी)
203.	वी वी नगर (यू एस क्वार्टर के समीप)
204.	बलसारा (आई एन एस)
205.	विरा गांव
206.	वाडसर (ए एफ एस)
हरियाणा	
207.	अम्बाला कैंट सं. 1
208.	अम्बाला कैंट सं. II
209.	अम्बाला कैंट सं. III
210.	अम्बाला कैंट सं. IV
211.	अम्बाला, रामगढ़ (सि.सी.पु.)
212.	चंडी मंदिर सं. 1
213.	चंडी मंदिर सं. II
214.	फरीदाबाद सं. 1
215.	फरीदाबाद सं. II
216.	गुड़गांव (ए. एफ. एस.)
217.	गुड़गांव मोहम्मदपुर, अहिर
218.	हिसार कैंट
219.	झज्जर
220.	करनाल
221.	मानेसर (एन.एस.जी.)
222.	नाहारा
223.	पालूवास
224.	पालबाल
225.	पानीपत (एनएफ एल)
226.	पिंजोर (हि.म.दू.)
227.	पिंजोर (सी आरपीएफ)
228.	रघुनाथपुरा (नारनौल)

1	2
229.	रेवाड़ी
230.	रोहतक
231.	सिरसा सं. 1 (एएफएस)
232.	सिरसा सं. II
हिमाचल प्रदेश	
233.	अलहीलाल
234.	बकलोह
235.	भनाला
236.	चमेरा, एचईपी (एनएचपीसी)
237.	डलहौजी कैंट
238.	धर्मशाला कैंट
239.	हमीरपुर
240.	जुतोघ
241.	कसौली (एएफएस)
242.	मंडी
243.	नदौन
244.	नलेती
245.	पालमपुर
246.	राजभन (सीसीआई)
247.	सारहन (आई टी बी पी)
248.	शिमला
249.	सुबाथु
250.	वाई ओ एल कैंट
जम्मू-कश्मीर	
251.	अखनूर सं. 1
252.	अखनूर सं. II
253.	आवंतीपुरा
254.	बंदीपुर (सी सु बल)
255.	बनतालाब (सी आर पी एफ)
256.	बारामुला
257.	बसौली
258.	भमाना

1	2
259.	जम्मू सं. I (गांधीनगर)
260.	जम्मू सं. II (कैंट)
261.	जिंदराह
262.	ज्योतिपुरम (शेप)
263.	कालूचक
264.	किश्तवार, दुलहस्ती परियोजना
265.	कुपवाड़ा
266.	लेह
267.	मिराम साहिब
268.	नागरोटा
269.	रजौरी (सी सु बल)
270.	साम्बा
271.	श्रीनगर सं. I (बटवारा)
272.	श्रीनगर सं. II (ए एफ एस)
273.	श्रीनगर सं. III (इंदिरा नगर)
274.	ऊधमपुर सं. I
275.	ऊधमपुर सं. II (धार रोड)
276.	यू आर आई
कर्नाटक	
277.	बंगलौर (एएससी)
278.	बंगलौर (डी आर डी ओ)
279.	बंगलौर (हेब्बल)
280.	बंगलौर (आई आई एस सी)
281.	बंगलौर (नाल)
282.	बंगलौर, जलहल्ली सं. I (ए एफ एस)
283.	बंगलौर जहल्ली सं. II (ए एफ एस)
284.	बंगलौर, गल्लेश्वरम
285.	बंगलौर, एम ई जी एंड सेन्टर
286.	बंगलौर, एम जी रेल्वे
287.	बंगलौर, येलाहंका (ए एफ एस)
288.	बंगलौर, येलाहंका (डब्ल्यू एंड ए पी)
289.	बंगलौर, येलाहंका (सी आर पी एफ)

1	2
290.	बेलगांव कैंट
291.	बेलारी
292.	बी ई एम एल नगर कोलार
293.	बिदर (ए एफ एस)
294.	बीजापुर
295.	धारवाड़
296.	दोनीमलाई (एन एम डी सी)
297.	गुलबर्ग
298.	हसन
299.	होसपेट
300.	हुबली सं. I (राजनगर)
301.	हुबली सं. II (बिनोबा नगर)
302.	कालपेट्टा
303.	कुद्रेमुख (आई ओ पी)
304.	मैंगलोर सं. I (पनमबर)
305.	मैंगलौर सं. II (रेल्वे कालोनी)
306.	मैसूर
307.	रायचूर
308.	साम्बा (ए एफ एस)
309.	टुम्कूर
केरल	
310.	अदूर
311.	अलवाए (नाड)
312.	कालीकट (कौजी कोड़े) सं. I
313.	कालीकट (कोजी कोड़े) सं. II
314.	कन्नोर सं. I
315.	कन्नानोर सं. II (केलट्रान नगर)
316.	कोचीन सं. I (नेवल बेस)
317.	कोचीन सं. II (नेवल बेस)
318.	कोचीन सं. III (पोर्ट ट्रस्ट)
319.	कोचीन सं. IV (आई एन एस द्रोणाचार्य)

1	2
320.	एरनाकुलम
321.	कसरगोड़ सं. I (सी पी सी आर आई)
322.	कसरगोड़ सं. II
323.	कोट्टायम (रबर बोर्ड)
324.	मल्लापुरम
325.	मेवेलूर, न्यूजप्रिंट नगर (एच पी सी)
326.	ओट्टापलम (पल्लापुरम)
327.	पालघाट सं. I (हेमम्बिका नगर)
328.	पालघाट सं. II (कांजी कोड़े)
329.	पय्यानूर
330.	त्रिचूर (पुरानाट्टूकारा)
331.	त्रिवेन्द्रम, पाल्लीपुरम (सी आर पी एफ)
332.	त्रिवेन्द्रम, पानागोड़े
333.	त्रिवेन्द्रम (ए एफ एस)
334.	त्रिवेन्द्रम, पोट्टोम
मध्य प्रदेश	
335.	अकलतारा (सी सी आई)
336.	अम्बिकापुर
337.	अमला (एएफएस)
338.	बघेली (बी आई ओ पी)
339.	बैकुन्ठपुर (बी ई सी एल)
340.	बैरागढ़
341.	बालाघाट
342.	बरवाहा
343.	भिलाई
344.	भिंड
345.	भोपाल सं. I
346.	भोपाल सं. II
347.	बिलासपुर
248.	बीना
349.	चंदामेट्टा, बरकूही (डब्ल्यू सी एल)

1	2
350.	छत्तरपुर
351.	छिंदवाड़ा
352.	चिरीमिरी (एस ई सी एल)
353.	दामोह
354.	देवास
355.	धाना
356.	धनपुरी (एस ई सी एल)
357.	धार
358.	डुंगरगढ़
359.	दुर्ग
360.	गुना
361.	ग्वालियर सं. I
362.	ग्वालियर सं. II (ए एफ एस)
363.	ग्वालियर सं. III (मोरार कैंट)
364.	ग्वालियर सं. IV महाराजपुर (ए एफ एस)
365.	ग्वालियर सं. V (ए जी)
366.	होसंगाबाद
367.	इंदौर सं. I
368.	इंदौर सं. II (सी सु बल)
369.	इटारसी सं. I
370.	इटारसी सं. II
371.	इटारसी सं. III
372.	जबलपुर (ए डी सी)
373.	जबलपुर (सी ओ डी)
374.	जबलपुर (एस टी सी)
375.	जबलपुर (टी एफ आर आई)
376.	जबलपुर (वी एफ)
377.	जबलपुर, जी सी एफ सं. I
378.	जबलपुर, जी सी एफ सं. II
379.	जबलपुर खम्मारिया सं. I (ओ एफ)
380.	जबलपुर खम्मारिया सं. II (ओ एफ)
381.	जगदलपुर

1	2
382.	जमुना कोलियरी (एस ई सी एल)
383.	जयंत कोलिरी
384.	झाबुआ (गेल)
385.	झागरा खंड (एस ई सी एल)
386.	करेरा (आई टी बी पी)
387.	कटनी सं. I (ओ एफ)
388.	कटनी सं. III (रेल्वे)
389.	खन्डवा
390.	खारगोन
391.	किरनदुल (बी आई ओ पी)
392.	कोरबा सं. I (बाल्को)
393.	कोरबा सं. II (एन टी पी सी)
394.	कोरबा सं. III (एस ई सी एल)
395.	कोरबा सं. IV (एन टी पी सी)
396.	महासुमंद (बी सी पी पी)
397.	मालनझूण्ड
398.	महेन्द्रगढ़
399.	महू
400.	मुरेना
401.	नरसिंगपुर
402.	मनयागांव (सी सी आई)
403.	नीमच (सी आर पी एफ)
404.	नेपानगर
405.	नोराजाबाद (सी ई सी एल)
406.	पचमारही
407.	रायगढ़
408.	रायपुर
409.	राजगढ़
410.	रतलाम
411.	रेवा
412.	सागर नं. I (कैंट)
413.	सागर नं II

1	2
414.	सरनी (डब्ल्यू सी एल)
415.	सतना
416.	सिहोरे
417.	सिओनी
418.	सिओनी, मालवा
419.	शौहडोल
420.	शिवपुरी (आई टी बी पी)
421.	सिधी
422.	सिंगरौली
423.	उज्जैन
424.	विजयपुर (गैल)
महाराष्ट्र	
425.	अहमदनगर नं. I
426.	अहमदनगर नं. II (एम आई आर सी)
427.	अहमदनगर नं. III (वी आर डी ई)
428.	अम्बरनाथ नं. I (ओ एफ)
429.	औरंगाबाद कैंट
430.	भांद्रा (ओ एफ)
431.	भुसावल नं. I (ओ एफ)
432.	भुसावल नं. II (आर एल वाई)
433.	मुम्बई भाण्डुप
434.	मुम्बई कोलाबा नं. I
435.	मुम्बई कोलाबा नं. II
436.	मुम्बई कोलाबा नं. III
437.	मुम्बई (आई आई टी पोवाई)
438.	मुम्बई (आई एन एस, हमला)
439.	मुम्बई, कोलीवाड़ा
440.	मुम्बई, मनखुर्द
441.	चन्दा (ओ एफ)
442.	चन्दरपुर (डब्ल्यू सी एल)
443.	डेहु (रोड नं. 1)

1	2
444.	डेहू रोड नं. II
445.	देवलाली नं. I
446.	देवलाली नं. II (ए एफ एस)
447.	जलगांव (एन एम यू)
448.	केम्पटर
449.	करंजा (एन ए डी)
450.	लोनावला
451.	मनमाड
452.	मुदखेद जिला नांदेय (सी आर पी एफ)
453.	नागपुर (सी आर पी एफ)
454.	नागपुर (वी एस एन)
455.	नागपुर, अजानी
456.	नागपुर अमबाझरी
457.	नासिक रोड, कैम्प नं. I
458.	नासिक रोड कैम्प नं. II (आई एस पी)
459.	नई मजारी (डब्ल्यू सी एल)
460.	ओझार (ए एफ एस)
461.	पनवेल (ओ एन जी सी)
462.	पूलगांव कैम्प
463.	पुणे नं. I (ए एफ एस)
464.	पुणे नं. II (ए एफ एस)
465.	पुणे नं. III (एच आर डी)
466.	पुणे (एस सी)
467.	पुणे (आर्मी क्षेत्र)
468.	पुणे (बी ई जी एवं केन्द्र खडकी)
469.	पुणे, सी एम ई
470.	पुणे, गनेश खिन्द
471.	पुणे, आई ए टी, गिरिनगर
472.	पुणे, खडकवासला (एन डी ए)
473.	पुणे रंगे हिल एस्टेट
474.	राजापुर
475.	शोलापुर

1	2
476.	थाने (ए एफ एस)
477.	वार्दनगांव (ओ एफ)
मणिपुर	
478.	चचौदपुर (बी एस एफ)
479.	इम्फाल नं. I (लेफेलपट)
480.	इम्फाल नं. II (सी आर पी एफ)
481.	इम्फाल नं. II (लेमाखोग)
482.	लोकटक (एच ई पी)
मेघालय	
483.	बारापानी (नीपा)
484.	शिलांग (हैवी वैली)
485.	शिलांग (लेतिकोर पेक) (ए एफ एस)
486.	शिलांग (नेहू)
487.	शिलांग (अपर)
488.	टूर
489.	उमरो कैंट
मिजोरम	
490.	एजल
नागालैंड	
491.	दीमापुर (सी आर पी एफ)
492.	दीयांग (एच ई पी)
493.	कोहिमा सारे हिल (सी आर पी एफ)
494.	रंगा पहार कैंट
495.	सताखा (बी एस एफ)
496.	तूली
497.	जखमा
498.	अंगूल
499.	बालासोर
500.	बारगढ़
501.	बारीपडा

1	2
502.	बेरहामपुर
503.	भवानी पटना, जिला कालाहांडी
504.	भुवनेश्वर नं. I (यूनिट-IX)
505.	भुवनेश्वर नं. II (सी आर पी एफ)
506.	बोलनगीर नं. I (आफ)
507.	बोलनगीर नं. II
508.	बोनडामुन्दा
509.	बृजराजनगर (एस ई सी एल)
510.	चारबतिया (ए आर सी)
511.	चिलका (आई एन एस)
512.	कटक
513.	धेनकनाल नगर
514.	गोपालपुर कैंट
515.	झारसुगुडा
516.	खुरदा रोड
517.	कोरापत
518.	मनधेसवर
519.	प्रतीप फोर्ट
520.	पुरी
521.	राउरकेला
522.	सम्बलपुर
523.	सूनाबेदा
524.	सुन्दरगढ़
525.	तलचर नं. I (एस ई सी एल)
526.	तलचर नं. II (एफ सी आई)
527.	तलचर नं. III (एन टी पी सी)
पंजाब	
528.	अबधर
529.	आदमपुर नं. I
530.	आदमपुर न. II
531.	अमृतसर कैंट नं. I
532.	अमृतसर कैंट नं. II
533.	अमृतसर नई कैंट नं. III
534.	बदोवल कैंट
535.	बरनाला (ए एफ एस)
536.	भटिन्डा नं. I (थिमैयया मार्ग)
537.	भटिन्डा नं. II (एनएफएल)
538.	भटिन्डा नं. III (ए एफ एस)
539.	भटिन्डा नं. IV
540.	भटिन्डा नं. V (चौधरी मार्ग)
541.	दप्पर
542.	फरीदकोट
543.	फिराजाबाद कैंट नं I
544.	फिराजाबाद नं. II
545.	गुरदासपुर (तिबरी कैंट)
546.	हलवारा नं. I (ए एफ एस)
547.	हलवारा नं. II (ए एफ एस)
548.	हुसैनपुर (आर सी एफ)
549.	जलालाबाद (बी एस एफ)
550.	जालंधर सुराबासी
551.	जालंधर कैंट नं. I (हरदयाल रोड)
552.	जालंधर कैंट नं. II (डिफेन्स सिनेमा के सामने)
553.	जालंधर कैंट नं. III
554.	जालंधर कैंट नं. IV (ए एफ एस)
555.	कपुरथला कैंट
556.	नभा कैंट
557.	नांगल भूर
558.	पठानकोट नं. I (ए एफ एस)
559.	पठानकोट नं. II (आर्मी)
560.	पठानकोट नं. III (आर्मी)
561.	पठानकोट नं. IV (मामून कैंट)
562.	पटियाला नं. I
563.	पटियाला नं. II (डी सी डब्ल्यू)

1	2
564.	पटियाला नं. II (नई लालबाग कालोनी)
565.	शिकारपुर (बी एस एफ)
566.	जिराकपुर
राजस्थान	
567.	अजमेर नं. I (सी आर पी एफ)
568.	अजमेर नं. II (सी आर पी एफ)
569.	अलवर
570.	अन्ता (ए जी पी पी)
571.	अनूपगढ़ (बी एस एफ)
572.	अविकानगर (डब्ल्यू आर आई)
573.	बनार
574.	बनसवारा
575.	बरान
576.	बीयावार, अजमेर
577.	भरतपुर
578.	भीलवाड़ा
579.	बीकानेर नं. I (सागर रोड)
580.	बीकानेर नं. II (जेसलमेर रोड)
581.	बीकानेर नं. III (ए एफ एस)
582.	चूरू
583.	दबला (बी एस एफ)
584.	दयोलाई (सी आई एस एफ)
585.	इतारना
586.	जयपुर नं. I (ब्रजाज नगर)
587.	जयपुर नं. II (कैन्ट)
588.	जयपुर नं. III (एम आर ई सी)
589.	जयपुर नं. IV (खटीपुरा)
590.	जयपुर नं. V (मानसरोवर)
591.	जयसलमेर (ए एफ एस)
592.	जलिया कैंट
593.	झलवार
594.	झुनझुनू
595.	जबनेर
596.	जोधपुर नं. I (ए एफ एस)
597.	जोधपुर नं. II (आर्मी)
598.	जोधपुर नं. II ((ए एफ एस))
599.	जोधपुर नं. II (आर्मी)
600.	जोधपुर (बी एस एफ)
601.	खेतीरीनगर नं. I
602.	खतीरीनगर नं. II
603.	कोटा नं. I
604.	कोटा नं. II
605.	लालगढ़
606.	लालगढ़ जलम
607.	माउंट आबु (सी आर पी एफ)
608.	नसीराबाद
609.	फूलेरा
610.	प्रतापनगर (सेक्टर III)
611.	राजपुरा दरीबा खान
612.	सवाई माधोपुर
613.	सिकर
614.	श्री गंगानगर कैंट
615.	सूरतगढ़ नं. I (ए एफ एस)
616.	सूरतगढ़ नं. II (कैंट)
617.	सूरतगढ़ (ए एफ एस)
618.	उदयपुर नं. I (प्रतापनगर)
619.	उदयपुर नं. II
620.	उत्तरलाई
621.	जवर खान
सिक्किम	
622.	गंगटोक
तमिलनाडु	
623.	अरक्कोनम सं. II (सी आई एस एफ)

1	2
624.	अरकोनम
625.	अरूबनकाडू
626.	कोयम्बतूर
627.	कलपक्कम सं. I
628.	कलपक्कम सं. II
629.	कराइकुडी (सी पी सी आर आई)
630.	मद्रास (सी एल आर आई)
631.	मद्रास, अन्ना नगर
632.	मद्रास, अशोक नगर (के के नगर)
633.	मद्रास, अवदी (सी आर पी एफ)
634.	मद्रास, अवदी (ए एफ एस)
635.	मद्रास, अवदी (एच वी एफ)
636.	मद्रास, अवदी (ओ सी एफ)
637.	मद्रास, डी जी आई परिसर
638.	मद्रास, गिल नगर
639.	मद्रास, आई आई टी
640.	मद्रास, आइलैंड ग्राउन्डस
641.	मद्रास, मिनाबक्कम
642.	मद्रास, तम्बाराम सं. I
643.	मद्रास, तम्बाराम सं. II
644.	मदुरै
645.	मंडापम कैम्प
646.	ओटाकामुंड (एच पी एफ)
647.	सुलुर
648.	तिरूचिरापल्ली सं. I
649.	तिरूचिरापल्ली सं. II
650.	विजय नारायणम् स्काईलार्क (कोट्टाबमन आई एन एस)
651.	विलिंगटन

त्रिपुरा

652.	अगरतला सं. I (कुंजबन)
653.	अगरतला सं. II (ओ एन जी सी)
654.	बगाफा (बी एस एफ)
655.	कैलाशाहार
656.	पानीसागर (बी एस एफ)

उत्तर प्रदेश

657.	आगरा कैंट नं. II
658.	आगरा कैंट नं. III (बैरेक रोड)
659.	आगरा नं. I (ए एफ एस)
660.	अलागढ़
661.	इलाहाबाद, बमरोली
662.	इलाहाबाद, छेदकी
663.	इलाहाबाद, मनूरी
664.	इलाहाबाद, नैनी
665.	इलाहाबाद, न्यू कैंट
666.	इलाहाबाद ओल्ड कैंट
667.	इलाहाबाद, फुलपुर (आई एफ एफ सी ओ)
668.	अलमोड़ा
669.	आमहट, सुलताननगर
670.	आजमगढ़
671.	बबीना कैंट
672.	बाबूगढ़ कैंट
673.	बलिया
674.	बनबासा सं. I (कैंट)
675.	बनबासा सं. II (एन एच पी सी)
676.	बाराबंकी
677.	बरेली (ए एफ एस)
678.	बरेली (ए एस सी)
679.	बरेली (जे आर सी)
680.	बरेली, ओल्ड (आई एफ एफ सी ओ)
681.	बरेली, इज्जत नगर
682.	बरेली, इज्जत नगर (आई वी आर आई)
683.	बस्तापुर

1	2
684.	बस्ती
685.	बुलंदशहर
686.	छोपन
687.	दादरी (ए एफ एस)
688.	दादरी (एन टी पी सी)
689.	देहरादून, एच बी के. नं. I
690.	देहरादून कैंट
691.	देहरादून (एफ आर आई)
692.	देहरादून (आई आई पी)
693.	देहरादून (आई एम ए)
694.	देहरादून (आई टी बी पी)
695.	देहरादून (डी ई एफ)
696.	देहरादून (ओ एन जी सी)
697.	देहरादून, बीरपुर
698.	देहरादून, कलेमेंट टाउन
699.	देहरादून एच बी के नं. II
700.	देहरादून, रायपुर
701.	दिवयापुर (एन टी पी सी)
702.	फैजाबाद कैंट
703.	फतेहगढ़
704.	गाजीपुर
705.	घोंडा
706.	गोरखपुर
707.	हल्दवानी कैंट
708.	हरिद्वार नं. I (बी एच ई एल)
709.	हरिद्वार नं. II (बी एच ई एल)
710.	हजरतपुर (ओ ई एफ)
711.	हिंडन नं. I
712.	हिंडन नं. II
713.	जगदीशपुर (बी एच ई एल)
714.	झांसी कैंट नं. I
715.	झांसी कैंट नं II
716.	झांसी कैंट नं. III
717.	झांसी कैंट नं. IV (रेलवे)
718.	जोशीमाथ
719.	कानपुर कैंट
720.	कानपुर (आई आई टी)
721.	कानपुर, अरमापुर नं. I (कालपी रोड)
722.	कानपुर, अरमापुर नं. II
723.	कानपुर, छकेरी नं. I
724.	कानपुर, छकेरी नं. II
725.	कानपुर, छकेरी नं. III
726.	कानपुर, ओ ई एफ नं. I
727.	कानपुर, ओ ई एफ नं. II
728.	काशीपुर
729.	खादिया परियोजना (एन सी एल)
730.	लंसदोथने
731.	लखनऊ (ए एम सी)
732.	लखनऊ (आई आई एम परिसर)
733.	लखनऊ (आर डी एस ओ)
734.	लखनऊ (एस जी पी जी आई)
735.	लखनऊ, अलीगंज
736.	लखनऊ बख्शी का तालाब (ए एफ एस)
737.	लखनऊ कैंट
738.	लखनऊ गोमती नगर
739.	मनकापुर (आई टी आई)
740.	मथुरा (एम आर पी)
741.	मथुरा, बी ए ए डी
742.	मथुरा कैंट
743.	एम ए यू
744.	मेरठ कैंट (डी एल)
745.	मेरठ कैंट (पी एल)
746.	मेरठ कैंट (एस एल)
747.	मेरठ चंडी नगर (ए एफ एस)
748.	मेमूरा (ए एफ एस)

1	2
749.	मुरादाबाद
750.	मुगलसराय
751.	मुक्तेश्वर (आई वी आर आई)
752.	मुरादनगर
753.	मसूरी (आई टी बी पी)
754.	न्यू टेहरी टाउन
755.	*नोयडा*
756.	*पिथौरागढ़*
757.	राय बरेली नं. I
758.	राय बरेली नं. II (आई टी आई)
759.	रायवाला
760.	रामपुर (सी आर पी एफ)
761.	रानीखेत
762.	रिहान्द नगर (एन टी पी सी)
763.	ऋषिकेश (आई डी पी एल)
764.	रूड़की
765.	सरसावा (ए एफ एस)
766.	शाहजहांपुर नं. I (कैंट)
767.	शाहजहांपुर नं. II (ओ सी एफ)
768.	शक्तिनगर (एन टी पी सी)
769.	सीतापुर
770.	श्रीनगर (एस एस बी)
771.	तलबेत
772.	उन्नाव
773.	उत्तर काशी
774.	वाराणसी कैंट
775.	वाराणसी (बी एच यू)
776.	वाराणसी (डी एल डब्ल्यू)
777.	विशेष के वी (गाजियाबाद)

पश्चिम बंगाल

778.	आदरा
779.	अलीपुर दूर जंक्शन
780.	अन्दल
781.	आसनसोल
782.	बगदोगरा
783.	बामनगाची
784.	बेरकपोर (ए एफ एस)
785.	बेरकपोर (सेना)
786.	*बेंगदुबी नं. I*
787.	*बेंगदुबी नं. II*
788.	बरहमपुर
789.	बिन्नागुरी नं. I
790.	बिन्नागुरी नं. II
791.	बुर्दवान
792.	कलकत्ता अलीपुर (सी एच)
793.	कलकत्ता, बालीगुंज
794.	कलकत्ता, कोस्सीपोर
795.	कलकत्ता, दुम-दुम (ओ एफ)
796.	कलकत्ता, फोर्ट विलियम
797.	कलकत्ता, गार्डन रीच
798.	कलकत्ता, आई आई एम जोका
799.	कलकत्ता, साल्ट लेक नं. I
800.	कलकत्ता, साल्ट लेक नं II
801.	कलकत्ता, संतरागाची
802.	चित्तरंजन (सी एल डब्ल्यू)
803.	कूच बिहार
804.	दुर्गापुर (सी एम ई आर आई)
805.	दुर्गापुर (सी आर पी एफ)
806.	फरक्का (एन टी पी सी)
807.	गोविंदपुर (बी एस एफ)
808.	हल्दिया (आई ओ सी)
809.	हासीमारा
810.	ईशापुर नं. I
811.	ईशापुर नं. II

1	2
812.	कलाईकुडा नं. 1
813.	कलाईकुडा नं. 2
814.	कलिंमपोंग (डर्बिन)
815.	कंचापारा नं. 1
816.	कंचापारा नं II
817.	कंकीनारा
818.	खपरेल
819.	खडगपुर नं. 1 (आई आई टी)
820.	खडगपुर नं. II (रेलवे)
821.	कृष्णानगर कोलेरी
822.	लेबोंग
823.	माल्दा (एन एच पी सी)
824.	पानागढ़
825.	सलबोनी
826.	सलुआ (ए एफ एस)
827.	सेवक रोड
अंडमान और निकोबार	
828.	कार निकोबार द्वीप समूह (ए एफ एस)
829.	पोर्ट ब्लेयर नं. 1
830.	पोर्ट ब्लेयर नं. II
चंडीगढ़	
831.	चंडीगढ़ नं. II (3 बी आर डी)
832.	चंडीगढ़ (ओ सी एफ)
833.	चंडीगढ़, हाई ग्राउन्डस
834.	चंडीगढ़, सेक्टर 31
835.	चंडीगढ़, सेक्टर 47
836.	मुल्लानपुर गरीबदास
दिल्ली	
837.	ए जी सी आर कालोनी
838.	एंड्रयूज गंज
839.	अर्जुनगढ़ (ए एफ एस)
840.	बदरपुर (एन टी पी सी)
841.	बवाना (ए एफ एस)
842.	छावला कैम्प (बी एस एफ)
843.	दिल्ली कैंट नं. 1
844.	दिल्ली कैंट नं. II
845.	दिल्ली कैंट नं. III
846.	दिल्ली कैंट नं. IV
847.	गोल मार्केट
848.	आई एन ए कॉलोनी
849.	जनकपुरी
850.	झरोदाकलॉ (सी आर पी एफ)
851.	लारेंस रोड
852.	मस्जिद मोठ
853.	न्यू फ्रैंड्स सेंटर
854.	न्यू महरौली रोड
855.	पश्चिम विहार
856.	पीतमपुरा
857.	प्रगति विहार
858.	पुष्प विहार साकेत
859.	राजोकरी (ए एफ एस)
860.	रंगपुरी (आई ए ए आई)
861.	आर के पुरम II
862.	आर के पुरम IV
863.	आर के पुरम VIII
864.	रोहिणी सेक्टर VIII
865.	रोहिणी सेक्टर-III
866.	एस पी मार्ग
867.	सैनिक विहार
868.	शालीमार बाग
869.	टैगोर गार्डन
870.	तुगलकाबाद (ए एफ एस)
871.	विकासपुरी

1	2
पांडिचेरी	
872.	पांडिचेरी नं. 1 (जे आई एम पी ई आर परिसर)
873.	पाडिचेरी नं. 2 (कालापेट)
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)	
874.	काठमांडू
875.	मास्को

विवरण

जिलों की सूची जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं

(अक्तूबर, 1998 की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य तथा जिलों के नाम
1	2
अण्डमान निकोबार	
1.	कार निकोबार
2.	दक्षिणी अण्डमान
आंध्र प्रदेश	
3.	आदिलाबाद
4.	अनन्तपुर
5.	चित्तूर
6.	कुड्डपाह
7.	पूर्वी गोदावरी
8.	गुंटूर
9.	करीमनगर
10.	खम्माम
11.	कृष्णा
12.	कुरनूल
13.	मेहबूबनगर
14.	मेडक
15.	नालगौंडा
16.	नेल्लोर
17.	निजामाबाद
18.	प्रकाशम
19.	रंगा रेड्डी
20.	श्रीकाकुलम
21.	विशाखापट्टनम
22.	विजयनगरम
23.	*वारंगल*
24.	*पश्चिमी गोदावरी*
अरुणाचल प्रदेश	
25.	चेंगलांग
26.	डिबांग घाटी
27.	पूर्वी कामेंग
28.	लोहित
29.	लोअर सुबांसिरी
30.	तावांग
31.	तिरण
32.	अपर सुबांसिरी
असम	
33.	बारपेटा
34.	काचर
35.	दारंग
36.	डिब्रूगढ़
37.	गोलपारा
38.	गोलाघाट
39.	हेलकांडी
40.	जोरहाट
41.	कामरूप
42.	कारबी-अनगलोंग
43.	करीमनगर
44.	कोकराझार

1	2
45.	लखीमपुर
46.	मोरीगांव
47.	नालबारी
48.	शिवसागर
49.	सोनितपुर
50.	तिनसुकिया
बिहार	
51.	अरारिया
52.	औरंगाबाद
53.	बांका
54.	बेगुसराय
55.	भाभुआ
56.	भागलपुर
57.	भोजपुर
58.	बोकारो
59.	बक्सर
60.	छपरा
61.	दरभंगा
62.	देवगढ़
63.	दुमका
64.	पूर्वी चम्पारन
65.	गरवा
66.	गया
67.	गिरीडीह
68.	गोड्डा
69.	गोपालगंज
70.	गुमला
71.	हजारी बाग
72.	जामुई
73.	जहानाबाद
74.	कटिहार

1	2
75.	खगारिया
76.	किशनगंज
77.	लोहरदागा
78.	माधेपुरा
79.	मधुबनी
80.	मुंगेर
81.	मुजफ्फरपुर
82.	नालंदा
83.	नवादा
84.	पालामू
85.	पटना
86.	पूर्निया
87.	रांची
88.	सहरसा
89.	साहिबगंज
90.	समस्तीपुर
91.	सारगन
92.	शेखपुरा
93.	सीतामढ़ी
94.	सिवान
95.	सुपाल
96.	वैशाली
97.	प. चम्पारण
98.	पं सिंहभूम
चंडीगढ़	
99.	चण्डीगढ़
दादरा और नगर हवेली	
100.	साईली
दमन और दीव	
101.	दमन
102.	दीव

1	2
दिल्ली	
103.	दिल्ली
104.	जफ्फार कलां
गोआ	
105.	कानाकोना
106.	वालपोई
गुजरात	
107.	अमरेली
108.	भड़ौच
109.	जामनगर
110.	जूनागढ़
111.	खेड़ा
112.	कूच
113.	मेहसाना
114.	पंचमहल
115.	राजकोट
116.	साबरकंठा
117.	सूरत
118.	सुरेन्द्र नगर
हरियाणा	
119.	भिवानी
120.	फरीदाबाद
121.	गुड़गांव
122.	हिसार
123.	जींद
124.	कैथल
125.	करनाल
126.	कुरूक्षेत्र
127.	मोहिन्द्रगढ़
128.	पंचकुला
129.	रिवाड़ी
130.	रोहतक
131.	सिरसा
132.	सोनीपत
हिमाचल प्रदेश	
133.	बिलासपुर
134.	चम्बा
135.	हमीरपुर
136.	कांगड़ा
137.	किन्नूर
138.	मण्डी
139.	शिमला
140.	सिरमौर
141.	सोलन
142.	ऊना
जम्मू और कश्मीर	
143.	अनन्तनाग
144.	बडगम
145.	बारामूला
146.	डोडा
147.	जम्मू
148.	कारगिल
149.	कथुआ
150.	कूपवाड़ा
151.	लेह
152.	पूंछ
153.	पूलवाला
154.	राजौरी
155.	श्रीनगर
156.	ऊधमपुर

1	2
कर्नाटक	
157.	बंगलौर (ग्रा.)
158.	बंगलौर (नं.)
159.	बेलगाम
160.	बेल्लारी
161.	बीदर
162.	बीजापुर
163.	चिकमगलूर
164.	चित्रदुर्ग
165.	धारवाड़
166.	गुलबर्ग
167.	हसन
168.	कोडगू
169.	कोलार
170.	मंडया
171.	मैसूर
172.	उ. कानरा
173	रायचूर
174.	शिमोगा
175.	द. कानरा
176.	टुमकुर
केरल	
177.	अल्लेपेई
178.	कालीकट
179.	कन्नानोरे
180.	एर्नाकुलम
181.	कसारगोड
182.	कोल्लम
183.	कोट्टायम
184.	मालाप्पनुम
185.	पी तीट्टा
186.	पालघाट
187.	त्रिचूर
लक्षद्वीप	
188.	मिनीकोय
मध्य प्रदेश	
189.	बालघाट
190.	बस्तर
191.	बेतुल
192.	भिंड
193.	भोपाल
194.	बिलासपुर
195.	छतरपुर
196.	छिंदवाड़ा
197.	दमोह
198.	दतिया
199.	देवास
200.	धार
201.	दुर्ग
202.	गुना
203.	ग्वालियर
204.	होशंगाबाद
205.	इंदौर
206.	जबलपुर
207.	झबुआ
208.	खण्डवा
209.	खारगौन
210.	मण्डला
211.	मंदसौर
212.	मुरैना
213.	नरसिंहपुर
214.	पन्ना

1	2
215.	रायगढ़
216.	रायपुर
217.	रायसेन
218.	राजगढ़
219.	राजनंदगांव
220.	रतलाम
221.	रेवा
222.	सागर
223.	सरगुजा
224.	सतना
225.	सेहोर
226.	सेओनी
227.	शहदोल
228.	शाजापुर
229.	शिवपुरी
230.	सिद्धी
231.	टीकमगढ़
232.	उज्जैन
233.	विदिशा
महाराष्ट्र	
234.	अहमदनगर
235.	अकोला
236.	अमरावती
237.	औरंगाबाद
238.	बीड
239.	भण्डारा
240.	बेलधाना
241.	चन्द्रापुर
242.	धूले
243.	गदाचरौली
244.	जलगांव
245.	जालना
246.	कोल्हापुर
247.	लातूर
248.	नागपुर
249.	नांदेड़
250.	नासिक
251.	उस्मानाबाद
252.	परभनी
253.	रायगढ़
254.	रत्नगिरि
255.	सांगली
256.	सतारा
257.	सिंधूदुर्ग
258.	शोलापुर
259.	थाणे
260.	वर्धा
261.	यवतमाल
मणिपुर	
262.	बिशनुपुर
263.	चंदेल
264.	चूराचंदपुर
265.	इम्फाल
266.	सेनापति
267.	तामंगलौंग
268.	थाऊबाल
269.	उखरुल
मेघालय	
270.	पूर्वी गारो हिल्स
271.	पूर्वी खासी हिल्स
272.	जैन्तिया हिल्स
273.	द. गारो हिल्स
274.	प. गारो हिल्स

1	2
275.	प. खासी हिल्स
मिजोरम	
276.	आईजोल
277.	चिमतुईपुई
278.	लंगलेई
नागालैंड	
279.	कोहिमा
280.	फेक
281.	तेनसांग
282.	वोखा
उड़ीसा	
283.	अंगुल
284.	बालासोर
285.	बोलांगिर
286.	कटक
287.	धेनकानल
288.	गंजम
289.	कालाहांडी
290.	केन्द्रापारा
291.	क्योंझर
292.	कोरापुत
293.	मयूरभंज
294.	नौपडे
295.	फूलबनी
296.	सम्बलपुर
297.	सुन्दरगढ़
298.	पुरी
पाण्डिचेरी	
299.	कराईकल
300.	माहे
301.	पाण्डिचेरी
302.	यानम
पंजाब	
303.	अमृतसर
304.	भटिंडा
305.	फरीदकोट
306.	फतेहगढ़
307.	फिरोजपुर
308.	गुरदासपुर
309.	होशियारपुर
310.	जालंधर
311.	कपूरथला
312.	पटियाला
313.	रोपड़
314.	संगरूर
राजस्थान	
315.	अजमेर
316.	अलवर
317.	बांसवाड़ा
318.	बारन
319.	बाड़मेड़
320.	भरतपुर
321.	भीलवाड़ा
322.	बीकानेर
323.	बूंदी
324.	चित्तौड़गढ़
325.	चूरू
326.	दौसा
327.	धौलपुर
328.	डूंगरपुर
329.	गंगानगर

1	2
330.	जयपुर
331.	जैसलमेर
332.	जालौर
333.	झालावाड़
334.	झुंझनू
335.	जोधपुर
336.	कोटा
337.	नागौर
338.	पाली
339.	राजसामंड
340.	सीकर
341.	सिरोही
342.	द. माधोपुर
343.	टोंक
सिक्किम	
344.	उ. सिक्किम
345.	द. सिक्किम
346.	प. सिक्किम
त्रिपुरा	
347.	उ. त्रिपुरा
348.	द. त्रिपुरा
349.	प. त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	
350.	आगरा
351.	अलीगढ़
352.	इलाहाबाद
353.	अल्मोड़ा
354.	आजमगढ़
355.	बदायूं
356.	बहराइच

1	2
357.	बलिया
358.	बाराबंकी
359.	बरेली
360.	बस्ती
361.	भदोही
362.	बिजनौर
363.	बुलन्दशहर
364.	चमोली
365.	देवरिया
366.	ऐटा
367.	ईटावा
368.	फैजाबाद
369.	फरुखाबाद
370.	फिरोजाबाद
371.	गाजियाबाद
372.	गाजीपुर
373.	गोंडा
374.	गोरखपुर
375.	हमीरपुर
376.	हरदोई
377.	हरिद्वार
378.	जौनपुर
379.	झांसी
380.	कानपुर
381.	ललितपुर
382.	मैनपुरी
383.	मथुरा
384.	माऊ
385.	मेरठ
386.	मिर्जापुर
387.	मुजफ्फरनगर
388.	नैनीताल

1	2
389.	पिथौरागढ़
390.	रायबरेली
391.	सिद्धार्थ नगर
392.	सीतापुर
393.	सुल्तानपुर
394.	टिहरी-गढ़वाल
395.	उन्नाव
396.	उत्तरकाशी

पेंशन लाभ

1196. **डा. सुगुण कुमारी चलामेला :**
श्री के. येरननायडू :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की सेवा शर्तें समतुल्य हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें व्यापक अंतर क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी श्रेणी के अध्यापकों को पेंशन योजना के अंतर्गत लाने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) परिलब्धियों एवं अन्य लाभों के संबंध में नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों के समान हैं सिवाय इसके कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की सुविधा प्राप्त नहीं है। नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के उत्तरदायित्व भी केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों से भिन्न हैं क्योंकि नवोदय विद्यालय आवासीय स्कूल हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के शिक्षकों को पहले ही पेंशन योजना में शामिल किया गया है। सरकार ने नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को इस कारण स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह योजना अंशदायी भविष्य निधि की अपेक्षा अधिक मंहगी है और अन्य स्वायत्त निकायों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के बकाए की कटौती

1197. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के *विवादित बकाए की केंद्रीय योजना सहायता से कटौती किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति की गई है;*

(ख) क्या सरकार ने इसकी वसूली योजना सहायता से जारी रखी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी वसूली तुरंत रोकने का है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) भारत सरकार ने भारी बकाया राशियों को ध्यान में रखते हुए, अधिभार सहित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र उपक्रमों को देय राशि की वसूली राज्यों को देय केंद्रीय योजना सहायता में से अधिकतम 15 प्रतिशत प्रति वर्ष तक करने का निर्णय लिया है। चाहे बकाया राशि की वसूली में कितने वर्ष भी लगें। तथापि, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भुगतान में विलम्ब के कारण केंद्रीय क्षेत्र विद्युत उपक्रमों द्वारा लगाई गई केंन्द्रीय योजना सहायता से अधिभार की कटौती करने के विरूद्ध अभ्यावेदन किया है। इसे भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार लगाया जाता है।

आई सी एफ आर ई द्वारा नई प्रौद्योगिकी का विकास

1198. **श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की है और वह इसके देश तथा विदेश में विपणन की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी के विपणन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ग) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आई सी एफ आर ई) द्वारा विकसित की गई पौद्योगिकियों के विपणन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो भारत सरकार का एक उद्यम है, के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) संस्थानों से प्रौद्योगिकी उद्योगों को देना

सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की विशेषज्ञता को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आई सी एफ आर ई) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय तथा व्यापारिक बनाया जाएगा। प्रथम चरण में, एन आर डी सी को सात प्रौद्योगिकियां व्यापारीकरण हेतु दी गई हैं।

विवरण

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा विकसित की गई, प्रयोगकर्ता एजेंसियों को देने के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों का विवरण।

1. सफेदा तथा पोपलर की बीजाई तथा परिवर्तन तकनीक।
2. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए पोपलर का उपयोग।
3. फर्नीचर तथा बढ़ईगिरी के लिए पोपलर/सफेदा की लकड़ी का उपयोग।
4. गौण प्रजातियों (विशेषकर सफेदा इमारती लकड़ी) का परिरक्षी उपचार।
5. लकड़ी का सीझना-ताप तथा ऊर्जा दक्ष सुखाव पर आधारित भट्ठों की स्थापना।
6. लकड़ी का प्लास्टिकरण तथा मोड़ने की तकनीकें।
7. लकड़ी की रंगाई तथा अमोनिया धुम्रीकरण।
8. पैन्सिल बनाने के लिए पोपलरों तथा पॉलोनियां सैप।
9. बांसों का वृहत प्रचार।
10. अगरबत्ती बनाने में "जिगर" का प्रतिस्थापन
11. वन बायोमास से प्राकृतिक रंगाई
12. कागज बनाने में "बैकवाट ट्रीटमेंट" के लिए "फ्लोकुलैंटस तैयार" करना।
13. "जैट्रोप्ल करकास सीड ऑयल" के डिटोक्सीफिकेशन के लिए प्रोसैस।
14. बाईयोलिमर्रो से चेफदार (एडहैसिव) तैयार करना।
15. कैसिया छोटा गम का निर्माण तथा प्रयोग।
16. अनकेरिया गैम्बीयर से कत्था तैयार करना।
17. पौधा बायोमास से "कमपोस्ट" तैयार करना।
18. सैप डिसप्लेसमैन्ट तकनीक।
19. कैटामारानस के लिए वैकल्पिक लकड़ी उपयोग।
20. अगरबत्ती निर्माण में "जिगर" का आंशिक प्रतिस्थापन झिंगन गम ए।
21. फील्ड में तेल आसवन के लिए पॉर्टेबल आसवन इकाई।
22. विभिन्न विधियों वाली एकीकृत कीटर प्रबंधन कार्य नीतियां।
23. पौधशालाओं तथा फील्ड में विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की बढ़ोत्तरी में वृद्धि के लिए बायोफर्टिलाइजरों का प्रयोग।
24. *कृषि वानिकी में कैसुआरिना*
25. वैजिटेटिव मीन्स के माध्यम से अपेक्षित प्लांटिंग स्टॉक का मास मल्टीप्लिकेशन के लिए लागत प्रभावी ढांचागर्त विकास।
26. बीज प्रौद्योगिकी।
27. कृषि वानिकी माडल्स।
28. गैर-काष्ठ वन उत्पादन के लिए ड्राट टाईप का कम लागत वाला ड्रायर
29. औषधीय पौधों की खेती।
30. गैर-काष्ठ वन उत्पाद।
31. बांस की टिश्यू कल्चर।
32. बीज परीक्षण प्रौद्योगिकियां।
33. पौधशाला (नर्सरी) कार्यों के लिए उन्नत औजार।
34. कीट संवर्धन (वरमीकल्चर)
35. बम्बुसा नुतनस में बैम्बू ब्लाइट बिकारी पर वन-वर्धनीय तथा रासायनिक नियंत्रण।
36. वर्षा के जल का एकत्रीकरण तथा संरक्षण प्रौद्योगिकी।
37. दबाव स्थलों पर वनीकरण की विधियां।
38. खान वाली भूमियों तथा ओवर बर्डन स्पॉटालस का पुनः स्थापन तथा पारि-जीर्णोद्धार।
39. टीक का लीफ स्कैल टोनाइजर रैजिस्टैन्ट क्लोन।
40. सफेदा का क्लोनस मल्टीपलिकेशन।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध

1199. श्री मित्रसेन यादव :

श्री एम. राजैया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में कोटा/अनुकम्पा के आधार पर प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त आधार पर प्रवेश देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जुलाई, 1998 में शुरू की गई केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट देकर दाखिलों की योजना के अंतर्गत दाखिलों के कोटे को, संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करने वाली एक योजना के रूप में मानकर, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है।

केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सेवा के दौरान मृत रक्षा कार्मिकों का सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कार्मिकों और संसद-सदस्यों (उनके आश्रितों, पौत्र-पौत्रियों सहित), केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों और विशेष सुरक्षा दल/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश, निर्धारित वर्तमान कक्षा आकार के अतिरिक्त होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मणिपुर में वनों का संरक्षण

1200. **कुमारी किम गंगटे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान मणिपुर राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) वनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या वन सम्पदा को राज्य में वन विभाग द्वारा सुरक्षित रखने में असफलता के कारण राज्य में वन क्षेत्र में कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में वनों को उचित रूप से संरक्षित करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण स्कीमों से 1997-98, 1998-99 की अवधि में मणिपुर सरकार को 422.21 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई। राज्य सरकार से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार 371.43 लाख रुपये का ही उपयोग हो पाया।

(ग) और (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में राज्य वन रिपोर्ट प्रकाशित होती है। राज्य वन रिपोर्ट 1997 के अनुसार 1995 के निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र में 140 वर्ग कि.मी. की कमी हुई है। *इसका एक मुख्य कारण अन्तरण खेती है।*

(ङ) एकीकृत वन सुरक्षा योजना विचाराधीन है।

धनराशि के उपयोग में अनियमितताएं

1201. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में स्वैच्छिक शैक्षणिक संस्थानों, वयस्क शिक्षा संस्थानों द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए रात्रि कक्षा का आयोजन, सांस्कृतिक और सामाजिक केन्द्रों इत्यादि को चलाने हेतु अत्यधिक धनराशि मंजूर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कई मामलों में ये संस्थान सिर्फ नाममात्र के हैं तथा शिक्षा और संस्कृति का कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की इन योजनाओं पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सामान्यतः इन योजनाओं में संस्वीकृत करने से पूर्व स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए और बाद में मानीटरिंग के लिए भी अन्तर्निर्मित तंत्र हैं। इसके अलावा केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा जांच का भी प्रावधान है। सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाले किसी भी स्वैच्छिक संगठन से अपेक्षा की जाती है कि वे उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लेखा-परीक्षा विवरण भी प्रस्तुत करे जिनको और कोई राशि देने पर विचार करने से पहले जांच की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानान्तरण

1202. **श्री के. येरननायडू** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय हैदराबाद स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के कब तक होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यदि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार पूर्व सम्मत भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो जाती है तो आयोग की हैदराबाद स्थित दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानान्तरित करने की योजनाएं नहीं हैं।

दिल्ली में प्रदूषण पर श्वेत पत्र

1203. प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997 में प्रदूषण पर श्वेत पत्र जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तब इस तरह का पत्र कैबिनेट के समक्ष भी रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या विशेष कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में प्रदूषण संबंधी श्वेत पत्र में वायु, औद्योगिक और वाहन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंध और जल प्रदूषण शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया है। दिल्ली में प्राधिकरण के लिए विचारार्थ विषयों में से एक है दिल्ली में प्रदूषण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की प्रगति की निगरानी करना।

[हिन्दी]

पत्तनों की क्षमता

1204. प्रो. रीता वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजा अवधि के दौरान देश में पत्तनों की कितनी क्षमता बढ़ाई जाएगी;

(ख) इस मांग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर कितना खर्च होगा;

(घ) यह राशि किन-किन स्रोतों से जुटाई जाएगी; और

(ङ) इस संबंध में निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों में 159 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता, जिसमें 8वीं योजना से जारी 37 मिलियन टन क्षमता की स्कीमें और 122 मिलियन टन क्षमता की नई स्कीमें शामिल हैं, सृजित करने का प्रस्ताव है। नौवीं योजना की मुख्य परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) महापत्तनों के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 7215 करोड़ रु. के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय हेतु अनुमोदन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजनार्थ लगभग 8,000 करोड़ रु. का निवेश निजी क्षेत्र से जुटाने का प्रस्ताव है।

(ङ) विभिन्न महापत्तनों में पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु नौ निजी क्षेत्र/आबद्ध प्रयोक्ता परियोजनाओं के लिए सरकार ने 3070 करोड़ रु. के निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान विभिन्न महापत्तनों में शुरू की जाने वाली बड़ी क्षमता वाली परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पत्तन का नाम	परियोजना का नाम
1	2	3
1.	हल्दिया	तीसरी तेल जेट्टी का निर्माण
2.	चेन्नई	थर्मल कोयले की हैंडलिंग के लिए चेन्नई के निकट इन्नौर में नए पत्तन का निर्माण।
3.	पारादीप	यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाएं
4.		तेल बर्थ तथा ग्रहण सुविधाएं।
5.	विशाखापत्तनम	इन्नर हारबर में चार बहुउद्देश्यीय बर्थ
6.	टूटीकोरिन	कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं
7.		पूंजी निकर्षण
8.	कोचीन	प्रत्यूवीपीन में एल पी जी/एल एन जी टर्मिनल
9.	नव मंगलूर	रिफाइनरी के विस्तार हेतु पी ओ एल हैंडलिंग के लिए पत्तन सुविधाएं।

1	2	3
10.		बहु प्रयोक्ता तेल जेट्टी।
11.		आबद्ध तेल बर्थ
12.	मुरगांव	अपतटीय स्टाक यार्ड बर्थ
13.		कोयला बर्थ का पुनः संरेखण/ बर्थ सं. 5 क और 6 क का निर्माण।
14.	ज.ला. नेहरू	मेरिन कैमिकल टर्मिनल
15.		एक नया कन्टेनर टर्मिनल
16.		तरल कार्गो बर्थ
17.	मुम्बई	समुद्री पाइपलाइनों को बदलना और जेट्टियों का आधुनिकीकरण।
18.		दूसरा तरल रसायन बर्थ
19.	कांडला	अतिरिक्त कार्गो बर्थ सं. 9, 10, 11 और 12
20.		कच्चे तेल की हैंडलिंग के लिए वदीनार में अतिरिक्त सुविधाएं
21.		एस्सार रिफाइनरी द्वारा वदीनार पत्तन संबंधी सुविधाओं की स्थापना।

[अनुवाद]

अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा करना

1205. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों ने विदेश यात्राएं की हैं;

(ख) उनकी यात्राओं के क्या उद्देश्य थे और इन पर कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या मंत्रालय ने उनकी यात्राओं को यथा समय अनुमति प्रदान कर दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित ताप विद्युत स्टेशन

1206. श्री एन. डेनिस : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्यवार कितने ताप विद्युत स्टेशन स्थापित किए गए हैं;

(ख) किसी क्षेत्र में इस तरह के विद्युत स्टेशन स्थापित करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तमिलनाडु में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो देश में बिजली की कितनी खपत है तथा एनटीपीसी सहित विभिन्न परियोजनाओं से कितना विद्युत उत्पादन होगा; और

(ङ) सरकार विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए किन कदमों को उठाने का विचार रखती है।

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन देश में 12 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों और 5 संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना/प्रचालन कर रहा है ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी निम्नानुसार 3 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों और 2 गैस/नापथा आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन नीचे दर्शाया गया है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा.)
विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 मध्य प्रदेश	1000
ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (उ.प्र.)	420
सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र (आ.प्र)	1000
कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (केरल)	350*
फरीदाबाद गैस विद्युत परियोजना (हरियाणा)	400
	3170

*प्रथम जी.टी. परीक्षण दिनांक 2.11.98 को समकालित

(ख) किसी क्षेत्र विशेष में विद्युत संयंत्र की स्थापना का निर्धारण उस क्षेत्र में विद्युत की मांग और आपूर्ति, भूमि, जल, ईंधन जैसे प्रमुख निवेश, तथा पर्यावरण व अन्य तकनीकी आर्थिक पक्षों को दृष्टिगत रख कर किया जाता है।

(ग) एनटीपीसी ने तमिलनाडु स्थित चेट्यूर के निकट 1000 मे.वा. कोयला आधारित तटीय ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की है। एनटीपीसी द्वारा स्थल विशिष्ट अध्ययनों,

अन्वेषण एवं विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों और लिंकेजों को प्राप्त करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(घ) 31.3.1998 की स्थितिनुसार देश में कुल अधिष्ठापित क्षमता 64006 मे.वा. ताप विद्युत, 2189। मे.वा. जल विद्युत, 2225 मे.वा. नाभिकीय और 960 मे.वा. पवन ऊर्जा को शामिल करते हुए 89090 मे.वा. है।

(ङ) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे/किए जाने वाले उपाय निम्नांकित हैं :—

(1) नई क्षमता अभिवृद्धि।

(2) ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाना।

(3) बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए पुराने ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(4) निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाना।

(5) अंतर्राज्यीय और अंतर क्षेत्रीय विनियमों का प्रवर्तन।

(6) पारेषण और वितरण हानियों में कटौती।

विवरण

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र			
1.	सिंगरौली एसटीपीएस	उत्तर प्रदेश	2000
2.	रिहन्द एसटीपीएस	उत्तर प्रदेश	1000
3.	नेशनल कैपिटल टीपीएस	उत्तर प्रदेश	840
4.	ऊंचाहार टीपीएस**	उत्तर प्रदेश	420
5.	कोरबा एसटीपीएस	मध्य प्रदेश	2100
6.	विन्ध्याचल एसटीपीएस	मध्य प्रदेश	1600
7.	रामागुंडम एसटीपीएस	आन्ध्र प्रदेश	840
8.	फरक्का एसटीपीएस	पश्चिम बंगाल	1000
9.	कहलगांव एसटीपीएस	बिहार	460
10.	तालचेर कनीहा एसटीपीएस	उड़ीसा	1000
11.	तालचेर टीपीएस***	उड़ीसा	460
गैस आधारित विद्युत संयंत्र			
12.	औरेया जीपीपी	उत्तर प्रदेश	652
13.	दादरी जीपीपी	उत्तर प्रदेश	817
14.	अन्ता जीपीपी	राजस्थान	413
15.	कवास जीपीपी	गुजरात	645
16.	झनोर-गांधार जीपीपी	गुजरात	648
एनटीपीसी द्वारा स्थापित संयंत्रों की कुल क्षमता			16795

** एन टीपीसी द्वारा यूपीआरवीयूएन से फरवरी, 1992 में लिया गया

*** एन टी पी एस द्वारा उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से जून, 1995 में लिया गया

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त एनटीपीसी भारत सरकार की ओर से दिल्ली स्थित बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र और बाल्को की ओर से मध्य प्रदेश स्थित बाल्को के कैप्टिव विद्युत संयंत्र का प्रबन्ध कार्य देख रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में तारा मण्डल स्थापित करना

1207. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक तारा मण्डल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा बिहार में एक तारामण्डल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क राजस्व का संग्रहण

1208. श्री दिनेश पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा एकत्र किए गए सड़क संबंधी राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान सड़क क्षेत्र को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान एकत्रित किए गए सड़क राजस्व को सड़क क्षेत्र को आबंटित नहीं किया तथा अन्य क्षेत्रों में लगाया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सड़क क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार सांविधिक रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है और अन्य सभी सड़कें राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं। स्थायी पुल शुल्क के रूप में ज्ञात चुंगी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों पर वसूल की जाती है और इसकी समस्त राशि को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रयोग किया जाता है। आठवीं योजना अवधि के दौरान 21317 लाख रु. की राशि वसूल की गई थी और इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यों को आबंटित कर दिया गया था।

स्कूल इमारतों का निर्माण

1209. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने प्राइमरी स्कूलों की इमारतों का निर्माण किया गया;

(ख) आज की तिथि तक उसके अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या अनेक इमारतों का निर्माण नहीं किया गया अथवा उनका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सहित जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने 219775 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। मार्च, 1997 तक इन स्कूल भवनों के निर्माण पर 89176.97 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत 2.63 लाख स्कूल भवनों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत 1.77 लाख भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की निधियों द्वारा और बाहरी सहायता प्राप्त शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों को भवन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा योजना पर खर्च

1210. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रौढ़ शिक्षा योजना के लिए कितना व्यय किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या किसी राज्य में इस योजना की निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	राज्य		
	उड़ीसा	पश्चिम बंगाल	बिहार
1993-94	614.12	719.86	1109.93
1994-95	606.36	1583.69	1628.87
1995-96	801.36	308.40	1977.84
1996-97	310.13	728.11	1062.52
1997-98	196.62	502.82	446.98

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत वार्षिक आधार पर लक्ष्य तथा उपलब्धियां निर्धारित नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 100 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में क्रमशः 24.40 लाख, 89.72 लाख तथा 52.31 लाख व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं।

(ग) इस तरह का यदि कोई मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसकी तुरन्त जांच की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े पत्तनों पर पुराने पड़ गए उपस्कर

1211. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पत्तनों पर लगभग 90 प्रतिशत उपस्कर पुराने पड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पत्तन-वार विशेष आबंटनों का ब्यौरा क्या है तथा पुराने पड़ गए उपस्करों को आधुनिक तंत्रों से बदलने की क्या योजनाएं हैं; और

(घ) पुराने पड़ चुके तथा घिसे-पिटे उपस्करों को बदलने की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से विशेष रूप से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपस्करों को बदलने के लिए 1998-99 के दौरान पत्तन-वार आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र. सं.	पत्तन का नाम	आबंटन (करोड़ रु.)
1.	कलकत्ता/हल्दिया	8.09
2.	मुम्बई	93.95
3.	ज.ला. नेहरू	–
4.	चेन्नई	7.05
5.	कोचीन	3.08
6.	विजाग	17.64
7.	कांडला	20.75
8.	मुरगांव	5.00
9.	पारादीप	2.50
10.	न्यू मंगलौर	1.55
11.	टूटीकोरिन	–
	जोड़	159.61

(घ) महापत्तन न्यासों को पुराने और खराब उपस्करों के पुनःस्थापन हेतु 100 करोड़ रु. तक अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। पत्तन लीजिंग/बी ओ टी आधार पर भी नए उपस्कर ले सकते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

1212. श्री डी.एस. अहिरे :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम नागरिकों के बीच पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को राष्ट्रीय पर्यावरण व जागरूकता अभियान के अंतर्गत कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) सरकार को इस अभियान के क्रियान्वयन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) आम जनता में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) यद्यपि, इस अभियान के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलता को बताना कठिन है, 1986 में प्रतिभागी संगठनों की संख्या 115 थी जो 1977 में बढ़कर लगभग 3600 हो गई। इससे प्राप्त सफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है।

विवरण-I

आम जनता में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1. राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

इस अभियान को 1986 से प्रति वर्ष गैर सरकारी संगठनों, व्यावसायिकों, अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी विभागों, आदि की सहायता और सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत, नुक्कड़ नाटकों, सेमीनारों, पोस्टरों/निबंध/वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, पदयात्रा, रैलियों, जनसभाओं आदि जैसी विविध गतिविधियां देशभर में आयोजित की जाती हैं ताकि आम जनता में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा की जा सके।

2. इको-क्लब

यद्यपि इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, फिर भी इसका मूल उद्देश्य स्कूली बच्चों के माध्यम से आम नागरिकों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने और स्कूली बच्चों को वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों की प्रारंभिक जानकारी देने के लिए देश भर में विभिन्न स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए जाते हैं।

3. पर्यावरण वाहिनी

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता और प्रबंधन के विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहन देना है। प्रत्येक जिले में एक पर्यावरण वाहिनी का गठन किया जाता है जिसका चयन अत्यधिक प्रदूषण की स्थिति, वनों की सघनता तथा आदिवासी आबादी आदि के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पर्यावरण वाहिनी में 20 सदस्य होते हैं जिनका चयन उस जिले के आम नागरिकों में से किया जाता है। सदस्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और राज्य प्राधिकारियों को पर्यावरणीय अवक्रमण की रिपोर्ट देने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।

4. इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग

मंत्रालय ने कुछ वर्षों से बाहरी एजेन्सियों के जरिए विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर लगभग 80 फिल्में तैयार कराई हैं। इन फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है तथा विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

5. यह मंत्रालय दो संस्थाओं, अर्थात् पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद तथा सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई को वित्तीय सहायता भी दे रहा है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के अनत्तिम उद्देश्य से संसाधन सामग्रह तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा दी गई राशि।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	दी गई राशि (रुपयों में) 1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10,29,000	13,44,113	14,68,704
2.	अरुणाचल प्रदेश	10,000	50,000	93,000
3.	असम	3,68,800	6,67,500	8,03,400
4.	बिहार	16,49,000	14,20,200	34,62,250
5.	गोवा	22,500	36,000	42,000
6.	गुजरात	4,32,600	5,82,867	6,68,686
7.	हरियाणा	2,34,000	2,59,000	2,77,000
8.	हिमाचल प्रदेश	2,04,000	50,000	93,000
9.	जम्मू और कश्मीर	7,86,000	13,53,000	12,64,000
10.	कर्नाटक	2,89,000	7,19,000	7,27,000
11.	केरल	8,41,250	12,04,854	10,36,000
12.	मध्य प्रदेश	4,37,600	8,61,000	14,76,250
13.	महाराष्ट्र	4,47,000	4,93,500	6,83,000
14.	मणिपुर	8,75,250	4,68,500	5,47,000
15.	मेघालय	20,000	22,500	15,000
16.	मिजोरम	-	10,000	कुछ नहीं
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	14,17,000	14,05,000	17,12,000
19.	पंजाब	3,83,950	4,23,200	4,62,500
20.	राजस्थान	5,32,990	36,000	11,37,750
21.	सिक्किम	-	42,500	1,36,000
22.	तमिलनाडु	14,21,00	14,87,050	15,48,150
23.	त्रिपुरा	-	68,500	1,03,000
24.	उत्तर प्रदेश	23,53,500	31,06,000	27,70,439
25.	पश्चिम बंगाल	11,22,500	9,25,000	14,36,250
26.	चण्डीगढ़	2,03,000	3,49,000	3,54,000
27.	पाण्डिचेरी	7,000	10,000	50,000
28.	दिल्ली	5,12,500	6,20,000	6,67,000

ताप और पन विद्युत परियोजनाएं

1213. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कुल कितनी ताप और पन विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उनके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और उनकी प्राक्कलित लागत कितनी है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए स्थानवार ऐसी कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई और इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बिहार राज्य में नौवीं योजना हेतु सरकार द्वारा चार परियोजनाओं को स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है। परियोजनाओं के

स्थल तथा परियोजनाओं के चालू होने के सम्भावित समय समेत इन परियोजनाओं की सूची निम्नवत है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रकार	जोड़ आईसी (मे.वा.)	स्थल (जिला)	चालू करने का समय
1.	चांदिल एचई	जल	8.0	सिंहभूम	1998-2000
2.	पूर्वी गण्डक	जल	15.0	पूर्वी चंपारन	पहले ही चालू हो चुकी है
3.	उत्तरी कोयल	जल	24.0	पलामू	2000-01
4.	तेनुघाट विस्तार	जल	630.0	बोकारो	उपलब्ध नहीं

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नाम/प्रकार		
1	2	3		
1.	पानीपत/हरियाणा	ताप	210	320.00
2.	दादुपुर/हरियाणा	जल	6	32.25
3.	डब्ल्यू.वाई.सी-2/हरियाणा	जल	16	81.00
4.	बासपा-2/हि.प्र.	जल	300	949.23
5.	धानवी/हि.प्र.	जल	22.5	94.60
6.	उहल-3/हि.प्र.	जल	100	713.00
7.	धामवाड़ीसून्डा/हि.प्र.	जल	70	384.93
8.	गुरूनानक भटिंडा/पंजाब	ताप	420	1189.00
9.	थीन बांध एमपीपी/पंजाब	जल	600	2516.44
10.	राजघाट/उ.प्र.	जल	22.5	61.89
11.	सोबला/उ.प्र.	जल	6	15.98
12.	टांडा/राजस्थान	ताप	440	496.88
13.	कटा पत्थर/उ.प्र.	जल	19	76.00
14.	सूरतगढ़/राजस्थान	ताप	500	2282.49
15.	जाखम/राजस्थान	जल	5	24.94
16.	ऊपरी सिंध-2/जे.एंड के.	जल	70	302.00
17.	ऊपरी सिंध-3/जे. एंड के	जल	35	42.27
18.	सेवा-3/जे. एंड के.	जल	6	50.00
19.	चेनानी-2/जे. एंड के.	जल	6	53.48
20.	पहलगांव/जे. एंड के.	जल	3	16.80
21.	नाथपा-झाकड़ी/हि.प्र.	जल	1500	7179.64
22.	दुलहस्ती/जे. एंड के.	जल	390	3559.77
23.	रैप विस्तार/यू 3-4	न्यूक्लीय	440	711.57
24.	टिहरी चरण-2/उ.प्र.	जल	1000	4317.70
25.	ऊंचाहार-2/उ.प्र.	ताप	420	1601.57
26.	फरीदाबाद/एनटीपीसी	गैस	260	912.78
27.	फरीदाबाद/हरियाणा	गैस	140	
28.	औरैया सीसीजीटी/उ.प्र.	गैस	257	1950.00
29.	औरैया सीसीजीटी-2	गैस	393	
30.	अन्ता सीसीजीटी-2/राज.	गैस	393	1950.00
31.	अता सीसीजीटी-2/राज.	गैस	257	
32.	कदाना-2/राज.	जल	60	120.51
33.	कच्छ लिग्नाइट/गुजरात	ताप	75	414.35
34.	सरदार सरोवर/गुजरात	जल	64	
35.	सरदार सरोवर/गुजरात	जल	40	
36.	गांधीनगर यू-5/गुजरात	ताप	210	658.80
37.	हजीरा सीसीएसटी/गुजरात	गैस	185	933.00
38.	मंगरोल लिग्ना./गुजरात	ताप	250	
39.	साबरमती/गुजरात	ताप	120	420.00
40.	बनाकबोरी यू-7/गुजरात	ताप	210	698.00
41.	पगुथन सीसीजीटी/गुज.	गैस	414	2298.14
42.	पगुंथन सीसीएसटी/गुज.	गैस	241	
43.	बाणसागर-4/म.प्र.	जल	20	80.00
44.	बाणसागरटोस/म.प्र.	जल	60	807.70
45.	बाणसागर टोस./म.प्र.	जल	30	

1	2	3		
46.	बीरसिंगपुर विस्त. म.प्र.	ताप	420	980.00
47.	राजघाट/म.प्र.	जल	22.5	61.89
48.	सरदार सरोवर/म.प्र.	जल		
49.	सरदार सरोवर/म.प्र.	जल	370	
50.	कोरबा पूर्व/म.प्र.	ताप	1000	यू.एस. डालर 863.95 एम+ 1623.04 करोड़
51.	महेश्वर/म.प्र.	जल	80	यू.एस. डालर 230.24 एम+ 812.09 करोड़
52.	चन्द्रपुर/महाराष्ट्र	ताप	500	1180.00
53.	दूधगंगा/महाराष्ट्र		24	49.11
54.	कोयना चरण-4/महाराष्ट्र	जल	1000	1140.86
55.	सरदार सरोवर/महाराष्ट्र	जल		
56.	सरदार सरोवर/महाराष्ट्र	जल	175	
57.	वार्ना/महाराष्ट्र	जल	16	28.40
58.	डाभोल/सीसीजीटी/महाराष्ट्र	गैस	740	9051.27
59.	भद्रावती/महाराष्ट्र	ताप	1072	5187.00
60.	डाभोल सीसीजीटी-2	गैस	1275	में लगी लागत
61.	घाटघर पीएसएस/महाराष्ट्र	ताप		सीसीजीटीआई
62.	विन्ध्याचल-2/म.प्र.	ताप	250	620.78
63.	कवास सीसीजीटी-2/गुजरात	गैस	1000	2858.05
64.	कवास सीसीएसटी-2/गुजरात	गैस	393	2425.00
65.	कोठागुडम-4/आ.प्र.	ताप	257	
66.	सिंगर एचई/आं.प्र.	जल	250	1424.00
67.	श्रीसेलम एलबीपीएच/आ. प्र.	जल	15	40.58
68.	विजाग/आं.प्र.	ताप	900	2324.55
69.	गोदावरी सीसीजीटी/आ. प्र.	गैस	1040	51400.00
70.	गोदावरी सीसीएसटी/आ. प्र.	गैस		748.43
71.	जेगरूपाडु सीसीएसटी/आ. प्र.	गैस	114	
72.	भद्रा आरबीसी/कर्नाटक	जल	77	827.00
73.	कालीनदी-2/कर्नाटक	जल	6	21.29
74.	कालीनदी-2/कर्नाटक	जल	150	541.58
75.	शरावती टीआर/कर्नाटक	जल	120	
76.	मंगलौर/कर्नाटक	ताप	240	408.57
			1000	यूएसडालर 751.57 एम+ 1580.89 करोड़
77.	रायचूर यू-5, 6	ताप	420	1545.00
78.	तोरग्लि/कर्नाटक	ताप	260	यूएस डालर 106.87 एम+ 725.16 करोड़
79.	बृन्दावन/कर्नाटक	जल	12	51.24
80.	सरापदी/कर्नाटक	जल	90	198.00
81.	ब्रह्मपुरम/केरल	गैस	100	348.00
82.	काक्कड/केरल	जल	50	150.86
83.	कोझीकोड/केरल	गैस	120	357.00
84.	लोअर पेरियार/केरल	जल	120	273.00
85.	पोरिंगलकुथ-4/केरल	जल	16	36.89
86.	कुटियार्डी विस्तार/केरल	जल	50	107.97
87.	मालनकारा/केरल	जल	7	43.36
88.	पेप्पारी एचई/केरल	जल	3	5.80
89.	बेसिन/टी एन	गैस	30	429.40
90.	कुंडा-5/तमिलनाडु	जल	30	98.12
91.	लोअर भवानी/तमिलनाडु	जल	8	31.93
92.	सतनूर बाध/तमिलनाडु	जल	7.5	28.65
93.	उत्तरी मद्रास-2/तमिलनाडु	ताप	1050	यू.एस.डालर 535.96 एम+ 2402.24 करोड़
94.	पीपी नल्लूर सीसीजीटी/टीएन	गैस	220	यू.एस.डालर 206.54 एम+ 429.60 करोड़
95.	पीपी नल्लूर सीसीएसटी/ टीएन	गैस	110	429.80करोड़
96.	एनएलसी-2 विस्तार यू-8/टीएन	ताप	50	यू.एस.डालर 261.59 एम+ 501.10 करोड़

1	2	3		
97.	बेसिन ब्रिज डीजी/टीएन	गैस	200	यूएस.डालर 125.82 एम+ 328.90 करोड़
98.	कराईकल सीसीजीटी/पांडि.	गैस	15	130.00
99.	कराईकल सीसीएसटी/पांडि.	गैस	7.5	
100.	सिम्हाद्री/आ.प्र.	ताप	1000	3661.51
101.	कैगा/कर्नाटक	न्यूक्लीय	440	355.80
102.	कायमकुलम/सीसीजीटी/केरल	गैस	220	1076.30
103.	कयमकुलम/सीसीएसटी/केरल	गैस	130	
104.	नैवेली/टीएन	ताप	420	1590.58
105.	हैदराबाद सीसीजीटी/आ.प्र.	गैस	393	2275.00
106.	हैदराबाद सीसीएसटी/आ. प्र.	गैस	257	
107.	चाहिल/बिहार	जल	8	32.49
108.	पूर्वी गण्डक/बिहार	जल	15	66.00
109.	उत्तरी कोयल/बिहार	जल	24	47.34
110.	तेनुघाट एक्स-3, 5/बिहार	ताप	630	1800.00
111.	पोत्तेरू/उड़ीसा	जल	6	18.83
112.	अपर इन्द्रावती/उड़ीसा	जल	600	875.42
113.	इब घाटी-3 व 4/उड़ीसा	ताप	420	यू.एस.डालर 362.67 एम+ 851.22 करोड़
114.	बालीमेला चरण-2	जल	120	277.57
115.	बारगढ़/उड़ीसा	जल	9	34.80
116.	रोथाग्य/सिक्किम	जल	10	87.31
117.	रोलेथ/उड़ीसा	जल	9	35.31
118.	मेजिया/प. बंगाल	ताप	210	1369.55
119.	मैथान/प. बंगाल	ताप	500	3297.65
120.	तीस्ता नहर प्रापात/प.बं.	जल	45	526.59
121.	तीस्ता नहर प्रपात/प.बं.	जल	22.5	
122.	बक्रेश्वर 1-3/प.बं.	ताप	630	यू.एस.डालर 23.4 एम+ जापानी येन 20544.27 एम
123.	बालागढ़/प. बंगाल	ताप	500	यू.एस.डालर 227.96 एम+ करोड़ 1517.02
124.	बज-बज/प. बंगाल	जल	500	2300.00
125.	रंगित/सिक्किम	जल	60	287.31
126.	तालचेर-2/उड़ीसा	ताप	500	8117.10
127.	लकवा डब्ल्यूएचयू-1/असम	गैस	22.5	75.00
128.	लकवा डब्ल्यूएचयू-2/असम	गैस	25	
129.	धनश्री/असम	जल	20	56.00
130.	कारबी-एल बीरपानी/असम	जल	100	266.21
131.	नराग/अरुणाचल प्रदेश	जल	6	33.00
132.	उमियम उमतरू ऐयई-5/मेघा.	जल	18	140.00
133.	लिमिमरो/नागालैंड	जल	24	156.00
134.	सेरलुई-बी/मिजोरम	जल	9	100.00
135.	रोखिया चरण-2 यू-2/त्रिपुरा	जल	8	85.47
136.	रंगानदी/अरुणाचल प्रदेश	जल	405	1024.10
137.	कैथालगुड़ी बी/असम	गैस	90	1393.92
138.	दोयाग/नागालैंड	जल	75	557.87
139.	अगरतला जीपीपी/त्रिपुरा	गैस	84	299.53
140.	कोपिली विस्तार/असम	जल	25	100.00

इंजीनियरिंग कालेज

1214. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सहशिक्षा सहित मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं जहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान नए इंजीनियरी कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है।

विवरण-I

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 1998-99 तक सह-शिक्षा सहित अनुमोदित डिग्री स्तर के इंजीनियरी कॉलेजों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिग्री स्तर के इंजीनियरी कॉलेजों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	87
अण्डमान व निकोबार	–
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	3
बिहार	12
चण्डीगढ़	3
गोआ	2
गुजरात	20
हरियाणा	27
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	8
कर्नाटक	69
केरल	19
मध्य प्रदेश	30
महाराष्ट्र	118
मणिपुर	1
मेघालय	–
मिजोरम	–
नागालैण्ड	–
दिल्ली	6
उड़ीसा	20
पाण्डिचेरी	2
पंजाब	18
राजस्थान	11
सिक्किम	1
तमिलनाडु	125
त्रिपुरा	–
उत्तर प्रदेश	51
पश्चिम बंगाल	19
	655

विवरण-II

उन राज्यों के नाम जहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान नए इंजीनियरी कॉलेज अनुमोदित किये गये हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश
गोआ
गुजरात
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
कर्नाटक
केरल
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मणिपुर
नई दिल्ली
उड़ीसा
पाण्डिचेरी
पंजाब
राजस्थान
सिक्किम
तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के विद्युत प्रवर्तकों हेतु नए मापदंड

1215. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के विद्युत प्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों के लिए आय के कई नए मापदंड अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने हेतु सभी कार्य प्रणालियां तैयार कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1998-99 के दौरान देश में कितनी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 30.3.1992 की टैरिफ अधिसूचना में निर्धारित निजी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ईक्विटी संबंधी मानदण्डों पर प्रतिलाभ दर में संशोधन नहीं किया है तथापि सरकार ने 1997 में प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्य से प्रदत्त ताप विद्युत केन्द्रों के लिए मानदण्ड अधिसूचित किए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए 1991 में घोषित नीति को निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की विकास प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ 4:1 ऋण इक्विटी अनुपात, 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है तथा यथा व्यवहार्य सीमा तक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजनाओं का ठेका देने का प्रावधान है। टैरिफ निर्धारण की रूपात्मकताओं समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 30.3.1992 की टैरिफ अधिसूचना से शासित है। विशिष्ट प्रकार की विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

हाल ही में राज्यों को प्रत्यायोजित और शक्तियों के अनुसार राज्य अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने हुए और 5000 करोड़ तक के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना वाले, ऐसे ताप विद्युत उत्पादन केंद्र को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार की ताप विद्युत परियोजनाएं मई, 1997 में यथा संशोधित टैरिफ अधिसूचना में अधिसूचित कारकों का अनुपालन करें।

सभी आवश्यक मंजूरियों को प्राप्त करने और निवेश करने के उपरांत इक्विटी तथा ऋण दोनों के माध्यम से परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रवर्तकों का है।

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान देश में 25 ताप विद्युत और 25 जल विद्युत स्कीमों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

राज्य विद्युत बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक

1216. श्रीमती कमल रानी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने उत्तर भारत के राज्य विद्युत बोर्डों के प्रमुखों के साथ कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो बैठक के प्रतिभागियों, सुझावों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के प्रमुखों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) विद्युत आपूर्ति की समीक्षा किया जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यतः विद्युत आपूर्ति में सुधार, वोल्टता तथा फ्रीक्वेन्सी जैसे ग्रिड मानदण्डों का अनुरक्षण तथा ग्रिड खराबियों से बचाव के लिए उपायों पर विचार करने हेतु तीन बैठकों दिनांक 9.8.96 को विद्युत राज्य मंत्री द्वारा एक तथा 22.12.96 और 29.5.98 को सचिव (विद्युत) द्वारा दो का अयोजन किया गया। विद्युत मंत्री द्वारा आयोजित बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्री तथा राजस्थान के विद्युत मंत्री के अलावा राज्य बिजली बोर्डों के प्रमुखों और संबंधित केन्द्रीय और राज्य विद्युत/विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य बिजली बोर्डों, राज्य ऊर्जा विभागों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित केन्द्रीय यूटिलिटियों/विभागों के प्रतिनिधियों ने सचिव (विद्युत) द्वारा ली गई बैठक में भी भाग लिया।

विद्युत मंत्री द्वारा दिनांक 9.8.96 को आयोजित बैठक का उद्देश्य विद्युत आपूर्ति की स्थिति की सामान्यः समीक्षा करना था। इस बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव थे:—1. प्राथमिकता आधार पर शंट कैपिसिटरों की अधिष्ठापना करना। 2. प्रणाली में अंडर-फ्रीक्वेन्सी रिले की पुनः स्थापना करना। 3. कोयला आपूर्ति और गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान करना। इस बैठक के पश्चात् राज्य सरकारों से प्राथमिकता आधार पर शंट कैपिसिटर लगाने का अनुरोध किया गया है। शंट कैपिसिटर की अधिष्ठापना में तीव्रता लाने के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को भी तत्काल आधार पर 600 एमवीएआर शंट कैपिसटरों को प्राप्त करने और उन्हें लगाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन भी 16 अक्तूबर और 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित किया गया तथा विद्युत हेतु एक समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार किया गया। कोयले की कमी और गुणवत्ता की समस्याओं को भी कोयला मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

दिनांक 22.12.1996 को सचिव (विद्युत) द्वारा उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड समस्याओं से बचाव के लिए उपायों पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिए गए सुझावों और लिए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए इस संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार ग्रिड को सुदृढ़ करने के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., एन.टी.पी.सी. द्वारा उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। राज्यों को दैनिक आधार पर विद्युत कटौती और उत्पादन के घंटावार कार्यक्रम जारी किए गए हैं और उन्हें ग्रिड अनुशासन का पालन करने और अनुरक्षण प्रचालनों को प्राथमिकता प्रदान करने को कहा गया है। अण्डर फ्रीक्वेंसी रिले के माध्यम से क्षेत्र विशेष में अक्सर आपूर्ति में रूकावट आने से बचने

के लिए उत्तरी क्षेत्र विद्युत बोर्ड ने बारी-बारी से कटौती कार्यान्वित करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के प्रत्येक घटक राज्य के लिए नियंत्रकों के पांच सैट और अन्य उपस्कर हासिल करने का निर्णय लिया है। एन आर ई बी ने उत्तरी क्षेत्र के घटक राज्यों के एमवीएआर विद्युत उत्पादन की मानिटरिंग करना भी आरम्भ कर दिया है। विद्युत उत्पादन स्टेशनों को प्रचालन का स्वतंत्र नियंत्रण पद्धति का आश्रय लेने का अनुरोध किया गया है। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एनआरएलडीसी नियंत्रण कक्ष और उत्तरी ग्रिड प्रणाली के मोडल प्वाइंट के बीच संचारण प्रणाली हेतु 13 वी-एसएटी टर्मिनलों को चालू कर दिया है। दिल्ली विद्युत बोर्ड को स्वीकृत भार प्रेषण स्कीम में शामिल कर दिया गया है।

गर्मियों के महीनों के दौरान उत्तरी क्षेत्र में बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा के मद्देनजर विद्युत सचिव द्वारा दिनांक 29.5.98 को एक बैठक आयोजित की गई थी। विभिन्न घटक राज्यों द्वारा शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना की स्थिति की समीक्षा की गई थी और सभी घटक राज्यों को शंट कैपेसिटरों पर त्वरित कार्रवाई करने की सलाह प्रदान की गई थी। आवश्यक अनुरक्षण कार्यों को आरम्भ करने के लिए निर्देश दिए गये हैं। विद्युत उत्पादन यूनिटों को पुनर्जीवित करने के संबंध में भी चर्चा की गई थी। और इनके पुर्नजीवन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। सभी राज्य बिजली बोर्डों को ग्रिड अनुशासन बनाएं रखने की सलाह प्रदान की गई है।

न्यायलयों में बुनियादी सुविधाएं

1217. **श्री इन्द्रजीत सिंह राव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के न होने से मुकदमों का निपटारा प्रभावित होता है; और

(ग) यदि हां, तो न्यायालयों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का 3 वर्षों में एक बार पुनर्विलोकन किया जाता है तथा आगामी पुनर्विलोकन 1990 में ही किया जाना है।

मामलों का निपटान विभिन्न जटिल कारणों पर निर्भर करता है। मलिपथ समिति ने, जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन किया था, यह मत व्यक्त किया था कि अवसंरचना का अपर्याप्त होना न्यायालयों में इतने मामले बकाया होने के अनेक कारणों में से एक कारण है।

न्यायपालिका के संबंध में, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान आरंभ की गई थी। इसमें न्यायालय भवनों, तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए निवास स्थान, जिसमें उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, का संनिर्माण सम्मिलित है। वर्ष 1993-94 में इसके प्रारंभ से 1997-98 तक अवसंरचनाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 232.43 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 52.00 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में से, 20.05 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दे दी गई है।

'स्वैम्प डियर' को खतरा

1218. **श्री सी. डी. गामीत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सैंकच्यूरी टू माफिया मे कौस्ट वाईल्डलाईफ डियर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या उक्त माफिया को सम्भवतः सरकारी तंत्र से कोई भय नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ वन्यजीव और वन अधिकारियों सहित कुछ प्रभावशाली राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथाकथित गैर-कानूनी कार्य को अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने हेतु बढ़ावा दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में "स्वैम्प डियर" तथा अन्य पशुओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार को इस तरह की घटना संबंधी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में "स्वैम्प डियर" तथा अन्य जानवरों के बचाव के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :—

हस्तिनापुर अभयारण्य क्षेत्र से "टाइफ्स" घास की अवैध कटाई रोकने हेतु निवारण उपाय। इस प्रक्रिया में 27 मामलों का पता लगा था तथा 47 दोषियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 33 को विभाग ने सजा दे दी तथा 18 व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में मामले चल

रहे हैं। अप्रैल, 1997 से अब तक 36,900/- रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गई है।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई बढ़ाना

1219. डा. रामविलास वेदान्ती : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 4219 कि.मी. लम्बाई जोड़ी गई। यह भी निर्णय लिया गया है कि नौवीं योजना अवधि में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अन्य 67 सड़कें, जिनकी लम्बाई 11,000 कि.मी. है, जोड़ी जाएं।

(ग) प्रत्येक राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग लम्बाई के आधार पर राज्यवार आबंटन किया जाता है बल्कि किसी विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन

1220. श्री अमन कुमार नागरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में कितने छात्रों को बिना बारी से नामांकन किया गया है; और

(ख) तत्संबंधी विद्यालयवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) शैक्षिक सत्र, 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में बिना बारी कोई दाखिला नहीं किया गया है क्योंकि 1997-98 में ऐसे दाखिलों के लिए कोई योजना नहीं थी।

ओजोन परत का क्षय करने वाले तत्व

1221. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कम ओडीएस वाले प्रौद्योगिकी के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) भारत ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों से संबंधित मान्ट्रियल प्रोटोकोल का एक पक्षकार है। ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए वर्ष 1993 में एक कन्ट्री प्रोग्राम तैयार किया गया था। मान्ट्रियल प्रोटोकोल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष ने फोम रेफ्रीजरेशन, एरोसोल, हैलोन और सोल्वेंट क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं से नोन-ओ.डी.एस. प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत हैं। मान्ट्रियल प्रोटोकोल में निर्धारित अनुसूची के अनुसार ओ.डी.एस. प्रौद्योगिकी का प्रयोग वर्ष 2010 तक बंद किया जाना है।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद

1222. श्री चन्द्र शेखर साहू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलकूदों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद परिसरों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के धमतारी जिला मुख्यालय में एक खेलकूद स्टेडियम का निर्माण किए जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलकूदों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं:-

(1) ग्रामीण खेल कार्यक्रम; और (2) खेल उपस्करों की खरीद और खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी स्तरों पर खेल अवस्थापना के सृजन के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। चूंकि "खेल" राज्य का विषय है, अतः राज्य सरकारें भी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देती हैं।

(ख) यह राज्य सरकार का काम है कि वह संबद्ध योजना के प्रावधानों के अनुसार, स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता का दावा करने के लिए इस संबंध में प्रस्ताव रखे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत वित्त निगम में अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या

1223. **श्री जोगेन्द्र कवाडे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विद्युत वित्त निगम में कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है तथा उसमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियों में कोई बकाया रिक्तियां हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत वित्त निगम का विचार विशेष भर्ती अभियान के तहत इन रिक्तियों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक बकाया रिक्तियों को भर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) विद्युत वित्त निगम के कुल 267 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी क्रमशः 48 और 13 हैं।

(ख) से (ङ) विगत में विद्युत वित्त निगम द्वारा आयोजित विशेष अभियानों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 59 पदों की आरक्षित आवश्यकता की तुलना में 61 है। तथापि, अनुसूचित जनजाति के मामले में चार पद, कार्यपालकों की श्रेणी में तीन तथा कामगर की श्रेणी में तीन पद बकाया हैं।

जांच परीक्षा पत्रों का गुम होना

1224. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षा जांच पत्रों के गुम होने की घटनाओं की रिपोर्ट कितनी बार की है;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पन और कोयले से चलने वाली विद्युत परियोजनाएं

1225. ***श्री गिरिधर गमांग*** : *क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) उड़ीसा में प्रत्येक विद्युत परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) राज्य में इस समय नई पन और कोयले से चलने वाली कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राज्य विद्युत बोर्डों के बीच शुल्क दर के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) उड़ीसा में प्रत्येक विद्युत परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है :—

	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
जल विद्युत		
1.	मचकुंड	34.42
2.	रंगोली	250.00
3.	ऊपरी कोलाब	320.00
4.	बालीमेला	360.00
5.	हीराकुंड	37.50
6.	बुरला	198.00
7.	चिपलिमा	72.00
	जोड़ जल विद्युत	1271.92
ताप विद्युत		
8.	इब घाटा	420.00
9.	तालचेर एसटीपीएस	1000.00
10.	तालचेर ओल्ड	470.00
	जोड़ ताप विद्युत	1890.00
	कुल जोड़ (क) + (ख)	3161.92

(ख) इस समय निम्नलिखित स्कीमों को उड़ीसा में स्वीकृति प्रदान की गई है :—

केन्द्र का नाम		अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
बालीमेला चरण-2	जल विद्युत	120
बारगढ़	जल विद्युत	9
पोत्तेरू	जल विद्युत	6
अपर इन्द्रावती	जल विद्युत	600

(ग) और (घ) एनटीपीसी विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विद्युत क्रय समझौते करता है। तथापि, टैरिफ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। उड़ीसा में एनटीपीसी के तालचेर एसटीपीएस यूनिट-1 (500 मे.वा.) से विद्युत विक्रय हेतु दिनांक 1.1.97 से प्रभावी टैरिफ विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.5.98 को अधिसूचित किया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना करना

1226. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मद्रास उच्च न्यायालय ने, 31 अगस्त, 1995 को हुई पूर्ण न्यायालय की बैठक में, सिद्धान्त रूप में, मदुरै में, अवसंरचना आदि से संबंधित कतिपय शर्तों के पूरा होने पर, उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ स्थापित करने का संकल्प किया। चूंकि, प्रथमतः राज्य सरकार को ये शर्तें पूरी करनी हैं अतः, न्यायपीठ की स्थापना के लिए कोई समग्र सीमा बता पाना व्यवहार्य नहीं है।

व्यावसायिक शिक्षा

1227. **श्री तारिक अनवर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा देने संबंधी योजनाएं वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के यथावांछित परिणाम प्राप्त न होने का मुख्य कारण राज्यों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन को निम्न प्राथमिकता देना है। अनेक राज्यों ने बिना किसी उपयुक्त तैयारी, जैसे जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति, प्रबन्धकीय ढांचे और सूचना पद्धति के अभाव, के बावजूद व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिए। पूर्व स्नातक स्तर पर शुरू किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन यथा समय होगा।

(ग) माध्यमिक स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन में वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति का मूल्यांकन करने और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी समूह गठित किया गया था। कार्यकारी समूह की सिफारिशें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दी गई हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संगठनों के साथ प्रायोजित योजनाएं इस योजना की कमियों को दूर करने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

असम में कुपोषण से पीड़ित बच्चे

1228. **श्रीमती रानी नरह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कोकराझार जिले के राहत शिविरों में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे शिविरों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) निम्न पोषाहारीय दर्जे के कारण।

(ग) असम सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त पूरक पोषण प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। चिकित्सकीय दल राहत शिविरों का नियमित दौरा कर रहा है।

सी.एस.आई.आर.

1229. **श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.एस.आई.आर. की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य थे;

(ख) इन उद्देश्यों को किस सीमा तक हासिल किया गया है;

(ग) क्या अब तक सी.एस.आई.आर. का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मैंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधन परिषद की स्थापना एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में 1942 में की गई थी, जिसके क्रियाकलापों का चार्टर काफी व्यापक था। इनमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का उन्नयन, मार्गदर्शन तथा समन्वयन, अनुसंधान तथा उद्योग संबंधी सूचना का एकत्रण तथा प्रचार-प्रसार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान परिणामों का दोहन शामिल था। इसके अलावा सीएसआइआर को अन्य कार्य भी सौंपे गए थे जैसे अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना, अनुसंधान कार्य करना, फैलोशिप प्रदान करना तथा वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

(ख) और (ग) वर्षों से सीएसआइआर ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप इसे सौंपी गई भूमिका को निभाया है। इस समय सौएसआइआर 40 अनुसंधान प्रयोगशालाओं का एक सुगठित, समन्वित, कार्योन्मुखी नेटवर्क है जो संपूर्ण देश में फैला हुआ है तथा जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास के ऐसे साधनों की व्यवस्था करना है जिससे भारत के लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक लाभ हों। सीएसआइआर न केवल उद्योग के लिए अपितु कृषि, वांतरिक्ष, स्वास्थ्य, विद्युत उपयोगिता, खनन, रक्षा आदि जैसे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण अनुसंधान व विकास कार्य करता है। यह दीर्घकालिक प्रभाव, आकार या जटिलता वाले राष्ट्रीय प्राथमिकता के ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के भविष्य और आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक होते हैं। सीएसआइआर के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय वार्षिक औसत उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 2000 अनुसंधान/तकनीकी/विद्वतापूर्ण शोध पत्रों का प्रकाशन, 100 नई प्रौद्योगिकियों का विकास तथा नए औद्योगिक उत्पादन के लिए 200 समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा खुदाई कार्य

1230. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग ने रीवा जिले के पाण्डापूर्वा (अमिलकोनी) गांव में कोई खुदाई कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुदाई में निकली चीजें ऐतिहासिक महत्व की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थल के विकास हेतु क्या योजना बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) जी, हां। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.) का प्राचीन इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अमिलकोनी गांव में प्रकाश में आया है, जिससे प्रथम अवधि के मध्य से लेकर उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति के परवर्ती चरण तथा कुषाण काल की दूसरी अवधि समेत दोनों संस्कृतियों के सम्पर्की चरण तक की सामग्री का पता चला-ये सभी चरण 4/3 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2/3 शताब्दी ईसवी तक के हैं। उत्खनन से ऐतिहासिक महत्व के मृदभांड तथा तांबा, लोहा, हड्डी, उपरत्नों, टेराकोटा, सिक्कों एवं अनेक लौह चून जैसी अन्य वस्तुएं एकत्र की गई हैं।

गुजरात में अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों का विकास

1231. **श्री जयसिंहजी चौहान** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों और वन सम्पदा के विकास से संबंधित कोई योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात राज्य से 85 लाख रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) 26.65 लाख रुपए के प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थे।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

1232. **श्री पी.आर. किन्डिया** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेघालय जैसे कुछ राज्यों में अ.जा./अ.

ज.जा. के व्यक्तियों के लाभ के लिए जैव-प्रौद्योगिकी पर आधारित कोई विशेष योजना/कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मेघालय राज्य के लिए इस योजना के अंतर्गत किसी नई परियोजना की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मेघालय में निरन्तर वर्षा होने तथा इसकी कृषि अनुकूल दशाओं के कारण एरोमैटिक तथा औषधीय पौधों की पैदावार की अपार संभावनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके उपयोग हेतु किन कदमों को उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जैवप्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रम"-स्कीम तैयार की है जिसके अंतर्गत देश भर में परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। "बीजों का उत्पादन, नर्सरियों की स्थापना, प्रमुख कार्पो एवं कैटफिश (क्लैरियस बैटेकस) का संवर्धन" नामक एक परियोजना सेन्ट एन्थोनीज कालेज, शिलांग द्वारा जुलाई, 98 से कार्यान्वित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्प तथा कैटफिश, इन दोनों के अंडों का उत्पादन, उत्प्रेरित प्रजनन तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ इन मछलियों और इनके बच्चों का संवर्धन, विस्तार कार्यक्रम के जरिए संवर्धन क्षेत्रों में कालेज के छात्रों एवं स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता करना है। इससे न केवल छात्रों को अपने उद्यम शुरू करने में सहायता मिलेगी बल्कि इस क्षेत्र के मछली पालन करने वाले किसानों के आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा।

(घ) और (ङ) जी हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग, औषधीय एवं सुगंधित पादपों पर अनुसंधान कार्यों को प्रायोजित करने के लिए मेघालय सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना

1233. **श्री वारकला राधाकृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) थिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, केरल सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः, केन्द्रीय सरकार के लिए इस संबंध में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 को बरास्ता जामतारा-दुमका-पाकुदर से जोड़ना

1234. **श्री सोम मरांडी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि जी.टी. रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 को बरास्ता जामतारा-दुमका-पाकुदर से जोड़ दिया जाए तो क्या पूर्वोत्तर भारत की दूरी कम हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

1235. **श्री तथागत सत्पथी** :

डा. रवि मल्लू :

श्री रामपाल उपाध्याय :

श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों का कार्यनिष्पादन क्या रहा;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ङ) 1998-99 में इस योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(च) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नए अनुदेश जारी किए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इस योजना को चलाने में अनियमितताएं की गई हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) मध्याह्न भोजन योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है।

(ख) और (ग) चूंकि वर्ष 1997-98 से ही देश के सभी ब्लाकों तथा शहरी क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है, इसलिए अभी तक इस योजना की कोई औपचारिक समीक्षा या मूल्यांकन करा पाना संभव नहीं हो पाया है। इस प्रकार इस संबंध में विभिन्न राज्यों के निष्पादन पर टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है।

(घ) 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अनाज के आवंटन के संबंध में विवरण संलग्न है।

(ङ) 1998-99 में इस विभाग के बजट में इस योजना के लिए 1092.15 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है। यह राशि एफ.सी.आई. को अनाज की कीमत तथा डी.आर.डी.ए. आदि को परिवहन प्रभार का भुगतान करने के लिए है।

(च) और (छ) राज्य सरकारों से प्रत्येक तिमाही के अंत तक उपयोग में लाए गए अनाज के संबंध में प्रमाण-पत्र तथा मासिक उठान आकड़े विभाग को नियमित रूप से भेजने के लिए कहा गया है। जिला कलेक्टरों से मासिक उपयोग प्रमाण-पत्र एफ.सी.आई. को भेजने के लिए कहा गया है।

(ज) से (ञ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र ने ही अनियमितता की सूचना दी है। गुजरात ने सूचित किया है कि इसने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है तथा महाराष्ट्र ने बताया है कि संबंधित जिला कलेक्टरों से अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्टें मिली हैं तथा दोषी ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

विवरण

(मिट्रिक टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 आबंटित	1997-98 आबंटित	1998-99 आबंटित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	147415.00	217229.00	228543.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	2908.00	2908.00	4530.90
3.	असम	62815.00	70042.00	70041.70
4.	बिहार	183767.00	241412.00	280596.90
5.	गोवा	105.00	2973.00	2513.50
6.	गुजरात	42088.00	107481.00	88117.40
7.	हरियाणा	35172.00	51634.00	53305.10
8.	हिमाचल प्रदेश	9117.00	19742.00	20826.00
9.	जम्मू और कश्मीर	14889.00	18611.00	18610.90
10.	कर्नाटक	111053.00	164604.00	169758.90
11.	केरल	7550.00	62797.00	48022.90
12.	मध्य प्रदेश	178317.00	221545.00	220459.80
13.	महाराष्ट्र	128932.00	251552.00	288718.30
14.	मणिपुर	4129.00	6499.00	7637.60
15.	मेघालय	6557.00	8691.00	9614.90
16.	मिजोरम	2902.00	2899.00	2918.50
17.	नागालैण्ड	2920.00	2920.00	2920.10
18.	उड़ीसा	53297.00	96105.00	80087.10
19.	पंजाब	16359.00	52992.00	52991.90
20.	राजस्थान	109096.00	123594.00	166045.90
21.	सिक्किम	1864.00	1864.00	2549.60
22.	तमिलनाडु	27915.00	163848.00	118735.50
23.	त्रिपुरा	11371.00	14012.00	14575.70
24.	उत्तर प्रदेश	297289.00	393891.00	457857.00
25	पश्चिम बंगाल	109134.00	235206.00	263596.70
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	165.00	1211.00	1106.00
27.	चंडीगढ़	1943.00	585.00	10000.00
28.	दादर और नगर हवेली	734.00	594.00	662.90
29.	दमन और दीव	245.00	430.00	446.00
30.	दिल्ली	14400.00	28150.00	18100.80

1	2	3	4	5
31.	लक्ष्यद्वीप	264.00	264.00	-
32.	पांडिचेरी	940.00	1351.00	1319.40
	भारत	1585652.00	2567636.00	2705211.60

"फास्ट ट्रैक" परियोजना को काउंटर गारंटी

1236. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में "इनरोन" तथा "जी.वी.के." परियोजना के बाद तीसरी फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजना के लिए काउंटर गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी "फास्ट ट्रैक" परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास ऐसी काउंटर गारंटी जारी करने हेतु लंबित हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) अगस्त, 1998 के माह के दौरान सरकार ने आंध्र प्रदेश में मै. हिंदुजा नेशनल पावर कंपनी लि. की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.) महाराष्ट्र में मै. सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सीपको) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) और तमिलनाडु में मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी की 250 मे.वा. एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप विद्युत परियोजना के मामले में काउंटर गारंटी जारी की है।

(ग) मै. मंगलौर पावर कंपनी की 1000 मे.वा. मंगलौर विद्युत परियोजना के लिए काउंटर गारंटी जारी नहीं की है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोक हित याचिका सं. 10696/97 में कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध कर्नाटक सरकार द्वारा दायर एस.एल. पी. पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध होने पर इस परियोजना के लिए काउंटर गारंटी जारी करने हेतु अगले कदम उठाए जायेंगे। इसके अलावा उड़ीसा में मै. ए.ई.एस. ट्रांसपावर की इब वैली पावर परियोजना, जिसके लिए काउंटर गारंटी पहले जारी कर दी गई थी, को काउंटर गारंटी जारी करने संबंधी मामले पर नये सिरे से विचार करना होगा क्योंकि परियोजना मानदंडों में परिवर्तन हुआ है।

[हिन्दी]

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

1237. श्री रामशकल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार गैस आधारित कितनी विद्युत परियोजनाएं/स्टेशन हैं:

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक परियोजना/स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार देश में गैस टरबाईन विद्युत परियोजनाओं/ केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित विद्यमान केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1.	पगुथन सी-पीजीटी	गुजरात
2.	कवास सीसीपीपी	गुजरात
3.	गांधार सीसीजीपी	गुजरात
4.	अगरतला जीटी	त्रिपुरा
5.	कथालगुडी सीसीजीटी	असम
6.	अन्ता सीसीपीपी	राजस्थान
7.	औरैया सीसीपीपी	उत्तर प्रदेश

विवरण

देश में गैस टरबाईन विद्युत परियोजनाओं/केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	विद्युत केन्द्रों की संख्या
जम्मू और कश्मीर	1*
राजस्थान	2
दिल्ली	1
उत्तर प्रदेश	2
गुजरात	8
महाराष्ट्र	2
आन्ध्र प्रदेश	3
तमिलनाडु	2
पश्चिम बंगाल	3*
बिहार	1*
असम	7
त्रिपुरा	3

*तरल ईंधन

[अनुवाद]

सरिस्का बाघ रिजर्व में टी.बी.

1238. **श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 सितम्बर, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टीबी लाइक डिजीज प्राटेन्स बिग कैट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के क्या तथ्य हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी हां।

(ख) समाचार में 1994 से सरिस्का बाघ रिजर्व में विभिन्न कारणों से सात बाघों और पांच चीतों की मौत की रिपोर्ट है जिनमें से अधिकांश मृत बड़ी बिल्लियों में क्षय रोग जैसी बीमारी के लक्षण पाए गए थे।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार से प्राप्त सरकारी सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सरिस्का में क्षयरोग/यकृत शोथ की वजह से तीन बाघों की मौत हुई है। मांसाहारी जानवर क्षयरोग के प्रति तुलनात्मक रूप से प्रतिरोधी माने जाते हैं लेकिन बाघों के विभिन्न पार्कों से वोवाइन क्षयरोग से संक्रमित होने के कुछ मामलों की सूचना मिली है। घरेलू पशुधन की सघन पशुचिकित्सीय देखभाल तथा अभयारण्य में क्षयरोग से संक्रमित पशुओं को अलग करना, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कार्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बीमारी का पता लगाने और उनका उपचार करने से इसमें सुधार होगा।

डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी का पुनर्गठन

1239. **श्री प्रसाद बाबू राव तनपुरे :**

श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के विनाशकारी समुद्री तूफान, वर्षा और चक्रवात के बारे में आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मौसम के पूर्वानुमान के संबंध में पूर्व चेतावनी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी का पुनर्गठन करने और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। बंगाल की खाड़ी में हाल में दो चक्रवात आए। पहला चक्रवात खाड़ी में 14 नवंबर को बना जो उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ गया तथा इसने अत्यंत भयंकर चक्रवाती आंधी (हरीकेन इन्टेन्सिटी) का रूप ले लिया। इसने 15 नवंबर की शाम को विशाखापट्टनम से सटे आन्ध्र प्रदेश तट को पार किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य सरकार तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया को पर्याप्त तथा सामयिक चक्रवात चेतावनी संदेश जारी किए गए। चक्रवात के विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए सरकारी तंत्र को अधिकतम सावधानी बरतने तथा जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रसारण के लिए आकाशवाणी को तथा स्क्रालिंग के लिए दूरदर्शन को एक-एक घंटे पर बुलेटिन जारी किए गए जिन्हें नियमित कार्यक्रमों को रोककर प्रसारित किया गया।

बंगाल की खाड़ी में दूसरा चक्रवात 20 नवंबर, 1998 को बना। यह उत्तर दिशा में मुड़ गया तथा 21 नवंबर को अत्यन्त भीषण चक्रवाती आंधी (हरीकेन इन्टेन्सिटी) के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ा और 22 नवंबर की दोपहर सागर प्रायद्वीप के पूर्व पश्चिम बंगाल तट को पार किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य सरकार तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पर्याप्त तथा सामयिक चेतावनियां जारी की गई।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्तमान योजना के अन्तर्गत, प्राकृतिक आपदा की दशा में राज्य सरकारों द्वारा राहत तथा बचाव कार्य करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रिलिफ कोड्स तथा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मदद करती है।

सरकार द्वारा एक आकस्मिक कार्य योजना तैयार की गई थी जिसे सभी राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि वे ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स तैयार करें तथा उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने से प्राप्त अनुभवों के आधार पर समय-समय पर अद्यतन करें। आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास चक्रवात के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है।

केरल में कच्छ वनस्पति वन

1240. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के निर्माण संबंधी कार्यकलापों के कारण केरल राज्य में कच्छ वनस्पति वनों के बड़े क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल का वन विभाग इन कच्छ वनस्पति वनों के अत्यधिक कटाव को देखकर भी मूक दर्शक बना हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इन वनों के और अधिक कटाव को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) केरल वन विभाग से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार कच्छ वनस्पति को सरकारी क्षेत्र में भारी नुकसान नहीं हुआ है। तथापि, निजी क्षेत्र में कच्छ वनस्पति को थोड़ा सा नुकसान हुआ है।

(ख) केरल सरकार ने राज्य में कच्छ वनस्पतियों तथा आद्रभूमियों पर अध्ययन के लिए हाल ही में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त, केरल वानिकी परियोजना का शुभारंभ किया है ताकि लोगों की भागीदारी के साथ इन पारि-प्रणालियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए कार्य नीतियां तैयार की जा सकें।

(ग) केन्द्र सरकार भी वैमबनाड कच्छ वनस्पति क्षेत्र के लिए प्रबंधन कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु केरल सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करवा रही है।

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजना के लिए काउंटर गारंटी

1241. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम की छठी फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजना को सरकार द्वारा काउंटर गारंटी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या काउंटर गारंटी में 1.2 बिलियन डॉलर की परियोजना में 818 मिलियन डालर का विदेशी ऋण शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा तथा उत्पादन प्रारम्भ होगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना को प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन किए जाने की तिथि के 44 माह के पश्चात चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

बाढ़ और चक्रवात के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति

1242. **श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान असम में भारी वर्षा, बाढ़ और चक्रवात के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : कुल घाटे (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) की मात्रा मौद्रिक शब्दों में निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, पिछले तीन वर्ष के दौरान कुल 5.7 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष घाटा होने का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

नैतिक शिक्षा प्रदान किया जाना

1243. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्वानों का मत है कि बच्चों को बचपन से ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों को भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) क्या इस संबंध में किसी विभाग का गठन किया गया है और यदि नहीं, तो इसके कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। बड़ी संख्या में विद्वानों की यह राय है कि बच्चों को बचपन से ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) से (घ) नैतिक शिक्षा पहले से ही स्कूली पाठ्यचर्या का अंग है। प्राथमिक स्तर पर इसे विभिन्न विषय क्षेत्रों खासकर पर्यावरण अध्ययन तथा भाषा में समेकित किया जाता है। ये घटक भारतीय संस्कृति पर आधारित हैं।

(ङ) इस प्रयोजनार्थ अलग से विभाग बनाने का सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी एककों को प्रोत्साहन

1244. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी एककों को बढ़ावा देने के लिए आन्ध्र प्रदेश में अमेरिका की सहायता से विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के पास राज्य में जैवप्रौद्योगिकी एककों को बढ़ावा देने के लिए आन्ध्र प्रदेश में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

तटवर्ती राज्यों का मानचित्र

1245. **श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र तटीय राज्यों का तटवर्ती मानचित्र तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मानचित्र के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) वर्तमान में सरकार द्वारा समुद्र तटीय राज्यों का मानचित्र तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों का हाई रिजाल्यूशन टोपोग्राफीकल मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

कुल्पी की नई पत्तन परियोजना की स्थिति

1246. **डा. असीम बाला** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल के कुल्पी की नई पत्तन परियोजना की क्या स्थिति है;

(ख) क्या यह नई पत्तन परियोजना अनिश्चितता की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) बंगाल पोर्ट्स लि. ने, जोकि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम और एक उद्योगपति ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से प्रोन्नत कंपनी है, कलकत्ता पत्तन न्यास के अधिकार-क्षेत्र के तहत कुल्पी में पत्तन सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव किया है। कलकत्ता पत्तन न्यास इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

पटना में आर.सी.सी. टर्मिनल

1247. **प्रो. अजित कुमार मेहता** :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटना में आर.सी.सी. टर्मिनल के कब तक बनकर कार्य शुरू कर देने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में अन्य विवरण क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) अनुमोदित स्कीम के अनुसार पटना में आर सी सी टर्मिनल का निर्माण मार्च, 2000 तक किया जाना है।

(ख) सरकार ने 14.45 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से इस स्कीम को मार्च, 1998 में अनुमोदन प्रदान किया था। यह कार्य जमा कार्य के रूप में के.लो.नि.वि. को सौंपा गया है। के.लो.नि.वि. ने जैटी और जैटी के लिए पहुंचमार्गों हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं। के.लो. नि.वि. प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर रहा है।

[हिन्दी]

खेल-कूद विद्यालयों की स्थापना

1248. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेल-कूद विद्यालय खोलने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विद्यालय खोलने के लिए स्थानों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थानों के चयन हेतु कौन से मानदण्ड अपनाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) खेलकूद विद्यालयों को स्थापित करने के सम्बन्ध में एक योजना फिलहाल तैयार की जा रही है। ऐसे विद्यालयों के स्थान, इत्यादि के संबंध में ब्यौरा के बारे में निर्णय योजना के अनुमोदन के बाद लिया जाएगा।

बांग्लादेश में विद्युत परियोजना की स्थापना करना

1249. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का बांग्लादेश में किसी विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने 1000 मे.वा. की चरण क्षमता वाली, संयुक्त उपक्रम के रूप में एक गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। बांग्लादेश सरकार से उत्तर प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास योजनाओं द्वारा निधियों का दुर्विनियोग

1250. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार राजस्थान में समेकित बाल विकास योजनाओं के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत खरीद में बड़े पैमाने पर दुर्विनियोग हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस तरह के दुर्विनियोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच के आदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई राशि इस प्रकार है:—

(रु. लाखों में)

1995-96	1996-97	1997-98
2565.63	3238.83	3373.72

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण पद्धति

1251. **श्री माधव राव पाटील :**

श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र प्रायोजित योजना "आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण पद्धति" को नौवीं योजना में भी जारी रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना देश के ग्यारह राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। अस्थायी तौर से, विभिन्न राज्यों में चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत आबंटित धनराशि निम्न प्रकार है:

राज्य	अस्थायी रूप से आबंटित धनराशि (लाख रु. में)
बिहार	28.354
महाराष्ट्र	8.79
हिमाचल प्रदेश	46.92
उड़ीसा	46.92
कर्नाटक	39.00
उत्तर प्रदेश	37.92
केरल	32.22
मध्य प्रदेश	22.81

अन्य राज्यों के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि इस प्रकार है।

राज्य का नाम	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98
आंध्र प्रदेश	6.00	2.42	10.00	-	-	14.156
बिहार	6.07	-	-	-	-	-
गुजरात	5.00	8.00	3.40	-	15.73	23.73
हिमाचल प्रदेश	8.00	19.725	12.00	-	-	19.75
कर्नाटक	8.00	13.10	10.36	-	6.46	23.415
केरल	5.00	8.00	33.56	6.855	10.055	21.22
मध्य प्रदेश	8.21	48.44	34.30	-	43.40	11.58
महाराष्ट्र	8.00	13.10	-	-	-	-
उड़ीसा	7.00	4.00	6.724	-	31.896	-
तमिलनाडु	5.00	8.00	4.72	-	-	-
उत्तर प्रदेश	8.00	-	-	-	18.01	37.11

(लाख रु. में)

फायर लाइनों फायर वाच टावरों के निर्माण, वायरलेस सैटों, फायर फाइटिंग उपकरणों, आदि की खरीद के लिए राज्य सरकारों द्वारा धनराशि का प्रयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गोवा में विद्युत परियोजनाएं

1252. **श्री रवि सीताराम नायक :**

श्री फ्रांसिस्को सारदीना :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में इस समय कितनी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और इन की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और इनको पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) गोवा स्थित सनक्कल में चल रही सलगांवकर विद्युत परियोजना एक ताप विद्युत परियोजना है जिसकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता 48 मे.वा. है। परियोजना का क्रियान्वयन रिलायंस सलगांवकर पावर कं.लि. द्वारा किया जा रहा है।

(ख) चूंकि गोवा में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई विद्युत परियोजना नहीं चल रही है इसीलिए वार्षिक योजना में कोई आबंटन नहीं किया गया है।

उपरोक्त संयुक्त साइकिल परियोजना को पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य शून्य तिथि (13 जून, 1998) से 18 माह है। इस प्रकार परियोजना पूरा करने की लक्षित तिथि 12 दिसम्बर, 1999 है।

(ग) इस परियोजना के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

निम्नस्तरीय शैक्षणिक संस्थान/बिजनेस स्कूल

1253. **श्री अमर पाल सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

डा. अशोक पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के नाम पर देश में निम्नस्तरीय शैक्षणिक संस्थान और बिजनेस स्कूल चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और बिजनेस स्कूलों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाली कुछ असम्बद्ध प्रबन्ध शिक्षा संस्थाओं के स्तर तथा कोटि में गिरावट आने को ध्यान में रखकर जैसा

कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 1996 में निर्णय लिया कि प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों (पीजीडीएम) को तब तक न अनुमोदित किया जाए जब तक कि परिषद द्वारा प्रवेश, मूल्यांकन, परीक्षाओं, मॉनीटरिंग का कोई उपयुक्त तंत्र न विकसित तथा कार्यान्वित कर लिया जाए। इस बीच, परिषद् ने प्रतिवर्ष बिजनेस स्कूलों की मॉनिटरिंग करना पहले ही शुरू कर दिया है और कुछ संस्थाओं में दाखिलों को बंद कर दिया है तथा कुछ घटिया स्तर की संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस देने के बाद, उनको दिये गये अनुमोदन को वापस ले लिया है।

[अनुवाद]

विद्युत संबंधी स्थायी स्वतंत्र ग्रुप

1254. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 20,000 मेगावाट क्षमता के सृजन के संबंध में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी.एन. भगवती की अध्यक्षता वाले विद्युत संबंधी स्थाई ग्रुप की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ संयुक्त रूप से एक पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार ने अभी वृहद विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीतियों को पुनः निर्धारण किया है। संशोधित नीतियों के अनुसार वृहद विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्रों के ऐसे परियोजना स्थलों की पहचान कर ली गई है जो एक से अधिक राज्यों की आवश्यकताओं का प्रबंध कर सकें। आरंभ में सरकार द्वारा नियोजित स्थायी स्वतंत्र दल गैर-सरकारी वृहद विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु, शीर्षस्थ स्तर पर कार्य करेगा। जहां तक सम्भव हो सका, गैर्-सरकारी वृहद परियोजनाओं से शुल्क प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों में प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के सिद्धांतों का पालन होता रहेगा। इन परियोजनाओं को कुछ छूट दी जा रही है और सुधारों से जोड़ा जा रहा है। यह आशा की जाती है कि ये परियोजनाएं अल्प शुल्क में निपट जांएगी और सुधार उत्प्रेरक में सहायक होंगी और राज्यों और क्षेत्रों के मध्य विद्युत अंतरण प्रणाली को स्थापित करने में त्वरित गति प्रदान करेगी।

(ग) और (घ) जी, हां। पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. इक्विटी बहुल के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, विद्युत वित्त निगम व अन्य वित्तीय संस्थानों सहित एक पावर ट्रेडिंग कंपनी स्थापित करेगी। यदि सम्भव हुआ, संबंधित राज्य सरकारें/राज्य विद्युत बोर्ड भी इसमें सहभागी होंगे। पावर ट्रेडिंग कंपनी अभिज्ञात निजी परियोजनाओं से बिजली की खरीद करेगी और अभिज्ञात राज्य विद्युत बोर्डों को विक्रय करेगी। इससे परियोजना का विकास करने में सहायता मिलेगी क्योंकि परियोजना विकासकर्ता को केवल एक ही एजेंसी के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

1255. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :**
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों की वास्तविक मांग क्या थी; और

(ग) इस समय राज्यवार निर्माण किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितने किलोमीटर है एवं नौवीं योजना अवधि में कितने किलोमीटर के निर्माण का प्रस्ताव है तथा स्वीकृति हेतु विचारार्थ अन्य कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) ब्यौरों को संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) ब्यौरों को संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) ब्यौरों को संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	स्कीम	यूनिट	8वीं योजना	9वीं योजना
			आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्धियां	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित उपलब्धियां*
1.	एक्सप्रैसमार्ग	कि.मी.	कोई नहीं	500
2.	चौड़ा करके 2 लेन बनाना	कि.मी.	901	4000
3.	चौड़ा करके 4 लेन बनाना	कि.मी.	245	7000
4.	मजबूत करना	कि.मी.	3542	10,000
5.	बाइपास	सं.	9	34
6.	पुलों का पुनर्निर्माण	सं.	301	470

* नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित सड़क संबंधी कार्यदल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	8वीं योजना के विकास के लिए निधियां (लाख रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	18479.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	310.00
3.	असम	7022.00
4.	बिहार	8375.00
5.	चंडीगढ़	124.00
6.	दिल्ली	2200.00
7.	गोवा	2975.00
8.	गुजरात	23431.00
9.	हरियाणा	26565.00
10.	हिमाचल प्रदेश	6500.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	285.00
12.	कर्नाटक	12510.36
13.	केरल	16669.00
14.	मध्य प्रदेश	7939.50
15.	महाराष्ट्र	12974.00
16.	मणिपुर	1735.00
17.	मेघालय	2857.00
18.	मिजोरम	0.00
19.	नागालैंड	195.00
20.	उड़ीसा	14704.00
21.	पांडिचेरी	244.64
22.	पंजाब	19960.00
23.	राजस्थान	20165.00
24.	सिक्किम	0.00
25.	तमिलनाडु	9958.5
26.	त्रिपुरा	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	30179.00
28.	पश्चिम बंगाल	17135.00
29.	जोगी घोपा पुल	11950.00
30.	मंत्रालय	4661.00
31.	[illegible]	24900.00
32.	भा.रा.रा.प्रा.	9179.00
	जोड़	314162.50

[अनुवाद]

शुल्क ढांचे को सुधारू बनाना

1256. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भुगतान के आधार पर बी.ई पाठ्यक्रमों के सीटों के शिक्षण शुल्क ढांचे में अनियमितता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा शुल्क ढाचे को सुधारू बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार बी.ई. पाठ्यक्रमों की भुगतान वाली सीटों के वास्ते शिक्षा शुल्क ढांचे का निर्धारण शिक्षा की वास्तविक लागत के योगदायी विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर राज्य स्तर की शुल्क समितियों द्वारा किया जाएगा। अतः शिक्षा शुल्क की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं। फिलहाल विद्यमान शिक्षा शुल्क ढांचे का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष राज्यों द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क की सीमा

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	भुगतान वाली सीटें	
1	2	3	
1.	आन्ध्र प्रदेश	26,250	
2.	बिहार	27,000	
3.	गुजरात	20,000	
4.	केरल	46,828	
		35,000	सरकारी स्व-वित्त पोषक कॉलेजों के लिए
5.	महाराष्ट्र	32,000	
6.	उड़ीसा	29,000	
7.	पंजाब	44,960+3,700 रुपये एक बार में भुगतान	
8.	तमिलनाडु	32,500	
9.	मध्य प्रदेश	37,500+7,500 का अतिरिक्त शिक्षा शुल्क	

1	2	3
10.	कर्नाटक	23,000
11.	उत्तर प्रदेश	76,000
12.	पश्चिम बंगाल	27,000

जहाजरानी कम्पनियों में विदेशी इक्विटी

1257. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जहाजरानी कंपनियों में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) इस संबंध में विदेशी निवेशकों से प्राप्त प्रस्ताव, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जहाजरानी उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें कितने जहाज हैं, उनकी कितने टन की क्षमता है और सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में जहाजरानी के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार नौवहन क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन स्कीम के अंतर्गत 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति है। तथापि, 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी निवेश के लिए अनुमति हेतु मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) 30.11.98 की स्थिति के अनुसार, नौवहन उद्योग के पास कुल 6.77 मिलियन सकल पंजीकृत टन भार (जी आर टी) के 480 जलयान हैं। भारतीय नौवहन उद्योग लाइनर, बल्क कैरियर, टैंकर, यात्री सेवाएं आदि जैसी विभिन्न किस्म की सेवाओं का प्रचालन करता है। समग्र टनभार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का हिस्सा लगभग 46 प्रतिशत है।

चेन्नई पत्तन में चालक दल द्वारा हड़ताल

1258. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1998 में चालक दल द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण चेन्नई पत्तन में जहाज फंस गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) हड़ताल के कारण जल्दी खराब हो जाने वाली सब्जियों जैसे कार्गो को कितनी क्षति हुई; और

(घ) देश में इस तरह की अचानक हड़तालों को समाप्त करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : *(क) और (ख) जी हां। चेन्नई पत्तन न्यास के नौचालन विभाग के नौबंध कर्मीदल ने प्रत्येक 8 घन्टे की 3 पालियों की बजाय* प्रत्येक 12 घन्टे की दो लम्बी पालियों में तैनाती शुरू करने और प्रत्येक जलयान के लिए निर्धारित कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने की मांग करते हुए 30.8.98 को तीसरी पाली (2200 बजे) से अचानक हड़ताल कर दी। प्रबंधक अनुचित मांग पर सहमत नहीं हो सके क्योंकि इससे पत्तन के दूसरे क्षेत्रों और देश के अन्य पत्तनों में भी प्रभाव पड़ता।

(ग) पत्तन में हड़ताल के कारण सब्जियों जैसे खराब होने वाले कार्गो को कोई क्षति नहीं हुई।

(घ) प्रबंधक वार्ताओं की प्रक्रिया के माध्यम से कामगारों के साथ मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने का सदैव प्रयास करते हैं। प्रबंधक वर्ग के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा दो श्रमिक न्यासियों की नियुक्ति की जाती है। पत्तन श्रमिकों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंध लागू होते हैं, फिर भी, श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल किए जाने को वर्जित नहीं किया जा सकता।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

1259. श्री संदीपान थोरात : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समीक्षा में उभरते रूझानों के आलोक में सरकार संस्थान के प्रशासन का पुनर्गठन करने और इसे नया रूप देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में चालू वर्ष की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

1260. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को प्रस्तुत किए गए मसौदे का ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने मसौदे पर विचार किया है; और

(घ) *यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?*

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मुखर्जी समिति

1261. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव** (जहानाबाद) :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुल भूमि में से एक-तिहाई भूमि को वन भूमि में परिवर्तित करने हेतु सुझाव देने के लिए श्री ए के मुखर्जी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार को रिपोर्ट किस तिथि को प्राप्त हुई थी; और

(घ) रिपोर्ट क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

सरकार ने "वनरोपण नीति और "बंजर भूमि के विकास" की समीक्षा करने के लिए वन महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) श्री ए के मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसके विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :

1. वनरोपण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और देश में वनरोपण क्रियाकलापों को तीव्र करने के उपाय और राशियों में वृद्धि करने के उपाय सुझाना।
2. भारत सरकार में वनरोपण कार्यों के लिए विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और सही कार्यक्षमता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उचित परिवर्तनों का सुझाव देना।
3. देश में संयुक्त वन प्रबंधन (जे एफ एम) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और संयुक्त वन प्रबंधन पर विशेषज्ञ वर्ग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के सही कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देना।

(ख) जी, हां।

(ग) 31.1.1998 को सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई। समिति ने सिफारिश की कि भारत में भावी वनरोपण और जे एफ एम नीति का *निम्नलिखित सिद्धांतों से संचालन किया जाना चाहिए:—*

1. *कुल भूमि के 33 प्रतिशत हिस्से में वन अथवा वन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि में* वन/पेड़ लगे हों। इसका अभिप्राय यह है कि लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि और इसके अतिरिक्त 30 मिलियन हे. सार्वजनिक और गैर-सरकारी बंजर भूमि को वानिकी के प्रयोजन के लिए अलग रखना होगा।
2. इन कार्यकलापों में 15.5 मिलियन हेक्टेयर पेड़ों से खाली वनों में पुनः पेड़ लगाना, 15.5 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि में पुनः पेड़ लगाने, वनरोपण और सिलविपास्चार और शेष 30 मिलियन हेक्टेयर सार्वजनिक और निजी बंजर भूमि में कृषि वानिकी, फार्म वानिकी, सिल्विपास्चर और इसी तरह के अन्य कार्यकलापों के अधीन वनरोपण करना शामिल होगा।
3. समस्या यह है कि यदि अगले 20 वर्षों में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना है तो 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि में वार्षिक वनरोपण और सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरूद्धार सिल्विपास्चर करना होगा। वर्तमान वार्षिक दर केवल 1.2 मिलियन हेक्टेयर है। अतएव यह लक्ष्य काफी बड़ा है और इसके लिए सरकारी तंत्र को मजबूत बनाना, नवीन दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी अपेक्षित है।
4. वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और यदि इसका उचित प्रबंधन किया जाए तो ये अक्षय संसाधन हैं। इनका प्रबंधन, इस्तेमाल और संरक्षण ऐसी नीतियों और कार्य नीतियों से संचालित होना चाहिए जिससे इनके दीर्घावधि संरक्षण और सतत् विकास के लिए इनके पारिस्थितिकीय मूल्यों और अक्षय स्वरूप का लाभ उठाया जाए।
5. वनों को बचाना वनों में रहने वाले समुदायों और वनों के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग जो वनों पर निर्भर हैं, से जुड़ा हुआ है। जे एफ एम के माध्यम से भावी वनरोपण और वनों में पुनः पेड़ लगाने की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे ऐसे समुदायों की पहचान उनकी संस्कृति और अधिकार न केवल दिए जाए बल्कि उनका समर्थन भी किया जाए जिससे उन्हें वन संसाधनों के विकास, संरक्षण और सतत इस्तेमाल में साझेदार बनाया जा सके।
6. अवक्रमित वन भूमि और अन्य बंजर भूमि के विकास की भावी कार्यनीति में अक्षय ऊर्जा, चारा, लकड़ी और इमारती लकड़ी का सतत और पर्यावरण की दृष्टि से स्वास्थ्य स्रोतों के रूप में पता लगाया जाना चाहिए। अच्छे प्राकृतिक संसाधनों से युक्त वनों पर ऑफसेट

दाब के लिए पारिस्थितिकीय प्रोसेस को बनाए रखने में सहयोग और स्थानीय निवासियों की पर्याप्त भागीदारी से ग्रामीण रोजगार प्रदान करने और विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

7. अवक्रमित वन भूमि, सार्वजनिक और निजी बंजर-भूमि में वनरोपण और पुनरूद्धार का बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए और ऐसे अन्य क्षेत्रों, जैसे कृषि, पशु-पालन, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास और आधारभूत सुविधाएं, के प्रचालन के संबंध में कार्यनीति में इनके कार्यों की समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए।

8. अवक्रमित वन भूमि के वनरोपण और पुनरूद्धार की भावी कार्यनीति में सभी स्वीकृत पणधारियों की भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए और इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा इनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

9. जलवायु परिवर्तन, मरूस्थलीकरण का सामना करने आदि से संबंधित सम्मेलनों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी एर्जेसियों से, विशेषकर कार्यसूची 21 और जी ई एफ के तहत, अधिक से अधिक सहायता लेने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

10. वनों की सुरक्षा के लिए वन आग पर नियंत्रण

11. अवक्रमण को रोकने के लिए वन क्षेत्रों में चराई पर नियंत्रण।

12. पूरे देश में बजर भूमि का उचित निर्धारण और पहचान।

इन सिद्धान्तों के आधार पर समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

क. संसाधन जुटाना :

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को योजना आयोग से वनरोपण कार्यक्रम के लिए अधिक राशि प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास करने होंगे। समिति ने पुनः यह सिफारिश की है कि वन एवं पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार को वनरोपण के लिए उपलब्ध राशि में वृद्धि करने के लिए राज्यों के मुख्य-मंत्रियों से बातचीत करनी चाहिए।

2. वानिकी के लिए अधिक राशि प्राप्त करने और वन क्षेत्रों के आसपास के दो लाख गांवों से जे एफ एम कार्यकलापों के सही कार्यान्व्यन के लिए समिति ने डी आर डी ए के अनुरूप संयुक्त वन प्रबंधन एवं विकास एर्जेसी (जे एफ एम डी ए) बनाने का समर्थन किया है।

3. प्रत्येक राज्य को वन उत्पादों की बिक्री से एकत्र अपने राजस्व का कम से कम 25 प्रतिशत वन विभाग के अधीन वन विकास निधि में देना चाहिए जिससे प्राकृतिक वनों में पुनर्निवेश और अवक्रमित वनों का पुनरूद्धार किया जा सके।

4. *वनरोपण कार्यकलापों में निवेश के लिए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर उनकी वार्षिक बिक्री का कम से कम* एक प्रतिशत उपकर लगाया जाए।

5. आवाह क्षेत्र और कमांड क्षेत्रों में वनरोपण के लिए नई परियोजनाओं की परियोजना लागत के 5 प्रतिशत के बराबर और विद्यमान परियोजना के वार्षिक परिचालन व्यय के 1 प्रतिशत के बराबर पन बिजली परियोजना में राशियों का निवेश किया जाए।

6. अवक्रमित भूमि के पुनरूद्धार के लिए रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत वित्त पोषण और 15 वर्ष अथवा अंतिम रूप से कटाई, इनमें से जो भी पहले हो, पर ऋण का भुगतान करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। आयोग ने पुनः यह सिफारिश की कि राज्य वन निगमों द्वारा लगाए गए बागानों की पारिस्थितिकीय दृष्टि से और प्राप्त आर्थिक लाभों की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्य वन निगमों को औद्योगिक विकास निगमों के अनुरूप वनरोपण परियोजनाओं को विकसित करने के लिए स्थानीय उएद्यमकर्ताओं का पता लगाना चाहिए।

7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विशेष रूप से कार्यसूची 21 और ग्लोबल इन्वायरमेंटल फेसिलिटी के तहत वनरोपण कार्यकलापों में गति लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत/राशियां दान में लाने के काम में तेजी लाई जानी चाहिए।

8. बंजर और अत्यधिक अवक्रमित वन भूमि पैदावार के लिए इस्तेमाल करने के संबंध में इस पर उच्च प्रौद्योगिकी आधारित बागान लगाने के लिए सहकारी और वन विकास निगम की भागीदारी होनी चाहिए।

9. निजी भूमि पर पट्टे के आधार पर बागान लगाने के लिए जोत क्षेत्र में छूट दी जाए।

ख. संस्थागत और नीतिगत मामले :

1. वनरोपण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता, कर ऋण और अन्य प्रोत्साहनों के संबंध में नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन करना।

2. वानिकी अन्य क्षेत्र जैसे कृषि, पशुधन, शहरी हरित क्षेत्र आदि के बीच संपर्क सूत्र विकसित करना ताकि वानिर्क वैकल्पिक भू-उपयोग तंत्र का हिस्सा बन सके।

3. समिति ने जे एफ एम पर राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय बोर्ड के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच की और सफारिश की कि विशेषज्ञ दल की सभी सिफारिशें कतिपय संशोधनों के साथ कार्यान्वित की जानी चाहिए।

4. समिति ने राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के विलय

तथा इन निकायों की अध्यक्षता व्यावसायिक फोरेस्टरों द्वारा करने की सिफारिश की।

5. *पर्यावरण और वन मंत्रालय और राज्य वन विभागों में* जे एफ एम के लिए पृथक प्रकोष्ठ खोलना।
6. पर्यावरण और वन मंत्रालय में नीति विकास केन्द्र की स्थापना।
7. भारत वन सर्वेक्षण को जी आई एस के उपयोग के माध्यम से बंजर भूमि के मूल्यांकन का कार्य करना चाहिए।
8. भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद् को विस्तार कार्यकलापों को उत्साहपूर्वक करना चाहिए और गुणवत्ता पौधरोपण सामग्री के उत्पादन पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय बीज और पौध रोपण सामग्री प्रमाणन एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। आई सी एफ आर ई को प्रयोगकर्ताओं के साथमिलकर प्रदर्शन परीक्षण करने चाहिए।
9. पर्यावरण और वन मंत्रालय समुचित उत्पादन आंकड़े एकत्रित करें और काष्ठेतर वन उत्पाद के उपयोग और बाजार और व्यापार नीतियों को मॉनीटर करें।
10. समिति द्वारा क्षेत्रीय विशेषज्ञ दल के गठन से वनीकरण मुद्दे पर क्षेत्रीय परामर्श लेने की सिफारिश की है।
11. वन उप महानिदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती जैव-विविधता और मरुस्थलीकरण नियंत्रण प्रभाग में की जानी चाहिए और पर्यावरण वन मंत्रालय के सचिव और मंत्री को भेजी जाने वाली सभी फाइलें, वन महानिदेशक और विशेष सचिव के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे वनीकरण कार्यों के लिए राशियां जुटाई जा सके।
12. एन ए ई बी के ग्रेजिंग पॉलिसी रिपोर्ट का कार्यान्वयन के लिए।

(घ) पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय बैठक 2.7.1998 को हुई।

बैठक में लिए गए निर्णयों का सार निम्नानुसार है :—

1. लोगों को जे एफ एम के माध्यम से वनीकरण संबंधी कार्यकलापों में शामिल करना, डी आर डी ए की तर्ज पर संयुक्त वन प्रबंधन और विकास एजेंसियों के माध्यम से वन क्षेत्रों में तथा उनके आसपास पृथक संस्थागत व्यवस्था की जाएगी।
2. देश में 15 वर्षों में वन और वनेतर बंजर भूमि के पुनः स्थापन के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।
3. देश में बंजर भूमि के पुनः स्थापन के लिए किसानों, सहकारी संस्थाओं, राज्य वन निगमों और अन्य संगठनों को उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए *एन ए बी ए आर डी के माध्यम से बैंक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्था करना।*
4. वनीकरण में पुनर्निवेश करने के लिए पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप एकत्रित जुर्माने, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाए गए उपकर, और जल विद्युत परियोजनाओं में वनीकरण निवेश निधि शामिल करके पर्यावरण निधि सृजित करना।
5. पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए वृहत जागरूकता अभियाम और राष्ट्रीय मिशन आरंभ करना। जागरूकता अभियान इस प्रकार आरंभ किया जाएगा कि लोग वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए "ग्रीन गार्ड" के रूप में कार्य करें।
6. पर्यावरण को स्कूल और कालेजों के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना।
7. वानिकी क्षेत्र के तहत आबंटन में बढ़ोत्तरी करना।
8. राज्य वन निगमों के कार्यों को बाजार शक्तियों के अनुरूप करना तथा व्यावहारिक इकाइयों के रूप में कार्य करना।

[अनुवाद]

दि.वि.बो. के लिए लोक अदालतें

1262. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर दिल्ली विद्युत बोर्ड के लिए लोक अदालतें गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी तरह के लोक अदालतों के गठन का प्रस्ताव अन्य जन उपयोगी सेवाओं जैसे-एम.टी.एन.एल., एम.सी.डी., डी.डी.ए., एन.डी.एम.सी. इत्यादि के लिए भी करने का है जिससे मुकदमेबाजी पर होने वाले तमाम खर्चों की बचत होगी और विवादों का निपटारा भी शीघ्रता से होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की सभी जन उपयोगी सेवाओं को ऐसी लोक अदालतें गठित करने के लिए निदेश देने का है ताकि न्यायालयों और अधिकरणों के भार को हल्का किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने, दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के सम्यक् अनुपालन में, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से, दिल्ली विद्युत बोर्ड में स्थायी और अनवरत लोक अदालतें गठित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, डी.डी.ए., एन.डी. एम.सी., एम.सी.डी., एम.टी.एन.एल. और जी.आ.ई.सी. को, उन मामलों को, जिनमें वे पक्षकार हैं, सुलझाने के लिए स्थायी लोक अदालतों के गठन के बारे में उनकी राय जानने के लिए नोटिसें जारी की हैं।

(ग) और (घ) नाल्सा के तत्वावधान में, 12 सितम्बर, 1998 को, नई दिल्ली में हुई राज्य विधिक प्राधिकरणों की प्रथम वार्षिक बैठक में यह सिफारिश करते हुए संकल्प किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को, केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों पर जोर डालना चाहिए कि वे सुलहकारी समाधान के लिए लोक अदालतों को, जितने अधिक मामले संभव हों, निर्दिष्ट करें तथा पृथक् लोक अदालतें स्थापित करने की साध्यता पर भी विचार करें। सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में स्थायी और अनवरत लोक अदालतें स्थापित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन्य जीव उत्पादों का अवैध व्यापार

1263. **श्री विठ्ठल तुपे :**

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य जीव तथा इनके उत्पादों के अवैध व्यापार को राष्ट्रीय स्तर पर रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) वन्य जीवों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वन्यजीव के अवैध शिकार तथा गैर-कानूनी व्यापार को रोकने संबंधी उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रालय से, सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में एक विशेष अंतः विभागीय समन्वयन तथा प्रवर्तन समिति का गठन किया गया है जिसमें गृह मंत्रालय, सी बी आई के प्रतिनिधि तथा सी बी ई और सी सदस्य के रूप में हैं।

(घ) समिति की पहली बैठक अक्तूबर, 1998 में हुई थी तथा उसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी :—

1. वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा वन्यजीव उत्पादों के गैर-कानूनी व्यापार पर नियंत्रण के लिए अन्तः मंत्रालय समन्वय।
2. पुलिस, वन विभाग तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों वाली राज्य स्तरीय समन्वयन समिति तथा एक जिला स्तरीय समन्वयन समिति का गठन करना।
3. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने तथा वन्य जीव उत्पादों की अवैध तस्करी में शामिल गिरोहों के मुखिया (किंगपिन) तथा इसके पीछे काम करने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए पुलिस, सी बी आई तथा अर्ध-सैनिक बलों से सहायता लेना।
4. सभी एजेंसियों के साथ निरंतर विचार-विमर्श।
5. नवीनतम अन्वेषण विधियों तथा अपराध अन्वेषणों के बारे में वन्यजीव कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

(ङ) राज्य सरकारों को समन्वय समितियां गठित करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं तथा अन्य संबंधित एजेंसियों को भी समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

विवरण

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची । से 4 में शामिल वन्य पशुओं के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।
2. बाघों, हाथियों तथा गैंडों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
3. वन्यजीव प्राधिकरियों द्वारा वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर छापे मारे जाते हैं।
4. वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत संकटापन्न पशु प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जाता है।
5. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परीक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।
6. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक आदि जैसे प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय बढ़ाए गए हैं। दिल्ली तथा देहरादून में 1995 और 1996 के दौरान इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।
7. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के कर्मचारियों को आधुनिक हथियार, बेतार उपकरण और संचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
8. केन्द्र के समनुरूप राज्यों से भी कहा गया है कि वे सभी प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वय समिति बनाएं ताकि चोरी छिपे

शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों हेतु विश्व बैंक सहायता

1264. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में पत्तन टैरिफ निर्धारित करने संबंधी मार्गदर्शन हेतु प्रमुख पत्तनों का अध्ययन किए जाने के लिए टैरिफ अथारिटी को 7,33,000 डालर की सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अथॉरिटी अधिक युक्तियुक्त पत्तन टैरिफ नीति तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्यात संबंधी मार्गदर्शन हेतु अनेक अध्ययनों को प्रयोजित करने का विचार कर रहा है;

(ग) क्या सरकार ने पत्तन कानूनों में संशोधन करने हेतु सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ पत्तन प्रशुल्क निर्धारण संबंधी विशेषज्ञ अध्ययन को शुरू करना शामिल होगा ताकि निर्यात में वृद्धि की जा सके।

(ग) और (घ) जी हां।

एक समिति का गठन किया गया था जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :-

(1) संविधि में ऐसे उपबंधों का पता लगाना जिनकी नौचालन/पत्तन कार्यकलापों के वर्षों से हुए परिवर्तन के कारण आगे आवश्यकता नहीं है।

(2) ऐसे उपबंधों का पता लगाना जो पत्तनों के वाणिज्यिक वातावरण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ समन्वय करके प्रचालन करने की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हों; और

(3) यह जांच करना कि क्या मौजूदा संविधियों का एक ही संविधि में एकीकरण/सरलीकरण किया जा सकता है।

समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट 20.11.1998 को प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

बिहार में महिला साक्षरता

1265. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण जानने के लिये कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी ,नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा हेतु अतिरिक्त आबंटन

1266. श्री आर.एस.गवई :

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस मांग को पूरा करने हेतु क्या निर्णय लिए गए हैं अथवा लिए जाने का विचार है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मांग को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस संबंध में राज्य सरकारों से मंत्रालय में कोई ऐसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उनकी देखरेख

1267. श्री चमन लाल गुप्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) देश, विशेषरूप से जम्मू और कश्मीर में वाहनों की कुल संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनमें कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) देश में और विशेषकर जम्मू-कश्मीर में इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(संख्या हजार में)

	देश में	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में
31.3.95 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत वाहनों की संख्या	30295	178
1995-96 के दौरान वृद्धि	3263	17
31.3.96 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत वाहनों की संख्या	33558	195

(ख) पिछले तीन वर्षों (1995-98) में राष्ट्रीय राजमार्गों में हुई कुल वृद्धि इस प्रकार है :-

देश में	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में
4459 कि.मी.	शून्य

(ग) पिछले तीन वर्षों (1995-98) के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

विकास कार्य	44.75 करोड़ रु.
अनुरक्षण कार्य	20.31 करोड़ रु.

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नीति

1268. श्री बाला साहिब विखे पाटील : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नीति का व्यापक ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राणी उद्यानों के शैक्षिक पहलुओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संकटापन्न प्रजातियों के संग्रहण के लिए प्राणी उद्यानों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :—

1. सभी चिड़ियाघरों का प्रबंधन वन्य जीव संरक्षण से संबंधित सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करके और विशेषतौर पर परिसंकटमय प्रजातियों का स्थान बाह्य प्रजनन करके तथा आगंतुकों को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्वक रहने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाएगा।
2. किसी नए चिड़ियाघर की स्थापना नहीं की जाएगी जब तक कि राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता न हो और प्रस्तावित चिड़ियाघर के बारे में एक वैज्ञानिक दिशा उपलब्ध न हो।
3. कोई भी चिड़ियाघर अपने यहां वन्य जीव प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि चिड़ियाघर की संख्या की जातिगत औचित्यता बनाए रखना आवश्यक न हो।
4. सभी चिड़ियाघर अपने यहां रखे गए जानवरों के प्राकृतिक आधार पर वास स्थल देखभाल और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं कराते।
5. चिड़ियाघर अपने यहां रखे गए जानवरों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालयों, कालेजों और पशु चिकित्सा संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा।
6. चिड़ियाघर अपने यहां रखे जा रहे जानवरों का प्रबंधन वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई प्रबंध योजना के अनुसार करेंगे। ये चिड़ियाघर बहुप्रसव प्रजनन प्रजातियों के संबंध में संख्या नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे।
7. वन्य क्षेत्र में पशुओं को दोबारा लाए जाने के प्रयोजन से परिसंकटमय प्रजातियों के प्रजनन संबंधी कार्यक्रम केवल केन्द्रीय/राज्य सरकार/केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन से चलाया जाएगा।
8. चिड़ियाघर व्यापारिक संगठनों के साथ जानवरों और उनके उत्पादों के लेन-देन के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
9. शिक्षा संबंधी संदेशों को पुख्ता बनाने के लिए एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
10. कोई भी चिड़ियाघर अपने परिसर के भीतर किसी तरह के मनोरंजन/मनोरंजन संबंधी सुविधाएं की अनुमति नहीं देंगे। अगर ये सुविधाएं चिड़ियाघर प्रबंधन के उद्देश्यों के अनुरूप न हो अथवा जिसमें चिड़ियाघर के जानवरों की सुरक्षा/स्वास्थ्य को कोई खतरा उत्पन्न होता हो।

(ख) केन्द्र सरकार ने देश में स्थापित चिड़ियाघरों के प्रबंधन की मॉनीटरी तथा देखभाल के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया है। यह प्राधिकरण वास-स्थल देखभाल तथा चिड़ियाघरों के जानवरों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का दर्जा बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों के लिए देश के भीतर और बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। चिड़ियाघर के शिक्षा घटक को भी बेहतर सुविधाएं देकर तथा अन्य प्रचार सामग्री देकर सुदृढ़ किया जाता है।

(ग) प्रत्येक चिड़ियाघर के लिए अपने कार्य-कलाप चलाने हेतु प्राधिकरण की मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा यह मान्यता रिकॉगनिशन ऑफ रूल्स, 1992 के तहत चिड़ियाघर के जानवरों की आवास सुविधा देखभाल, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा योजनाबद्ध प्रजनन के बारे में निर्धारित मानकों को पूरा करने पर दी जाएगी।

[हिन्दी]

आपरेशन "ब्लैक बोर्ड" योजना

1269. श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998-99 के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत राज्य वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार इन धनराशियों का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त धनराशियों को अन्य कार्यों में उपयोग किया गया तथा राज्य सरकारों द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया; और

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशियों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (लाख रु.)
1.	गुजरात	873.28
2.	गोवा	9.00
3.	कर्नाटक	2391.28
4.	महाराष्ट्र	2299.00
5.	मिजोरम	41.44
6.	दिल्ली	23.02
7.	पांडिचेरी	0.80
	कुल	5637.82

राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे 31 मार्च, 1999 तक उपर्युक्त निधियों का उपयोग कर लें। वर्ष 1998-99 के दौरान निधियां स्वीकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा बिहार की सरकारों से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लोक अदालतें

1270. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में कितनी लोक अदालतें लगाई जाएंगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों मे, क्रमशः 878 और 400 लोक अदालतें आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध

1271. श्री सुरेश चन्देल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ काटने पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए का घाटा प्रतिवर्ष उठाना पड़ रहा है जो कि राज्य के योजना परिव्यय का एक बड़ा अंश है; और

(ख) उपर्युक्त घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

कन्नड़ विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाना

1272. श्री एच. जी. रामुलू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अथवा यूनेस्को के सहयोग से कन्नड़ विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में महिला कल्याणोन्मुखी योजनाएं

1273. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी महिला कल्याणोन्मुखी योजनाएं लागू की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इन योजनाओं से योजना-वार और वर्ष-वार कितनी महिलाओं को लाभ हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इनमें से कितनी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विवाद

1274. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच 10 मई, 1984 को हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए पंजाब की विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान के दावों संबंधी मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष भेजा गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह मामला उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) पंजाब द्वारा रावी और ब्यास नदियों पर शुरू की गई पनविद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर राज्यों से कोई चर्चा आरंभ की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (च) आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना थीन बांध परियोजना, ऊपरी बारी-दोआब नगर (यूडीसी) चरण-2 तथा शाहपुर कंडी जल विद्युत स्कीम से उत्पादित विद्युत में से हरियाणा तथा राजस्थान को हिस्सेदारी एवं इसी मामले में प्रत्येक राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में इस मामले को भेजे जाने के लिए 10.5.1984 को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा केन्द्र सरकार के बीच एक समझौता किया गया था। तत्पश्चात्, समझौते की सभी संभावनाओं की खोज किए जाने तक इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक न भेजे जाने का निर्णय लिया गया। इस विषय पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। तथापि, इस पर सर्वसम्मति नहीं प्राप्त की जा सकी।

20 अक्तूबर, 1997 को श्रीनगर में आयोजित उत्तर मंडल परिषद की बैठक में भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया, जहां यह निर्णय लिया गया कि उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा संबंधित मंत्रियों का एक पृथक सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसमें जल संसाधन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे। इस सम्मेलन में जल एवं विद्युत की भागीदारी से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों एवं घटकों का गहन रूप से अध्ययन किया जाएगा तथा पारस्परिक रूप से सहमत मानदंडों पर सर्वसम्मति प्राप्त की जा सकेगी।

तदनुसार, विद्युत मंत्रालय द्वारा 16.9.98 को चंडीगढ़ में एक शासकीय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों के कड़े एवं उपेक्षित रवैये के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाया। अब शीघ्र ही उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक पृथक सम्मेलन का आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके मामलों का समाधान किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में अनुमोदित जल-विद्युत विकास संबंधी नीति के अनुसार, भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पद्धति तैयार करने की आवश्यकता को महसूस करती है कि जल भागीदारी के संबंध में एक निश्चित नदी घाटी के लिए भागीदार राज्यों के मध्य हुए अधिकरण/समझौते के निर्णयों द्वारा निर्धारित तटवर्ती राज्यों के अधिकारों पर बिना कोई पक्षपात किए उपलब्ध जल-विद्युत शक्यता का पूरी तरह से समुपयोजन किया जाए।

फोटो पहचान पत्र

1275. श्री नरेश पुगलिया :

डा. रवि मल्लू :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने हाल ही में विधान सभा के चुनावों में मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्रों का उपयोग अनिवार्य न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यों में फोटो पहचान पत्रों को जारी करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या देश के सभी नागरिकों को फोटो पहचान पत्र दे दिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश के सभी नागरिकों को कब तक फोटो पहचान पत्र दे दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) चूंकि बड़ी संख्या में निर्वाचकों को त्रुटि रहित फोटो पहचान पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए हाल के विधान सभा निर्वाचनों में फोटो पहचान पत्रों का प्रयोग निर्वाचन आयोग द्वारा आज्ञापक नहीं बनाया गया था।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) देश के सभी नागरिकों को फोटो पहचान पत्र दिए जाने का विनिश्चय अभी तक नहीं किया गया है।

विवरण

निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की प्रगति के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.10.98 को)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल निर्वाचक	ऐसे निर्वाचकों की संख्या, जिन्हें त्रुटि रहित फोटो पहचान पत्र जारी किए गए	2 के सापेक्ष 3 का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	49140231	32544932	66.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	565278	363143	64.24
3.	असम*	12575854	67479	0.54
4.	बिहार $	58438317	21681836	37.10
5.	गोवा	878707	525575	59.81
6.	गुजरात	28771198	23177051	80.56
7.	हरियाणा	10957242	9513347	86.82
8.	हिमाचल प्रदेश	3582024	2640398	73.7
9.	कर्नाटक £	33052802	24046881	72.75
10.	केरल	21152899	11164440	52.78
11.	मध्य प्रदेश $	43919010	27282131	62.12
12.	महाराष्ट्र	56173068	43556045	77.53
13.	मणिपुर	1330299	1033733	77.70
14.	मेघालय £	1157450	644140	55.65
15.	मिजोरम t	441844	0	0
16.	नागालैंड @	925831	560207	63.00
17.	उड़ीसा	23373512	17976113	76.91
18.	पंजाब	15310889	10681780	69.77
19.	राजस्थान £	29738496	18743095	63.03
20.	सिक्किम	236321	200077	84.66
21.	तमिलनाडु	45577323	19755955	45.00
22.	त्रिपुरा	1725809	1203291	69.72
23.	उत्तर प्रदेश	101943066	53016879	52.01
24.	पश्चिमी बंगाल £	46832298	34389847	73.43
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह £	231928	177810	76.67
26.	चंडीगढ़	533222	375406	70.4
27.	दादरा और नगर हवेली	95832	62950	65.69
28.	दमण और दीव #	71931	45645	63.00
29.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र	8313868	5705390	68.62
30.	लक्षद्वीप	36738	31032	84.47
31.	पांडिचेरी	665486	555675	83.50
32.	जम्मू-कश्मीर	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अधीन अधिसूचित नहीं किया गया।		
	संपूर्ण भारत	597748773	361722284	60.51

टिप्पणी :— $ — 15.4.98 * — 15.5.98 # — 15.8.98
@ — 30.8.98 £ — 30.9.98
t — मिजोरम में कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

राजमार्गों की स्थिति

1276. **डा. चिन्ता मोहन :**

डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1998 के "द बिजिनेस स्टेंडर्ड" में "हाईवेज इन पिटीयबल कंडीशन, सेज स्टीड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बजटीय कमी के बावजूद देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विजयस्वरम चरण-2 परियोजना

1277. **श्री के. येरननायडू** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विजयस्वरम चरण-2 परियोजना मंजूरी न मिल पाने के कारण लम्बित पड़ी है और विद्युत परियोजना के लिए नापथा की आपूर्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए नाप्था की पर्याप्त आपूर्ति करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एपीजीपीसीएल) की विजेश्वरम चरण-2 विद्युत परियोजना (172 मे.वा.) को नापथा का आबंटन किया जा चुका है। साथ ही, एपीजीसीएल ने अक्तूबर, 1998 में सूचित किया था कि परियोजना को चालू किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपकरणों की खरीद

1278. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कितने उपकरणों की खरीद की गई;

(ख) इनकी कीमत कितनी है और प्रत्येक उपकरण का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संस्थानों के पास ऐसे उपकरण पहले से ही हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्हें दोबारा खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन अनावश्यक खरीद हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1956 में स्थापित दो क्षेत्रीय यूनिटों वाले केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सीएमआरआई) और वर्ष 1946 में स्थापित दो क्षेत्रीय यूनिटों वाले केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएफआरआई) द्वारा अप्रैल, 1995 से मार्च, 1998 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान क्रमशः 48 और 18 उपकरण खरीदे गए।

(ख) उपकरण तथा लागत का ब्यौरा विवरण I तथा II के रूप में संलग्न है।

(ग) दोनों ही संस्थान 40 वर्षों से अधिक पुराने हैं और सामान्यतः इनके उपकरण पुराने हैं। अतः अधिकतर उपकरण पुराने उपकरणों को बदलने के लिए खरीदे गए तथा इनमें से कुछ नए/आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए खरीदे गए।

(घ) केवल सात मामलों में ही खरीदे गए उपकरण मौजूदा उपकरणों के समान थे, ऐसा उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय यूनिटों में प्रतिष्ठापित करने के कारण हुआ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

उपकरणों का विवरण

उपकरण का नाम		लागत (लाख रुपए)
1		2
केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान		
1.	इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर	2.43
2.	एन्वायरमेंटल चैम्बर	7.07
3.	साउंड लेवल मीटर	1.25
4.	वीओडी प्रोब	6.10
5.	एम्बीऐंट सस्पेंडिड मेटिरियल्स मोनिटर	2.67

	1	2
6.	डिजीटल टैम्परेचर लोगर	1.81
7.	ऑटोमैटिक डाटा एक्वीजिशन सिस्टम	22.51
8.	वैक्यूम कोटिंग यूनिट	1.28
9.	हाइड्रोलिक पंप	6.79
10.	एन्वायरमेंटल टैस्ट चैम्बर	4.60
11.	विस्कोमीटर	6.49
12.	ऐपल मशीनतोष विद एक्सेसरिज	5.97
13.	हाई टैम्परेचर क्रिटिकल ऑक्सीजन इंडेक्स अटैचमेंट	4.00
14.	माइक्रो स्केन एक्स-100	4.05
15.	गुड ब्रांड टेस्टोमीट्रिक	5.98
16.	शू टेस्टिंग मशीन	1.54
17.	पोर्टेबल गैस सैम्पलर	1.40
18.	आईएमआर-2000 गैस एनेलाइजर कंप्यूटर बेस्ड	8.05
19.	इन्फ्रेअरड थर्मोमीटर	3.68
20.	साउंड लेवल मीटर	0.98
21.	एम्बीऐंट वेदर मॉनीटरिंग स्टेशन	3.73
22.	ब्रुक फील्ड विस्कोमीटर	2.21
23.	पायलट टेस्ट चैम्बर	2.36
24.	अल्ट्रासोनिक कंक्रीट टेस्टर	1.08
25.	इलेक्ट्रोमेक वाइब्रेटर	4.67
26.	सेफ्टी टैस्टिंग सेट-अप (टीएम-12)	10.75
27.	वाटर क्वालिटी एनेलाइजर	4.72
28.	आर्टिफिशियल लंग मशीन	14.72
29.	बीओडी एनेलाइजर	4.94
30.	डस्ट सैम्पलर	4.30
31.	ऑन-लाइन गैस एनेलाइजर कम्प्यूटराईजड	8.80
32.	ऑक्सीजन एंड कार्बनडाइआक्साइड मॉनीटर	1.45
33.	ह्यूमीडिटी एंड टैम्परेचर इंडीकेटर, सीओ डिटेक्टर, ऑक्सीजन मीटर	1.62
34.	ऐसमैन टाइप वेनटिलेटिट साईक्रोमीटर	1.70
35.	माइक्रो-मेनोमीटर	4.64
36.	मोटोराइज्ड रिवर्स बैड टैस्टिंग मशीन	2.29
37.	टोरशिऑन टैस्टिंग मशीन	2.05
38.	माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड पोर्टेबल गैस एनेलाइजर-कम्प्यूटराईज्ड	8.98
39.	ट्रायएक्सल काम्प. टैस्टिंग एंड प्लेट लोड टैस्टर-कम्प्यूटराईज्ड	11.60
40.	फ्लैक्सीबल स्कोप	10.00
41.	एकोस्टिक ऐमिशन इक्विपमैंट	6.57
42.	ब्लास्ट मैट-III	5.35
43.	रिकेन कोम्बस्टीबल गैस डिटेक्टर	2.33
44.	डब्ल्यूएएसआर हाई प्रैशर पम्प	7.70
45.	मल्टी मिक्सर	2.80
46.	वेट सीविंग अपारटस	1.63
47.	यूटीटी ऑटोग्राफ	31.00
48.	एस-350 सिस्टम	40.00

विवरण-II

उपकरणों का विवरण

	उपकरण का नाम	लागत (लाख रुपए)
	1	2
	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान	
1.	थर्मल ग्रेवीमीट्रिक एनेलाइजर (टीजीए-601)	11.50
2.	माइक्रोवेव ऑवेन	6.73
3.	मिली-रो-प्लस एंड मिली-क्यू-प्लस	3.60
4.	लेनब्रेस अल्फा काऊटिंग सिस्टम	6.77
5.	माइक्रो प्रैसर कंट्रोलड सिस्टम	6.00
6.	डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टंस	9.75
7.	कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सीएचएन-1000	19.62
8.	थर्मल ग्रेवीमीट्रिक एनेलाइजर (टीजीए-60001)	12.09

1		2
9.	सिरैमिक प्लेट एक्सट्रैक्टर	3.69
10.	मौलिक्यूलर डिस्टीलेशन अपारटस	8.48
11.	मोनो स्टेटिक सोडार	6.30
12.	रेफ्रीगेटर सेंट्रीफ्यूज	4.45
13.	एक्स-रे रिफ्रक्शन सिस्टम	59.58
14.	टीजी-डीटीए सैम्पल स्केनर	29.52
15.	पार्टिकल साइज एनेलाइजर	18.88
16.	यूवी-वीआईएस स्पेक्ट्रोमीटर	6.02
17.	कंटीन्यूअस रियक्टर	10.97
18.	इम्पैक्ट डबल आरएम क्रशर, डिशैलिंग स्क्रीन, सीव बैंड, वेट वाईब्रेटिंग स्क्रीन, पिनिंग स्क्रिन एंड ड्राई वाईब्रेटिंग स्क्रिन	25.22

[अनुवाद]

अनु.जा./अनु.जन.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1279. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में तथा मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों/उपक्रमों में 31 अक्तूबर, 1998 को अनु.जा./अनु.जन. जा./अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुल कितने पद रिक्त थे;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) किस तारीख से ये पद रिक्त हैं; और

(घ) उक्त रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लाक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रमुख पत्तनों हेतु योजना परिव्यय

1280. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान प्रमुख पत्तनों के लिए (पत्तन-वार) कुल कितना योजना परिव्यय है;

(ख) इन प्रमुख पत्तनों द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान पत्तन-वार कुल कितने योजना परिव्यय का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः माह के दौरान पत्तनों द्वारा योजना आबंटनों के उपयोग में अत्यधिक कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) परियोजनाओं पर कार्य में तेजी लाने तथा विलम्ब के कारण लागत में होने वाली वृद्धि को रोकने हेतु निगरानी मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) 1998-99 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के पत्तनवार ब्यौरे और चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1998 तक उपयोग में लाए गए परिव्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परियोजनाओं को अनुमोदित करने में शीघ्रता बरतने के लिए महापत्तन न्यासों को संबर्धित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। पत्तन परियोजनाओं की पत्तन के स्तर पर अक्सर मॉनीटरिंग की जाती है। यह मंत्रालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी परियोजना कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करता है। 100 करोड़ रु. या इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग करता है।

विवरण

महापत्तनों के लिए वार्षिक योजना 1998-99 परिव्यय का पत्तनवार ब्यौरा और चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1998 तक उपयोग में लाया गया परिव्यय दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पत्तन का नाम	वार्षिक योजना 1998-99	अक्तूबर, 1998 तक वास्तविक व्यय
1	2	3	4
1.	कलकत्ता/हल्दिया	30.00	21.19
2.	मुम्बई	110.00	7.90
3.	ज.ला. नेहरू	70.50	5.74
4.	चेन्नई	170.00	129.16
5.	कोचीन	10.00	4.42
6.	विजाग	50.00	16.68
7.	कांडला	65.50	18.62
8.	मुरगांव	15.00	14.56
9.	पारादीप	120.00	107.79

1	2	3	4
10.	नव मंगलौर	30.00	8.12
11.	टूटीकोरिन	55.00	5.38
	जोड़ :	726.00	339.56

[हिन्दी]

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम

1281. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री जयसिंह जी चौहान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम की राज्य-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उपर्युक्त स्कीम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियां क्या रहीं;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में कई स्कूलों के पास कोई भवन नहीं है या उनके भवन खस्ता हालत में हैं, कमरों की संख्या कम है और अध्यापकों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस समस्या का हल किस ढंग से करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1987-88 से 1997-98 तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्धियों के राज्य-वार ब्यौरों को दर्शानेवाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) वर्ष 1987-88 से 1997-98 तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत जारी की गई/उपयोग की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए पठन-पाठन सामग्री के लिए निधियां तथा शिक्षकों के पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(घ) छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1993 के अनुसार कुल 570455 प्राथमिक स्कूलों में खुले स्थानों में 21858 प्राथमिक स्कूल, टेंटों में 2090 स्कूल तथा छप्परों में 17250 स्कूल हैं।

(ङ) प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों तथा विदेशी सहायता प्राप्त शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई निधियों से किया जाता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के माध्यम से सभी प्राथमिक स्कूलों को भवन उपलब्ध कराने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

वर्ष 1987-88 से 1997-98 तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिनके लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई पठन-पाठन उपस्कर के लिए निधियां जारी की गई है	उन उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिनके लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पठन-पाठन उपस्कर के लिए निधियां जारी की गई है	एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए संस्वीकृत अतिरिक्त शिक्षकों के पद	उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए संस्वीकृत अतिरिक्त शिक्षकों के पद	100 से सीधा दाखिले वाले प्राथमिक स्कूलों के लिए संस्वीकृत तीसरे शिक्षक के पद	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नियमों के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्माण किए गए अतिरिक्त कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	73706	5380	18032	5047	203449	22135
2.	अरुणाचल प्रदेश	952	278	526	-	225	154
3.	असम	25970	6730	8903	4040	1723	4079

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	51355	3558	1303	–	–	18462
5.	गोवा	966	78	167	–	2	235
6.	गुजरात	12393	16279	2374	–	–	3601
7.	हरियाणा	7445	54	382	–	199	900
8.	हिमाचल प्रदेश	6934	2532	1951	347	838	1884
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7768	2668	4380	2668	1200	3488
10.	कर्नाटक	22281	17718	14350	17718	2769	16675
11.	केरल	6674	2834	–	–	–	235
12.	मध्य प्रदेश	64722	6000	22163	–	–	13208
13.	महाराष्ट्र	36800	16864	15604	10969	4200	14368
14.	मणिपुर	2550	398	338	–	–	303
15.	मेघालय	3141	733	1969	733	200	2503
16.	मिजोरम	1015	150	119	–	171	152
17.	नागालैंड	1190	369	42	–	–	3
18.	उड़ीसा	34176	996	14112	–	5258	5430
19.	पंजाब	12925	1687	1457	1353	–	1941
20.	राजस्थान	27023	2903	25352	1903	1692	9225
21.	सिक्किम	509	–	45	–	–	33
22.	तमिलनाडु	29255	1560	2724	–	4613	10888
23.	त्रिपुरा	1927	435	145	40	210	605
24.	उत्तर प्रदेश	70438	5310	8891	–	11800	33283
25.	पश्चिम बंगाल	48450	295	1679	–	–	12918
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	182	44	7	–	2	10
27.	चण्डीगढ़	23	–	–	–	–	1
28.	दादर एवं नगर हवेली	120	37	80	–	–	54
29.	दमन एवं दीव	32	43	–	–	–	2
30.	दिल्ली	1688	437	–	196	–	10
31.	लक्षदीप	19	4	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	771	92	51	48	–	72
	कुल	522902	96449	149146	45089	55951	176807

विवरण-II

वर्ष 1987-88 से वर्ष 1997-98 तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत निधियों में से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के पास रखी अनुप्रयुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	उपयोग न की गई राशि	उपयोग की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20757.42	16910.20	3847.22	81.47%
2.	अरुणाचल प्रदेश	692.07	630.82	61.25	91.15%
3.	असम	12394.36	9701.37	2692.99	78.27%
4.	बिहार	21300.54	16153.21	5147.33	75.84%
5.	गोवा	265.51	265.51	0.00	100%
6.	गुजरात	2809.70	4040.53	4769.17	45.86%
7.	हरियाणा	856.64	831.74	24.90	97.09%
8.	हिमाचल प्रदेश	4935.73	4338.80	596.93	87.91%
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6237.89	5244.78	993.11	84.08%
10.	कर्नाटक	18462.83	14375.49	4087.34	77.86%
11.	केरल	1691.89	1381.05	310.84	81.63%
12.	मध्य प्रदेश	10893.55	6026.73	4866.82	55.32%
13.	महाराष्ट्र	10354.06	30347.85	6.21	99.97%
14.	मणिपुर	457.00	276.80	180.20	60.57%
15.	मेघालय	2610.32	2610.32	0.00	100%
16.	मिजोरम	249.53	210.01	39.52	84.16%
17.	नागालैंड	295.11	114.01	181.10	38.63%
18.	उड़ीसा	19792.04	18787.32	1004.72	94.92%
19.	पंजाब	3069.59	2935.99	133.60	95.65%
20.	राजस्थान	20687.00	19384.94	1302.06	93.71%
21.	सिक्किम	75.56	75.56	0.00	100%
22.	तमिलनाडु	4881.55	4230.27	651.28	86.66%
23.	त्रिपुरा	573.98	389.08	184.90	67.70%
24.	उत्तर प्रदेश	12333.55	10209.55	2124.00	82.78%
25.	पश्चिम बंगाल	4318.94	3554.47	764.47	82.30%
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	30.09	12.09	18.00	40.18%

1	2	3	4	5	6
27.	चण्डीगढ़	1.17	1.17	0.00	100%
28.	दादर एवं नगर हवेली	36.46	17.96	18.50	49.25%
29.	दमन एवं दीव	21.44	1.19	20.25	5.55%
30.	दिल्ली	404.81	231.97	172.84	57.30%
31.	लक्षदीप	2.48	0.48	2.00	19.35%
32.	पांडिचेरी	94.14	81.64	12.50	86.72%
	कुल	207586.95	173372.90	34214.05	84%

टिप्पणी :- पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए मुख्यतः राज्य सरकारों के लिए पठन-पाठन उपस्करों के लिए संस्वीकृत निधियों में से अनुप्रयुक्त निधियां।

[अनुवाद]

गोवा में निर्माण कार्य

1282. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय के अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार उक्त राशि कब तक जारी करेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। गोवा राज्य में 97.40 लाख रु. की अनुमानित लागत से, 70.62 लाख रु. के सी.आर.एफ. अंश सहित, वर्ना-रासेन सड़क (भाग 1) (लम्बाई 3 कि.मी.) नामक एक निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (ङ) सी.आर.एफ. के अंतर्गत उक्त राज्य के नाम जमा राशि में से परियोजना की आवश्यकतानुसार राशि जारी की जा रही है।

प्रमुख नदियों में नौसंचालन सुविधाएं

1283. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नौवीं योजना के दौरान नौसंचालन सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विद्यमान तीन राष्ट्रीय जलमार्गों अर्थात् इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी, धुबरी से सैदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी तथा चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरों के साथ-साथ कोट्टापुरम से केल्लाम तक पश्चिमी तटीय नहर में मुख्यतः बुनियादी अं.ज.प. सुविधाओं अर्थात् नौसंचालन चैनल, उतराई/लदाई सुविधाओं से युक्त अं.ज.प. टर्मिनल और नौसंचालन सुविधाओं की व्यवस्था/उन्नत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी योजना के दौरान कुछ नए जलमार्गों पर विकास कार्य शुरू करने का भी प्रयास है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

निधि का अन्यत्र उपयोग

1284. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने साक्षरता अभियान के लिए निर्धारित धन का उपयोग अन्य योजनाओं में किया है। जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता अभियान शुरू नहीं हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी

1285. **श्री डी.एस. अहिरे :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा तैयार की गई नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के प्रारूप में विद्युत उत्पादन के संबंध में एक कार्यक्रम रेखांकित है। इसमें ये शामिल हैं :—

(1) विद्युत क्षेत्र के पुनर्निर्माण से निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना।

(2) निर्माणाधीन परियोजना को जल्दी पूरा करना।

(3) संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) में सुधार करके विद्यमान संयंत्रों से इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

(4) पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना।

(5) विद्युत शुल्क का यौक्तिकरण करना।

(6) केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य स्तर पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना करना।

(7) विभिन्न अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मांग प्रबंधन और ऊर्जा संवर्धन के लिए उपाय करना।

पूर्वोत्तर में भूकम्प का भय

1286. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विशेषज्ञों को यह आशंका है कि पूर्वोत्तर राज्यों में निकट भविष्य में भारी तीव्रता वाले भूकम्प का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं तथा भूकम्प की स्थिति में "क्या करें" और "क्या न करे" की लोगों को जानकारी दी है; और

(ग) हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी बार भूकम्प आए तथा इनकी तीव्रता कितनी रही?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) महोदय, वर्तमान में विश्व में कहीं भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जो समय, स्थान तथा परिणाम की सटीकता के साथ भूकम्प घटित होने का पूर्वानुमान कर सकें। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित सिज्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्य जोन-5 के अंतर्गत आते हैं जो भूकम्प का सार्वजनिक संभावित क्षेत्र है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने बड़ी संख्या में प्रकाशन तैयार किए हैं जिनमें विभिन्न भूकम्पीय क्षेत्रों में भूकम्प प्रतिरोधी स्ट्रक्चर बनाने के दिशानिर्देश दिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस क्षेत्र में जन चेतना से संबंधित गतिविधियों को सहयोग दिया है जिसमें ऐसे पोस्टर्स का प्रकाशन भी शामिल है जिनमें लोगों को यह बताया गया है कि भूकम्प होने की दशा में "क्या करें" और "क्या न करे" और क्या नहीं किया जाए। शहरी मामलों एवं रोजगार मंत्रालय ने भी कुछ प्रकाशन/दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि भूकम्प रोधी आवास एवं भवन निर्माण को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त, शहरी मामलों एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल में वलनेरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया तैयार किया है जिसमें राज्यवार वलनेरेबिलिटी मानचित्र, देश के प्रत्येक जिले में वर्तमान में विद्यमान मकानों का जोखिम स्तर तथा भूकम्पों के प्रहारों को झेल सकने के लिए वर्तमान में विद्यमान भवनों को सुदृढ़ करने के दिशानिर्देश शामिल हैं।

(ग) इस वर्ष के दौरान अब तक उत्तर-पूर्वी भारत तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 5.0 तथा इससे अधिक परिमाण के 5 भूकम्प घटित हो चुके हैं।

विश्वविद्यालयों की स्थापना

1287. **श्री गिरिधर गमांग :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ने राज्य में नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार को सिफारिश भेजी थी;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोरापुट में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) देश में कितने ग्रामीण विश्वविद्यालय कार्यरत हैं तथा इनमें से कितने जनजातीय क्षेत्र में स्थित हैं; और

(च) नए ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने से संबंधित कितने प्रस्ताव उनके मंत्रालय में लंबित पड़े हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारत सरकार को दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया लेकिन प्रस्तावित विश्वविद्यालय को खोलना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विश्वविद्यालयों को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। तथापि, निम्नलिखित दो विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से ग्रामीण जनसंख्या अधिक है :–

(1) महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्य प्रदेश)

(2) गांधी ग्राम गामीण संस्थान, तमिलनाडु (सम विश्वविद्यालय)

13 विश्वविद्यालय जन जातीय बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।

(च) कोई नहीं।

प्राथमिक पाठशालाएं

1288. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देश में कितनी प्राथमिक पाठशालाओं और अध्यापकों की आवश्यकता है;

(ख) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई; और

(ग) इस संबंध में नौंवी योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा वर्ष 1992 में यथा संशोधित इसकी कार्य योजना में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित व्यवस्था करेगी कि 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों (जन-जातीय, पर्वतीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में 200 जनसंख्या वाली बस्तियों) को एक-एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कर दिए जाएंगे। जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

मन्गवन तथा हनुमान के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की स्थिति

1289. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्गवन तथा हनुमान के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-7 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तथा वाहन योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके पुनर्निर्माण के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क के उक्त भाग की मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए निधि राज्य में समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए आवंटित की जाती हैं न कि खंडवार।

[अनुवाद]

केरल में पन विद्युत परियोजनाएं

1290. श्री वारकला राधाकृष्णन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कोई पन विद्युत योजना सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त परियोजना से कुल कितनी पन विद्युत के उत्पादन की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (2×80 मे.वा.) तथा पायनकुट्टी चरण-1 जल विद्युत परियोजना (2×120 मे.वा.) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, यह परियोजनाएं अभी क्रमशः निवेश अनुमोदन और वन्य अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके निम्नलिखित परियोजनाओं को के.वि.प्रा. द्वारा राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकारियों को वापिस कर दिया गया है जिन्हें अवलोकनों संबंधी कार्रवाई करने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संभाव्य वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (जी.डब्ल्यू.एच.)
1.	केरला भवानी (3x50 मे.वा.)	420
2.	मयंथावड़ी एमपीपी (4x60 मे.वा)	817
3.	पाम्बर (2x15 मे.वा.)	168
4.	कुटियाडी संवर्धन (2x50 मे.वा.)	213
5.	पाण्डियार पुन्नापुजा (2x35 मे.वा.)	262
6.	बारापोल (2x3+2x1.5 मे.वा.)	26
7.	पुल्लीवसन पुनर्वास (3x20 मे.वा.)	279
8.	कारापारा-कुरियरकुट्टी एमपीपी (2x12+3x20 मे.वा.)	240

धार्मिक अदालतें

1291. **श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटील :**

डा. उल्लास वासुदेव पाटील :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में समानान्तर धार्मिक न्यायालय चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे न्यायालयों के कार्यकरण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्राथमिक शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र सहायता

1292. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने हाल में भारत को अपनी प्राथमिक शिक्षा, विशेषरूप से छात्राओं की शिक्षा में वृद्धि करने तथा उसे प्रोत्साहित करने हेतु 200 मिलियन डालर मूल्य की सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : *(क) और (ख) भारत सरकार* तथा पांच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों अर्थात् यू.एन.डी.पी., यूनिसेफ, यूनेस्को, यू.एन.एफ.पी.ए. तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में भारत सरकार के किए जा रहे प्रयासों के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर के कार्यक्रम सहायता हेतु दिनांक 7 अगस्त, 1998 को एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं तथा समाज के निर्धन वर्गों की जनसंख्या की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है।

(ग) इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित स्कूल प्रबंध कार्यनीतियों के विकास तथा आपसी तालमेल, बाल केन्द्रित एवं बालक-बालिका जागरूकता शिक्षण पद्धति के प्रयोग में शिक्षकों की कार्य क्षमता में सुधार करने की परिकल्पना की गई है।

भारत और बंगलादेश के बीच अंतर्देशीय पारगमन और व्यापार

1293. **श्री पी.आर. किन्डिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार का शिष्टाचार अभी भी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा कलकत्ता और असम बारास्ता बंगलादेश के लिए कार्गो सेवाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) कलकत्ता और असम/बंगलादेश के बीच चल रहे कार्गो पोतों द्वारा सुन्दरवन में इस्तेमाल किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग के विकल्प का पता लगाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण करवाने का आदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) मै. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम कलकत्ता और बंगलादेश तथा कलकत्ता और असम, बारास्ता बंगलादेश कार्गो सेवा का प्रचालन करती है।

(ग) से (ङ) वैकल्पिक रूट का सुझाव पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया था। वैकल्पिक रूट का टोह सर्वेक्षण दिसम्बर, 1997 में किया गया था और इस रूट को 42 कि.मी. अधिक लम्बा पाया गया। मुख्य आपरेटर, सी आई डब्ल्यू टी सी ने भी मूल रूट रखने का आग्रह किया है जो पिछले 125 वर्षों से प्रचालन में है। यह मामला अक्तूबर, 1998 में राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था। तद्नुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग

की घोषणा के प्रयोजनार्थ मूल अंतर-राष्ट्रीय स्टीमर रूट को रखे जाने के बारे में एक संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। साथ ही साथ, मुख्य और वैकल्पिक रूट का विस्तृत जलराशिक सर्वेक्षण करवाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

महानदी में प्रदूषण

1294. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महानदी, जिसे अत्यधिक प्रदूषित माना जा रहा है, के जल की गुणवत्ता को जानने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महानदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के जल को शुद्ध करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार महानदी प्रदूषित है। नदी की वर्तमान जल गुणवत्ता अपेक्षित श्रेणी "ग" (पारम्परिक उपचार तथा इसके बाद निःसंक्रमण सहित पेय जल स्रोत) की तुलना में श्रेणी "घ" (वन्य जीव एवं मात्स्यिकी के प्रचार के लिए उपयुक्त) है।

(ग) महानदी एवं कटक में इसकी सहायक नदी के प्रदूषण निवारण की स्कीम को 10.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को अधिक धनराशि का आबंटन किया जाना

1295. श्री रामशकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों को गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक आबंटित की गई धनराशि इन विश्वविद्यालयों तथा इनसे संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों को अधिक धनराशि आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) *केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं तथा उनका अनुरक्षण और विकास व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के* माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधायिकाओं के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं तथा उनका अनुरक्षण और विकास व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तथा वह भी उनकी आवश्यकताओं के कुछ भाग के लिए ही पात्र राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के सिर्फ विकास अनुदान देता है। मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को उचित मात्रा में योजनागत तथा योजनेतर अनुदान प्रदान करें। पात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को संवितरण के वास्ते सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गत वर्षों में दिए जाने वाले अनुदान में निरंतर वृद्धि हो रही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा यू.जी.सी. को 576.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 921.24 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई।

[अनुवाद]

विज्ञान प्रदर्शनी

1296. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हाल ही में दिल्ली में "इंडियन साईंटिफिक विजिन-अग्रसर" नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने व्यक्तियों/विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी को देखा;

(ग) इस प्रदर्शनी पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) देश के अन्य भागों में किन-किन स्थानों पर ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 5 लाख।

(ग) लगभग 68 लाख रुपए।

(घ) विशेष प्रदर्शनी "अग्रसर" को देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के सिलसिले में विशेष रूप से विकसित किया गया। इस प्रदर्शनी के कुछ अंश का उपयोग देश के अन्य भागों में, विशेष कर आने वाले महीनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में, किया जाएगा। इस तरह का पहला आयोजन जनवरी, 1999 के आरंभ में चेन्नई में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किया जाएगा।

कोचीन शिप बिल्डिंग यार्ड

1297. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिप बिल्डिंग यार्ड पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान इस शिपयार्ड में कितने शिप बनाए गए हैं;

(घ) क्या हाल ही में इस यार्ड को नए जहाजों के निर्माण के लिए कोई आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन शिपयार्ड लि. ने निम्नलिखित लाभ अर्जित किया :-

वर्ष	करोड़ रु.
1995-96	18.46
1996-97	12.56
1997-98	31.72

(ग) सी एस एल ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 5 गश्त नौकाएं निर्मित करके सरकार के मत्स्य विभाग को डिलीवर की हैं और 92,000 डी डब्ल्यू टी क्षमता का एक डबल हल कच्चे तेल का टैंकर भारतीय नौवहन निगम के लिए निर्माणाधीन है। इस जलायन को चालू वित्त वर्ष में डिलीवर करने का लक्ष्य है।

(घ) और (ङ) यार्ड को बड़े जहाज के लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उन्हें 4 टगों (3 कांडला पत्तन न्यास के लिए और । नवमंगलूर पत्तन न्यास के लिए) के निर्माण हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं।

ए.पी.एस.ई.बी. का ऋण

1298. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से ऋण की पुनः अदायगी को पांच वर्षों तक स्थगित रखने और राज्य विद्युत बोर्ड को दिए गए ऋण को आसान किस्तों में आदयगी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ए.पी.एस.ई.बी. द्वारा सरकार को कुल कितनी राशि का भुगतान करना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आंध्र प्रदेश के अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा देय बकाया राशि के विवरण निम्नानुसार हैं :-

आर.ई.सी.	30.11.1998 की स्थितिनुसार	889.00 करोड़ रु.
एन.टी.पी.सी.	31.10.1998 की स्थिति के अनुसार	237.25 करोड़ रु.
पावर ग्रिड	30.11.1998 की स्थिति के अनुसार	95.55 करोड़ रु.
पी.एफ.सी.	31.10.1998 की स्थिति के अनुसार	914.21 करोड़ रु.
	जोड़	2136.01 करोड़ रु.

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा पहले ही एन टी पी सी की 1000 मे.वा. सिम्हाद्री परियोजना से 100 प्रतिशत आबंटन सहित अतिरिक्त विद्युत आबंटन तथा एन टी पी सी के पूर्वी क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से 150 मे. वा. विद्युत के अंतरण के माध्यम से आंध प्रदेश को रियायत दी गई है। ये रियायतें राज्य सरकार के इस आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए दी गई थी कि चालू आपूर्तियों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने पहले से पावर फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से और एन. टी. पी. सी. और पावर ग्रिड से परियोजनाओं के रूप में भारी राशि देने का वचन दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान में किए गए किसी भी विलम्ब के परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और ओ.ई.सी.एफ. जैसे बहुराष्ट्रीय ऋणदाता संस्थानों से लिए गए ऋण की वापसी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होगा। अतः भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को सुधार प्रक्रिया का गठन इस प्रकार करने का सुझाव दिया है कि उसे उपलब्ध स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त हो सके।

आपराधिक न्याय आयोग

1299. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जांच एजेंसियों द्वारा फंसाए गए निर्दोष व्यक्तियों की समस्याओं पर काबू पाने के लिए कोई आपराधिक न्याय आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विधि-विरुद्ध कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से निपटने के लिए विधि के विद्यमान उपबंध विधियुक्त हैं।

[हिन्दी]

चुनाव आयोग का प्रस्ताव

1300. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने चुनाव के समय केन्द्र तथा राज्यों में निष्पक्ष तथा गैर-पार्टी सरकार का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव, यदि लागू किया जाये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आयात शुल्क समाप्त करना

1301. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश की वृहद् विद्युत परियोजनाओं के उपस्करों पर आयात शुल्क समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने में यह निर्णय कहां तक मददगार साबित होगा; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में वृहत विद्युत परियोजनाओं के विकास पर अपनी नीति को नया रूप दिया है। जो एक से अधिक राज्यों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करेगी। लिए गए नीतिगत निर्णयों में से एक यह है कि इन परियोजनाओं के लिए मुख्य उपस्कर के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की वृहत् विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत क्रय के लिए टैरिफ कम होगा और राज्य बोर्डों की यथा अपेक्षित राहत मिलेगी।

(ग) अनमान है कि संशोधित वृहत् विद्युत नीति के माध्यम से 15,000 से 20,000 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि होगी।

(घ) जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है मुख्य उपस्कर के आयात हेतु वृहत् परियोजनाओं को सीमा शुल्क से मुक्त किए जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों का निजीकरण

1302. **श्री रवि सीताराम नायक** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कतिपय कार्यों/सुविधाओं का निजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) गोवा सरकार ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर रा. रा.-17 पर दूसरे जुआरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव लगभग 895 मी. लम्बे दो लेन के प्रीस्ट्रेस्ड् कंकरीट पुल तथा दोनों ओर के लिए लगभग 980 मी. लम्बे पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए हैं

(ग) गोवा सरकार से अभी हाल में प्राप्त हुआ यह प्रस्ताव संवीक्षा की प्रारंभिक स्थिति में है। अतः इस प्रक्रिया के पूरे होने के समय के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन

1303. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए गए अधिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करने हेतु सरकार को परामर्श दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) 22 मई, 1998 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसरण में, इस संबंध में किए गए प्रस्ताव, संसद सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति को निर्दिष्ट कर दिए गए हैं।

निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

1304. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक राज्य-वार बिजली की कुल मांग और उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मांग में 20 प्रतिशत से भी अधिक कमी रही जिससे आने वाले वर्षों में इसके बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति (ऊर्जा) संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) 1996-97, 1997-98 और अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन मांग में कमी कुल मिलाकर 20 प्रतिशत से कम रही। अप्रैल-अक्तूबर, 1998 की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमियां क्रमशः 5.2 प्रतिशत तथा 13.2 प्रतिशत रहीं। तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान कुछ राज्यों में 20 प्रतिशत से अधिक की ऊर्जा/व्यस्ततमकालीन कमियां रहीं।

(ग) और (घ) भारतीय विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1991 में एक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया जा सके।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण-I

1996-97 और 1997-98 हेतु वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति की राज्यवार/क्षेत्रवार तुलना

(सभी आकड़े मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य	1997-98				1996-97			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	941	941	0	0.0	887	885	2	0.2
दिल्ली	14952	14676	276	1.8	14060	13694	365	2.6
हरियाणा	13196	12981	215	1.6	13895	13078	817	5.9
हिमाचल प्रदेश	2897	2895	2	0.1	2325	2303	22	0.9
जम्मू व कश्मीर	5346	5201	145	2.7	4833	3941	872	18.0
पंजाब	22100	21928	172	0.8	21770	21414	355	1.6
राजस्थान	20655	20288	367	1.8	20080	18595	1485	7.4
उत्तर प्रदेश	41157	36105	5052	12.3	41365	35600	5765	13.9
जोड़ (उ.क्षे.)	121244	115015	6229	5.1	119215	109530	9685	8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम क्षेत्र								
गुजरात	40622	38489	2133	5.3	38225	35111	3114	8.1
मध्य प्रदेश	32101	29936	2165	6.7	33045	29096	3949	12.0
महाराष्ट्र	61935	60149	1786	2.9	60181	56824	3357	5.6
गोवा	1369	1369	0	0.0	1273	1273	0	0.0
जोड़ (प.क्षे.)	136027	129943	6084	4.5	132724	122304	10420	7.9
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	41599	35606	5993	14.4	40240	31359	8881	22.1
कर्नाटक	26577	21192	5385	20.3	24940	18172	6768	27.1
केरल	11611	9404	2207	19.0	11415	8820	2595	22.7
तमिलनाडु	37870	32550	5320	14.0	36080	31118	4962	13.8
जोड़ (द.क्षे.)	117657	98752	18905	16.1	112675	89469	23206	20.6
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	9350	7493	1857	19.9	9625	6981	2644	27.5
डी.वी.सी.	8370	8156	214	2.6	8315	8064	251	3.0
उड़ीसा	10976	10776	200	1.8	10605	10282	323	3.0
पश्चिम बंगाल	15885	15775	110	0.7	15475	15026	449	2.9
जोड़ (पू. क्षे.)	44581	42200	2381	5.3	44020	40353	3667	8.3
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	144.3	115.3	29	20.1	162.9	83.9	79	48.5
असम	2987.3	2727.5	259.8	8.7	3004.8	2697.5	307.3	10.2
मणिपुर	511.6	404.7	106.9	20.9	416.9	372.4	44.5	10.7
मेघालय	413.0	425.8	-12.8	-3.1	412.3	412.3	0	0.0
मिजोरम	214.9	153.2	61.7	28.7	189.0	152.8	36.2	19.2
नागालैंड	213.9	159.5	54.4	25.4	187.3	157.2	30.1	16.1
त्रिपुरा	511.3	439	72.3	14.1	482.8	367.9	114.9	23.0
जोड़ (उत्रपू.क्षेत्र)	4996.3	4425	571.3	11.4	4856	4244	612	12.6
अखिल भारतीय	424505	390335	34170	8.1	413490	365900	47590	11.5

विवरण-II

वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति

(सभी आकड़े मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	अप्रैल, 98		अक्टूबर, 98	
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	3%
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	633	630	3	2.5
दिल्ली	10160	9935	225	2.2
हरियाणा	8495	8275	220	206
हिमाचल प्रदेश	1689	1687	2	0.1
जम्मू व कश्मीर	3034	2988	46	1.5
पंजाब	16364	15876	488	3.0
राजस्थान	12430	12145	285	2.3
उत्तर प्रदेश	24395	22276	2119	8.7
उ.क्षे.	77200	73812	3388	4.4
पश्चिम क्षेत्र				
गुजरात	25249	24065	1184	4.7
मध्य प्रदेश	18378	17945	433	2.4
महाराष्ट्र	36834	35913	921	2.5
गोवा	868	842	26	3.0
प.क्षे.	81329	78765	2564	3.2
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	23349	21221	2128	9.1
कर्नाटक	14330	12180	2150	15.0
केरल	7043	6336	707	10.0
तमिलनाडु	22057	19295	2762	12.5
द.क्षे.	66779	59032	7747	11.6
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	5050	4585	465	9.2
डी.वी.सी.	4660	4867	-207	-4.4
उड़ीसा	6070	6271	-201	-3.3
पश्चिम बंगाल	9653	9957	-304	-3.1
पू. क्षे.	25433	25680	-247	-1.0
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	76.0	65.6	10.4	13.7
असम	1747.7	1679.4	68.3	3.9
मणिपुर	289.0	287.0	2.0	0.7
मेघालय	236.0	254.1	-18.1	-7.7
मिजोरम	122.9	112.5	10.4	8.5
नागालैंड	117.7	110.1	7.6	6.5
त्रिपुरा	322.7	317.3	5.4	1.7
उ.पू.क्षेत्र	2912.0	2826.0	86.0	3.0
अखिल भारतीय	253653	240115	13538	5.3

बाढ़ से क्षतिग्रस्त अभ्यारण्य

1305. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री बलराम सिंह यादव :

श्रीमती रानी नरह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और इस वर्ष हाल ही में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से कितने अभ्यारण्य क्षतिग्रस्त हुए;

(ख) इनमें कितने वन्य जीवों, दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को अभ्यारण्यवार नुकसान पहुचा;

(ग) क्या सरकार ने बचाव कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार आवंटित की गई धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे नुकसान को न होने से रोकने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंपसेटों का विद्युतीकरण

1306. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए लगे पम्पसेटों के विद्युतीकरण हेतु कोई कार्यक्रम क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो पम्पसेटों के विद्युतीकरण के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उसके मुकाबले क्या उपलब्धि रही है तथा इस प्रयोजन हेतु वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इस उद्देश्य हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है। लक्ष्यों में भी उपलब्ध भूमिगत जल शक्यता का दोहन न किए जाने के कारण अवरोध आया है।

(घ) 61000 पंपसेटों के ऊर्जन और अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरईसी कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1998-99 हेतु महाराष्ट्र राज्य के लिए 103.00 करोड़ रुपये के परिव्यय को निर्धारित किया गया है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य और अन्य राज्यों के लिए नौवीं योजना को अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

नालन्दा महाविहार और शोभा संस्थान को सहायता

1307. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष नालन्दा महाविहार और शोभा संस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता तथा अनुदान का ब्यौरा क्या है और इन राशियों को वर्ष-वार किस प्रकार खर्च किया गया है;

(ख) क्या सरकार को अनुदान के उपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या योजना के अंतर्गत उत्साहवर्धक परिणाम मिलने के बावजूद उक्त अवधि के दौरान निधियों का प्रावधान और लक्ष्य लगभग स्थिर रहा; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा 1998-99 और नौवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र के उक्त पम्पसेटों के विद्युतीकरण हेतु कितनी निधियों का प्रावधान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजनावधि में महाराष्ट्र में आर.इ.सी. स्कीमों के अंतर्गत अर्जित पंपसेटों का लक्ष्य एवं उपलब्धियां तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नवत है :—

वर्ष	अर्जित पंपसेट			पंपसेट ऊर्जीकरण सहित आर.ई. हेतु वित्तीय सहायता	
	लक्ष्य	उपलब्धि			
		आरईसी के अंतर्गत	आरईसी* के अंतर्गत कुल	आबंटन	संवितरण
1992-93	35000	46284	57815	3300	3301
1993-94	44000	54261	65088	4650	5647
1994-95	43000	87954	95382	6254	9299
1995-96	47000	92395	104527	6330	9730
1996-97	53500	62655	64414	6700	8599
जोड़	222500	343549	387226	27234	36576

स्रोत-के.वि.प्रा.

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1994 में बिहार सरकार से नव नालंदा महाविहार का अधिग्रहण किया। इन वर्षों के दौरान इस संस्थान को प्रदान किया गया अनुदान निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	योजनागत	योजनेतर	कुल
1994-95	14.47	–	14.47
1995-96	50.00	25.50	75.50
1996-97	50.00	25.50	75.50
1997-98	122.00	35.00	157.00

संस्थान ने अपने सतत् शैक्षिक कार्यकलापों तथा अनुरक्षण, वेतन-भुगतान आदि जैसे अन्य दैनंदिन व्यय पर अनुदान को खर्च किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास/आधुनिकीकरण

1308. **श्री बिट्ठल तुपे :**

श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और राजमार्ग प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य-वार कौन-कौन सी मुख्य परियाजनाएं पूरी की गई; और

(घ) वर्ष 1998-99 में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) नौंवी योजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया था, जिसने एक योजना तैयार की है और 23,000 करोड़ रु. की आवयश्कता आकलित की है।

(ग) 100 करोड़ रु. से अधिक लागत की परियोजनाएं जो 1997-98 में पूरी हो चुकी हैं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1.	आंध्र	रा.रा.-5 के अरकपल्ली-विशापत्तनम खंड को 4 लेन का बनाना।
2.	असम	ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीघोपा पुल।
3.	हरियाणा	रा.रा.-2 के बल्लबगढ़-उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा खंड को 4 लेन का बनाना।
4.	राजस्थान	रा.रा.-8 के कोटपुतली-अकरोल खंड को 4 लेन का बनाना।
5.	उत्तर प्रदेश	रा.रा.-2 के उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा से मथुरा खंड को 4-लेन का बनाना।

(घ) 100 करोड़ रु. से अधिक लागत की परियाजनाएं जिनके 1998-99 में पूरा होने की संभावना है।

1.	कर्नाटक	रा.रा.-7 के बंगलौर-हसूर खंड को 4-लेन का बनाना।
2.	केरल	रा.रा.-47 के अलवर्ड-शेरतलै खंड को 4-लेन का बनाना।

[अनुवाद]

पोतों और जलयानों का आयात

1309. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू पोत निर्माण उद्योग को बचाने के लिए कम से कम चार वर्षों तक लघु पोतों और जलयानों के आयात पर संख्यात्मक प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के अनुसार 31 मार्च, 2001 तक पोतों के आयात को पूर्णतया अविनियमित करना होगा;

(ग) क्या इस निर्णय से घरेलू शिपयार्डों के क्रयादेशों की स्थिति में सुधार होगा तथा उन्हें अपनी सुविधाओं में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। छोटे जलयानों और फ्लोटिंग क्राफ्टों इत्यादि के आयात पर प्रतिबंध जारी रखने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने ऐसे प्रतिबंधों को 2001 तक जारी रखने की सिफारिश की।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) छोटे जलयानों और फ्लोटिंग क्राफ्टों के आयात पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्णय से आर्डर बुक स्थिति सुधरेगी। समिति ने, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, टिप्पणी की कि भारतीय शिपयार्ड, जो प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर छोटे जलयानों और फ्लोटिंग क्राफ्टों का निर्माण करने में सक्षम हैं, यह चाहते हैं कि आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध सन् 2000 तक जारी रहे क्योंकि उस समय तक वे विदेशी शिपयार्डों के साथ प्रतियोगितात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1310. **श्री राजो सिंह :**

श्री रामानन्द सिंह :

श्री इन्द्रजीत सिंह राव :

श्री शैलेन्द्र कुमार :

प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री जी.एम. बनातवाला :

श्री ए.सी. जोस :

श्री बीर सिंह महतो :

श्री भर्तृहरि मेहताब :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के दृष्टिगत इन रिक्तियों को भरने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार तथा निर्धारित कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) न्यायाधीशों के रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (च) 1.12.1998 को, उच्च न्यायालयों के 587 न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या के प्रति, 433 न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश पदासीन थे और न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के 154 पद भरे जाने थे। 1.12.1998 को, भारत के उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के प्रति 18 न्यायाधीश पदासीन थे और न्यायाधीशों के 8 पद भरे जाने थे। रिक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनेक सांविधानिक प्राधिकारियों के मध्य परामर्श अपेक्षित है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया जाता है जबकि किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया जाना है।

विवरण

क्र.सं.	न्यायालय	1.12.1998 को न्यायाधीशों के रिक्त पद
I	**उच्च न्यायालय**	
1.	इलाहाबाद	27
2.	आन्ध्र प्रदेश	13
3.	मुम्बई	13
4.	कलकत्ता	17
5.	दिल्ली	6
6.	गुवाहाटी	3
7.	गुजरात	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	6
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	मद्रास	7
14.	उड़ीसा	3
15.	पटना	8
16.	पंजाब और हरियाणा	15
17.	राजस्थान	10
18.	सिक्किम	2
	योग	154
II	**उच्चतम न्यायालय**	8

रक्षित वृक्षारोपण के लिए परती वन भूमि

1311. **श्री आर.एस.गवई** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षित वृक्षारोपण और वनरोपण के प्रयोजनार्थ उद्योग को परती वन भूमि देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण संबंधी ग्रुप सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

साक्षरता योजनाएं

1312. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की संवैधानिक बाध्यता को प्राप्त करने हेतु चालू योजना कौन-कौन सी हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई अनुदान का राज्यवार तथा योजना वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निरक्षरता की दर में कमी लाने के संबंध में इन योजनाओं की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उठाए गए अतिरिक्त कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के अनुसरण में, वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक स्तर की निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही हैं।

(ख) वर्ष 1996-97 तक की यह सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है। इनको संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया है।

(ग) और (घ) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त होने पर इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर ही प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से योजनाओं को परिशोधित/संशोधित किया जाता है अथवा उन्हें बढ़ाया जाता है।

ताप विद्युत संयंत्रों की समीक्षा

1313. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताप विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना वास्तविक विद्युत उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार ने उन ताप विद्युत संयंत्रों की कठिनाइयों का पता लगाया है जो लक्षित उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (अक्टूबर, 1998 तक) के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों का वास्तविक व्यस्ततमकालीन विद्युत उत्पादन और संयंत्रवार अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुल ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा लक्ष्य के अनुसार विद्युत उत्पादन न किए जाने का कारण विद्युत नियंत्रण या कम मांग, यूनिटों की जबरनबन्दी, आर्थिक अनुपलब्धता, पारेषण, वितरण और वित्तीय कमियां आदि की वजह से विद्युत उत्पादन कम किया जाना है।

विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किए जा रहे उपायों में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम समुपयोजन, गौण विद्युत खपत को कम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा कार्यशील जीवन विस्तार के माध्यम विद्यमान विद्युत स्टेशनों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना, तथा छूटे हुए पारेषण लिंकों का निर्माण और प्रणाली सुधार शामिल है।

विवरण

कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों का कार्यनिष्पादन

(मि.यू. में विद्युत उत्पादन)

राज्य/प्रणाली	कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) 31.3.98 के अनुसार	1995-96 वि.उत्पादन पीएलएफ%	1996-97 वि. उत्पादन पीएलएफ%	1997-98 वि.उत्पादन पीएलएफ%	1998-99 अप्रैल-अक्टूबर	
						लक्ष्य वि. उत्पा. पीएलएफ%	वास्तविक वि. उत्पा. पीएलएफ%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. दिल्ली							
एनटीपीसी	बदरपुर	720	4039	4088	4473	2331	2783
			65.2	66.2	72.4	64.4	76.3
डीवीबी	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	284.1	1117	808	1163	758	470
			45.8	33.2	47.8	53	33
	राजघाट	150	753	703	537	375	336
			63.5	59.4	45.4	54.1	48.5
2. हरियाणा							
एचएसईबी	फरीदाबाद	180	799	644	641	438	465
			55.1	44.3	51.3	51.4	54.9
	पानीपत	650	2268	2762	2892	1481	1428
			39.7	48.3	50.8	44.4	42.8
3. राजस्थान							
आरएसईबी	कोटा	850	5216	5638	6114	3356	2910
			73.7	75.7	82.1	76.9	66.7
4. पंजाब							
पीएसईबी	भटिंडा	850	2066	2610	2505	2447	1566
			53.5	67.7	65	69.6	62.3
	रोपड़	1260	6182	7160	7771	4712	4188
			55.7	64.9	70.4	72.8	64.4
5. उत्तर प्रदेश							
यूपीएसईबी	ओबरा 1-13	1550	4677	3625	3969	2545	2163
			36.9	28.7	31.4	34.4	29.2
	पनकी	284	564	839	852	490	464
			23.4	34.9	35.5	34.8	33
	हरदुआगंज	90	0	0	0	0	0
	हरदुआगंज बीचसी	450	604	614	674	561	399
			17.9	18.2	20	28.4	20.2

1	2	3	4	5	6	7	8
	परीचा	220	492	538	619	428	455
			25.5	27.9	32.1	37.9	40.3
	अनपारा	1630	10450	11743	11245	6544	6204
			73	82.2	78.8	78.3	74.1
	टांडा	440	1016	1079	903	614	669
			35.9	37.3	31.2	28	28.6
एनटीपीसी	सिंगरौली	2000	14985	15384	14759	8382	9026
			85.3	87.8	84.2	81.6	87.9
	रिहन्द	1000	7622	6672	6749	4286	3364
			96.9	76.2	87.3	83.5	65.5
	एनसीआर दादरी	840	4439	6076	6415	3242	3781
			64.9	82.6	87.2	75.1	87.2
एनटीपीसी	ऊंचाहार	420	3108	2949	2947	1519	1568
			64.2	80.1	80.1	70.4	72.7
6. गुजरात							
जीईबी	गृह्रण	534	2927	3002	2792	1880	1210
			62.4	64.2	59.7	61.3	44.1
	उकई	850	4390	4390	4315	2780	2919
			58.8	58.8	38	63.7	66.9
	गांधी नगर	860	4942	4192	3915	3375	2479
			85.2	72.5	67.7	75.5	68.6
	वनाकबोरी	1260	6943	7218	8260	5196	4376
			62.7	65.4	74.8	74.7	67.6
	सिक्का	240	1312	1643	14.32	760	6.32
			62.2	73.4	68.1	61.7	43.2
	कचा लिग्नाइट	215	595	614	718	835	589
			48.4	50.1	43.3	49	53.3
एई क.(प्रा.)	एई कं. (ओ)		200	121	356	136	166
			22	–	72.9	60.2	69
	साबरमती	450	2194	2330	2050	1410	1433
			75.7	80.6	70.9	83.2	84.5
7. महाराष्ट्र							
एमएसईबी	नासिक	910	5045	5069	5139	3240	2997
			63.1	63.6	64.5	69.3	64.1

1	2	3	4	5	6	7	8
	कोराडी	1100	6277	6350	5716	3775	3512
			66.2	67.1	60.4	68.1	63.3
	पारस	62.5	202	217	197	195	150
			39.6	42.7	38.8	65.5	50.4
	भुसावल	482.5	2599	2486	3111	1580	1515
			61.9	59.4	74.3	64.4	61.7
	परली	690	3287	3806	3909	2405	2492
			54.2	63	84.7	67.9	70.3
	चन्द्रपुर	2340	11270	11821	11713	8695	7192
			69.7	73.3	71.2	71.7	60.2
	खापरखेड़ा	420	2549	3299	3077	1750	1628
			69.1	89.7	83.6	81.1	75.5
टी.ई.कं. (प्रा.)	ट्राम्बे	1150	7353	6933	6427	3330	3878
			72.8	68.8	73.8	56.4	65.7
बीएसईएस (प्रा.)	दहाणु	500	1222	3203	3608	2051	1896
			61.1	73.1	82.4	79.9	73.8
8. मध्य प्रदेश							
एमपीईबी	सतपुड़ा	1142.5	6037	6531	7341	3466	4009
			60.2	65.3	73.3	59.1	68.3
	कोरबा-2-3	440	2132	2379	2495	1062	986
			60.7	67.9	71.2	51.7	48.0
	अमरकंटक	300	1253	678	782	836	646
			49.2	26.7	30.8	56.1	43.4
	कोरबा पश्चिम	840	4640	4922	5044	2825	2800
			62.9	66.9	68.6	65.5	64.9
	संजय गांधी	420	1992	2367	2244	1434	1389
			54	64.3	61	86.5	64.4
एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीए	2100	15397	15772	15697	8393	8844
			83.5	85.7	85.3	77.8	82
	विन्धयाचल	1260	9272	9292	8752	4719	5287
	एस टी पी एस		83.8	84.2	79.3	72.9	81.7
9. आन्ध्र प्रदेश							
एपीएसईबी	कोठागुडम ए-डी	930	3412	3521	5174	3632	3177
			58	60	66.5	60.6	52.8
	विजयवाड़ा	1260	9861	10278	10365	5484	5398
			89.4	93.1	93.9	84.7	83.4

1	2	3	4	5	6	7	8
	रामागुंडम बी	62.5	374	379	401	250	248
			68.1	*69.2*	*73.2*	*77.9*	*77.3*
	नैल्लोर	30	*129*	*110*	*117*	*70*	*78*
			49	41.9	44.5	45.4	50.6
	रायलसीमा	420	1327	2457	2979	1780	1913
			70.5	66.8	81.0	82.5	98.7
एनटीपीसी	रामागुंडम	2100	14757	15668	16366	8624	8624
			80	85.2	89	80	80
10. कर्नाटक							
केपीसी	रायचूर	840	4718	5165	5532	3346	3265
			67.7	70.2	75.2	77.6	75.7
11. तमिलनाडु							
टीएनईबी	एन्नौर	450	2106	1900	1900	1257	1030
			53.3	48.2	48.9	54.4	44.6
	तूतीकोरिन	1050	7802	7304	7304	4315	4082
			84.6	79.4	75.2	80	75.7
	पेत्तूर	840	5944	5867	5867	3407	2820
			80.6	79.7	73.8	79	65.4
	उ. मद्रास	630	1359	3487	3487	2595	2317
			62.1	67.4	61.9	80.2	71.6
एनएलसी	नैवेली	600	3191	3181	3181	1807	2217
			61.1	60.9	65.7	58.6	71.9
	नैवेली-2	1470	9073	9569	9569	5849	5800
			70.3	74.3	75.4	77.5	76.8
12. बिहार							
बीएसईबी	पतरातू	840	1262	1122	1122	770	945
			18.7	16.6	18.8	19.5	23.9
	बरौनी	320	416	408	408	241	314
			15.3	15	14.4	19.5	23.9
	मुजफ्फरपुर	220	310	215	215	197	160
			16	11.2	8.6	17.4	14.2
टीवीएनएल	तेनुघाट	420	10	686	1482	740	950
			–	–	51.8	32.4	44
एनटीपीसी	कहलगांव	840	2406	3325	3325	1436	2296
			59.7	51	46.6	33.3	53.2

1	2	3	4	5	6	7	8
13. उड़ीसा							
ओपीजीसी	इब घाटी	420	1223	2018	2018	1580	1736
			67.0	69.4	66.2	73.2	80.3
	बांडेल	510	1724	2237	2237	1185	1220
			37	48.2	45.3	43.5	44.8
	संथालडीह	480	1340	1223	1223	739	829
			31.0	29.1	33.9	30	33.6
14. डब्ल्यूबीपीजीसी	कोलाघाट	1260	6238	6217	6217	3384	3920
			57.7	56.3	52.7	52.3	7.6
डीपीएल		395	908	1009	1009	542	350
			26.5	29.5	25.2	27.1	17.5
सीईएससी (प्रा.)	मुलैर	120	326	320	320	172	180
			–	–	–	–	–
	उ. कोसीपुर	130	728	779	779	344	297
			63.8	68.4	65.3	51.5	59.5
	दक्षिणी	135	1028	805	805	6.33	510
			86.7	68.1	79.6	91.3	73.6
	तीतागढ़	240	1748	1733	1733	1049	1099
			82.9	82.4	81.5	85.1	89.2
	बज-बज	250	0	0	0	940	634
			–	–	–	69.9	–
एनटीपीसी	फरक्का	1600	6519	6366	6366	2890	2997
			59.3	49	42.9	35.2	36.5
15. डीवीसी	चन्द्रपुर	750	1786	2314	2314	1129	1140
			27.1	35.2	30.6	29.3	29.6
	दुर्गापुर	350	1820	1416	1416	800	788
			59.2	46.1	54.3	44.5	43.8
	बोकारो	877.5	2801	2225	2225	1131	1466
			38.9	31.5	38.6	27.4	35.5
	मेजिया	630	0	336	336	330	680
			–	–	–	38.4	54.1
16. असम							
एएसईबी	बोंगईगांव	240	508	421	421	153	23
			24.1	20	8.9	12.4	1.9

टिप्पणी :—रेखांकित आंकड़े लक्षित आंकड़ों से कमी को दर्शाते हैं।

दावानल के कारण हुई क्षति

1314. **श्री नरेश पुगलिया :**

श्री प्रमथेस मुखर्जी :

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दावानल के कारण राज्य को हुई क्षति का सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1992 के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण योजना अभी तक लागू नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वनों को आग से बचाने के लिए सरकार कौन-सी नई योजनाएं अपनायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। देश के विभिन्न भागों में वन क्षेत्रों में समय-समय पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दावानल तालिकाएं तैयार करने का कार्य किया गया है।

(ख) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा अपनाई गई आधुनिक दावानल नियंत्रण योजना बहुत ही प्रभावी साबित हुई है जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है वहां दावानल संबंधी घटनाओं में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त योजना के अलावा एक एकीकृत दावानल योजना तैयार की गई है और अनुमोदन के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है।

विवरण

देश के वन क्षेत्रों में दावानल संबंधी घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा
(भारतीय वन सर्वेक्षण के गठन के पश्चात् उसके द्वारा बनाई गई तालिका पर अधिकार)

राज्य/जिला	वन क्षेत्र	भू-खंडों के नमूने	आग की घटनाएं						
			बहुत ज्यादा	ज्यादा	बार-बार	कभी-कभी	कोई घटना नहीं	रिकार्ड नहीं किए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1482671	2037	60.58	5.75	521.99	3335.27	10016.34	886.78	14826.71
असम	15427.88	2482	70.91	0	590.25	4551.13	10176.68	38.91	15427.88
बिहार	1517.01	296	57.718	0	452.6223	3330.7426	1505.927	0	5347.01
हिमाचल प्रदेश	10269.4	4878	163.7	0	671.45	3811.38	5054.92	567.98	10269.43
जम्मू व कश्मीर	3331.75	428	7.5	0	60.98	1089.58	2088.05	85.64	3331.75
हरियाणा व पंजाब	1180.72	145	0	0	41.54	332.48	806.7	0	1180.72
कर्नाटक	13223.3	1780	59.71	30.33	470.64	3342.94	9309.79	9.89	13223.3
मणिपुर	15154	1880	0	151.54	454.62	5758.52	8789.32	0	15154
मध्य प्रदेश	19625.91	1947	136.53	23.07	1838.83	10644.29	6983.19	0	19625.91
महाराष्ट्र	8165.54	1355	0	0	186.83	4222.57	3756.94	0	8166.34
मेघालय	9905.66	1659	26.75	0	269.12	3347.25	5230.91	1031.6	9905.63
नागालैंड	14954.91	1128	0	0	1084.231	12038.703	1831.976	0	14954.91
उड़ीसा	20143.38	2972	204.42	78.5	923.19	11345.345	7258.182	333.52	20143.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	20178.79	2446	71.39	0	9903	4348.12	14763.26	896.99	20178.79
सिक्किम	1707.77	401	47.12	0	18.14	544.84	1097.67	0	1707.77
त्रिपुरा	6445.36	555	34.59	0	361.75	5293.65	755.37	0	6445.36
उत्तर प्रदेश	23164.09	2825	871.43	0	2092.51	11124.1	9076.05	0	23164.09
पश्चिम बंगाल	5764.81	1471	4.77397	0	656.4338	5356.5246	3444.318	302.76	5764.81
दादर व नगर हवेली	186.49	62	0	0	0	180.8953	5.5947	0	186.49
सकल योग	209003.48	30747	1817.122	289.19	10794.1571	89998.3305	101951.188	4154.07	209004.1
प्रतिशत			0.87	0.14	5.16	43.06	48.78	1.99	100.00

ऋण का उपयोग

1315. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शिक्षा के संवर्धन के लिए विदेशी राष्ट्रों/विश्व बैंक द्वारा कोई ऋण मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 31 अक्टूबर, 1998 तक विदेशी राष्ट्रों/विश्व बैंक से लिए गए ऋण का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक उपयोग किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1996-97 से अक्टूबर, 1998 तक) भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए 577.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 2010 करोड़ रुपये) राशि का आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के संबंध में करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य क्षेत्र की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के लिए भी 59.4 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 220 करोड़ रुपये) की राशि के अनुपूरक निधियन के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके लिए 165 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 577 करोड़ रुपए) का आसान शर्तों पर ऋण 1993 में पहले ही सम्बद्ध किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना की अवधि 5-7 वर्ष है और विश्व बैंक द्वारा वास्तविक संवितरण करार पैटर्न के अनुसार परियोजना पर किए गए व्यय के आधार पर किया जाता है। राज्य-वार खर्च की गई राशि और विश्व बैंक द्वारा संवितरित राशि संलग्न वितरण में दर्शायी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों (1996-97 से अक्टूबर, 1998) के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)/उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए व्यय और विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	व्यय	विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति
I.	**डी.पी.ई.पी.**		
1.	असम	42.30	36.82
2.	हरियाणा	50.63	45.02
3.	कर्नाटक	122.16	106.67
4.	केरल	49.28	45.18
5.	महाराष्ट्र	78.24	68.67
6.	तमिलनाडु	62.89	55.00
7.	हिमाचल प्रदेश	23.32	20.42
8.	उड़ीसा	21.63	18.95
9.	मध्य प्रदेश	55.22	48.91
10.	उत्तर प्रदेश	36.75	32.84
11.	बिहार	17.12	13.75
12.	राष्ट्रीय घटक	18.60	18.47
	कुल (डी.पी.ई.पी.)	578.14	510.70
II.	**उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना**	408.84	340.16

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम

1316. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों में विद्युतीकरण पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभाग को दिए गए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम श्रेणी के ऋणों की ब्याज दर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है और 5 वर्ष की स्थगन अवधि को शामिल करते हुए ऋण अदायगी की अवधि 30 वर्ष है।

(ग) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है बकाया राशि के भुगतान में भारी चूक कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप ग्राम विद्युतकरण निगम द्वारा उन्हें और निधियां प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अपर्याप्त उप पारेषण प्रणाली, लाइन सामग्रियों/उपस्कर की अनियंत्रित चोरी के परिणामस्वरूप खोए हुए लिंक और प्राकृतिक विपदाएं बिहार में धीमी गति के अन्य प्रमुख कारण हैं।

[अनुवाद]

चार धाम का पारिस्थितिकी संरक्षण

1317. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चार पवित्र धामों-यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की पारिस्थितिकी के संरक्षण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिमालय के इन स्थानों में पारिस्थितिकी की बिगड़ती दशा हेतु जिम्मेदार कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इन कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिगड़ती पारिस्थितिकी दशाओं हेतु जिम्मेदार कारणों और पर्यटकों की आवाजाही को विनियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) "चार धाम की पारि-प्रणाली के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने पारि-पर्यटन पर आधारित नई पर्यटन नीति तैयार की है। उन स्थानों पर पारि-प्रणाली के अवक्रमण के लिए जिम्मेदार कारकों में संसाधनों का अत्याधिक प्रयोग, फेंकी गई वस्तुओं का ढंग से समापन न होना तथा लोगों के रहन-सहन के तौर-तरीकों में बदलाव शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में, इन क्षेत्रों में पर्यटकों के आगमन को नियंत्रित करना, सीमेंट, निर्माण के भारी कार्यों को कम करना, "चार धाम यात्रा" के विकास के लिए "मास्टर प्लार" तैयार करना, पारिस्थितिकीय मुद्दों के प्रति चेतना के लिए पर्यटन साहित्य का वितरण, क्षमता निर्माण पर आधारित विकासात्मक कार्य हाथ में लेना तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम को राशियां प्रदान करना शामिल हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों का उद्योगों और केन्द्र सरकार के कार्यालयों पर बकाया

1318. **श्री चिन्मयानंद स्वामी**: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत बोर्डों का उद्योगों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों पर कितना बकाया है; और

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) 31 मार्च, 1997 (संचयी) की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्राप्तियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इसलिए, अपनी प्राप्तियों की वसूली के लिए किसी भी तरह की योजना/नीति को तैयार करना राज्य सरकारों/रा.वि.बो. की जिम्मेवारी है।

विवरण

31.3.97 की स्थितिनुसार रा.वि.बो. की प्राप्तियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	रा.वि.बो. का नाम		राशि
1	2		3
1.	एपीएसईबी	(ए)	999.90
2.	एएसईबी	(यू)	403.54
3.	बीएसईबी	(पी)	1209.44
4.	जीईबी	(ए)	1065.25

1	2		3
5.	एचएसईबी	(ए)	514.38
6.	एचपीएसईबी	(ए)	59.47
7.	केईबी	(यू)	1090.13
8.	केएसईबी	(यू)	1301.75
9.	एमपीईबी	(यू)	1778.54
10.	एमएसईबी	(ए)	2534.50
11.	एमईएसईबी	(ए)	79.87
12.	ओएसईबी	(पी)	301.04
13.	पीएसईबी	(ए)	418.92
14.	आरएसईबी	(ए)	794.51
15.	टीएनईबी	(ए)	746.32
16.	यूपीएसईबी	(ए)	3956.04
17.	डब्ल्यूबीएसईबी	(ए)	828.44
	जोड़		17082.04

ए-लेखा परीक्षित

यू-गैर-लेखा परीक्षित

पी-अनंतिम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान

1319. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किये गये अनुदानों की लेखा परीक्षा पूरी हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1997-98 के लेखों के संग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह विलम्ब मुख्यतया लेखा रखने वाली संस्थाओं द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत न करने के कारण है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27

1320. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक घाट तथा गढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-27 गड्ढों से भरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत की कोई योजना है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए निधि राज्य में समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए आबंटित की जाती हैं न कि खंडवार।

[अनुवाद]

अशान मेमोरियल त्रिवेन्द्रम का विकास

1321. श्री वारकला राधाकृष्णन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अशान मेमोरियल, त्रिवेन्द्रम के विकास के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूचना केरल राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता

1322. श्री सुशील कुमार सिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयुक्त ने राज्य विधान सभाओं और संसद का चुनाव लड़ने के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जनमत संग्रह कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) चुनाव आयुक्त के वक्तव्य के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) और (घ) भारत निर्वाचन आयोग ने, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 1997 की सिविल रिट सं. 1559-बलजीत सिंह बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य, में फाइल किए गए अपने प्रति-शपथपत्र में यह राय व्यक्त की थी कि ऐसा समय आ गया है जब संसद और राज्य विधान-मंडलों के सदस्यों के लिए कुछ न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विहित की जानी होगी। फिर भी, आयोग ने, इस निमित्त सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य वन्य अधिकारियों का सम्मेलन

1323. **श्री पी. आर. किन्डिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के स्कोप काम्प्लेक्स में सितम्बर 1997 में आयो-त राज्य वन्य अधिकारियों के सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुये की गई सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सम्मेलन में की गयी सिफारिशों के सारांश तथा की गई कार्यवाही रिपोर्ट, यदि कोई है, तो सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) सिफारिशें राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं। मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वन नीति संबंधी सुझाव देगी।

(ख) और (ग) वानिकी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के वन सचिवों, वनों के प्रधान मुख्य संरक्षणों तथा मुख्य वन्य जीव वार्डनों का सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। इस तरह की नेमी कार्यवाहियों को सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता।

समेकित बाल विकास योजनाएं

1324. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को समस्त सुविधाएं "सिंगल विंडो" (एकल खिड़की) पर उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आम लोगों, विशेष रूप से गरीब बच्चों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले कुपोषण तथा अल्पपोषण से निपटने के लिए कोई रणनीति बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) महोदय, ऐसा पहले से ही किया जा रहा है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा समिति के अन्तर्गत लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें (1) पूरक पोषाहार; (2) टीकाकरण; (3) स्वास्थ्य जांच; (4) संदर्भ सेवाएं; (5) अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा; तथा (6) पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महोदय, स्कीम में यह प्रावधान पहले से ही शामिल हैं।

(ङ) जैसा ऊपर (ख) में बताया गया है।

तेल्लिचेरी-माहे उपमार्ग

1325. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

श्री ए.सी. जोस :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लिचेरी माहे उपमार्ग का प्रस्ताव सरकार के पास काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लम्बित है;

(ग) इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस उपमार्ग हेतु केरल द्वारा कुल कितनी राशि की मांग की गई है;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान इस उपमार्ग हेतु कोई आबंटन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (च) इस बाइपास के दो चरण हैं। चरण-1 हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। चरण-2 के लिए भूमि अधिग्रहण के

संबंध में 468 लाख रु. का प्राक्कलन नवम्बर, 1998 में प्राप्त हुआ है जिसके लिए चालू वर्ष में एक लाख रु. का नाममात्र प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन लागत

1326. **प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत की औसत उत्पादन लागत कितनी थी;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण नीति का अनुसरण करने के बाद विद्युत की औसत उत्पादन लागत 2.50 पैसे प्रतियूनिट की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ङ) क्या विश्व के दूसरे देशों की तुलना में देश में विद्युत उत्पादन की वर्तमान लागत अधिक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) 101.50 पैसे/कि.वा. घंटा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) हाल ही में के.वि.प्रा. द्वारा परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय अनुमोदित पूंजी लागत, अंनतिम वित्तीय पैकेज, विनियम दरों तथा भारत सरकार के मानदण्डों के आधार पर 12 प्रतिशत कटौती दर के बराबर समस्तरीय टैरिफ और 68.49 प्रतिशत पी एल एफ अभी तक के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत डी.जी.सैट विद्युत परियोजनाओं सहित ताप-विद्युत परियोजनाओं के लिए 198.0 पैसे/कि.वा.घं. से 361.0 पैसे/कि.वा.घं. तक तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 131.0 पैसे/कि.वा.घं. से 351.0 पैसे/कि. वा.घं. तक भिन्न होता है।

(ङ) और (च) देश में विद्युत उत्पादन की लागत कई घटकों जैसे प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण की पद्धति, ब्याज-दर, जल, विद्युत, ताप-विद्युत सम्मिश्रण, ईंधन का मूल्य एवं स्त्रोत, पूरे होने की लागत, भौगोलिक क्षेत्र, भार का घनत्व, कर एवं शुल्क इत्यादि पर निर्भर करती है। यह घटक विभिन्न देशों के विद्युत उत्पादन की लागत की तुलना को कठिन बना देते हैं।

पुरा वस्तुओं की चोरी

1327. **श्री रवि सीताराम नायक :**

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुरा वस्तुओं की चोरी में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी पुरा वस्तुओं की चोरी होने की बात सरकार के ध्यान में आई है;

(ग) चोरी की गई कितनी पुरा वस्तुएं बरामद की गई हैं; और

(घ) भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार को पुरावशेषों की चोरी के कुछ मामलों की जानकारी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में लाई गई चोरियों तथा उसमें सम्मिलित पुरावशेषों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	चोरियों की संख्या	शामिल पुरावशेष
1995	4	7
1996	6	10
1997	3	8
1998	5	45

(ग) चोरी हुए 36 पुरावशेष प्राप्त कर लिए गए हैं।

(घ) पुरावशेषों की चोरी रोकने के लिए राजस्व आसूचना सीमा-शुल्क, निदेशालय तथा राज्य सरकारों जैसी प्रवर्तन एजेंसियों की सहमति से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, सीमा-शुल्क निकासी स्थलों पर जांच को तीव्र करके तथा साथ ही पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का सख्ती से प्रवर्तन करते हुए उपाय किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन चुने हुए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों पर सशस्त्र रक्षक भी तैनात किए हैं।

धोलावीर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना

1328. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात धोलावीर और महाराष्ट्र के कुछ अन्य स्मारकों/स्थलों/मन्दिरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इन स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्थलों के रख-रखाव के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात में धोलावीरा स्थित हड़प्पीय स्थल के संरक्षण हेतु आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और औरंगाबाद स्थिति थाट्टे नहर के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन जल प्रणाली एवं पुणे स्थित तीन सूंडों वाले गणपति मन्दिर का संरक्षण करने के लिए प्रस्तावों की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा बता पाना संभव नहीं होगा।

(घ) गुजरात में धोलावीरा स्थित स्थल के रखरखाव के लिए 1994 से 1998 के बीच 8.50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र स्थित स्थलों का रखरखाव, संसाधनों की कुल उपलब्धता के अधीन संरक्षण औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किया जाएगा।

[अनुवाद]

खजुराहो के मन्दिर

1329. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहो के मन्दिर जर्जर अवस्था में हैं और उन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मन्दिरों को गिरने से बचाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में उन अन्य पुरातत्व से जुड़े स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनके रख-रखाव और संरक्षण पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं, खजुराहो में केन्द्र द्वारा संरक्षित मन्दिर संरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों जिसमें मध्य प्रदेश के स्मारक भी सम्मिलित हैं का रखरखाव, संरक्षण, परिरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संरक्षण कार्य शुरू किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में ट्रांसमिशन परियोजना

1330. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार विद्युत बोर्ड 76 करोड़ रुपये वाली ट्रांसमिशन परियोजना पर कार्य कर रहा है जिसके कारण दोनों शहरों में बिजली कटौती को कम करके इसके उतार-चढ़ाव को समाप्त किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार से इस संबंध में राज्य सरकार को सहायता देने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(घ) क्या इस परियोजना का कार्य तीन चरणों में किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) 100 करोड़ रुपये से नीचे के पारेषण/उप-पारेषण कार्य के लिए के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की अथवा उसके द्वारा मानीटरिंग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध नहीं किया है।

विभिन्न जैविक स्रोतों का संरक्षण

1331. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश की विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न पूरी हुई चालू परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सन् 2000 के बाद उपलब्ध विभिन्न जैविक स्रोतों का किफायत से उपयोग करने के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्यवार तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा समीक्षा बैठकों, पर्यवेक्षक मिशनों के दौरों तथा परियोजना प्राधिकारियों के साथ लगातार विचार विमर्श द्वारा विभिन्न चल रही/पूरी हुई परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का युक्तिसंगत ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। यह एक

सतत् प्रक्रिया है और समय-2 पर परियोजनाओं का मूल्यांकन होता रहता है। विश्व बैंक की चल रही/पूरी हुई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मंत्रालय जैव मंडल रिजर्व, जैसे विविधता संरक्षण, मैनगुव्स और प्रवाल भित्ति पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों तथा सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि-विकास के लिए एवं वनस्पतिक उद्यानों को सहायता हेतु योजना स्कीमें कार्यान्वित करता है। स्कीमें 2000 से आगे जारी रहेगी। उपरोक्त स्कीमों के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। वर्ष 1998-99 तथा नौवीं योजना के लिए आंबटित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1998-99	नौंवी योजना (लाख रु. में)
1.	जैव मंडल रिजर्व	262	1850
2.	मैनगुव्स तथा प्रवाल भित्ति	156	700
3.	जैव विविधता संरक्षण	26	200
4.	वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	52	550
5.	राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों का विकास	1200	11000
6.	सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारिविकास	800	20500

विवरण

पिछले तीन वर्षों में विश्व बैंक की चल रही/पूरी हुई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	परि. लागत (करोड़ रु. में)	1998-99 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	1992-93 से 1999-2000	431.51	60.00
2.	आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	1994-95 से 1999-2000	353.92	88.00
3.	मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना	1995-96 से 1998-99	245.94	60.00
4.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	1997-98 से 2000-2001	272.00	45.00
5.	केरल वानिकी परियोजना	1998-99 से 2001-2002	180.00	15.00
6.	पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना	1992-93 से 1997	119.00	दिसंबर, 1997 में परियोजना पूर्ण होगी
7.	भारत पारि-विकास परियोजना	1996-97 से 2001-2002	294.93	
	पश्चिम बंगाल			1.58
	कर्नाटक			4.32
	मध्य प्रदेश			1.37
	बिहार			0.90
	गुजरात			1.11
	राजस्थान			1.58
8.	वन अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार परियोजना (विभिन्न जैविक घटक)	1994-95 से 1999	2.28	1.23

[हिन्दी]

परिवार नियोजन राष्ट्रीय स्वीकार्यता परीक्षा

1332. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्याख्याताओं और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए नेशनल अर्हता परीक्षा (नेट) आयोजित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सफल उम्मीदवारों की घोषणा के लिए क्या पद्धति निर्धारित की गई है;

(ग) क्या चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का प्रयोग

1333. श्री विट्ठल तुपे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,

1980 के अंतर्गत वन भूमि को गैर-वन भूमि प्रयोजन में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निपटाये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास राज्य-वार लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सुझावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) वन भूमि का गैर-वन भूमि प्रयोजनों के लिए अपवर्तन करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष वार प्राप्त प्रस्तावों तथा निपटाए गए प्रस्तावों तथा उनमें से लम्बित प्रस्तावों की सूचना को संकलित किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग

1334. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री दिनशा पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में हाल के विधान सभा चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा ये इलेक्ट्रानिक मशीनें कहां से खरीदी गई हैं;

(ग) क्या ये सारी मशीनें चालू हालत में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का विचार भावी चुनावों में इन मशीनों का उपयोग किस सीमा तक करने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (डा एम. तम्बी दुरई) : (क) मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में, 25 नवम्बर, 1998 को हुए विधान सभा निर्वाचनों के दौरान, 16 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया था।

(ख) मशीनें मैसर्स इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, बंगलौर से प्राप्त की गई थीं।

(ग) और (घ) पूर्वोक्त निर्वाचनों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किए जाने के पूर्व, संबद्ध फर्मों के तकनीकों प्रतिनिधियों द्वारा उनकी जांच की गई थी और उन्हें ठीक पाया गया था।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता। निर्वाचन आयोग ने, भावी निर्वाचनों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के प्रयोग के विस्तार के संबंध में, अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया है।

विद्युत क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश किया जाना

1335. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वित्तीय संस्थान विद्युत क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं;

(ख) क्या उनका विचार संयुक्त उद्यम की परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो गैर सरकारी/सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं में निवेश की उत्सुकता व्यक्त करने वाली कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए गैर सरकारी/सरकारी क्षेत्र की पता लगाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) देश में निजी विद्युत क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए भारतीय वित्तीय संस्थान और बैंक मुख्य ऋणदाता है। हालांकि ये वित्तीय संस्थाएं स्वयं संयुक्त क्षेत्र विद्युत परियोजनाएं स्थापित नहीं कर रही है। इनमें से कुछ वित्तीय संस्थाएं निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए वित्त आधारित/गैर-वित्त आधारित सहायता के रूप में भाग ले रही हैं।

आई.एफ.आई. द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को अभिज्ञात किया जाना, अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा आवश्यक सुरक्षा पैकेज प्राप्त करने जैसे राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उपयोग की गई विद्युत के लिए देय राशि का समय से भुगतान पाने के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों से राज्य गारंटी, एस्क्रो सुविधा तथा साख-पत्र आदि प्राप्त करने पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत असम को सहायता

1336. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक राष्ट्रीय साक्षरता

मिशन के अंतर्गत असम को कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) राज्य में उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को साक्षर बनाया गया;

(ग) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि से लेकर आज तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं के अंतर्गत असम राज्य को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता तथा साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है :—

वर्ष	धनराशि (लाख रु.)	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1995-96	361.09	29,000
1996-97	194.29	1,88,000
1997-98	86.97	92,000
1998-99 (आज तक)	59.00	उपलब्ध नहीं

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तूफान से राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को क्षति

1337. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तूफान से राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुई क्षति से कुल कितना नुकसान हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा सड़क और पुलों की मरम्मत करने के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत करने के लिए विशेष धनराशि मुहैया कराने के लिए सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है;

(ङ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(च) इस संबंध में सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों की मरम्मत के लिए अपेक्षित धनराशि के संदर्भ में कुल लगभग 59.00 करोड़ रु. के घाटे का अनुमान है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के रख-रखाव और मरम्मत पर 104.70 करोड़ रु. खर्च किए गए। इस राशि में बाढ़/चक्रवात मरम्मत कार्य पर खर्च की गई राशि शामिल है।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, पिछले 3 वर्षों के दौरान चक्रवात से हुई किसी क्षति की सूचना नहीं है। तथापि, सामान्य रख-रखाव और मरम्मत पर 110.14 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने 1998-99 के दौरान बाढ़/चक्रवात से राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुई क्षति की मरम्मत के लिए 50.00 करोड़ रु. के अनुदान के लिए अनुरोध किया है और सरकार ने 5.00 करोड़ रु. आबंटित कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए 24.13 करोड़ रु. के अनुदान के लिए अनुरोध किया है और 2.5 करोड़ रु. आबंटित कर दिए गए हैं।

(ङ) अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

(च) शून्य।

विश्वविद्यालय अध्यापकों को वेतन पैकेज

1338. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री के. येरननायडू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉलेज/विश्वविद्यालय अध्यापक संघों और केन्द्र सरकार के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अध्यापक उस पैकेज से संतुष्ट हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार इस मसले को महत्वपूर्ण ढंग से किस प्रकार हल करना चाहती है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) कॉलेज/विश्वविद्यालय

अध्यापक संघ और संघ सरकार के बीच सहमति पैकेज के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(1) जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था अध्यापकों के संशोधित वेतनमान 1.1.96 से लागू होने चाहिए न कि 27.7.98 से।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार चयन किये गये लेक्चरर (चयन ग्रेड)/रीडर और जो 1.1.96 की स्थिति अनुसार लेक्चरर (चयन ग्रेड)/रीडर थे उनका वेतन इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि वह जब भी ग्रेड में पांच वर्ष पूर्ण करते हैं तो उन्हें 12000-420-18300 रुपये के संशोधित वेतनमान में वेतन न्यूनतम 14940/- रुपये निर्धारित किया जाए।

(3) सरकार उन लेक्चररों के लिए जिन्होंने एम.फिल/पी.एच. डी. के लिए पंजीकरण कराया हुआ है तथा जिनका अनुसंधान कार्य उनके गाइड द्वारा संतोषजनक बताया गया है उनके लिए नकद भत्ते या वस्तु के रूप में व्यावसायिक विकास प्रोत्साहन देने की एक योजना तैयार करेगी।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार के साथ विचार-विमर्श करके एक विशिष्ट योजना बनाएगा ताकि उन योग्य अध्यापकों को पुरस्कृत कर सके जो एम.फिल. और पी.एच.डी नहीं हैं परन्तु जिन्होंने अध्यापन और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

उपर्युक्त के आधार पर अध्यापकों ने 5 सितम्बर, 1998 को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी तथा अब सरकार ने उपर्युक्त पैकेज के कार्यान्वयन हेतु एक संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

1339. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री राजो सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में विद्युत उत्पादन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अनुमोदित नई विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में वर्ष-वार ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का निजीकरण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण को निजी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो विद्युत संकट से उबरने हेतु प्रस्तावित कदम क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपनी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को तैयार और क्रियान्वित किया जाता है। जहां तक विद्युत उत्पादन स्कीमों का संबंध है बिहार राज्य में निजी क्षेत्र के अंतर्गत के.वि.प्रा. द्वारा दिसम्बर, 1997 के दौरान जोजोबेरा ताप विद्युत स्टेशन (240 मे.वा.) स्कीम को तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान आर.ई.सी. द्वारा अनुमोदित आर.ई. परियोजनाओं की संख्या निम्नवत है :

क्र.सं.	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि (लाख रुपये)
1.	1995-96	-	-
2.	1996-97	39	4083
3	1997-98	2	883

अनुमोदित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्धियों की सूचना दी है :—

क्र.सं.	वर्ष	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	उर्जित पंपसेटों संख्या
1.	1995-96	43	2616
2.	1996-97	27	1974
3.	1997-98	05	932

(ग) 1998-99 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बिहार हेतु आर.ई.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य निम्नवत हैं :—

कार्यक्रम	लक्ष्य(संख्या)		कुटीर ज्योति कनैक्शन (संख्या)	राशि (लाख रुपये)
	विद्युतीकृत गांव	उर्जित पंपसेट		
सामान्य	100	1800	-	1000
एमएनपी	400	200	-	1950
एस.आई.	-	-	-	500
कुटीर ज्योति	-	-	50000	400
कुल	500	2000	50000	3850

(घ) और (ङ) वितरण प्रणालियां राज्य सरकारों/रा.वि.बो. के नियंत्रण एवं प्रचालनाधीन हैं तथा उनका निजीकरण किए जाने संबंधी निर्णय उनके द्वारा ही लिया जाता है।

विवरण

बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजनाओं का विवरण
1	2
1995–96	शून्य
1996–97	
1.	सीतामढ़ी जिले के बेलसंड, तरियानी, परसौनी, पिपराही और रूनिसेदपुर (6 खंड)
2.	दुमका जिले में काठीकुंड खंड।
3.	पश्चिम चम्पारन जिले में सिकता, मैनातूर, मरकटियागंज, चनपटिया और लौरिया।
4.	मुजफ्फरपुर जिले के मरौल, सकरांद, बान्द्रा।
5.	मुजफ्फरपुर जिले के कान्ति और कुरूनानू खंड।
6.	मुजफ्फरपुर जिले के सुरैया और पारू खंड।
7.	मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज और लालगंज।
8.	मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज और कजुराज।
9.	गया जिले के कोंच, परईया और गुरूरारू खंड।
10.	सकारा, मरौल और बनौरा खंड जिला मुजफ्फरपुर।
11.	दिगवाड़ा और सारन जिले के 7 खण्ड।
12.	कटिहार और उत्तरी भागलपुर जिले के कटिहार के 4 खंड।
13.	वैशाली जिले के माहतर, सांचल और जनडाना।
14.	सारन जिले के जलालपुर और रेवलीगंज।
15.	सारन जिले का मंजनी।
16.	सारन जिले का एकमा।
17.	रघुनाथपुर और सिवान जिले के 9 खंड।
18.	सिवान जिले के भगवानपुर हाल्ट, बसंतपुर, गोरियाखोटी, महाराजगंज और डरौंडा।
19.	कटिहार जिले के मणिहारी, अम्बदाबाद खंड।
20.	सिंहभूम जिले का पोटका/पूर्व।
21.	कटिहार जिले का बेलरामपुर।
22.	कटिहार जिले का कोडवा।
23.	कटिहार जिले का आजमनगर खंड।
24.	कटिहार जिले का करसोई।
25.	सिवान जिले के बररिया, सिवान, पचरूखी गोरियाखोटी खंड।
26.	जमुई जिले के खेड़ा और जमुई।
27.	हजारीबाग जिले का रामगढ़।
28.	मुजफ्फरपुर जिले के लालगंज और साहिबगंज।
29.	मुजफ्फरपुर जिले के कजुराज और साहिबगंज खंड।
30.	गया जिले का गया।
31.	औरंगाबाद जिले का औरंगाबाद।
32.	रोहतास जिले का रोहतास।
33.	भाबुआ जिले का भाबुआ।
34.	नालन्दा जिले का राहुल।
35.	नालन्दा जिले का राजगीर।
36.	मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज, बरूराज और पारू।
37.	मुजफ्फरपुर जिले के कनाटी, कुरहानी और सरैरिया।
38.	वैशाली जिले के गौराल खंड और वैशाली खंड।
39.	वैशाली जिले के लालगंज और वैशाली खंड।
1997–98	
40.	रोहतास जिले के विक्रमगंज में 132/33 के.वी. उपकेन्द्र के लिए एस.आई.स्कीम।
41.	पटना जिले के मसौरी में 132/33 के.वी. उपकेन्द्र के लिए एस.आई. स्कीम।

[अनुवाद]

द्रुत स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय समिति

1340. श्री सुरेश धरपुडकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावों को तुरन्त स्वीकृति देने हेतु एक राष्ट्रीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, इस समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं तथा समिति से संबंधित अन्य ब्यौरे क्या हैं तथा इस समिति के उद्देश्य क्या हैं और इस समिति को कौन-कौन से मुख्य कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) 30 सितम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या नए उपाय किए गए हैं और इस संबंध में जारी किए गए संशोधित मार्गनिर्देशों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठते।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ङ) पर्यावरणीय मंजूरी के आवेदनों की जांच में अधिकांश मामलों में देरी इस लिए हुई है क्योंकि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों को प्रस्तुत करते समय समूची सूचना नहीं दी है। अंतिम निर्णय किए जाने से पहले अनेक बार परियोजना प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करना पड़ा। अब मंत्रालय ने आवेदन के साथ लगाई जाने वाली प्रश्नावली में संशोधन कर दिया है जिससे समूची अपेक्षित सूचना विचार करते समय प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ समिति को अधिकतम दो बैठकों में समीक्षा को पूरा करके अपनी सिफारिशें शीघ्र देने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

क. 30 सितंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	मैसर्स एस.जे. के. स्टील लि. द्वारा जमनालपाड। ताडिपतरी, जिला अनन्तपुर में 300000 टीपीए एकीकृत परिसर
2.	मैसर्स करेबस बायोकैमिकल्स लि. द्वारा विशाखापतनम जिले में बड़ी दवा इकाई।
3.	मैसर्स प्रियादर्शिनी सिमेंट लि. द्वारा रामपुरम नालगोंडा में 215 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ 0.8 एमटीपीए सीमेंट प्लांट
असम	
4.	गुवाहाटी रिफायनरी में मैसर्स आई ओ सी का हाईड्रोट्रीटट प्रोजैक्ट।
1	2
5.	मैसर्स हार्डी एक्सपलोरेशन एंड प्रोडक्शन द्वारा भरूच जिले में अपतट ब्लाक सी बी ओ एस/आई, खम्बात की खाड़ी में अन्वेषण तथा ड्रिलिंग।
6.	मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा वाडिनार मांडला प्रोडक्ट पाइपलाईन।
7.	मैसर्स कृभको की हजीरा फर्टिलाईजर परियोजना चरण द्वितीय
कर्नाटक	
8.	मैसर्स प्लामा लेबोरेट्रीज लि. द्वारा मंगलोर में बड़ी दवा इकाई।
9.	मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा मंगलौर प्रोडक्ट पाईपलाईन परियोजना।
10.	मैसर्स वेंकटेश्वर डिस्टेलरीज द्वारा बीदार में डिस्टेलरी इकाई।
केरल	
11.	केरल कोंकण बेसिन पश्चिमी तटीय अपतटीय प्रदेश में गहरे जल वाले स्थान में ड्रिलिंग कार्य।
महाराष्ट्र	
12.	मैसर्स डी जी पी डिनोडे इंडस्ट्रीज लि. द्वारा पुणे में फाउंडरी यूनिट।
पंजाब	
13.	फुलोखेड़ी भटिंडा में मैसर्स एचपीसीएल की पंजाब रिफाइनरी
राजस्थान	
14.	शम्भुपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ के निकट मैसर्स ओरियन्ट सीमेंट का सीमेंट प्लांट
15.	अलवर में मैसर्स विन्टेज डिस्टलरीज लि. की 40 कि. एल. अल्कोहल में मेन्यूफैक्चरिंग यूनिट
तमिलनाडु	
16.	सुरीपुर गांव में मैसर्स संग आर्गेनिक्स और कैमिकल्स लि. का बल्क ड्रक यूनिट
17.	कोयम्बटूर में मैसर्स लक्षमण इंडस्ट्रीज प्रोडक्स (प्रा.) लि. को फाउंड्री यूनिट
18.	अरासुर, कोयम्बटूर में मैसर्स सीतस्टेक्स इंजीनियरिंग लि. की 500 टी एम सी आई कास्टिंग।

1	2
19.	होसुर में तकससर एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. की फैक्टरी का विस्तार
20.	कोयम्बटूर में मैसर्स जेड डब्ल्यू जी कास्टिंग प्राइवेट लि. की फाउंड्री यूनिट।
21.	मैसर्स सादर्न आयरन स्टील कं. का मेस्ट के निकट विस्तार
	उत्तर प्रदेश
22.	मैसर्स कृभको की गोरखपुर फर्टिलाइजर परियोजना।
	पश्चिम बंगाल
23.	हल्दिया में मैसर्स पहलपुर फर्टिलाइजर्स और कैमिकल्स लि. का ग्रास रूट फर्टिलाइजर (यूरिया) काम्पलेक्स।
	अन्य
24.	मैसर्स एच पी सी एल की क्रूड ऑयल पाइपलाइन परियोजना।

ख. 30.9.98 को लंबित खनन परियोजनाओं की सूची

	आंध्र प्रदेश
1	मैसर्स डीकन सीमेंट लि., भवानीपुरम की लाइमस्टोन ओपनकास्ट माइन
2.	मैसर्स इंडियन रेयर अर्थस लि. द्वारा भीमिली बीच गारनेट सैंड प्रोजेक्ट
3.	मैसर्स विसाक इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट
	गुजरात
4.	मैसर्स जी एम डी सी की लिग्नाइट माइन, अकरी मोता जिला-कच्छ
5.	मैसर्स जी डी एम सी की लिग्नाइट माइन, माटानो मठ, जिला-कच्छ
6.	मैसर्स जी डी एम सी की लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट, उमरसार
7.	मैसर्स ओरिएन्ट एब्रेविल लि. की बाक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट जिला जाम नगर
	कर्नाटक
8.	मैसर्स हुट्टी गोल्ड माइन लि. की उज्जनाहाली गोल्ड माईन
	मध्य प्रदेश
9.	मैसर्स एम ई सी एल की कपिलधारा यू/जती गोल्ड माइन
10.	मैसर्स जिंदल किटूटल लि. की ओपनकास्ट कोल माइन, जिला रायगढ़
	महाराष्ट्र
11.	मैसर्स ए सी सी लि. की लोहारा (ईस्ट) कोल माइन
12.	मैसर्स निप्पोन डेनरो इस्पात लि. की लोहारा (वैस्ट) कोल माइन
13.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल की निर्गुदा ओ सी कोल माइन, दोतमाल
14.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल की पोनी ओपनकास्ट कोल माइन
	राजस्थान
15.	मैसर्स इंडियन रेयर अर्थस लि. की हैवी मिनरल्ज कुडियरायमोजो माइन जिला चिदम्बर नगर
16.	मैसर्स शिवकुमार द्विवेदी की बेरीट्स, चायनाक्ले एंड क्वार्ट्ज माइन, जिला कराली
17.	मैसर्स बी एन माइनिंग कम्पनी की क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार माइन, जिला भीलवाड़ा
18.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा रामपुरा आगुचा माइन एक्सपेंशन
	तमिलनाडु
19.	मैसर्स इंडियन रेयर अर्थस लि. हैवी मिनरल्ज कुडिरायमोजो माइन, जिला चिदम्बर नगर।

उड़ीसा में बाघों की संख्या

1341. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अगस्त, 1998 के "इंडियन एक्सप्रेस" के नई दिल्ली संस्करण में "उड़ीसाज टाइगर नम्बर्स शो स्टीप फॉल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1980 से हुई आवधिक गणना के अनुसार उड़ीसा के जंगलों में बाघ की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े तथा देश के अन्य बाघ अभयारण्यों तथा जंगलों में तत्स्थानी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) विभिन्न अभयारण्यों में बाघ की संख्या को संरक्षित, सुरक्षित तथा बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार 1980

से उड़ीसा में अनुमानित बाघों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	1984	1989	1993	1997
बाघों की संख्या	202	243	226	194

देश में किए गए पूर्व उत्तरोत्तर अनुमानों के अनुसार बाघ संख्या के आंकड़े तथा बाघ रिजर्व संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

(ग) सरकार द्वारा बाघ संख्या को संरक्षित करने के लिए उठाए गए उपायों को संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में बाघों की संख्या

	राज्य का नाम	बाघ				
		1972	1979	1984	1989	1993
1.	तमिलनाडु	033	065	097	095	097
2.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276
3.	केरल	060	134	089	045	057
4.	पश्चिम बंगाल	073	296	352	353	335
5.	उड़ीसा	142	173	202	243	226
6.	कर्नाटक	102	176	202	257	305
7.	बिहार	085	110	138	157	137
8.	असम	147	300	376	376	325
9.	राजस्थान	074	079	096	099	064
10.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912
11.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465
12.	आंध्र प्रदेश	035	148	164	235	197
13.	मेघालय	032	035	125	034	053
14.	मणिपुर	001	010	006	0.31	–
15.	त्रिपुरा	007	006	005	–	–
16.	मिजोरम	–	065	033	018	028
17.	नागालैंड	080	102	104	104	083
18.	अरूणाचल प्रदेश	069	139	219	135	180
19.	सिक्किम	–	–	002	004	002
20.	गुजरात	008	007	009	009	005
21.	गोवा दमन व दीव	–	–	–	002	003
22.	हरियाणा	–	–	001	–	–
	कुल	1827	3015	4005	4334	3750

विवरण–II

बाघ रिजर्व क्षेत्रों में बाघों की संख्या

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	1979	1984	1989	1993	1995
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	39	53	50	66	74
2.	कार्बेट (उत्तर प्रदेश)	84	90	91	123	128
3.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	71	108	97	100	97
4.	मानस (असम)	69	123	92	81	94
5.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	63	80	77	72	71
6.	पलामू (बिहार)	37	62	55	44	47
7.	रणथम्भौर (राजस्थान)	25	38	44	36	38
8.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	65	71	93	95	97
9.	सुन्दर बन (प. बंगाल)	205	264	269	251	242
10.	पेरियार (केरल)	34	44	45	30	39
11.	सरिस्का (राजस्थान)	19	26	19	24	25
12.	बक्सा (प. बंगाल)	–	15	33	29	31
13.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	–	38	28	18	15
14.	नागार्जुन सागर (आं प्र.)	–	65	94	44	34
15.	नामदफा (अरुणाचल प्रदेश)	–	43	47	47	52
16.	दुधवा (उ. प्र.)	–	–	90	94	98
17.	कालाकड़ (तमिलनाडु)	–	–	22	17	16
18.	वाल्मिकी (बिहार)	–	–	81	49	लागू नहीं, गणना नहीं की गई
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	–	–	–	39	27
20.	टडोबा (महाराष्ट्र)	–	–	–	34	36
21.	बूंदीगढ़ (मध्य प्रदेश)	–	–	–	41	46
22.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	–	–	–	25	22
23.	डम्पा (मिजोरम)	–	–	–	07	04
	कुल	711	1121	1327	1366	1333

विवरण-III

बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपाय

1. राज्य सरकारों को निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गश्त को बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं।

2. प्रभावी आसूचना प्राप्त करने और कानूनों को लागू करने हेतु विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं की व्यवस्था की गई है।

3. अनाधिकार शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रण करने हेतु सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक संगठन जैसे भारतीय प्राणि विज्ञान और वानस्पतिक सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

4. बाह्य सीमा व्यापार नियंत्रण के संबंध में चीनी गणराज्य के साथ एक समझौते पर और नेपाल सरकार के महामहिम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

5. बाघ संरक्षण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को उठाने के लिए बाघ रेंज देशों अर्थात् "ग्लोबल टाइगर फोरम" के लिए एक मंच के सृजन का मामला उठाया।

6. भारत सरकार को वन्यजीव संरक्षण में किए गए प्रयासों में समर्थन के वास्ते गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ करना।

7. संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों में बाघ व्यापार मार्ग खोजने तथा बाघ के हिस्सों और उत्पादों के लिए अदालती पहचान, संदर्भ नियम-पुस्तिका बनाने हेतु समर्थन कार्यक्रम।

8. राज्य सरकारों को क्षेत्रों के पारि-विकास के लिए जैविक दबाव कम करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

9. बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थल विशिष्ट "स्पेशल स्ट्राइक फोर्स" को स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कंसलटेंसी फर्म

1342 **श्री सुनील खां :**

श्री विकास चौधरी :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान भारत में कार्यरत विदेशी कंसलटेंसी (परामर्शदात्री) फर्मों की संख्या कितनी है;

(ख) गत वर्षों के दौरान उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ग) क्या विदेशी कंसलटेंसी फर्मों ने अपने कार्यभार का कुछ हिस्सा भारतीय कंसलटेंसी फर्मों को दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका भारतीय कंसलटेंसी फर्मों पर क्या असर पड़ा है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन

1343. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित परिषद् के सदस्य कौन-कौन हैं और पुनर्गठन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए थे?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। इसका आंशिक पुनर्गठन किया गया है।

(ख) संघ ज्ञापन के नियम 3 तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के नियमों के अनुसार भारत सरकार द्वारा 18 सामाजिक वैज्ञानिकों को परिषद् के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष होती है। चूंकि 12 ऐसे सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, सरकार ने दिनांक 22 सितंबर, 1998 को बारह सामाजिक वैज्ञानिकों को मनोनीत किया है।

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट विनियमन

1344. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपब्रेकर्स मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में पुराने पोत मुम्बई पत्तन पर खड़े हैं जैसा कि 5 अक्टूबर, 1998 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उस मामले के संबंध में क्या तथ्य दिए गए हैं; और

(ग) सरकार मुम्बई शिपब्रेकिंग यार्ड को कबाड़ इत्यादि से मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुम्बई पत्तन न्यास प्रदूषण नियंत्रण प्रकोष्ठ समुद्र की ओर से यार्डों सहित ब्रेक किए जा रहे पोतों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है। फाइबर ग्लास, इन्सुलेटिंग सामग्री और तेल गाद जैसी सामग्री, यदि कोई है, एकत्र कर ली जाती है और सुरिक्षत रूप से जमा कर दी जाती है। पत्तन न्यास स्थिति की लगातार निगरानी करता है।

[हिन्दी]

"इग्नू" के क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधाएं

1345. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों एवं अन्य संबंधित मामलों के परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए "इग्नू" के छात्रों को दूर-दराज के क्षेत्रों से क्षेत्रीय कार्यालयों और विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा छात्रों के पाठ्यक्रमों के शुल्क आदि को विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय में समय से जमा न कर पाने के कारण छात्रों के परीक्षा परिणाम रोक दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय कार्यालयों में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आखिरी परीक्षाओं के परीक्षाफल सभी छात्रों को उनके दर्ज पते पर डाक द्वारा अलग-अलग संप्रेषित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) नीचे दिए गए किसी एक या सभी कारणों से कुछ छात्रों के परीक्षाफल रोके जाते हैं :—

(1) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की शिकायत की गई हो,

(2) उम्मीदवार द्वारा परीक्षा फार्म तथा/या परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका में गलत नामांकन संख्या का लिखा जाना

(3) पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उम्मीदवार का अंतिम परीक्षा में बैठना

(4) परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार द्वारा लिया गया गलत विकल्प

(5) क्षेत्रीय केंद्र पर पाठ्यक्रम पंजीकरण शुल्क का भुगतान न करना

(6) अध्ययन की निर्धारित अवधि पूरा किए बगैर परीक्षा में बैठना

अब विश्वविद्यालय ने एक या दो किस्तों में पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है। इसके फलस्वरूप जनवरी, 1999 सत्र के लिए क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा लिए गए शुल्क का एक बड़ा हिस्सा मुख्यालय के पास ही है। अध्ययन की मुक्त प्रणाली में यह विश्वविद्यालय सभी छात्रों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे अलग क्षेत्र का होते हुए भी अपने परीक्षा फार्म में अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुन कर किसी भी सक्रिय परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा दे सकते हैं। क्षेत्रीय केंद्र अपने-अपने क्षेत्र के केन्द्रो पर परीक्षा के संचालन से जुड़े हैं। किसी भी क्षेत्र के किसी खास परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने में कठिनाई की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी स्थिति में उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित न रहें।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

1346. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि देश में प्राथमिक शिक्षा सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने हाल में यह सुझाव दिया है कि देश की शैक्षणिक नीतियों संबंधी योजना बनाते समय अध्यापकों का उचित सम्मान करते हुए इनके विचारों को अंतर्विष्ट करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, प्रधान मंत्री ने सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा की योजना बनाने में शिक्षकों के विचारों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए और स्कूलों के संबंध में अभिभावकों तथा समाज को और अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रारंभिक शिक्षा की विकेन्द्रित योजना तथा प्रबन्ध का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति में प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के रूप में प्रत्यक्ष सामुदायिक सहभागिता की कल्पना की गई है। ग्राम शिक्षा समितियों में शिक्षकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और स्कूल के प्रबंधकीय काम-काज में समुदाय के साथ कार्य करते हैं।

कोचीन शिपयार्ड में हड़ताल

1347. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के श्रमिकों/कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा हड़ताल के कारण कुल कितनी राशि की हानि हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों ने मजदूरी-संशोधन और ठेकेदारों द्वारा दिए जाने वाले बोनस/अनुग्रह की अधिक राशि के संबंध में अपनी मांग पर जोर देने के लिए 6 अगस्त से 2 सितम्बर, 1998 तक और 19 अक्टूबर से 18 नवम्बर, 98 तक हड़ताल की थी। यार्ड ने जहाज निर्माण में लगे अधिक आवर्तन समय के कारण उत्पादन में हुई हानि की वजह से लगभग 5.06 करोड़ रु. का घाटा उठाया। इसके अतिरिक्त, यार्ड ने अनुमान लगाया है कि लांचिंग और डिलीवरी स्तर पर चरणबद्ध भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज के रूप में, 1.30 करोड़ रु. का घाटा हो सकता है।

भारतीय गैंडे

1348. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991 तथा 1997 में भारतीय गैंडों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या उच्च रूप से सुरक्षित इस जानवर को शिकारियों द्वारा खत्म किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) 1991 तथा 1997 के दौरान भारतीय गैंडों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :

	1991 (गणना)		1997 (अनुमान)
असम	1519		1530
प. बंगाल	39	(1989)	55
उत्तर प्रदेश	9	(1989)	13

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या इस प्रकार है :—

1995	35
1996	40
1997	29

(घ) गैंडों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया है। इसलिए कानून के तहत उसे सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत गैंडे के शिकार की मनाही है।
2. जब कभी भी वन्यजीवों के अवैध व्यापार, इसमें गैंडों के सींग भी शामिल हैं, की सूचना मिलती है आवश्यकतानुसार अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।
3. भारत, वन्य प्राणिजात तथा वनस्पति जात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (साइटस) का हस्ताक्षरकर्ता है जिसके तहत गैंडे तथा इसके शरीर के अंगों और उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्ण रूप से विनियमित है।

मथेरन पहाड़ियों में प्लास्टिक की भरमार

1349. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1998 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार "मथेरन हिल्स गेट चोक्ड बाई प्लास्टिक" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार प्लास्टिक की थैलियों और पैकेटों के प्रयोग को रोकने और इनके स्थान पर पारम्परिक कागज, जूट या कपास की पैकेजिंग का प्रयोग करने के उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। 23 सितम्बर, 1998 के इंडियन एक्सप्रैस में "मथेरन हिल्ज गेट चोक्ड बाई प्लास्टिक" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है और इस समिति की रिपोर्ट अक्टूबर, 1998 में प्रस्तुत कर दी गई है। इस समिति ने विनिर्दिष्ट मोटाई से कम मोटाई वाले बैग बनाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 60 दिन की अवधि में लोगों की आपत्तियां आमंत्रित करते हुए 20 नवम्बर, 1998 को "रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक्स यूसेज रूल्ज, 1998" शीर्षक से एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है ताकि प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। इन नियमों में खाद्य सामग्री को रखने, लाने ले जाने और पैकिंग के लिए रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक से बने थैलों अथवा कंटेनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त उपबंधों के अध्यधीन कोई भी व्यक्ति खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने थैलों और कंटेनरों को इस्तेमाल कर सकता है और यदि प्लास्टिक का पुनर्संसाधन अथवा पुनर्चक्रण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक आई एस 14534 : 1998 "प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग हेतु दिशा-निर्देश" के अनुसार किया जाता है तो ऐसे थैलों और कन्टेनरों को गैर-रंजित (नॉन पिग्मेन्टेड) भी किया जाना होगा और उनकी मोटाई 25 माइक्रोन्स से कम नहीं होगी। नियमों के प्रारूप में शुद्ध प्लास्टिक से बने थैलों (कैरी बैग्स) की न्यूनतम मोटाई भी निर्दिष्ट की गई है, यह मोटाई 20 माइक्रेन्स से कम नहीं होगी।

विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक द्वारा विद्युत निगम को धन दिया जाना

1350. **श्री एम. बागा रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदत्त बाह्य धनराशि का पूर्णतः उपयोग नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रदत्त और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा शेष धनराशि को वर्ष 1998-99 के दौरान उपयोग किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) एक वित्तीय संस्थान है जो विद्युत क्षेत्र, विशेषतः राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि.बो.) और राज्य विद्युत उत्पादन निगमों (एसजीसी) को ऋण प्रदान करता है। भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से विदेशी ऋण भी इस प्रकार लिए जाते हैं। पीएफसी कोई क्रियान्वयन एजेंसी नहीं है और ऋणों के समुपयोजन हेतु पीएफसी को रा.वि.बो./राज्य विद्युत उत्पादन निगमों पर निर्भर करना पड़ता है। गत तीन वर्षों के लिए बजट के माध्यम से विदेशी ऋणों का वास्तविक समुपयोजन और बजट अनुमान (बी.ई.)/संशोधित अनुमान (आर.ई.) का ब्यौरा निम्नवत है :—

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक समुपयोजन
1995-96	300	300	300
1996-97	550	550	480
1997-98	550	400	342

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रापण में विलम्ब होने तथा वितरण हेतु पीएफसी को लाभभोगी रा.वि.बोर्डों द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों की किए गए भुगतानों का प्रमाण और बिलों के उत्तरपूर्वी प्रस्तुतीकरण में विलम्ब किए जाने के कारण रुपये शर्तों पर बजट आबंटन का कम समुपयोजन हुआ था। इन स्कीमों की प्रगति की लगातार मानीटरिंग और समीक्षा की जा रही है।

निधियों का उपयोग

1351. **डा. रवि मल्लू** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े समुदायों की महिलाओं में साक्षरता प्रसार करने के लिए बनी योजना 1998-99 के दौरान किए गए बजटीय आबंटन के बावजूद शुरू नहीं हो पायी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निधियों के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) पिछड़े वर्गों की महिलाओं में साक्षरता सुधार के लिए "कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय योजना" नामक एक योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इस योजना को आरंभ किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक निधियां प्रदान की जाएंगी।

बालिका समृद्धि योजना

1352. **श्री एम. बागा रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालिका समृद्धि योजना खटाई में पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 15 अगस्त के बाद गरीब परिवारों की प्रत्येक बालिका को 500 रुपये अभी भी दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार योजना के द्वितीय तथा तृतीय चरण को लागू करेगी;

(ङ) क्या सरकार द्वारा योजना पूरी तरह लागू करने के लिए राज्यों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्कीम के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 500/- रुपए की अदायगी का कार्य चरणबद्ध रूप से नहीं किया जाना है। यह सम्पूर्ण देश में एक साथ शुरू किया गया तथा यह अब भी जारी है।

(ङ) और (च) स्कीम का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों का पता लगाने, कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों, निधियों के उपयोग आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

अन्तर्देशीय जलमार्ग में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1353. **डा. रामकृष्ण कुसमारिया :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश बनाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अवसंरचना विकास और जलयान प्रचालन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी संभव है। एक व्यापक नीति पर विचार किया जा रहा है।

वैज्ञानिकों की शिकायतें

1354. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों में उनके वेतन ढांचे/पदोन्नति के अवसरों में विसंगतियों के कारण अत्यधिक असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का वैज्ञानिकों की शिकायतों को किस प्रकार दूर करने का विचार है; और

(घ) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) वैज्ञानिकों की पदोन्नति का फैसला नमनीय पूरक योजना (एफ सी एस) द्वारा किया जाता है जो वैज्ञानिक विभागों/संस्थानों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों तथा कार्मिकों पर लागू है। 5वें वेतन आयोग ने भी इस योजना पर विचार किया तथा यह सिफारिश की कि मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवालयों में तैनात कार्मिकों को इस योजना से अलग रखा जाएगा तथा उनकी पदोन्नति सामान्य कैरियर प्रोन्नति योजना (नार्मल कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम) के अनुसार की जाएगी। सरकार द्वारा इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया गया तथा वैज्ञानिक विभागों में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए नमनीय पूरक योजना को जारी रखा गया।

वैज्ञानिक विभागों में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए नमनीय पूरक योजना जारी रखने का निर्णय लेते समय सरकार द्वारा इन विभागों में पदनाम, वेतनमान आदि में एकरूपता लाई गई है। सरकार ने पदोन्नति के लिए आकलन प्रक्रिया को भी युक्तिसंगत बना दिया है ताकि प्रतिभावान वैज्ञानिकों को त्वरित पदोन्नति का लाभ मिल सके तथा युवा प्रवेष्टाओं के लिए न्यूनतम रेजिडेन्सी की अवधि को कम किया जा सके। इनमें से कुछ बिन्दुओं पर कुछ नाराजगी व्यक्त की जा रही है। जिनकी व्याख्या इस योजना के कार्यान्वित होने पर कर दी जाएगी।

सड़क तथा पत्तन परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक का ऋण

1355. **श्री ए. सी. जोस :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा कई सड़क तथा पत्तन परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर दी जाने वाली 375 मिलियन डालर का ऋण जो इस समय विचाराधीन है, पर जापान द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा किए गए समझौतों पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सड़क क्षेत्र से संबंधित कितनी परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है;

(घ) क्या इस अंतिम निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एशियाई विकास बैंक ने भी इस संबंध में हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कारण कितनी सड़क तथा पत्तन संबंधी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) सड़क क्षेत्र में, गुजरात राज्य में रा.रा.-8 के सूरत-मेनोर खंड के पुनःस्थापन और उन्नयन के लिए 180 मिलियन अमरीकी डालर के केवल एक ऋण पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता-वार्ता चल रही है। पत्तन क्षेत्र में, पत्तनों के विकास के लिए कुल 113 मिलियन अमरीकी डालर के दो ऋणों पर सितम्बर, 1998 में हस्ताक्षर किए गए हैं। सड़क और पत्तन क्षेत्र में ए.वि. बैंक (ए डी बी) के साथ ऋण संबंधी समझौता-वार्ता जापान द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत-अमेरिका मंच

1356. **श्री कांतिलाल भूरिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में नए भारत-अमेरिका मंच की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मंच को रेजीडुअल पी.एल. 480 से धन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है जो अभी तक अप्रयुक्त पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु पी.एल. 480 से कुल कितनी राशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पूंजी राजसहायता उपलब्ध कराना

1357. **डा. प्रभा ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को वित्तीय समस्याओं से उबरने हेतु सरकारी क्षेत्र की सड़क परिवहन उपक्रमों को पूंजी राज-सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की सड़क परिवहन उपक्रमों का 43वां वार्षिक सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) देश में सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सम्मेलन दिनांक 27.3.98 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ग) सम्मेलन में दिए गए प्रमुख सुझाव/टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

(1) प्रौद्योगिकी के उन्नयन और बस इंजीनियरी के अद्यतन कार्य में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

(2) ऐसा प्रतीत होता है कि इस कर भार से राज्य परिवहन उपक्रमों की वित्तीय हालत खस्ता हो रही है।

(3) राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्य निष्पादन की कुछेक शर्तों पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए पूंजी अंशदान का प्रावधान बहाल कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किराया सुधार उपाय किए जाने चाहिए।

(4) अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में निवेश का पता लगाया जाना चाहिए।

(5) राज्य परिवहन उपक्रमों को सड़क सुरक्षा संबंधी शिक्षा और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन पर कारंवाई करनी चाहिए।

(6) सभी राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों यात्री चार्टर की घोषणा करने में रा.प.उ. को आवश्यक सहायता प्रदान करें।

(7) सभी राज्य सड़क परिवहन उपक्रम कुशलतापूर्वक कार्य के निर्वहन हेतु रा.प.उ. के लिए अपेक्षित विभिन्न अधिनियमों में आवश्यक और व्यापक संशोधन का सुझाव दे सकते हैं।

(घ) सड़क परिवहन सेवाएं संबंधित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के स्वामित्व, नियंत्रण और विनियंत्रण में हैं। इसलिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने क्षेत्र में सड़क परिवहन व्यवस्था के सुधार के लिए उचित उपाय करने चाहिए। तथापि, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सड़क परिवहन उपक्रमों की त्रैमासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित करता है तथा सुधारात्मक उपाय करने के लिए उसके निष्कर्ष सभी संबंधितों को भेजे जाते हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के खिलाफ मामले

1358. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** दिनांक 1 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है कि तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में ऐसे 9 मामले लंबित हैं जिनमें अपर सेशन न्यायाधीश पक्षकार हैं। मामलों का निपटारा विधि के अनुसार किया जाता है। इस तथ्य का कि किसी कनिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष किसी मामले में वरिष्ठ न्यायाधीश पक्षकार है, कोई महत्व नहीं है क्योंकि विनिश्चय विधि के अनुसार किया जाता है।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

प्रदूषण निगरानी के लिए कार्यदल

1359. **श्री एम. बागा रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए कोई कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल का ब्यौरा क्या है और इसकी संरचना का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) देश में प्रदूषण नियंत्रण को मॉनीटर करने के लिए सरकार द्वारा किसी विशिष्ट कार्यकारी दल का गठन नहीं किया गया है। तथापि, प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण तथा निर्धारित मानकों के अनुसार उनके कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले विभिन्न साधनों से बहिस्राव तथा उत्सर्जनों को मानीटर करने के लिए जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत राज्य प्रदूषण बोर्डों को शक्तियां दे दी गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

1360. **डा. रवि मल्लू** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों से कुल कितना विद्युत उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) 1998-99 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जानी हैं;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकरण में काफी सुधारों का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किए जाने के लिए 6 ताप विद्युत और 3 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल 4825 मे.वा. (3850 मे.वा. ताप विद्युत और 975 मे.वा. जल विद्युत) विद्युत उत्पादन होने की संभावना है।

(ग) सिम्हाद्री (2×500 मे.वा.) और कोंडापल्ली सीसीजीटी (350 मे.वा.) को 1998-99 के दौरान क्रियान्वयन हेतु हाथ में लिया गया है। सिंगुर जल विद्युत परियोजना, श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना और बालीमेला स्थित आंध्र प्रदेश बिजलीघर का क्रियान्वयन पहले से किया जा रहा है।

(घ) से (च) आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक पारित किया है जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो गया है। इस अधिनियम के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाएगा और उसके कार्यों का निष्पादन आंध्र प्रदेश पारेषण निगम तथा स्वतंत्र उत्पादन कंपनियों द्वारा किया जाएगा। वितरण के निगमीकरण और निजीकरण का प्रस्ताव भी है। इस अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार आयोग का गठन भी किया जाना है। राज्य सरकार ने अपने विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ विचारार्थ आरम्भ कर दिया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश तथा बजटीय सहायता

1361. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र और बजटीय

सहायता से कुल आवश्यक निवेश की केवल 35.38 प्रतिशत प्राप्त होने के कारण सड़क क्षेत्र के विकास हेतु शेष संसाधन जुटाने के लिए कोई ठोस मार्ग अभी तक तैयार नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के निवेश से सड़कों तथा राजमार्गों की कुल आवश्यकताओं का केवल 20 प्रतिशत ही पूरा किया जा सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।.परन्तु कोट की गई प्रतिशत की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

(ख) अन्य देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि निजी निवेश के माध्यम से 25 प्रतिशत से ज्यादा का निवेश नहीं जुटाया जा सकता है।

(ग) केन्द्र सरकार ने सड़क क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक रुपये प्रति लीटर पैट्रोल के उपकर और चार-लेन खंडों पर पथकर वसूलने जैसे उपाय किए हैं।

नेशनल एक्सप्रेस हाइवे अथॉरिटी आफ इण्डिया की स्थापना

1362. **श्री दिनशा पटेल :**

श्री रिजवान जहीर खां:

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक्सप्रैस संकल्पना विकसित करने हेतु नेशनल एक्सप्रैस हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विद्यमान ऐसी सड़कों का पता लगाया है जिन्हें एक्सप्रैस हाइवे के रूप में विकसित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत जिन स्थानों का पता लगाया गया है उनकी दूरी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव संकल्पनात्मक स्तर पर हैं अतः आगे के ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

शॉ वालेस कम्पनी बोर्ड में सरकारी निदेशकों को नामित करना

1363. **डा. असीम बाला :**

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री सुनील खां :

श्री विकास चौधरी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कम्पनी ला बोर्ड को शॉ वालेस कम्पनी बोर्ड में सरकारी निदेशकों को नामित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो निदेशकों के नाम क्या हैं और बोर्ड को क्या कृत्य आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या कर्मचारी संघ ने सरकार का ध्यान कंपनी में भ्रष्टाचार के गम्भीर मामलों की ओर आकृष्ट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आल इंडिया शॉ वालेस इम्प्लाइज फ़ेडरेशन तथा अन्यों के द्वारा शॉ वालेस एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबन्ध के विरुद्ध कुप्रबन्धन के आरोपों की दायर की गई याचिका और कंपनी कार्य विभाग के द्वारा धारा 408 के अंतर्गत फाइल किए आवेदन पर कंपनी विधि बोर्ड ने 27.7.98 को निर्णय लिया था और निदेश था कि शॉ वालेस एंड कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या 9 होनी चाहिए। उनमें से दो निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं और दो निदेशक कंपनी विधि बोर्ड के नामित व्यक्ति हैं। इस प्रकार कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के अनुसार कुल मिलाकर 4 स्वतंत्र निदेशकों की शॉ वालेस एंड कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्ति की गई है।

विश्वविद्यालय निधियों का वर्गीकरण

1364. **श्री ए.सी. जोस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में विश्वविद्यालयों के प्रमुख उच्च शिक्षा के लिए आबंटित निधियों का "गैर-पात्रता" राज सहायता के रूप में वर्गीकरण करने के कारण केन्द्र सरकार से नाराज हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए अनुदान में कोई वृद्धि नहीं होगी;

(ग) क्या इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (च) वर्ष 1996-97 के दौरान वित्त मंत्रालय ने "सबसिडियों पर चर्चा कागजात" तैयार किया था। इस कागजात में उच्च शिक्षा को गैर-मान्यता सबसिडी के संवर्ग में रख दिया गया था। इस कागजात को संसद सदस्यों के बीच केवल विचार-विमर्श के लिए परिचालित किया गया था। कागजात में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

वैज्ञानिकों को वापिस भेजा जाना

1365. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका से कितने भारतीय वैज्ञानिकों को वापिस भेजा गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन वैज्ञानिकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वापस भेजे गए कुछ वैज्ञानिकों ने केन्द्र सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिए तैयार किए गए पुनर्वास पैकेज को ठुकरा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) ऐसे अनिच्छुक वैज्ञानिकों को सरकार द्वारा पेश की जा रही सहायता को स्वीकार करने के लिए राजी करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(छ) भारत-अमेरिका वैज्ञानिक संबंधों का फिर से परमाणु परीक्षणों के पूर्व के स्तर पर लाने के लिए क्या रणनीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार परमाणु परीक्षण के बाद से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका से 8 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रत्यावर्तित किया जा चुका है।

(ख) और (ग) सरकार ने प्रत्यावर्तित वैज्ञानिकों के लिए एक सैल (सी आर एस) स्थापित किया है। यह सैल सचिव, डीएसटी के नियंत्रण में है विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सैल स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस सैल के बारे में सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से प्रभावित वैज्ञानिकों के बीच सूचना प्रसारित करें। भारतीय मिशन या किसी प्रभावित वैज्ञानिक से संदर्भ प्राप्त होने पर यह सैल निम्नानुसार कार्रवाई करेगा :—

(1) यदि संबंधित वैज्ञानिक सरकार के किसी संस्थान/विभाग में लियन पर हों तो उन्हें वापस बुलाने के लिए उस विभाग से सम्पर्क स्थापित किया जाएगा।

(2) यदि कोई वैज्ञानिक किसी विभाग/संस्थान में लियन पर न हो तो उसका मामला वैज्ञानिक पूल योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए डी.जी.सी.एस. आई.आर. को भेज दिया जाएगा।

(3) यदि उक्त दोनों मामलों के अलावा कोई मामला सामने आता है तो उस मुद्दे पर देश के अंदर संस्थानों से बातचीत की जाएगी ताकि यथा साध्य स्थानन संभव हो सके और ऐसी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसे उम्मीदवारों को आमेलित करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) सरकार ने इस मामले को अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया है। दोनों सरकारों के बीच मतभेदों को दूर करने तथा सामान्य संबंध स्थापित करने पर विचार-विमर्श जारी है।

प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को बंद करना

1366. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की समिति ने 500 करोड़ रुपये मूल्य की तीन प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को बंद करने का सुझाव दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने समिति के सुझावों को स्वीकृत कर लिया है; और

(घ) इनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) अधिकार प्राप्त समिति ने निम्नलिखित तीन प्रमुख परियोजनाओं को रोके जाने की सिफारिश की है जिसके लिए यह तर्क दिया गया है कि उनके क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है :—

1. फरक्का चरण-2
2. कोयल कारो जल विद्युत परियोजना
3. कोयल कारो पारेषण लाईन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कोयल कारो जल विद्युत परियोजना तथा कोयल कारो पारेषण लाईन के संबंध में आवश्यक स्वीकृतियों पर तीव्रता से कार्रवाई की जा रही है।

महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं के लिए कल्याण योजनाएं

1367. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं से संबंधित कितनी कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित तथा प्राप्त किए गए वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों का योजनावार, राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि तथा निर्धारित लक्ष्य का योजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यनिष्पादन का उचित संशोधन/बीच में फेर-बदल करने हेतु मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित और युवाओं से संबंधित एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही थी। स्कीमों के नाम संलग्न विवरण I, II और III में दिये गये हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है। चूंकि विभाग की अधिकांश स्कीमें स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, इसलिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जात।

(ग) विभाग द्वारा चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 के लिये विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत आबंटित स्कीमवार राशि और निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। चूंकि महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकांश स्कीमें स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, इसलिये राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते।

(घ) जी हां। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी स्कीमों का नियमित आधार पर प्रबोधन किया जाता है और निम्नलिखित स्कीमों का विशेष मूल्यांकन किया गया है:

1. समेकित बाल विकास सेवा स्कीम
2. कामकाजी महिला होस्टल स्कीम
3. अल्पावास गृह
4. महिला समृद्धि योजना
5. इन्दिरा महिला योजना
6. रोजगार-सह-आयोत्पादन-सह उत्पादन एककों की स्थापना
7. स्टेप के अन्तर्गत विशिष्ट स्कीम परियोजनाएं
8. आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ङ) उक्त मूल्यांकनों के आधार पर, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

— आई.सी.डी.एस. स्कीम का विस्तार किया गया है।

— कामकाजी महिला होस्टल स्कीम की मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

— मंत्रीमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जा रहे अल्पावास गृहों के प्रस्ताव के लिए मापदण्डों में संशोधन की आवश्यकता की पुष्टि की।

— अल्पावास गृह चला रहे गैर-सरकारी संगठनों को कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए अनुदेश जारी किए गए।

— महिला समृद्धि योजना स्कीम में संशोधन किया गया है और इस समय यह सरकार के विचाराधीन है।

— इन्दिरा महिला योजना स्कीम का विस्तार करके इसे महिला समृद्धि योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

— नोराड स्कीम के कारगर प्रबोधन हेतु तन्त्र को चुस्त दुरूस्त बनाया गया है।

— स्टेप स्कीम को अधिक प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

— समेकित बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनः निरूपण किया गया है और "उदिशा" नामक एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम मन्त्रीमण्डल के अनुमोदनार्थ भेजा गया है।

विवरण-I

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के लिये कार्यान्वयन कल्याण स्कीमें

1. कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल
2. महिलाओं के लिये रोजगार और आयोत्पादन-सह-प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना
3. प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता
4. अल्पावास गृह
5. राष्ट्रीय महिला कोष
6. महिला समृद्धि योजना
7. शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम
8. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम
9. जागरूकता विकास परियोजनाएं
10. महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के निवारण हेतु शिक्षात्मक कार्य
11. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

विवरण-II

महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों के लिये कार्यान्वित कल्याण स्कीमें

1. समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (महिलाएं भी शामिल हैं)
2. कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिये शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र
3. बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा
5. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
6. स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता की स्कीम (महिलाएं भी शामिल हैं)
7. अनुरक्षण अनुदान (महिलाएं भी शामिल हैं)
8. अनुसंधान और प्रकाशन हेतु सहायता अनुदान (महिलाएं भी शामिल हैं)
9. राष्ट्रीय शिशुगृह कोष

विवरण-III

महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान युवाओं (केवल लड़कियों) के लिये कार्यान्वित कल्याण स्कीमें

(1) 11-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिये किशोर बालिका स्कीम (किशोर बालिका स्कीम समेकित बाल विकास सेवा नामक प्रमुख स्कीम का हिस्सा है।)

विवरण-IV

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	एकक	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**महिला एवं बाल विकास**											
ख.	**केन्द्रीय स्कीमें**											
(क)	*बच्चों का कल्याण एवं विकास*											
1.	कामकाजी महिलाओं/बीमार माताओं के बच्चों हेतु शिशुगृह/ दिवस देखभाल केन्द्र	शिशुगृहों की सं.	12470	12470	12470	12389	12470	12470	12470	12470	12470	12470
		लाभार्थियों की सं. (लाखों में)	3.12	3.12	3.12	3.10	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
2.	बाल देखभाल सेवा हेतु राष्ट्रीय शिशुगृह कोष	शिशुगृहों की सं.	–	–	–	–	400	450	450	509	450	450
		लाभार्थियों की सं.	–	–	–	–	13300	15000	15000	16967	15000	15000
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		प्रशिक्षितों की सं.	1250	1272	1250	1195	1250	1339	1250	1215	1250	1244
4.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	सी.डी.पी.ओ. की सं.	275	335	300	417	180	319	300	274	300	392
		पर्यवेक्षकों की सं.	800	1014	1000	768	850	903	1000	689	1000	590
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सं. (हजारों में)	35	29	35	37	35	32	35	35	35	39
5.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	केन्द्रों की सं.	4365	4258	4365	4224	4365	4250	4365	4010	4365	4090
		लाभार्थियों की सं. (लाखों में)	1.50	1.49	1.50	1.48	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
6.	बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	केन्द्रों की सं.	5641	5641	5641	5641	5641	5641	5641	5641	5641	5641
		लाभार्थियों की सं. (लाखों में)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
(ख)	*महिलाओं का कल्याण एवं विकास*											
7.	कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल	होस्टलों की सं.	40	30	40	30	50	53	60	37	60	28
		लाभार्थियों की सं.	2000	2182	2000	2069	2500	4594	3000	3565	3000	3122
8.	महिलाओं हेतु रोजगार एवं आयोत्पादक प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (नोराड)	परियोजनाओं की सं.	50	53	50	56	50	134	60	175	250	275
		लाभार्थियों की सं.	4000	7162	4000	6000	4000	9635	5000	13000	20000	44000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	प्रशिक्षण सह रोजगार कार्यक्रमों के लिए सहायता (स्टेप)	परियोजनाओं की सं.	5	5	6	7	6	13	10	7	10	12
		लाभार्थियों की सं. (हजारों में)	10	1	10	59	10	69	16	36	16	77
10.	अल्प आवास गृह	गृहों की सं. (नया)	30	45	30	34	30	42	35	32	30	31
		गृहों की सं. (पुराना)	177	177	222	222	256	256	298	298	330	329
11.	कार्यक्रम, प्रबोधन एवं मूल्यांकन (प्रबोधन एकक)	अनुसंधान अध्ययन (नया)	–	6	–	4	–	1	–	3	20	19
		कार्यशाला/सेमिनार	–	–	–	10	–	9	–	15	10	12
12.	राष्ट्रीय महिला कोष	लाभार्थियों की सं. संचित (हजारों में)	–	–	एन फ	37	एन फ	25	एन फ	38	एन फ	97
13.	महिला समृद्धि योजना	खोले गये खातों की सं. संचित (लाखों में)	–	–	एन फ	5	एन फ	8529	एन फ	16906	एन फ	24606
14.	शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं.	1200	1380	1200	1393	1300	1215	1300	1237	1400	597
		लाभार्थियों की सं. (हजारों में)	30	35	30	35	32	30	32	31	35	15
15.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	एककों की सं.	782	755	760	502	800	537	640	650	700	13
		लाभार्थियों की सं. (हजारों में)	6	6	6	4	6	5	8	5	6	1
16.	जागरूकता विकास परियोजना	शिविरों की सं.	–	1057	–	1264	–	1850	2000	2176	2250	314
		लाभार्थियों की सं. (हजारों में)	–	26	–	32	–	46	40	54	52	6
म.	**अन्य स्कीमें**											
17.	स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य अनुदान	स्वैच्छिक संगठनों की सं.	8	7	8	8	20	7	20	14	20	14
(ग)	*केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें (सी.एस.एस.)*											
18.	इन्दिरा महिला योजना सहित आई.सी.डी.एस. 1995	परियोजनाओं की सं.	300	369	300	312	200	225	100	1886	5614	5614
		ब्लॉकों की सं. (आई.एम.आई.)	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200
19.	विश्व बैंक समर्थित आई.सी.डी.एस.	नये ब्लॉकों की सं. (संचित)	188	118	254	254	331	331	408	408	454	454
		पुराने ब्लॉकों की सं. (संचित)	113	113	200	200	301	301	301	301	301	301
	खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड											
(क)	*केन्द्रीय स्कीमें*											
1.	पोषाहार में समेकित शिक्षा	आई एन ई सी एवं ओ टी सी (संख्या)	84	85	102	109	102	104	102	101	102	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	सामुदायिक खाद्य एवं पोषाहार विस्तार एकक (सी एफ एन ई यू)	निरूपण कार्यक्रम	13680	14203	11352	12759	11352	11653	11360	12264	11360	12829
		प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	792	865	792	857	792	827	790	838	790	918
		फूलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण	310	382	310	428	310	–	310	368	–	–
		आंगनवाड़ी निरीक्षण	–	–	9120	7122	6888	6820	6880	6920	6880	7196

टिप्पणी : आई एन ई सी — समेकित पोषाहार शिक्षण पाठ्यक्रम
ओटीसी — अभिविन्यास प्रशिक्षण शिविर
— सिर्फ ग्रामीण महिलाओं के लिए

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(रुपये करोड़ो में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	VIII योजना परिव्यय	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		VIII योजना
			ब.प्रा.	वा.	ब.प्रा.	वा.	ब.प्रा.	वा.	ब.प्रा.	वा.	ब.प्रा.	वा.	वा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क	महिला एवं बाल विकास												
A	केन्द्रीय स्कीमें												
I	जारी स्कीमें												
(क)	*बच्चों का कल्याण एवं विकास*												
1.	कामकाजी महिलाओं एवं बीमार माताओं के बच्चों हेतु शिशु-गृह/ दिवस देखभाल केन्द्र	33.30	7.50	1.36	7.50	1.66	7.50	6.50	7.50	6.38	7.50	4.02	19.92
2.	बाल देखभाल सेवा हेतु राष्ट्रीय शिशु गृह काम	–	–	–	19.90	19.90	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	–	19.92
3.	बालसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.45	0.45	0.35	0.47	0.45	0.50	0.50	0.45	0.43	0.45	0.46	2.21
4.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	58.00	13.00	9.14	12.12	10.38	12.60	11.88	11.66	9.91	11.66	9.94	51.25
5.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	9.77	2.20	2.20	2.75	2.75	2.86	2.86	3.00	2.29	3.00	2.80	12.90
6.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	2.30	0.50	0.35	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.55	2.39
7.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	22.22	5.00	–	6.45	3.95	6.05	5.87	6.05	3.95	6.05	2.01	15.78
	कुल (क)	128.04	28.65	13.40	49.67	39.61	30.02	28.12	29.17	23.46	29.17	19.78	124.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ख)	*महिला कल्याण एवं विकास*												
1.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	35.00	6.00	6.30	7.00	7.15	7.75	7.75	7.75	8.50	7.75	7.38	37.08
2.	महिलाओं हेतु रोजगार आयोत्पादन प्रशिक्षण की व्यवस्था (नोराड)	20.00	4.00	4.00	4.00	4.09	4.00	4.99	5.00	6.20	18.00	18.80	37.08
3.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप)	57.00	11.00	11.00	15.05	15.05	15.00	15.96	16.00	17.24	16.00	16.97	76.24
4.	अल्प-आवास गृह	5.00	1.00	1.01	3.00	2.04	2.74	2.14	2.75	2.74	2.75	2.61	10.54
5.	महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों की रोकथाम हेतु शिक्षण कार्य	2.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.42	0.35	0.35	0.35	0.35	1.72
6.	राजस्थान की डब्ल्यू. डी. पी. परियोजना की पुनरावृत्ति	–	–	–	–	–	0.01	–	0.01	–	–	–	–
7.	महिलाओं/ग्रामीण महिलाओं के विकास एवं शक्ति संपन्नता हेतु समेकित परियोजना	0.01	0.01	–	–	–	0.01	–	0.01	–	0.01	0.94	0.94
8.	कार्यक्रम, प्रबोधन एवं मूल्यांकन (प्रबोधन एकक)	0.60	0.10	0.10	0.10	0.18	0.10	0.08	0.14	0.14	0.15	0.25	0.75
9.	महिलाओं हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र	0.15	0.15	–	0.01	–	0.01	–	1.00	0.01	1.00	–	0.01
10.	राष्ट्रीय महिला आयोग	6.00	1.00	1.25	1.25	1.75	2.00	1.03	2.00	2.00	2.00	0.50	6.53
11.	बालिका दक्षेस दशक	0.05	–	–	–	–	0.01	–	0.01	–	0.01	–	–
12.	महिलाओं हेतु राष्ट्रीय ऋण कोष (आर.एम.के.)	1.00	1.00	31.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	–	31.03
13.	महिला कल्याण ब्यूरो को सुदृढ़ बनाना	0.75	0.10	–	0.15	–	0.01	–	0.15	–	0.15	–	–
14.	महिलाओं के अधिकारों हेतु आयुक्त के कार्यालय का निर्माण	0.10	0.10	–	0.01	–	0.01	–	0.01	–	0.01	–	–
15.	महिला विकास निगम	2.44	1.00	1.00	5.14	5.14	–	–	–	–	10.00	–	6.14
16.	महिला समृद्धि योजना	–	–	–	–	10.50	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	58.48	178.98
17.	महिलाओं के लिए चौथा विश्व सम्मेलन	–	–	–	–	0.04	0.10	0.26	1.00	0.50	1.00	0.07	0.87
18.	शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	40.00	8.00	8.00	8.00	8.13	8.00	8 00	9.00	9.94	9.00	5.13	39.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	25.00	5.75	5.75	4.50	4.59	5.50	5.50	6.00	6.49	6.00	5.83	28.16
20.	जागरूकता विकास परियोजनाएं	7.50	1.00	1.00	1.25	1.28	2.00	2.00	2.25	2.22	2.25	2.07	8.57
21.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान	20.00	7.50	6.56	3.00	4.17	6.00	6.81	7.01	13.96	7.01	5.87	37.37
	कुल (ख)	222.35	47.96	77.22	52.82	64.47	103.61	104.97	120.46	130.30	143.45	125.25	502.21
(ग)	अन्य स्कीमें												
1.	प्रेम (पी.आर.ई.एम.) एवं नयी कार्य सह अनुसंधान परियोजनाएं	1.11	0.25	0.25	0.25	0.31	0.25	0.18	0.25	0.26	0.25	0.35	1.35
2.	स्वैच्छिक संगठनों को सांगठनिक सहायता	0.66	0.15	0.21	0.15	0.25	0.20	0.28	0.20	0.25	0.20	0.22	1.21
3.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान	0.45	0.10	0.10	0.10	0.14	0.2	0.09	0.20	0.20	0.20	0.20	0.73
4.	सूचना एवं जन संचार	6.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.2	51.15	5.90
	कुल (ग)	8.22	1.50	1.56	1.75	1.965	1.80	1.30	1.90	1.96	1.90	1.92	9.19
	कुल (केन्द्रीय स्कीमें)	359.11	78.11	92.18	104.24	106.03	135.53	134.89	151.52	155.72	174.52	146.95	635.77
(ख)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें												
	(सी.सी.एस.)												
1.	समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)	1285.74	271.74	329.60	408.55	410.62	434.00	434.99	500.00	556.38	515.94	526.28	2257.87
2.	इन्दिरा महिला योजना	–	–	–	–	–	–	–	12.00	12.07	–	–	12.07
3.	विश्व बैंक–आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	330.00	75.00	33.10	53.21	53.36	90.00	90.00	64.00	90.00	154.3	154.28	420.74
4.	गेहूं पर आधारित पोषण कार्यक्रम	25.00	25.00	25.00									25.00
5.	पीड़ित/दुखी महिलाओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र	0.15	0.15	0.18									0.18
	कुल (सी.एस.एस.)	1640.9	371.89	387.88	461.76	463.98	524.00	524.99	576.00	658.45	670.24	680.56	2715.86
ग.	खा एवं पोषाहार बोर्ड												
	केन्द्रीय स्कीम (सी.एस.)												
1.	समेकित पोषाहार शिक्षा	3.00	0.60	0.48	0.60	1.54	0.60	0.79	0.90	1.17	0.90	1.06	5.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	विटामिन ए से दूध का संपुष्टिकरण	0.15	0.02	0.01	0.02	–	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05
3.	अनुसंधान एवं विकास	0.30	0.10	0.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.07	0.15	0.15	0.44
4.	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं	0.30	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.01	0.03	0.01	0.13
5.	जन संचार	0.50	0.10	0.03	0.25	0.17	0.25	0.12	0.30	0.33	0.30	–	0.65
6.	लौह तत्व से नमक का संपुष्टीकरण	2.00	0.50	0.21	0.47	0.02	0.17	0.01	0.10	–	–	–	0.24
7.	सामुदायिक खाद्य एवं पोषाहार विस्तार एकक	0.50	0.03	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.09	0.03	–	0.20
8.	यूनिसेफ की सहायता से समुदाय आधारित पोषण खाद्यों का उत्पादन	–	–	0.16	0.25	0.26	0.25	–	0.25	0.10	0.08	0.08	0.60
9.	खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	–	–	–	–	–	–	–	0.43	–	0.43	–	–
10.	राष्ट्रीय पोषाहार नीति का कार्यान्वयन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.21	–	–
	कुल (सी.एस.)	6.75	1.40	0.96	1.79	2.16	1.49	1.13	2.25	1.78	2.15	1.32	7.35
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.)												
1.	लौह तत्व से नमक का संपुष्टिकरण	2.40	0.5	0.04	0.63	0.05	0.63	0.10	–	–	–	–	0.19
2.	पोषक आहारों का उत्पादन	0.75	0.35	–	0.30	0.30	0.30	0.07	0.22	0.09	0.15	0.14	0.60
3.	राज्य सरकारों के सहयोग से सामुदायिक खाद्य एवं पोषा हार विस्तार एकक सेवा की स्थापना	0.05	0.02	–	0.05	–	0.05	–	0.01	–	0.01	–	–
4.	खाद्य प्रसंस्करण एवम् पोषाहार केन्द्रों की स्थापना	0.05	0.05	0.04	–	–	–	–	–	–	–	–	0.04
	कुल (सी.एस.एस.)	3.25	0.92	0.08	0.98	0.35	0.98	0.17	0.23	0.09	0.16	0.14	0.83
	कुल (एफ.एन.बी.)	10.00	2.32	1.04	2.77	2.51	2.47	1.30	2.48	1.87	2.31	1.46	8.18
	कुल (डब्ल्यू.सी.डी.)	2010.00	452.32	481.10	568.77	572.52	662.00	661.18	730.00	816.04	847.07	828.97	3359.81

विवरण-V

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं बच्चों तथा युवाओं के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली स्कीमों का वर्ष 1998-99 के दौरान स्कीम-वार लक्ष्य तथा आवंटित राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम		वार्षिक लक्ष्य
1	2	3	4
	(क) केन्द्रीय स्कीमें		
	(क) बाल कल्याण तथा विकास		
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	7.50
		गैर-योजना	15.55
		वास्तविक (प्रगामी)	
		शिशुगृहों की संख्या	12470
		लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	3.11
2.	बाल देखभाल सेवा हेतु राष्ट्रीय शिशुकोष	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	0.01
		वास्तविक (प्रगामी)	
		खोले जाने वाले नए शिशुगृह	450
		आंगनवाडी-सह-शिशुगृह	150
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	0.20
		वास्तविक (प्रगामी)	
		लाभार्थियों की संख्या	625
4.	समेकित बाल विकास सेवा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	40.00
		वास्तविक (प्रगामी)	
		(1) बा.वि.प.अ. का प्रशिक्षण	
		(क) कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	300
		(ख) पुनश्चर्या प्रशिक्षण	200
		(2) सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण	
		(क) कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1000
		(ख) पुनश्चर्या प्रशिक्षण	1100
		(3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण	41850
5.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	2.60
		गैर-योजना	3.00
		वास्तविक (प्रगामी)	
		नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	60
6.	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	0.50
		गैर-योजना	3.05
		वास्तविक (प्रगामी)	
		केन्द्रों की संख्या	4365
		बच्चों की संख्या (लाखों में)	1.50
7.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	3.00
		गैर-योजना	3.67
		वास्तविक (प्रगामी)	
		लाभार्थियों की संख्या	1.66
	(ख) महिलाओं का कल्याण एवं विकास		
8.	कामकाजी महिला होस्टल	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	7.75
		वास्तविक (प्रगामी)	
		अतिरिक्त होस्टलों की सं.	25
		लाभार्थी महिलाओं की सं.	2500
9.	महिलाओं के लिए रोजगार सह-आयोत्पादक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन एकक स्थापित करना (नो.ह.)		
		वित्तीय (संचयी)	
		योजना	18.00
		वास्तविक (प्रगामी)	
		लाभार्थी महिलाओं की सं.	25,000
10.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रमों को सहायता (स्टेप)	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	1600
		वास्तविक (प्रगामी)	
		लाभार्थी महिलाओं की सं.	16000
11.	अल्पावास गृह	वित्तीय (संचयी)	
		योजना	10.00
		गैर-योजना	2.00
		वास्तविक (प्रगामी)	
		शिशुगृहों (नए) की संख्या	30

1	2	3	4
12.	महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य	वित्तीय (संचयी) योजना गैर-योजना वास्तविक (प्रगामी) संगठनों/संस्थानों की संख्या	 0.30 70
13.	बालिका समृद्धि योजना	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) लाभार्थियों की सं. (लाखों में)	 60.00 12.00
14.	महिलाओं के विकास के लिए समेकित परियोजना	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) जिलों की सं.	 19.30 18
15.	कार्यक्रम प्रबोधन तथा मूल्यांकन (प्रबोधन एकक)	वित्तीय (संचयी) योजना	 0.15
16.	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) संस्थापित किए जा रहे	 2.00
17.	राष्ट्रीय महिला आयोग	वित्तीय (संचयी) योजना	 2.50
18.	समेकित शक्ति सम्पन्नता परियोजना	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) परियोजनाओं से चयनित/संविदाएं हस्ताक्षरित करना/प्रस्तावों का चुनाव	 1.09
19.	राष्ट्रीय महिला कोष	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या गैर-सरकारी संगठनों की प्रशिक्षण आई.सी.जी.एस./म.बा. वि. के कर्मचारियों को प्रशिक्षण राष्ट्रीय महिला कोष का क्षमता विकास स्व:सहायता दल विकास स्कीम के अन्तर्गत पर्यवेक्षण	 10.00 18000.00 40 60 25 180
20.	महिला कल्याण ब्यूरो को सुदृढ़ बनाना	वित्तीय (संचयी) योजना	 0.04
21.	महिला अधिकार आयुक्त का कार्यालय	वित्तीय (संचयी) योजना	 0.01
22.	महिला समृद्धि योजना	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) स्कीम को अन्तिम रूप देने के पश्चात् लागू किया गया।	 40.00 —
23.	शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) पाठ्यक्रमों की संख्या लाभार्थियों की संख्या (हजारों में)	 9.00 1178 29
24.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) इकाइयों की संख्या लाभार्थियों की संख्या	 9.00 800 8000.00
25.	जागरूकता विकास परियोजनाएं	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) शिविरों की संख्या लाभार्थियों की संख्या	 2.25 2750 35000
26.	केसक बोर्ड के माध्यम से संगठनों की सहायता अनुदान	वित्तीय (संचयी) योजना गैर-योजना वास्तविक (प्रगामी) सहायता प्राप्त संगठनों की सं.	 14.00 10.1
(ग)	अन्य स्कीमें		
27.	प्रेम तथा नयी कार्य-सह-अनुसन्धान परियोजनाएं	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) अध्ययनों की सं. सेमिनार/संगोष्ठियों की सं.	 0.50 25 25
28.	स्वैच्छिक संगठनों की संगठनात्मक सहायता	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) संगठनों की संख्या	 20 80

1	2	3	4
29.	महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) संगठनों की संख्या	 0.20 15
30.	सूचना एवं जन संचार	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) रेडियो कार्यक्रम (नया सवेरा) वीडियो फिल्में/स्पाटस फिल्में	 1.25 52 18 20
	(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें		
31.	समेकित बाल विकास सेवा स्कीम	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सं. (विश्व बैंक परियोजनाओं सहित) चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सं. अन्य निष्पादन सूचक के.प्रा. स्कीमों/राज्य प्रायोजित स्कीमों के लाभार्थी (बच्चे तथा माता) (संख्या लाखों में) केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में स्कूल पूर्व लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	 603.14 5614 4200 302 155
32.	इन्दिरा महिला योजना	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) ब्लाकों की संख्या	 10.00 200
33.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी) परियोजनाओं की सं. (नई) परियोजनाओं की सं. (पुरानी)	 331.95 126 1154
	गैर-योजना स्कीमें (केन्द्रीय स्कीम)		
34.	विश्व बाल दिवस	वित्तीय (संचयी) गैर-योजना वास्तविक मनाना	 0.01
35.	राष्ट्रीय बाल बोर्ड	वित्तीय (संचयी) गैर-योजना	 0.005
36.	राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार सहित राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार	वित्तीय (संचयी) गैर-योजना	 0.2000
37.	यूनिसेफ में अंशदान	वित्तीय (संचयी) गैर-योजना	 3.10
38.	महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष में अंशदान	वित्तीय (संचयी) गैर-योजना	 0.06
39.	भारत विदेशी विनिमय कार्यक्रम	वित्तीय (संचयी) गैर-योजना	 0.01
	नई स्कीमें		
	(क) केन्द्रीय स्कीमें		
40.	दूरस्थ शिक्षा	वित्तीय (संचयी) योजना वास्तविक (प्रगामी)	 0.63
	लागू किया जाने वाला परियोजना कार्यक्रम		
	खाद्य तथा पोषाहार ब्यूरो		
	(क) केन्द्रीय स्कीमें		
41.	पोषाहार शिक्षा	वित्तीय (संचयी) योजना गैर-योजना कुल वास्तविक (प्रगामी)	 1.80 3.80
		(क) पोषाहार शिक्षा कार्यक्रम	11360
		क. पोषाहार प्रदर्शन कार्यक्रमों की सं.	790
		(ख) फल तथा सब्जियों के संरक्षण तथा पोषाहार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सं.	6880
		(ग) पूरक पोषाहार कार्यक्रमों के लिए निरीक्षित आंगनवाड़ियों की संख्या	
		(ख) पोषाहार हेतु समेकित शिक्षा	
		क. समेकित पोषाहार शिक्षा शिविरों/ अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की संख्या	102

1	2	3	4
		(ख) जन संचार	
		1. रेडियो पर कडियों की सं.	30
		2. वीडियो/रेडियो स्पाट्स	10
		3. दूरदर्शन के जरिए पोषाहार शिक्षा कार्यक्रम	24
		4. पुस्तिकाओं का मुद्रण	2
		5. आयोजित प्रदर्शिनियों की संख्या	
		6. आयोजित दिवस सप्ताह	
		1. विश्व स्तनपान सप्ताह	-
		2. राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह	-
		3. विश्व खाद्य दिवस	-
		4. विश्व आयोडीन गडबड़ी दिवस	-
		(क) खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड को सुदृढ़ करना	
		1. नई इकाइयां स्थापित करना	19
		2. पुरानी इकाइयों में सुधार करना	14
42. दूध को विटामिन ए से सम्पुष्ट करना		वित्तीय (संचयी) योजना	0.05
		वास्तविक (प्रगामी) नई डेरियों की सं.	5
43. अनुसन्धान तथा विकास		वित्तीय (संचयी) योजना	0.10
		वास्तविक (प्रगामी) नए अध्ययनों की सं.	2
		पूरे किए जाने वाले अध्ययनों की सं.	2
44. राष्ट्रीय पोषाहार नीति का कार्यान्वयन		वित्तीय (संचयी) योजना	0.40
		वास्तविक (प्रगामी) स्कीम का सुधार एवं अनुमोदन	
45. खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय		वित्तीय (संचयी) गैर-योजना	3.80
(ख) *केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें*			
46. राज्य सरकारों के माध्यम से पोषक खाद्यों का उत्पादन		वित्तीय (संचयी) योजना	0.16

विद्युत उपभोक्ताओं पर जल उपकर लगाना

1368. प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशभर में विद्युत उपभोक्ताओं पर जल उपकर लगाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह राशि किन क्षेत्रों में व्यय की जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने उक्त उपकर में केन्द्र-राज्य के बीच अंश के अनुपात को अंतिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उन स्थलों, जहां पर कोई जल विद्युत संयंत्र नहीं है के लिए किसी योजन को अंतिम रूप दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (छ) जल विद्युत विकास की गति को तीव्र करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि विद्युत उत्पादन पर कर की उगाही के जरिए एक विद्युत विकास निधि की स्थापना करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। कर से प्राप्त आय को राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच विभाजित किया जाएगा। तथापि, 25 मे.वा. क्षमता तक के छोटे विद्युत उत्पादन स्टेशनों और उन कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से इस कर की उगाही नहीं की जाएगी जो ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। विद्युत विकास निधि में उपलब्ध धनराशि का समुपयोजन सर्वेक्षण एवं जांच कार्य करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, और नई जल विद्युत परियोजनाओं, (लघु जल विद्युत परियोजनाओं समेत) को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माणपूर्ण क्रियाकलाप सम्पादित करने तथा उप-पारेषण समेत पारेषण/वितरण नेटवर्क में सुधार कार्य करने के लिए किया जाएगा।

उड़ीसा में मगरमच्छ अभयारण्य

1369. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में मगरमच्छ अभयारण्य स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभयारण्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किए जाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अतः इस मामले में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1370. **श्री रवि सीताराम नायक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्ष के दौरान गोवा को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1997-98 के दौरान कितने गांवों में विद्युत पहुंचाई गयी;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गोवा राज्य को दी गई वित्तीय सहायता निम्नवत है :—

वर्ष	करोड़ रुपये
1996-97	1.973
1997-98	3.860
1998-99 (अक्तूबर, 98 तक)	2.250
जोड़	8.083

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान आर ई सी स्कीमों के अन्तर्गत 3045 गांवों को विद्युतकृत किया गया।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा विभिन्न राज्यों में शेष गांवों को नौवीं और क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युतीकृत किया जाएगा जो संबंधित राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति और अन्य निवेशों पर निर्भर करेगा।

बालिका शिक्षा हेतु नई योजना

1371. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़कियों की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए कोई नई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत लक्षित वर्ग कौन-कौन से हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य/क्षेत्रवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की एक नयी योजना तैयार की जा रही है। वर्ष 1998-99 में योजना के लिए 100 करोड़ रु. का योजनागत आबंटन किया गया है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार प्रश्नोत्तर काल के बाद और किसी अन्य कार्य से पहले प्रिविलेज का मामला लिया जाता हैं। मैंने मदन लाल खुराना जी के विरूद्ध प्रिविलेज नोटिस दिया है और 'में' के संसदीय कार्य व्यवहार में स्पष्ट है कि

[अनुवाद]

'किसी समिति के सभापति पर दोषारोपण और समिति पर दोषारोपण एक प्रकार से सभा की अवमानना है।'...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे बोलने दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्होंने कमेटी पर हमला किया और नेताओं की समिति मे मेरी अनुपस्थिति में हमला किया। इसलिए इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने सच्चाई कही है, हमला नहीं किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी आपने सूचना दी है। मुझे इसकी जांच करने दें।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, सरकार जिन सुधारों पर विचार कर रही है उसके बारे में सभा को अंधेरे में रखा गया है। वित्त मंत्री के तथाकथित सलाहकार यह कहते हुए प्रेस में जाते हैं कि बीमा क्षेत्र में फलां फलां सुधार किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार के नीतिगत वक्तव्य कभी भी सभा के बाहर नहीं दिए जाते, यहां तक कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो प्रधान मंत्री भी नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में उठा सकते हैं। अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1620/98]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1621/98]

(5) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1622/98]

(7) (एक) आन्ध्र प्रदेश महिला समता समिति, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश महिला समता समिति, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1623/98]

(8) (एक) महिला समाख्या समिति, गुजरात के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या समिति, गुजरात के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1624/98]

(9) (एक) *उत्तर प्रदेश समाख्या समिति, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश समाख्या समिति, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1625/98]

(10) (एक) कर्नाटक महिला समाख्या समिति, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक महिला समाख्या समिति, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1626/98]

(11) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1627/98]

(13) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1628/98]

(15) (एक) *नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1629/98]

(17) (एक) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1630/98]

(19) (एक) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1631/98]

(21) (एक) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1632/98]

(23) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1633/98]

(25) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1634/98]

(27) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1635/98]

(29) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1636/98]

(31) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालोजी, निर्जुली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालोजी, निर्जुली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1637/98]

(33) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लोंगोवाल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लोंगोवाल के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1638/98]

(35) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1639/98]

(37) (एक) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिमला हिल्स, भोपाल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिमला हिल्स, भोपाल के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1640/98]

(39) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेनटिसशिप ट्रेनिंग, कानपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेनटिसशिप ट्रेनिंग, कानपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1641/98]

(41) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1642/98]

(43) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1643/98]

(45) (एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1644/98]

(47) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1645/98]

(49) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1646/98]

(51) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1647/98]

(53) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1648/98]

(55) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1649/98]

(57) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1650/98]

(59) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1651/98]

(61) (एक) नव नालंदा महाविहारा, नालंदा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नव नालंदा महाविहारा, नालंदा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहारा, नालंदा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1652/98]

(63) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं (खंड 1 और 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1653/98]

(65) ऑरोविले फाउन्डेशन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1654/98]

(65) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1655/98]

(67) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1656/98]

(69) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1657/98]

(71) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1658/98]

(72) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1659/98]

(73) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1660/98]

(75) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, कानपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, कानपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1661/98]

(77) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, मद्रास के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1662/98]

(79) (एक) डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायगनोस्टिक्स केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायगनोस्टिक्स केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1663/98]

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचनायें

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लागत लेखा विधि अभिलेख (साइकिल्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 425 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा विधि अभिलेख (टायर और ट्यूब) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत लेखा विधि अभिलेख (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लागत लेखा विधि अभिलेख (रूम एयर कंडीस्नर्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) लागत लेखा विधि अभिलेख (रेफ्रिजरेटर्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 429 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) लागत लेखा विधि अभिलेख (आटामोबाइल बैटरीज) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) लागत लेखा विधि अभिलेख (इलेक्ट्रिक लैम्प) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) लागत लेखा विधि अभिलेख (इलेक्ट्रिक फैन) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 432 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) लागत लेखा विधि अभिलेख (इलेक्ट्रिक मोटर्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 433 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) लागत लेखा विधि अभिलेख (ट्रेक्टर्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) लागत लेखा विधि अभिलेख (एल्यूमिनियम) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) लागत लेखा विधि अभिलेख (वनस्पति) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) लागत लेखा विधि अभिलेख (बल्क ड्रग्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 437 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) लागत लेखा विधि अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) लागत लेखा विधि अभिलेख (जूट की वस्तुएं) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह क) लागत लेखा विधि अभिलेख (कागज) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 440 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) लागत लेखा विधि अभिलेख (रेयन) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 441 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) लागत लेखा विधि अभिलेख (डाईज) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 442 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) लागत लेखा विधि अभिलेख (सोडा ऐस) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (पोलिस्टर) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (नाइलोन) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (वस्त्र) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) लागत लेखा विधि अभिलेख (ड्राइ सेल बैटरीज) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) लागत लेखा विधि अभिलेख (सल्फ्यूरिक एसिड) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (स्टील ट्यूब्स एण्ड पाइप्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 449 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (इलेक्ट्रिकल केबल्स एण्ड कंडक्टर्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 451 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) लागत लेखा विधि अभिलेख (बीयरिंग्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 452 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठाईस) लागत लेखा विधि अभिलेख (दुग्ध आहार) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 453 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (केमिकल इंडस्ट्रीज) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (फारम्युलेशन्स) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 455 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (लघु इस्पात संयंत्र) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (कीटनाशी) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (उर्वरक) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (साबुन और डिटर्जेंट) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 459 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (कॉस्मेटिक्स एंड टायलटरीज) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 460 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (फुटवियर) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 461 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (शेविंग सिस्टम) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 462 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (औद्योगिक गैसें) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (चीनी) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (मोटर वाहन) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (सीमेंट) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 466 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) लागत लेखा विधि अभिलेख (औद्योगिक अलकोहल) संशोधन नियम, 1998 जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1664/98]

(2) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोलुशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोलुशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1665/98]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत गोइंदवाल इंडस्ट्रीयल एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ पंजाब लिमिटेड एंड दं पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1998 जो 10 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 580 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1666/98]

(4) (एक) इन्लैड वाटरवे अथारिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्लैड वाटरवे अथारिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1667/98]

भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल मं रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुमारी उमा भारती की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1668/98]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसकी समीक्षा और उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1669/98]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वादों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

आठवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 33 आठवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1670/98]

(2) विवरण संख्या 35 आठवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1671/98]

(3) विवरण संख्या 41 नौवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1672/98]

(4) विवरण संख्या 44 दसवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1673/98]

(5) विवरण संख्या 41 तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1674/98]

नौवीं लोक सभा

(6) विवरण संख्या 44 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1675/98]

(7) विवरण संख्या 37 तीसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1676/98]

(8) विवरण संख्या 31 छठा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1677/98]

दसवीं लोक सभा

(9) विवरण संख्या 40 पहला सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1678/98]

(10) विवरण संख्या 33 दूसरा सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1679/98]

(11) विवरण संख्या 37 तीसरा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1680/98]

(12) विवरण संख्या 34 चौथा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1681/98]

(13) विवरण संख्या 29 पांचवां सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1682/98]

(14) विवरण संख्या 32 छठा सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1683/98]

(15) विवरण संख्या 27 सातवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1684/98]

(16) विवरण संख्या 27 आठवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1685/98]

(17) विवरण संख्या 24 नौवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1686/98]

(18) विवरण संख्या 20 ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1687/98]

(19) विवरण संख्या 18 बारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1688/98]

(20) विवरण संख्या 16 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1689/98]

(21) विवरण संख्या 13 चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1690/98]

(22) विवरण संख्या 11 पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1691/98]

(23) विवरण संख्या 10 सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1692/98]

ग्यारहवीं लोक सभा

(24) विवरण संख्या 8 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1693/98]

(25) विवरण संख्या 7 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1694/98]

(26) विवरण संख्या 6 (खंड 1 और 2) चौथा सत्र

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1695/98]

(27) विवरण संख्या 4 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1696/98]

(28) विवरण संख्या 4 छठा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1697/98]

बारहवीं लोक सभा

(29) विवरण संख्या 2 पहला सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1698/98]

(30) विवरण संख्या 2 (खंड 1 और 2) दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1699/98]

ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं डा. देवेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल. टी. 1700/98]

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : मैं, केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, स्थानीय प्राधिकरण के, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोयाइटियों और लोक सेवकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कारित अधिकथित अपराधों की जांच करने या जांच कराने हेतु एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, स्थानीय प्राधिकरण के, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोयाइटियों और लोक सेवकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कारित अधिकथित अपराधों की जांच करने या जांचों के कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

अपराह्न 12.06 बजे

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश के बारे में विवरण

और

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1701/98]

अपराह्न 12.07 बजे

कॉफी (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से कॉफी अधिनियम, 1942 को और संशोधित करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : समुचित सूचना दी जानी चाहिए थी। कुछ शिष्टाचार होना चाहिए। क्या मंत्री जी द्वारा सूचना दी गई है?

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो, खण्ड 2 दिनांक 7.12.98 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने सूचना दी है। वे राज्य सभा में हैं।

श्री मदन लाल खुराना : वे राज्य सभा में हैं। उन्होंने एक पत्र भेजा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मदन लाल खुराना : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक सवाल उठाना चाहता हूं। हमारी पार्टी के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जबर्दस्ती पिछले डेढ़ महीने से जेल में डाले गए हैं। सी.बी.आई. भारत सरकार के निर्देश पर उनकी जमानत के ऊपर बार-बार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज मैं सूची के अनुसार बुला रहा हूं। श्री मोहन सिंह का नाम सूची में पहले है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सी.बी.आई. जमानत के मामले में कोई दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय में पेश नहीं कर रही है जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय को उनकी जमानत की सुनवाई करने में तकलीफ हो रही है। ऐसा सी.बी.आई. भारत सरकार के आदेश पर कर रही है। मेरा साफ इल्जाम है कि बिना किसी केस के श्री लालू प्रसाद यादव को डेढ़ महीने से जेल में बंद किया हुआ है। एक राजनीतिक व्यक्ति, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, सी.बी.आई. बार-बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके कोई दस्तावेज पेश नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह यह मामला राज्य से संबंधित है। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यह मामला न्यायालय में लंबित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इससे बड़ा राजनीतिक पाखंड नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : बिना किसी केस के एक नेता को जो हमारी पार्टी के नेता हैं, इस सदन के नेता हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, सदन की कार्यवाही से उनको वंचित करने के लिए भारत सरकार के आदेश पर ऐसा किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। यह मामला राज्य से संबंधित है और यह न्यायालय में लंबित है। आप इसे कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इस सदन के सम्मानित सदस्य को बिना किसी केस के जेल में डेढ़ महीने से बंद कर रखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुशील कुमार सिंह।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह सवाल बार-बार इस सदन में उठा। दुरई कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि सी.बी.आई. के अफसर कसूरवार हैं।...*(व्यवधान)* हाई कोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुशील कुमार सिंह ने जो कहा है उसके अतिरिक्त कुछ रिकार्ड नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सुशील कुमार सिंह ने जो कहा है उसके अतिरिक्त कुछ रिकार्ड नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है...*(व्यवधान)**

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं निरन्तर यह कह रहा हूं कि यह न्यायालय से संबंधित मामला है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि कर्नाटक में गुलबर्गा के इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ रहे बिहार के 7 छात्रों को पीटा गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुशील कुमार सिंह को बुलाया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि श्री लालू यादव एक राष्ट्रीय नेता हैं, इस सदन के सम्मानीय सदस्य हैं। न वे देशद्रोही हैं, न अपराधी हैं। उन पर किसी न किसी तरह आरोप लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में सभी एम.पीज को चुनौती देकर कह रहा हूं कि श्री लालू प्रसाद पर लगाये गये आरोपों में से एक भी सही नहीं है क्योंकि किसी कागज पर दस्तख्त नहीं, किसी पर कोई आर्डर नहीं..

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यहा पर न्यायालय में लंबित मामलों की चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार आज जो कुछ कहती है वह सी.बी.आई. कार्यवाही कर रही है और उनकी जमानत में बाधा डाल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदन के संरक्षक हैं, आप माननीय नेता हैं, इसलिये आपसे प्रार्थना है...

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा की कुछ परंपराएं रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। इसके बाद मैं इस मामले को देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के उन 7 छात्रों को पीटा गया जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इनमें दो कश्मीरी, एक एन.आर. आई. और चार बिहारी छात्र हैं। इन छात्रों की तरफ से तीन-तीन बार एफ.आई.आर. दर्ज हुई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। छात्र होस्टल में कैद हैं। बाहर निकलने पर उनकी अभी भी पिटाई की जा रही है। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि इस विषय में कार्यवाही होनी चाहिये और उन छात्रों को सुरक्षित रहने का हक मिलना चाहिए।

अपराह्न 12.13 बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के उपयोग तथा संसद सदस्यों को रसोई गैस और टेलीफोन का कोटा जारी किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री शेलेन्द्र कुमार (चाचल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सांसद निधि में से क्षेत्रीय सांसद को जो पैसा जिलाधिकारी द्वारा दिया जाता है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने 5-6 महीने पहले अपने क्षेत्र की पूरी योजना के लिए लिखकर दिया है लेकिन जिलाधिकारी किसी भी योजना के लिये धन निर्गत नहीं कर रहे हैं जिससे पिछला बजट भी नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे मांग करूंगा कि सदन की जनभावना का आदर करते हुए यह राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ की जाये ताकि सांसद के क्षेत्र में विकास कार्य कारगर ढंग से हो सके। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये जिलाधिकारी वाहन मुहैय्या कराते हैं लेकिन मेरे क्षेत्र से राज्य सभा के सांसद बीजेपी से हैं, उनको क्षेत्र में जाने के लिये गाड़ी दी जा रही है, लेकिन लोक सभा के जो सदस्य चुनकर आये हैं उन्हें यह सुविधा नहीं दी जा रही है, मैं इस बारे में आपका ध्यान बार-बार आकृष्ट कर चुका हूं। चूंकि विकास कार्य बाधित पड़े हुये हैं, इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप माननीय सांसद की जनभावनाओं की ओर ध्यान देते हुये संरक्षण प्रदान करें और सरकार की तरफ से जल्द ही विशेष कार्यवाही हो।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : हमें आबंटित धन पर अर्जित ब्याज के बारे में भी निर्णय करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री, उत्तर देना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बारे में माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस धन का दुरुपयोग हो रहा है, उन्होंने जिलेवार इसकी समीक्षा की है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री इस मामले में बिहार गए थे। यह मामला पहले भी सदन में उठा था। प्रधान मंत्री जी के आश्वासन के बाद बिहार में जाकर मंत्री जी ने बैठक

की। बिहार के सभी अधिकारियों को इन्होंने बुलाया और मीटिंग में इन्होंने निर्देश दिया, लेकिन इनके निर्देश को बिहार के पदाधिकारी नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि हम केन्द्र सरकार को नहीं जानते और इनका जो भी आदेश गया, वह एम.पी. की अनुशंसा पर खर्च करने वाला...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : बिहार पर आरोप लगाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए जितना भी एम.पी. की अनुशंसा पर पैसा जाता है, उसका खर्च सही ढंग से नहीं हो पाता है और कलेक्टर हर जगह मनमानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को गाड़ी दी जाती है जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है, लेकिन बिहार में किसी पार्टी के सांसद को गाड़ी नहीं दी जाती है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप यहां से निर्देश जारी कीजिए कि जो भी स्कीम हैं, अगर उसकी समीक्षा करनी है, जांच करनी है तो जिले के समाहर्ता, चाहे वह किसी भी जिले के हों, वह सांसदों को सुविधा मुहैया कराएं ताकि उनकी अनुशंसा पर किये जा रहे कार्य का वह निरीक्षण कर सकें।

डा. रामकृष्ण कुसमारिया (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा कहा गया था कि हम दो करोड़ रुपया सांसदों को देंगे। हम लोगों ने क्षेत्र में प्रस्ताव भी कर दिये हैं और अब जब पैसा वहां नहीं पहुंच रहा है तो हम सब लोगों की बड़ी बदनामी हो रही है। पहला मेरा निवेदन है कि यह दो करोड़ रुपये की जो राशि है, उसको स्वीकृत करके जारी किया जाए। दूसरा निवेदन यह है कि सांसदों को दौरा करने के लिए राज्य सरकारें वाहन उपलब्ध नहीं करातीं। इसलिए वहां पर जमा रकम का जो ब्याज है, उसमें से वाहन खरीदकर दौरा करने का प्रावधान किया जाए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने हमें एक आश्वासन दिया है। उन्होंने हमें एश्योरेन्स दिया कि दो करोड़ रुपये करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं। अब दिसम्बर का महीना है। यहां तक कि 50 लाख रुपये की पहली किस्त भी अभी प्राप्त नहीं हुई है। शीर्ष अधिकारी ने यह बताया है। मैंने शीर्ष अधिकारी से पूछा था और उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक पहले 50 लाख रुपये भी प्राप्त नहीं हुए हैं। वे इसे केवल बजटीय प्रावधानों में ही दर्शा रहे हैं। अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

दूसरी बात यह है कि यह बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की जानी चाहिए यह हमारा आग्रह है।

श्री पी.एम. सईद (लक्षदीप) : अध्यक्ष महोदय, देश के सभी भागों से सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के क्रियान्वयन के बारे में शिकायतें आई हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि सभी नेताओं से परामर्श करने के बाद, अन्य समितियों की तरह आप कृपया सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की देखभाल हेतु एक समिति का गठन करें। दूसरी सभा में यह पहले से ही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो कृपया बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह घोषणा की गई थी कि सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस एक करोड़ रुपये को पहले ही उपयुक्त तरीके से प्रयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियां बहुत असहयोग करती हैं। मेरा सुझाव है कि सभी नेताओं के परामर्श से आपकी देखरेख में इस निधि के जांच हेतु एक समिति गठित की जाए क्योंकि राज्य सभा में यह पहले से ही गठित है। मैं आपके विचारार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी एक समिति गठित की जाए ताकि सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रभावी ढंग से लागू की जा सके।

[हिन्दी]

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि इस स्कीम का पैसा लैप्स नहीं होता, लेकिन पिछली बार किसी कारणवश अगर किसी सदस्य ने पैसा खर्च नहीं किया तो वह पैसा अब रिलीज नहीं किया जा रहा है। मुझे इसके बारे में पूरा विवरण कि वह पैसा क्या लैप्स हो जाएगा या वह पैसा हम खर्च कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय भी यह बात तय हुई थी और अब हमारी सरकार है जो लगातार यह कहती आ रही है कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन यह कब तक लागू होगा, इसका एक निश्चित समय दिया जाए। सदन में आश्वासन के बाद हम इसके लिए दो करोड़ रुपये का प्रस्ताव दे चुके हैं। हमारे क्षेत्र की जनता हमसे दो करोड़ रुपये का हिसाब मांगती है और हम हिसाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे, चूंकि सरकार इसको लागू करने के पक्ष में है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, जो एक करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं वे भी वापस लिये जाएं, दो करोड़ रुपये देने का तो सवाल ही नहीं उठता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, जो एक करोड़ दिया जा रहा है, उसका सूद वहां के अफसर खा रहे हैं, पैसा बैंक में जाता है, उस पर सूद निकलता है, लेकिन काम कोई नहीं होता है। उस सूद का हिसाब नहीं आता है। वहां टोटल करप्शन है इस करप्शन को बंद किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, चर्चा के दौरान तीन अथवा चार महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिये इस सभा की एक समिति गठित की जानी चाहिये। महोदय, यह आपका अधिकार क्षेत्र है। जैसा कि राज्य सभा में किया गया है, यदि आप यह महसूस करते हैं कि ऐसी समिति इस सभा में भी होनी चाहिए तो महोदय हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप समिति के गठन का निर्णय लेते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना तथा आप दोनों ही प्रत्येक बात अध्यक्ष पर छोड़ते जा रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, यह मामला समिति के बारे में है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई काम नहीं करना है तो कमेटी बना दीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री राम नाईक : दूसरा मुद्दा योजना के अन्तर्गत वार्षिक राशि को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने के बारे में है। महोदय, आप जानते हैं कि सभी नेताओं के साथ आपके कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में वित्त मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित थे। इस पर सभी नेताओं ने सहमति दर्शायी थी। इसी प्रकार राज्य सभा में भी इस पर सहमति व्यक्त की गई है। अब राशि को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने के मामले पर विचार किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह उचित उत्तर दे रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री राम नाईक : इस पर मंत्रीमंडल द्वारा विचार किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जहां तक इस विशेष मद का प्रश्न है, शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह उचित उत्तर दे रहे हैं।

श्री राम नाईक : जहां तक कुछ सदस्यों द्वारा उठाये गये ब्याज संबंधी मामले का प्रश्न है, लोक सभा और राज्य सभा की बैठकों में इस बात पर यह निर्णय लिया गया था कि जो भी ब्याज लगेगा, इसे दिशानिर्देशों के अनुसार उसी प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। इसका यह अभिप्राय है कि हम इस प्रयोजन हेतु ब्याज राशि का भी उपयोग कर सकते हैं। मंत्रीमंडल को इस बारे में भी निर्णय लेना है।

चौथी बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि 50 लाख रुपये की राशि की अगली किस्त जारी नहीं की गई है।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की प्रत्येक मांग की जांच की है और यह देखने में आया है कि समन्वय की कुछ कमी है। मैं इसके बारे में यहां इसलिये बता रहा हूं ताकि अन्य माननीय सदस्य जानकारी दे सकें।

जैसे ही हम स्वीकृत शेष राशि, उदाहरणार्थ 50 लाख रुपये भेजते हैं और इसके साथ-साथ कुछ योजनागत परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, और यदि माननीय सदस्य के खाते में अस्वीकृत शेष राशि होती है, अर्थात 70 लाख रुपये होते हैं और जब शेष राशि न कि व्यय की गई राशि क्योंकि वास्तविक व्यय में कुछ समय लगता है, जैसे ही स्वीकृत राशि 50 लाख रुपये से कम हो जाती है, और जिलाधीश हमें यह सूचित करता है कि ऐसा हो गया है तो हम दूसरी किस्त भेजते हैं। माननीय सदस्यों ने हमें ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत किया है, मैंने देखा है कि उन मामलों में राशि भेजी गई थी।

अब मैं माननीय सदस्यों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वे जिलाधीश से पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसकी एक प्रति मुझे देते हैं तो उससे मामले को शीघ्र अतिशीघ्र निपटाने में सहायता मिलेगी। हमने इसके बारे में लिखा भी है लेकिन कुछ जिलाधीश ऐसे पत्रों का उत्तर नहीं देते जैसा कि बिहार राज्य के बारे में उल्लेख भी किया गया है। मैंने बिहार राज्य के माननीय सदस्यों के साथ इस संबंध में तीन बैठकें की हैं। कुछ जिलाधीशों ने जानकारी नहीं भेजी। मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहूंगा कि जिस सदस्य को दूसरी

किस्त नहीं मिली है यदि वे जिलाधीशों से ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करें और हमें दें, तो इससे हमें सहायता मिल सकेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, विगत छः महीने से किस बात पर सक्रिय विचार किया जा रहा है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : अध्यक्ष महोदय, पिछले आठ महीने से मंत्री महोदय लगातार यही कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक एक करके बोलियेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : मान्यवर अध्यक्ष जी, आप इसमें इंटरवीन करके डायरैक्शन दें, नहीं तो सरकार तो सोचती रहेगी। पिछली सरकार भी सोचती रही। पूरा सदन आपसे इस बारे में सहमत है। आप इसमें कोई डायरैक्शन दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री येरननायडू कृपया आप अपने विचार रखिए।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमने छः माह पूर्व आपके चैम्बर में इस संबंध में निर्णय लिया था। लेकिन अब माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इस पर सक्रिय विचार किया जा रहा है गत छः महीने से 'सक्रिय विचार' का क्या अर्थ है?

महोदय, दूसरी बात रसोई गैस और टेलीफोन कनैक्शन के बारे में है। हमें इस बारे में वास्तविक और अद्यतन स्थिति का पता नहीं है। हमें संचार मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रसोई गैस और टेलीफोन कनेक्शन की अद्यतन स्थिति क्या है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप इस पर कोई उत्तर देना चाहते हैं?

श्री राम नाईक : महोदय, मैं रसोई गैस कनैक्शन तथा टेलीफोन कनैक्शन के बारे में संबंधित मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करूंगा। ऐसा इसलिये है कि चूंकि मामले न्यायालय में दर्ज कराये गये हैं और मैं यह पता लगाऊंगा कि अदालती मामलों का अंतिम तौर पर निपटान किया गया है। अथवा नहीं? यह मुझे पता लगाना होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है कि राज्य सभा के सांसदों को ये सुविधाएं मिल रही हैं और लोक सभा के सांसद इनसे वंचित हैं जिसके कारण जनता में बड़ा भारी कन्फ्यूजन है। इस बात की सफाई होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। संबंधित मंत्री श्री राममूर्ति अपनी बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मेरा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंत्री महोदय, कृपया एक मिनट के लिए रुकिए। सुश्री बनर्जी कुछ कहना चाहती हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारी भावनाओं का उचित सम्मान नहीं किया जा रहा है। मुझे राज्य सभा के सदस्यों के प्रति कोई विद्वेष नहीं है, वे भाग्यशाली रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों बरता जा रहा है? इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इसे रोकिए। हम नहीं चाहते कि यह भेदभाव जारी रहे। आप राज्य सभा में भी इस प्रथा पर रोक लगा दीजिए। जब लोक सभा में जन प्रतिनिधियों को ये सुविधाएं नहीं मिलती, तो राज्य सभा के सदस्यों को भी ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिएं। यदि आप यह सोचते हैं कि सदस्यों को रसोई गैस और टेलीफोन कनैक्शन के कूपन दिया जाना उचित नहीं है, तो किसी भी संसद सदस्य को यह सुविधा मत दीजिए। लेकिन राज्य सभा के सदस्यों को यह सुविधा देकर लोक सभा के सदस्यों के साथ भेदभाव मत कीजिए। यदि संसद में ही इस प्रकार का भेदभाव होगा, तो आम आदमी क्या सोचेगा? जनता के प्रतिनिधियों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत धनराशि अनप्रयुक्त पड़ी हुई है। मैं चौथी बार संसद सदस्य निर्वाचित हुई हूं। क्या आप यह जानते हैं कि मेरी योजनाएं लोक सभा के तीन कार्यकालों से लम्बित पड़ी हुई है? यह क्या हो रहा है? इस संबंध में उचित कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? हम योजनाएं तैयार करके देते हैं, लेकिन वे हमें उनके लिए धनराशि नहीं देते और हम

[कुमारी ममता बनर्जी]

यहां शांत बैठे रहते हैं। महोदय, हम यह बात आप पर छोड़ देते हैं। आप इस संबंध में कोई निर्णय लीजिए। किसी को इस सरकारी पैसे के संबंध में रुचि लेनी चाहिए। वे इस पैसे का जल एवं बिजली आपूर्ति, स्कूल के भवनों और सड़कों के निर्माण आदि हेतु उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम योजनाएं बना कर दे रहे है, लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। वे केवल इसकी दूसरी किश्त के बारे में बात करते हैं। हमें इसकी पहली किश्त भी नहीं मिली है। योजनाएं अभी भी लम्बित पड़ी हुई हैं। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है? राज्य सभा के सदस्यों को ये सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन लोक सभा के सदस्यों को नहीं मिलती। लोक सभा के सदस्यों को अपनी सुविधाएं पाने के लिए युद्ध लड़ने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया जाता है।

श्री राम नाईक : महोदय, सुश्री ममता जी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि उनकी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैंने व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों की जांच की है। क्योंकि विगत में बिहार की स्थिति का जायजा लेने के लिए गया था, अतः जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, वहां की स्थिति का भी मैंने जायजा ले लिया है। मैंने देखा है कि कलकत्ता शहर में इस योजना के अंतर्गत धनराशि खर्च नहीं की जा रही है। कलकत्ता में, कलकत्ता के नगरपालिका आयुक्त इस योजना को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारी हैं। हमने उन्हें यह लिखा है कि उन्हें यह रिपोर्ट देनी चाहिए कि इस योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब क्यों हो रहा है। मुझे उनसे इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने की उम्मीद है। इस संबंध में मेरी श्री बसुदेव आचार्य से भी बातचीत हुई थी। मैं व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल जाऊंगा और यह सुनिश्चत करूंगा कि उनके कार्य में रूकावट न आए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाञ्छापडी के. राममूर्ति) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की चिन्ता से सहमत हूं। विशेषरूप से इस बात से कि राज्य सभा के सदस्यों को उपलब्ध सुविधाएं इस सभा के सदस्यों को नहीं दी गई हैं। जहां तक रसोई गैस कूपन जारी किए जाने की सुविधा का संबंध है, यदि आप आज आदेश दें, तो हम कल ही यह कूपन जारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये मुद्रित करवा कर तैयार रखे हुए हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस सभा के सदस्यों को यह सुविधा आप द्वारा प्रदान की जाती है और आपने इसकी घोषणा सभा में की थी। क्या अध्यक्ष महोदय के विवेक पर कोई न्यायालय इस तरह से हस्तक्षेप कर सकते हैं, यह बात मैं अपने थोड़े से अनुभव से समझ नहीं पाया हूं। अध्यक्ष महोदय को भी सभा की इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग नहीं होने देनी चाहिए। क्योंकि इस सभा में कोई निर्णय लिया गया है, आपको आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि ये कूपन कल ही जारी कर दिए जाएं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से नोटिस दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सभा के सामने जो बात रखी है, हम सभी उसकी सराहना करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में अपने आदेश जारी किए थे, परन्तु उन पर केवल लोक सभा सदस्यों के संबंध में दायर एक जनहित मुकदमें में एक न्यायालय द्वारा किसी मंशा अथवा अन्य किसी कारण से रोक लगा दी गई है। यह टेलीफोन कनैक्शनों के कूपन के मामले में भी यही बात लागू होती है। राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों को यह सुविधा मिल रही है। लेकिन इस सभा के सदस्यों को यह सुविधा दिए जाने से इन्कार किया गया है। महोदय, इसका क्या औचित्य है? यदि यह बात न्यायालय के ध्यान में ला दी जाती है, तो न्यायालय भी इस बारे में समुचित निर्णय ले लेगी। लेकिन सरकार न्यायालय में नहीं गई है। सरकार ने न्यायालय के समक्ष यह बात नहीं रखी है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : यह अध्यक्ष महोदय का विवेकाधिकार है। आपको न्यायालय में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभा सर्वोच्च है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया यह बात समझने की कोशिश कीजिए।

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप घटनाओं का ठीक से विवरण दीजिए। माननीय मंत्री श्री राममूर्ति द्वारा कहे गए कुछ शब्द सही नहीं हैं। उन्होंने 'न्यायालय द्वारा ब्लैकमेलिंग' शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके द्वारा अथवा किसी माननीय सदस्य द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। अतः कृपया इन शब्दों को सभा के कार्यवाही-वृत्तान्त में से निकाल दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री राघवेन्द्र सिंह (शाहाबाद) : महोदय माननीय मंत्री जी ने अभी अभी सभा को यह जानकारी दी है कि वह कूपन का कोटा जारी करने को तैयार हैं, लेकिन इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन, महोदय न्यायालय रोजाना सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर रहा है। जिन न्यायाधीशों ने हस्तक्षेप किया है, उन्हें 'अवमानना नोटिस' जारी करने का यही उचित समय है। मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहले ऐसा किया जा चुका है और अन्ततः इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाया गया है। जब इस सभा में निर्णय लिया जा चुका है, तो

उच्च न्यायालय रोजाना इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष महोदय के आदेश जारी किए जाने को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप किया है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : यह सही नहीं है। आप झगड़ा नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री, श्री मदन लाल खुराना बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : अध्यक्ष जी, इसमें मंत्री महोदय की तरफ से नहीं, आप रूलिंग दीजिए। सभी ने आपके सामने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव रखा था, तब आपने हम लोगों को यह कोटा दिया था। अब अगर कोर्ट ने रोका है तो इसमें आपकी क्या राय है, आप बताइये। इसमें मंत्री कहां आते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : केन्द्रीय विद्यालयों में एडमीशन का मामला भी है।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो पाइंट्स स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो जो यह कहा गया है कि लोक सभा के लिए स्टे है, राज्य सभा के लिए स्टे नहीं है। वह इस कारण से, क्योंकि यह जो ऑर्डर हुआ था, यह केवल लोक सभा के लिए हुआ था। राज्य सभा के सदस्यों को कोटा पहले ही मिल रहा था।...*(व्यवधान)* आप पूरी बात तो सुन लें। अध्यक्ष जी, तीन और चार तारीख को केरल हाई कोर्ट की डेट थी, एडीशनल एटार्नी जनरल को मैंने कहा था कि वे पेश हों और वे जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मुझे एक दिन और दे दीजिए, वहां क्या हुआ है, उसकी सारी जानकारी लेकर मैं कल आपके सामने आऊंगा, उसके बाद जो भी आप चर्चा करेंगे, मैं जवाब दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, यह बात समाप्त हो गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए अब, मैंने श्री कृष्ण कुमार चौधरी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच दिन से नोटिस दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्पन्न हुए वाद-विवाद के बारे में कुछ नहीं कहना है।

लेकिन श्री मदनलाल खुराना द्वारा की गई टिप्पणी बहुत आपत्तिजनक है क्योंकि उन्होंने कहा है "आप एक दिन प्रतीक्षा कीजिए ताकि अपर महान्यायवादी किसी न्यायालय में चले जायें।" मैं नहीं जानता वहां कौन सा न्यायालय है और उस न्यायालय से निर्देश लेने के बाद...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने यह नहीं कहा था।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : कृपया मेरी बात सुनिये।

कई ऐसे अवसर आये हैं जब न्यायालय के सम्मनों को इस सभा और विधान-सभाओं द्वारा भी निरस्त किया गया है। मैं नहीं जानता कि आपका क्या निर्णय होगा लेकिन आपका निर्णय इस दलील के आधार पर टाला नहीं जाना चाहिए कि उन पर महान्यायवादी की सलाह पर किसी न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया जाना शेष है।

मैं कई वर्षों से यह कह रहा हूं कि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकारों से परे जाकर कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमें हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करना होगा, परन्तु न्यायपालिका सारे संसार को यह दिखा रही है कि वे संसद का सम्मान नहीं करते। यह जारी नहीं रह सकता। एक-दूसरे के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। यह नहीं हो रहा है।

मुझे दुख है कि मंत्रीगण दबाव में आ रहे हैं। मैं नहीं जानता, उनकी क्या कमजोरी है। वे अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं और वे सभा की गरिमा की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि मुझे इस पर आपत्ति प्रकट करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी मैंने यह नहीं कहा कि इंस्ट्रक्शन लेंगे...*(व्यवधान)* मैंने यह कहा है कि वहां क्या हुआ, इसकी जानकारी लेकर मैं कल आऊंगा, वहां से इंस्ट्रक्शन नहीं लूंगा।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में क्या होना है। यह कैसे प्रासंगिक है? आप एक निर्णय लीजिए इस तरह यह आपका प्राधिकार है और आप का निर्णय है। मैं नहीं कहता कि आप आज ही निर्णय दे। आप निर्णय एक महीने बाद दें परन्तु वह एक शर्त नहीं होनी चाहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री मदनलाल खुराना द्वारा दिया गया सुझाव पूर्णतया असंगत और इस सभा की गरिमा के विपरीत है।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय चन्द्रशेखर जी के बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य न्यायालय यह कह दे कि तत्काल यहां की कार्यवाही बंद कर दी जाए तो क्या कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मंत्री क्या कहते हैं, क्या अदालत कहती है, यह घोषणा कर दी जाए कि यह सुविधा लोक

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सभा के सदस्यों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर इस तरह रोजाना की कार्यवाही में बाधा डाली जाए. ..*(व्यवधान)* जब तक लोकतंत्र जिंदा है, तब तक जनप्रतिनिधि सर्वोच्च हैं। जितनी भी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वह डेलीगेटिड पावर है, चाहे एक्जीक्यूटिव हो, चाहे ज्यूडिशरी हो। लेकिन आज लोकतंत्र के अंदर सुप्रीम जनप्रतिनिधि है, इसकी भावना का आदर करते हुए अध्यक्ष महोदय आपके सामने जो यह मामला आ गया है, आपको हिम्मत के साथ इस पर निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा, देखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री वी. धनजंय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, संबंधित मंत्री ने स्पष्टतया ये कहा है कि वे केवल आपके निदेश की प्रतीक्षा में हैं। वह कहते हैं, आप एक निदेश जारी कीजिए, कूपनों का वितरण तुरन्त कर दिया जाएगा। वह आगे न्यायालय के अन्य निदेशों की प्रतीक्षा नहीं करेगा। हम केवल आपके निदेशों की प्रतीक्षा में हैं। आप कृपया एक निदेश जारी कीजिए। सभा और सरकार दोनों आपके निदेशों की प्रतीक्षा में हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप सब कृपया अपनी सीटों पर बैठ जायें।

हमने इस पर पिछले सत्र की सभा में भी विचार-विमर्श किया था। कई माननीय सदस्य चाहते हैं कि एल पी जी कूपनों के जारी करने और टेलीफोन कनेक्शनों संबंधी कोटा पुनः आरंभ किया जाये।

जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है और उन्होंने मंत्री को स्वविवेकाधीन अधिकार को चुनौती दी है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से केरल न्यायालय में लंबित मामलों का विस्तृत विवरण जानना चाहता हूं और हम कल इस बारे में निर्णय लेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कृपया हमें कुछ कहने की अनुमति प्रदान करें।

श्री वाझापडी के. राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवधान डालने हेतु क्षमाप्रार्थी हूं। न्यायालय ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया है। अतः यह स्वविवेकाधीन शक्तियों से संबंध नहीं रखता। आप हमें निदेश दें, हम कूपनों को वितरित कर देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया समझें कि मैंने संसदीय कार्य मंत्री को कल तक सूचना प्राप्त करने को कहा है। हम कल इसका निर्णय कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, जब शुरू में ये कोटा प्रणाली प्रारंभ की गयी थी, तो वह दोनों ही सदनों के सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी। लेकिन, महोदय, पिछली लोक सभा के माननीय अध्यक्ष अर्थात् आपके पूर्वाधिकारी ने मामले की जांच की थी क्योंकि हम में से कुछ ने इस पर अपना मत व्यक्त किया था; ऐसा इसलिए है क्योंकि कोटा प्रणाली को आवास आदि के संबंध में तथा कई क्षेत्रों में नापसंद किया गया है। इसके पश्चात् आपके विशिष्ट पूर्वाधिकारी द्वारा सोच-समझकर एक निर्णय लिया गया था और उन्होंने सभा में यह घोषणा की कि यह आगे लोक-सभा सदस्यों को उपलब्ध नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : प्रश्न, यह नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने का अवसर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यमूर्ति कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री वी. सत्यमूर्ति : नहीं, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या न्यायालय इसमें दखल दे सकता है या नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति प्रदान की है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसके बाद, वर्तमान सभा में कई माननीय सदस्यों ने आपके समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था; और आपने निर्णय किया था कि यह पुनः उपलब्ध कराया जाये। उसके बाद जो कुछ भी हुआ। हम नहीं जानते, और यदि माननीय मंत्री कहते हैं कि इस निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने हेतु सरकार या माननीय अध्यक्ष के पास कोई आदेश नहीं है, तो मुझे इस आदेश को सरकार द्वारा पुनः जारी न करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दें। हम आप सबकी बात सुन रहे थे...*(व्यवधान)*

श्री वी.के. राममूर्ति : श्री सोमनाथ चटर्जी, हमें माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे बंद करने के लिए गया था, इसलिए हमने इसे रोक दिया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस समय माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेकानुसार यह कर दिया था। हम आदेश या अन्य किसी चीज के बारे में नहीं जानते। मेरा यही विनम्र निवेदन है। हममें से कई, इस बात से काफी क्षुब्ध है कि उन कई क्षेत्रों में जो अध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार में है, उनमें न्यायपालिका ने आदेश पारित किये हैं। पहले ही इस मामले में यदि तनाव नहीं, तो कुछ गलतफहमी विद्यमान है। हममें से कई जनहित याचिका दिए जाने के हित में हैं बशर्ते यह हमारे अनुकूल है परन्तु यदि यह हमारे विरुद्ध होगी तो हम उसका विरोध

करते हैं। मैं इस क्षेत्र में काफी समय से हूं और इस सभा का सदस्य होने का महान सम्मान प्राप्त है अतः यहां कोई विभाजन रेखा खींची जानी चाहिए। मुझे याद है कि ये वह मामला था जो श्री चन्द्रशेखर व अन्य माननीय सदस्यों ने पिछली लोक सभा में उठाया था। मैं सभा का आह्वान करता हूं कि वे इस अत्यंत गंभीर मामले का गहराई से विचार-विमर्श करें। लेकिन इसे इस तरह शुरू न करें-मुझे बहुत खेद है कि सभा के अत्यतं जिम्मेदार सदस्य उस मामले के मंत्री श्री राममूर्ति ने ब्लैकमेलिंग शब्द का प्रयोग किया है।

श्री वाझापडी के. राममूर्ति : मुझे खेद है। यह एक सामान्य टिप्पणी थी। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मैं उस जिम्मेदारी से बच नहीं रहा हूं। मैं एक वकील हूं किंतु प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मेरी बात समाप्त होने का इंतजार कीजिए। महोदय, मैं जानता हूं कि कुछ बातों को गहराई से महसूस किया जाता है।

श्री वाझापडी के. राममूर्ति : महोदय, सहज रूप से मैंने कहा था कि न्यायालय ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने इतना ही कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसलिए एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर जिसमें संसदीय प्रजातंत्र के भविष्य की कार्यप्रणाली शामिल है, संसद के विशेष अधिकार और विशेष दायित्व होते हैं। भारत का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है—संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा रद्द किया जा सकता है। अनेकों बार ऐसा हुआ है अतः यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों की पुनरीक्षा की जाती है। किंतु केवल यह कहना कि हम किसी उच्च न्यायालय के आदेश अथवा उच्चतम न्यायालय के आदेश से अधिशासित नहीं होते हैं, हमें शोभा नहीं देता यह मेरा विनम्र निवेदन है।

महोदय, अब आपको यह निर्णय लेना है कि क्या इन सुविधाओं को तुरन्त सदन के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए अथवा नहीं। मैं नहीं जानता हूं और न ही मुझे यह जानने का मौका मिला था कि यह किस प्रकार का आदेश है। किंतु हम अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं।

संविधान के अधीन न्यायपालिका के पास भी कुछ विशेष अधिकार हैं। हमें अपने बीच में अंतर्द्वंद पैदा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे तरीके से चलने का प्रयास करना चाहिए जो समग्र रूप से हमारे देश की सहायता करे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह विषय समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अर्से से लम्बित कोयल सिंचाई परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। 1990 से कोयल सिंचाई परियोजना, जिस पर कि सरकार द्वारा पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान अरबों रुपए खर्च किए जा चके हैं, चालू नहीं की गई है। यह क्षेत्र मध्य बिहार का उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखाग्रस्त रहता है। भारत सरकार की नीति है कि ग्रामीण विकास योजना के तहत कुल बजट का 60 प्रतिशत खर्च किया जाएगा, लेकिन उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना को चालू नहीं किया गया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, यदि इस परियोजना को चालू कर दिया जाता है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और लाखों एकड़ भूमि सिंचित होगी।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.52

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्री चिन्तामणि त्रिपाठी को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 27 की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सड़क रीवा क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। इस सड़क पर बाईपास प्रस्तावित है। इस बाईपास के न बनने की वजह से और भारत सरकार के अड़ंगेबाजी की वजह से इस नेशनल हाईवे पर बाईपास नहीं बन पा रहा है। इस सड़क से सौ गज की दूरी पर ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय और मार्तण्ड स्कूल तथा दर्जनों हायरसैकेन्ड्री स्कूल हैं। इस वजह से इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस नेशनल हाईवे पर बाईपास बनाया जाए। पहले यह व्यवस्था थी कि महाविद्यालय खुलने और बन्द होने के समय भारी वाहन के आवागमन पर रोक लगा दी जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था कायम नहीं है, जिसकी वजह से दो-तीन छात्रों की मौतें आए दिन हो रही हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस नेशनल हाईवे पर बाईपास बनाने के लिए सरकार तुरन्त ध्यान दें।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में चीनी मिलों में गन्ने की पेराई का काम प्रारम्भ हो गया है और राज्य सरकारें

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

अपने-अपने तरीके से गन्ने का मूल्य निर्धारित करती हैं। मेरा निवेदन है कि महंगाई के कारण समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गन्ने का मूल्य सौ रुपए क्विंटल निर्धारित होना चाहिए। विशेष कर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार की गन्ना नीति के कारण करीब 50 हजार गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया पड़ा हुआ है। किसान अपनी पर्चियां लेकर घूमते फिर रहे हैं और क्योंकि अभी तक बैंकों में उनके खाते भी नहीं खोले जा सके हैं।

वे बराबर मांग करते रहे हैं आज की दुर्दिन बेला में भी कई आदमी उनकी पर्चियों को लेने के लिए तैयार हैं। उन किसानों ने दस गाड़ी से पांच गाड़ी तक गन्ना उगाया। आज उनके परिवार की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार उन किसानों के बकाया मूल्य को दिलवाने के लिए कोई कारगर कार्यवाही नहीं कर पा रही है। भारत सरकार के अधीन संचलित होने वाली चार चीनी मिलें — गौरी बाजार, पड़रौना, कुटकुइयां (उ.प्र.) तथा मढ़ौरा (बिहार) बंद कर दी गई हैं।...*(व्यवधान)* उन चार मिलों के ऊपर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि गन्ने का मूल्य सौ रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करे और जिन गन्ना किसानों का पिछला गन्ने का मूल्य बाकी है वह उन्हें दिलाया जाए।...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरी पुनः सरकार से मांग है कि उन गन्ना किसानों की बकाया राशि को दिलवाने का उचित प्रबंध करवाएं।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन के सामने मैं निम्नलिखित मुद्दे उठाना चाहता हूं।

टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर, भारत सरकार का एक उपक्रम जो उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, पतन के कगार पर है। और लगभग 1400 कर्मचारियों को कुछ समय से उनके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले दो महीनों के दौरान, उनमें से 12 की मृत्यु हो गई है और एक ने आत्महत्या कर ली है।

यह निगम 1969 में चालू हुआ था जिसका लक्ष्य पहले की रुग्ण इकाईयों के कर्मचारियों को लगातार काम देना और रक्षा मंत्रालय को फुटवियर और बूट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इस निगम की शुरूआत के समय यह सहमति हुई थी कि रक्षा मंत्रालय इस निगम को आर्डर देगा। चूंकि रक्षा मंत्रालय पहले किए गए वायदे के अनुसार आर्डर नहीं दे रही है, उसकी 70 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों के परिवार बहुत कष्ट उठा रहे हैं। अधिकतर परिवार भुखमरी या मौत के कगार पर हैं। इसलिए मैं रक्षा मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह इस मुद्दे की जांच करे और इस निगम को उद्योग मंत्रालय से अपने अधिकार में लें।

अपराह्न 12.59 बजे

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भूख-हड़ताल किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के जूनियर डाक्टर्स, डा. शहबाज अहमद, डा. बाबर रहमानी और श्री तहसीन आलम पिछले छः दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगें बड़ी सिम्पल हैं। इस सदन में पहले भी कई माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया था। पिछले तीन साल में वाइज चांसलर ने तीन-चार बार विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है। लड़कों पर हमला करवाया है। विश्वविद्यालय को तबाह एवं बर्बाद करने की सजिश हो रही है।

अतः मेरी मंत्री जी से मांग है कि उन लड़कों की जान बचाने के उपाय किए जाएं। उनसे कोई बात नहीं हो रही है, उनसे सरकार बात करे। ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहते हैं। छः दिन से लड़के फास्ट पर बैठे हैं। क्या आपने उनसे बात की? आपको अपने आदमी भेज कर उनसे बात करवानी चाहिए।... *(व्यवधान)* यह सरकार प्लानिंग करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहती है।...*(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि आप उनसे बात तो कीजिए, लड़के छः दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

महोदय, इस देश में अन्याय हो रहा है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है डाक्टर्स पिछले छः दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वहां वी.सी. ने तरह-तरह से लड़कों को परेशान करने का काम किया है। पिछले तीन साल से वहां कोर्ट की मीटिंग नहीं हो रही है। आपने इस सदन में छः मेम्बरों को कोर्ट के लिए आज से चार महीने पहले इलैक्ट किया लेकिन उनको अभी तक एक भी पत्र नहीं मिला। पिछले तीन साल से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव कांउसिल और अकादमी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई। वहां हर तरह से वी.सी. ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है।

अपराह्न 1.00 बजे

वह 'इंडिया टुडे' में बयान देते हैं कि वह स्टूडेंट्स को शरारती तत्वों से पिटवा देंगे और उनके हाथ-पैर तुड़वा देंगे। वाईस-चांसलर यूनिवर्सिटी के खिलाफ खुद ही बयान देते हैं। यह उन्हें प्रोटैक्ट कर रहे हैं और इसे बरबाद करना चाहते हैं। डाक्टरों की भूख हड़ताल तोड़ने के लिए उनसे बात कर समझौता किया जाए। हम कुछ और नहीं चाहते हैं। आप वाईस-चांसलर के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : यह इम्पोर्टेंट डिमांड है। हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने एक महीने से

हड़ताल की हुई है। इसलिए हालत खराब है। हम इनकी मांग को सपोर्ट करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। कुछ दिन पहले, यह मुद्दा उठाया गया था। चूंकि माननीय मंत्री यहां हैं, मैं उनसे इसका उत्तर देने का अनुरोध करूंगा। तीन वर्षों में विश्वविद्यालय तीसरी बार बंद हुआ है। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इस मुद्दे पर मंत्री जी को गंभीर चिंता प्रकट करनी चाहिए।

कुछ छात्र मुझे कल मिले थे। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वहां हो रहा है वह न तो वैध है और न ही वहां प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का पालन हो रहा है। एक व्यक्ति, जो रजिस्ट्रार है, प्रो.वाईस चांसलर, क्षैत्रिक कार्यक्रम का नियंत्रक और निदेशक भी है वह वही व्यक्ति है—जो उनका कृपापात्र है—इन सभी पदों पर विराजमान हैं किसी भी निकाय की कोई भी बैठक नहीं होती है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है।

जहां तक छात्र संघ का संबंध है उसे भंग कर दिया गया है। उनके अपने कृपापात्र को संघ के अध्यक्ष रूप में मनोनीत किया गया है। वह जो चाहता है वही कर रहा है।

दूसरे, आपने सुना होगा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अधिनियम में एक उपबंध होता है जो आपातकाल के स्वाभाविक मामलों में वाईस चांसलर को कुछ आपात शक्तियां प्रदान करता है जिसकी अन्य न्यायालयों के साथ-साथ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भी व्याख्या की गई है। मुझे बताया गया है, कि समस्त विश्वविद्यालय को अब अधिनियम की आपात शक्ति 93 के अधीन लाया जा रहा है। प्रत्येक निर्णय को आपात निर्णय माना जा रहा है। कुल मिलाकर, आपात शक्ति के अधीन 477 आदेश पारित किए गए है जिन्हें कभी-कभार प्रयोग करना चाहिए। सब कुछ एक मखौल बन कर रह गया है।

जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अनिश्चित है। कुछ छात्र भूख-हड़ताल पर हैं। मैं इसे विवादास्पद नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अतः इस मामले में माननीय मंत्री को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और वे देखें कि अध्ययन का यह महान केन्द्र सुचारू रूप से चलता रहे और छात्रों, शैक्षिक स्टाफ की असली मुसीबतों का बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी निदान होना चाहिए। अतः मैं यही पर उल्लिखित मुद्दे का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं लेकिन उनकी ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं आ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप वाइस-चांसलर हटा क्यों नहीं देते?...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : सभापति महोदय, मेरा भी एक जुमला सुन लिया जाए। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। बच्चे पिछले छः दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मेरा बहुत आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि सबसे पहले उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई जाए। इसमें सौदेबाजी की बात नहीं है। उन्हें विश्वास दिलाने की बात है। यूनिवर्सिटी का कानून इस संसद के जरिये पास हुआ है और उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी चलेगी। वहां अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम आपकी संवेदनशीलता को देखते हुए एक अपील करना चाहते हैं।

वे आपके छोटे बच्चे हैं वे 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं। अगर किसी को कही कोई नुकसान हो गया जिससे आगे उनके स्वास्थ्य या जीवन पर असर पड़ा, तो आपको तकलीफ होगी और इस सदन को भी होगी। इसलिये आपसे गुजारिश है कि आप चलकर उन बच्चों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवायें।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : सभापति महोदय, आपने आदेश दिया था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा और माननीय मंत्री से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की अपील करूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे कुछ कहने जा रहे हैं। आप इंतजार करें।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह भूख हड़ताल एक उपयुक्त और सम्मानित तरीके से समाप्त होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को मानदंडों के अनुसार कार्य करना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, वे अब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूडी, एवीएसएम (गढ़वाल) : यह उचित नहीं है। यहां अन्य सदस्य भी हैं जिन्हें 'शून्यकाल' के दौरान मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिला है...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं आज सुबह उनसे मिला था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे अब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वे प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि वे इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करें?

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चाहता हूं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रतिक्रिया एक सकारात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (झांका) : सभापति महोदय, डा. जोशी न केवल एजुकेशन मिनिस्टर हैं बल्कि खुद एक प्रोफेसर हैं। यूनिवर्सिटी के नियमों और कायदे के बारे में खुद जानते हैं। मुझे इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहना है। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस देश के महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। इस संस्था का स्तर पिछले कुछ सालों से लगातार गिरता जा रहा है और आज हालत यह हो गई है कि वहां के लड़के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसका कारण यह है कि तरह-तरह के तत्व विश्वविद्यालय में शामिल हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द भूख हड़ताल को समाप्त कराया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, इस मामले में मैंने पहले बच्चों को खुद बुलाया, उसके बाद अध्यापकों को बुलाया और तब प्रो.वाइस चांसलर को बुलाया। वाइस चांसलर उस दिन नहीं थे। इन लोगों की आपस में बैठकर बातचीत कराई और यह कहा कि इस बारे में कोई एग्रीड सौल्यूशन मेरे पास लेकर आइये। लेकिन अगले दिन बच्चे मेरे पास नहीं आये। मुझे पता नहीं उनमें आपस में क्या बात हुई है या नहीं। उनकी मुलाकात स्थानीय सांसद श्रीमती शीला गौतम से हुई। इन सबके पहले मुझे श्री आरिफ साहब ने बताया कि वाइस चांसलर को इत्तला किया है कि इस मामले में पूरी डिटेल्ज बतायें।

सभापति महोदय, जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सवाल है हमारी सरकार की इस संबंध में स्पष्ट नीति है कि यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसे राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधायें देंगे। सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे। अगर कोई गैर-कानूनी काम हुआ है जो लॉ के मुताबिक नहीं है तो उस बारे में कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि इस सारे मामले को पालिटिसाइज न किया जाये। सब मिलकर इसका साल्यूशन ढूंढें और इस संस्था को बचाने की जरूरत है। इस संस्था को बढ़ाये जाने की भी जरूरत है। पिछले तीन सालों में वहां जो कुछ हुआ है, उस पर हम गौर कर रहे हैं। हमने जिला प्रशासन से बात की है, उत्तर प्रदेश सरकार से बात की है। इसके अलावा अकेडेमिक वर्ल्ड से बात कर रहे हैं। और इस पर बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे। इस विश्वविद्यालय को हिन्दुस्तान की महत्वपूर्ण प्रीमियर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच) : लेकिन भूख हड़ताल का मामला है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप यह प्रयास कीजिए कि भूख हड़ताल वापस ले ली जाए।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : हम लोग यह कहना चाहते हैं कि आप पहले भूख हड़ताल को समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : डा. जोशी छात्रों से अनुरोध कर सकते हैं। कृपया आप यह प्रयास कीजिए कि वे लोग हड़ताल वापस लें। आप उनसे अनुरोध कीजिए।

मुझे विश्वास है, वे आपकी बात सुनेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं चार दिन पहले ही उनसे अनुरोध कर चुका हूं। और मुझे इस अनुरोध को बार बार दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है। वह मेरे छात्र हैं। मैं उनके जीवन और भविष्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित हूं। किन्तु प्रश्न यह है कि यह बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही हो ताकि भविष्य में विश्वविद्यालय में सही तरह से कार्य चले।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तो ठीक है। पहले उनकी हड़ताल समाप्त करवाइये।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय सभापति जी, मैं सुझाव दे रहा हूं। अपील करने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसे मंत्री जी ने कहा कि इसको पोलिटिसाइज न किया जाए, उसका भी कोई स्कोप नहीं रहेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, दादा सोमनाथ जी और जो भी माननीय सदस्य आप कहें, थोड़ी देर बाद का वक्त तय कर लें, हम लोग चले जाते हैं, बच्चों से मिलकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप चलकर उन्हें जूस पिलाइए और उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाएं। बनातवाला जी को भी ले लीजिए। फिर इसको पोलिटिसाइज करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। मेरी आपसे अपील है क्योंकि मुझे उन बच्चों के स्वास्थ्य की फिक्र है।...*(व्यवधान)* आप कहें तो पहले हम चले जाते हैं।...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं उसका समय निश्चित करके आपको बता दूंगा मैं बता दूंगा तब जाएं क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी हो। यहां हम कोई कदम ले लें और उससे विश्वविद्यालय की अथॉरिटीज के साथ उसको आगे चलाने में दिक्कत हो, यह ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत समय मुझे दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : हम किसी और चीज के लिए नहीं कह रहे हैं। हम किसी स्पेसिफिक्स में भी नहीं जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक्स में जा रहे होते तो दिक्कत हो सकती थी। मैं आपसे सिर्फ यह आश्वासन चाहता हूं कि कानून की रक्षा की जायेगी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह विनती कर सकता हूं कि वह श्री आरिफ मोहम्मद खां को छात्रों को यह बताने का प्राधिकार दें कि उनके प्रति आपका रवैया सहानुभूतिपूर्ण है और आप इस मामले की जांच करेंगे?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप उनसे इतना जाकर कह दीजिए कि

[अनुवाद]

हमें उनके प्रति सहानुभूति है और हम शीघ्र ही इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं चाहता हूं कि कुछ और लोग चलें। मैं अकेले ठीक नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री येरननायडू

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने आपको पहले ही छात्रा से बात करने का प्राधिकार दे दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : इस पर कोई फाइनल डिसीजन आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : आरिफ जी और शीला जी चले जाइए।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : तरह-तरह की बातें अखबारों में छप रही हैं। यह हमारा बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है और इसकी सारे देश में इज्जत है और विदेशों में भी इज्जत है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है।...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : उसको ठीक रास्ते पर चलाने की कोशिशें हो रही हैं।

श्री राजेश पायलट : आप एक काम करें कि एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन में कुछ सांसद यहां से चले जाएं और सच्चाई देखकर आएं कि क्या बात है। उसमें सरकार इनीशियेटिव ले सकती है।

[अनुवाद]

हम यह नहीं चाहते कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में हस्तक्षेप करें। हम इसके खिलाफ हैं। चूंकि पिछले एक महीने से प्रेस ने इस मामले को बहुत उछाला है। इसलिये संसद का एक छोटा प्रतिनिधि मण्डल वहां जाए और जांच करे कि वहां क्या हो रहा है और वह आपको और सभा को दोनों को रिपोर्ट दे। विद्यार्थी पिछले सात-आठ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, अभी आप इस पर कुछ मत कहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मामला सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है और मंत्री महोदय ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। वह कह चुके हैं कि श्री आरिफ मोहम्मद खान, श्रीमती शीला गौतम और श्री दिग्विजय सिंह वहां जाएं और विद्यार्थियों से बातचीत करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खान : पायलट जी को भी लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजेश पायलट भी वहां जाएं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, श्री आरिफ मोहम्मद खां।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : कांग्रेस की तरफ से डा. शकील अहमद को भी भी लीजिए।...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह कोई पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे हैं। आरिफ साहब ने भी कहा कि इसको इस रूप में न लिया जाए। मैंने आरिफ साहब को कहा था क्योंकि ये वहां की स्टूडेण्ट्स यूनियन के लीडर रह चुके हैं और शीला जी वहां की सांसद हैं, इसलिए ये दो लोग काफी थे। इसलिए इस बात को आगे न बढ़ाया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप इनकी ओर से जाकर सिम्पेथेटिकली उनका फास्ट तुड़वाइए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा एक अनुरोध सुन लीजिए। उसके बाद जो आपका फैसला होगा वह मैं करूंगा। मेरा एक अनुरोध है जिससे बच्चों को विश्वास आ जाएगा क्योंकि हां, क्योंकि आज की तारीख में आप हमें इसके लिए तो ऑथराइज नहीं कर रहे हैं कि हम उनको कोई एश्योरेन्स दें। हम सिर्फ इतना कहने जा रहे हैं कि आपकी पूरी बात पर हमदर्दी के साथ गौर होगा। उनको अच्छा लगेगा अगर माननीय शीला जी के अलावा आपके चीफ व्हिप को भी साथ ले लें, राजेश पायलट जी को भी ले लें।...*(व्यवधान)*

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

अध्यक्ष महोदय, मेरे अकेले आने से विश्वास नहीं आयेगा, सब पार्टियों के लोग जायेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मेरी प्रार्थना है कि आपके जाने से लोगों को यकीन आ जायेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा काम आसान हो जायेगा, मैं आपका हुक्म मानूंगा, अगर कई लोग जायेंगे तो मेरा काम आसान हो जायेगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मेरा काम भी आसान हो जायेगा अगर आप अकेले जाएं, आपका काम आसान करना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा सकता।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री के. येरननायडू बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : मंत्री महोदय, आपने कहा कि आप थोड़ी देर के बाद बता देंगे, आप थोड़ी देर के बाद टाइम बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं श्री के. येरननायडू को बोलने के लिये कह चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : महोदय, हम शून्य काल के दौरान कुछ मुद्दों को उठाने की सूचना पहले ही दे चुके हैं। हम लोग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। कुछ अन्य सदस्य बोल रहे हैं? यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं पहले ही श्री के. येरननायडू को बोलने के लिये कह चुका हूं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं किसानों से संबंधित एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। पिछले सत्र में, इसी सभा में हमारे माननीय कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह कीटनाशक और बीज अधिनियम, 1968 में संशोधन के लिये कोई विधान लायेंगे।

महोदय, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और भारत के अन्य बहुत से भागों में किसानों ने आत्महत्या कर ली हैं। वर्तमान अधिनियम व्यापारियों और कालाबाजारी करने वालों के लिए सहायक है। इसीलिये, माननीय कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह शीतकालीन सत्र में यह विधान लायेंगे। हम पर कृषि समुदाय और हमारी पार्टी के सदस्यों का बहुत दबाव है। इसीलिये मैंने यह मुद्दा कार्य मंत्रणा समिति में भी उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस संदर्भ में मुझे आश्वासन दिया है। अब रबी का मौसम आ रहा है। मुझे आशा है कि पूरी सभा इस विधान को पारित करने के पक्ष में होगी।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कीटनाशक और बीज अधिनियम का पूर्ण रूप से मूल्यांकन और उसकी संवीक्षा की थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन प्रावधानों को अत्यन्त कठोर बनाने के लिये अनेक संशोधनों का सुझाव दिया था। सभी ने उन्हें स्वीकार किया है। तो फिर, आवश्यक विधान लाने में क्या समस्या है। श्री बरनाला यहां हैं, श्री खुराना भी आ रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, दोनों ने ही सभा को इस संदर्भ में वचन दिया था। यह सत्र महीने की 23 तारीख तक चलेगा। मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकार कीटनाशक और बीज अधिनियम, 1968 में संशोधन के लिये इसी सत्र में विधान लाए। ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : आप समर्थक पार्टी अतः आप सरकार से यह करने के लिये कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : इसका सभी समर्थन कर रहे हैं। आप भी इसका समर्थन करेंगे। हम सभी कृषि समुदाय के हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : हम सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार तीन छोटे राज्यों छत्तीसगढ, उत्तराखंड और वनांचल बनाने की घोषणा की थी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी (भागलपुर) : सभापति महोदय, खादों पर अभी ब्लैक चालू है इस पर क्या कंट्रोल किया जा रहा है। हर स्टेट में किसानों के लिए खाद का बार-बार आपूर्ति न होने के कारण या उसको छुपाकर रखने के कारण वहां इसकी ब्लैकमार्केटिंग हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सभापति जी, केन्द्र सरकार ने तीन छोटे राज्य बनाने की बार-बार घोषणा की थी। अभी विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वासन दिया था कि दिसम्बर तक हम इस बिल को पास करा लेंगे। लेकिन इसमें सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है और इसलिए इस बिल को लाने में आना-कानी कर रही है। छत्तीसगढ़ की

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जनता इससे पूरी तरह आक्रोशित हो चुकी है कि केन्द्रीय मंत्रियों के जवाब और उनके द्वारा दिये गये आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो तीन वायदे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और वनांचल राज्य बनाने के बारे में किये थे, उनको पूरा करे।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : वनांचल के बिल को विधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया। इनकी उस बिल को लाने की हिम्मत नहीं है और अगर लायेंगे तो हम इनके छक्के छुड़ा देंगे। सब जगह से हारे हैं। बिहार का बंटवारा नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति महोदय, यह एक संवेदनशील मसला है। मैं दूसरे स्थानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड के बारे में कुछ विवाद हो सकता है, झारखंड के बारे में विवाद हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सहमत है, कांग्रेस सहमत है। भारतीय जनता पार्टी के और हमारे सभी सहयोगी दल सहमत हैं। वहां की विधान सभा ने एक नहीं बल्कि दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहां की जनता भी यह चाहती है। आपने वायदा भी किया है। सार्वजनिक रूप से वायदा किया है। वैसे आपने बहुत से वायदे किए हैं जिनको पूरा नहीं किया है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि अगर आपने छत्तीसगढ़ का अलग राज्य बनाने का अपना वायदा पूरा नहीं किया तो छत्तीसगढ़ की दो करोड़ आदिवासी और दलित जनता की हाय आपको लगेगी। अभी विधान सभा के चुनावों में आपको एक हाय लगी, तो आप हार गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आपको दो जगह उत्तराखंड और झारखंड राज्य बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उनका विधेयक न लाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ का अलग राज्य बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। इसलिए उसके बारे में बिल इसी सत्र में लाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह उसी विषय पर बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य तो बनने वाले हैं ही, लेकिन ये क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : जोगी जी, यदि आप छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री बनने वाले हैं, तो मैं स्टेटमेंट दूं, यदि नहीं तो मैं दूसरी स्टेटमेंट दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : जिस प्रकार से आपका सहयोग इस बार के विधान सभा चुनावों में रहा और मेरे साथ हमेशा रहा है, उसी प्रकार आगे आपका सहयोग रहा, तो मैं मुख्य मंत्री बन जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैं स्पष्ट रूप से इस सदन में कहना चाहता हूं कि वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों के गठन का जिक्र हमारे मैनफैस्टो में है। हमने उनके लिए कार्रवाई शुरू की, कैबीनेट ने उसको पास किया, राष्ट्रपति के पास भेजा, संबंधित राज्यों के पास भेजा। केवल बिहार विधान सभा में अपोजीशन ने वाक-आउट किया है और जो प्रस्ताव बिहार ने भेजा है वह हमारे पास है। हम अपने वचन पर अडिग हैं, अटल हैं और छत्तीसगढ़ का एक अलग राज्य निश्चित रूप से बनेगा।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : लेकिन कब?

श्री मदन लाल खुराना : सदन के इसी सत्र में।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : तो फिर इसी सत्र में विधेयक क्यों नहीं लाते, पूरा सदन तैयार है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बीच में टोका-टोकी मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जिस राज्य को बनाने के लिए तैयार हैं, उस राज्य का विधेयक लाइए, लेकिन बिहार तैयार नहीं है। मैं पूरे सदन को आगाह करना चाहता हूं। कल पटना में और बिहार के कोने-कोने में रैली है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आपने जिस विधान सभा से उस प्रस्ताव को पास कराया, उसी से उलटवा दिया, क्यों?...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका जवाब कल की रैली में दिया जाएगा। बिहार के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। बिहार नहीं बंट सकता है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया टीका-टिप्पणी मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में कहा, हमारा वचन है। उसके गठन के लिए हम विधेयक इसी सत्र में लाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी जी, कृपया बैठ जाइये।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन ने वर्णित कार्य दो चरणों में 7 सितम्बर और

[श्री हन्नान मोल्लाह]

12 अक्तूबर 1998 को कलकत्ता से मुम्बई अंतरित कर दिया है और इसके लिये यह तर्क दिया गया है कि मुम्बई में घरेलू कोष तथा विदेशी मुद्रा कोष को एकीकृत किया जाना है। यह एक गंभीर समस्या है और इस कार्य को अंतरित किये जाने से विदेशी मुद्रा व्यापार का लगभग 40 प्रतिशत कार्य, जोकि कलकत्ता में हो रहा था, अंतरित हो जाएगा और परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य बैंकों के सभी लेनदेन अब कलकत्ता से मुम्बई अंतरित हो जाएंगे।

पूर्वी क्षेत्र में पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो रही है और लोग अधिकाधिक धन का निवेश करना चाहते हैं लेकिन यदि यह कार्य अंतरित कर दिया जाता है, तब वह धन वहां नहीं आयेगा और विकासात्मक कार्य में बाधा पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस संबंध में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और उन्हें इस कार्य को अंतरित न करने का अनुरोध किया था और प्रधान मंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि इसे अंतरित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसे वहां से अंतरित कर दिया गया है। और इससे पूर्वी क्षेत्र के लिये एक प्रमुख समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को वहां जाने से रोकें और विदेशी मुद्रा के इस कार्य को कलकत्ता वापस लायें ताकि पूर्वी क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों में बाधा न पड़े।

श्री एम. सेल्वारासु : सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया आगामी सिविल सेवा परीक्षा, 1999 के विज्ञापन पर रोक लगायी जाये। मैं जानता हूं कि यह विज्ञापन 12 दिसम्बर, 1998 को प्रकाशित होना है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है और यह लाभ सभी सिविल सेवाओं को दिया गया है। लेकिन आयु सीमा में वृद्धि का लाभ उन अभ्यर्थियों को प्रदान नहीं किया गया जिन्होंने गत वर्ष सिविल सेवा परीक्षा दी थी। इसके कारण अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट का लाभ नहीं मिला और उन्हें केवल एक वर्ष की छूट का ही लाभ मिला है। सुपात्र अभ्यर्थी आयु सीमा में एक वर्ष की छूट और चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि आयु सीमा को अन्य श्रेणी उम्मीदवारों के लिये 30 वर्ष से बढ़ाकर 31 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिये 33 वर्ष से 34 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 35 वर्ष से बढ़ाकर 36 वर्ष कर दिया जाना चाहिये। वे यह भी चाहते हैं कि सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये एक और प्रयास की भी छूट होनी चाहिए। यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है और मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया जारी होने वाले विज्ञापन को रोका जाए और सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाये।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, कृषि वैज्ञानिकों को यूजीसी ग्रेड देने से मना कर दिये जाने से इस देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्य करने वाले 6000 कृषि वैज्ञानिकों में कुंठा और निराशा की भावना पैदा हो गयी है। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये नये वेतनमानों को अनुमोदित करने और उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मामले में लागू करने के बावजूद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संशोधित वेतनमान लागू नहीं किये गये। केन्द्रीय सरकार को सभी कर्मचारी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गैर शिक्षण कर्मचारी यू.जी.सी. के वेतनमानों के समकक्ष वेतनमान ले रहे हैं। लेकिन विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों को संशोधित वेतनमान नहीं मिल रहे हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव अध्यापकों पर पड़ा है जोकि सेवानिवृत्त हो रहे हैं जबकि सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों के लिये नये यू.जी.सी. वेतनमान लागू किये जायें।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला इस सभा तथा सूचना और प्रसारण मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री ने उन तीन मंत्रियों का परिचय क्यों नहीं कराया जिन्हें गत शनिवार शपथ दिलाई गई थी। सच्चाई तो यह है कि इस सभा में उनका यथासंभव शीघ्र परिचय करवाया जाना चाहिये था। सूचना और प्रसारण मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। इसलिये मैं यहां यह उल्लेख कर रहा हूं।

कोजीकोडी स्थित आकाशवाणी केन्द्र एक क्षेत्रीय एकक है जो कि गत चार दशकों से भी अधिक समय से कार्यरत है। जब से इस केन्द्र की स्थापना हुई थी, इस केन्द्र के क्षेत्रीय समाचार एकक में समाचारों के प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। कुछ समय पहले इस एकक को कालीकट से त्रिवेन्द्रम अंतरित करने की बात उठी थी। इसका सार्वजनिक विरोध हुआ था।

मैंने इस मामले को यहां पर उठाया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में क्षेत्रीय समाचार एकक को कालीकट से त्रिवेन्द्रम अंतरित किये जाने की बात चल रही है। यह गलत बात है। यह अन्यायोचित है क्योंकि वर्तमान समय में कालीकट आकाशवाणी केन्द्र से प्रातः तथा दोपहर के समय समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कुछ अधिकारी इसे कालीकट से त्रिवेन्द्रम अंतरित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इसका बड़े पैमाने पर विरोध करेगी। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उसे तुरन्त त्याग देना चाहिये वरना जनता द्वारा इसका व्यापक विरोध किया जाएगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिंता को माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।

जो पहला मुद्दा उन्होंने उठाया है वह यह है कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्रियों का परिचय नहीं करवाया। मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचना देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी यहां आयेंगे। सभी नये नियुक्त किये गये मंत्रियों का परिचय पांच बजे करवाया जायेगा। उस समय, आप सभी यहां पर उपस्थित हो सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री को उठाये गए मुद्दे से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : मैं एक अत्यंत गम्भीर मामला उठाना चाहूंगा। कल 6 दिसम्बर को "विरोधी अभियान दिवस" मनाया गया और देशभर में सामूहिक पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्भाग्यवश यह दिवस केरल और नार्थ-ईस्ट में 13 दिसम्बर को मनाया जायेगा। परन्तु यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि आकाशवाणी से 7.25 और 12.50 पर क्षेत्रीय भाषा, मलयालम में प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन में यह घोषणा की गई कि पोलियो टीकाकरण 6 दिसम्बर को ही होगा। इससे यह हजारों की संख्या में लोग डिस्पेंसरी और इन जगहों पर पहुंच गये जहां कि टीकाकरण किया जाना था। उन दो समाचार बुलेटिनों के कारण केरल के लोगों को बहुत असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा। डी. ए.वी.पी. ने प्रचार पर इन दिनों करोड़ों रुपये खर्च करके विज्ञापन दिए। उनका क्या हुआ? कल प्रसारित हुए उन समाचार बुलेटिनों के कारण केरल की जनता को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। इसकी जांच करके उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उन्हें यहां प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।*...(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : श्री नाईक यहां विद्यमान हैं। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : उन्होंने इस पर ध्यान दिया है

...(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जानी चहिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : करोड़ों रुपया प्रचार कार्य पर खर्च किया जाता है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : यह परिवर्तन तीन दिन पहले ही कर दिया गया था।*...(व्यवधान)* निर्णय तीन दिन पहले ही ले लिया गया था। दुर्भाग्यवश यह कल के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन, मैं माननीय मंत्री महोदय को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। वह इस पर ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, इस विषय को मैं पहले भी इस सदन में उठा चुका हूं। 20 जनवरी, 1994 को कानपुर में गंगा नदी को कानपुर से दूर हटने के कारण और कानपुर में 40 लाख आबादी को पीने के पानी की कठिनाई के कारण तत्कालीन केन्द्र सरकार में विद्याचरण शुक्ल जी मंत्री थे, उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति दी थी और गंगा बांध बनाने का कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इसमें यह तय हुआ था कि 233 करोड़ रुपया जो खर्च आने वाला है, उसको केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आधा-आधा बांट कर खर्च करेंगी। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार उसमें लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन केन्द्र सरकार का अंश केवल छह करोड़ रुपया गया है। अनेक बार प्रान्त की सरकार के केन्द्र सरकार को लिखा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय जसवन्त सिंह जी से मिला था, संबंधित शहरी विकास मंत्री जी से मिला था। इसमें कठिनाई यह आई है कि योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय को उसमें कोई प्रावधान नहीं किया, इस नाते वित्त मंत्री जी नगर विकास मंत्रालय को वह धनराशि देने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। मेरा प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें। यह बहुत अच्छी योजना है, जो पिछले दस महीने से बंद पड़ी है और मूल्यवृद्धि भी हो रही है। इसलिए इसमें तत्काल अवमुक्त धन उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान कन्नूर-मंगलौर खण्ड में, विशेष तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कासरगोड में, कोंकण लाइन के चालू होने से हुई यातायात की गंभीर दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी वजह से मालगाड़ियां और लम्बी दूरी की गाड़ियां प्रभावित हुई हैं और स्थानीय यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैंने इस संबंध में कई बार शिकायत की और रेलवे अधिकारियों को अभिवेदन भी दिये परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।

हम समझ सकते हैं कि गाड़ियां कुछ घंटे देर से आ रही हैं परन्तु इस खण्ड से आने वाली गाड़ियों एक दिन देर से पहुंचती हैं। इसके कारण उन कर्मचारियों और रोगियों को, जो उन गाड़ियों से यात्रा करते हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी कन्नूर और तेल्लीचरी से कासरगोड जिला आते हैं। उस प्रान्त के लोग और विभिन्न सामाजिक संगठन यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी मालगाड़ियों और लंबी दूरी की गाड़ियों को प्राथमिकता दे रहे हैं और स्थानीय लोगों के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं।

[श्री टी. गोविन्दन]

मैं माननीय रेल मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में तुरंत कार्यवाही करें :

(एक) 13 डिब्बों वाली 523 कन्नूर-मंगलौर यात्री गाड़ी अतिशीघ्र चलवाई जाए।

(दो) 528 मंगलौर-कन्नूर डाऊन गाड़ी शीघ्र चालू की जाए और उसमें और डिब्बे जोड़े जाएं।

(तीन) सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थानी गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए।

(चार) व्यस्त समय के दौरान उस खण्ड से निकलने वाली मालगाड़ियां और लम्बी दूरी की गाड़ियां सीमित कर दी जाएं।

(पांच) महत्वपूर्ण अनुभागों में और जिन अनुभागों में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां पार करने के लिये सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(छह) मंगलौर से शोरनुर की रेलवे लाइन के कार्य के दोहरीकरण का कार्य शीघ्रता से संपन्न किया जाए।

सभापति महोदय : अब सभा अपराह्न 2.35 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.35 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.40 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत हुई।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश की सफीपुर और उन्नाव तहसील में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद उन्नाव में गत वर्ष भारी बाढ़ व वर्षा के कारण सफीपुर एवं उन्नाव तहसील के करीब 500 परिवार बेघर हो गए हैं। उनके घर अब पानी में बह रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन परिवारों को पुनः बसाने के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को उपलब्ध कराए और उनके नए घर बनवाने के लिए तुरन्त पहल करे।

(दो) पूर्वी दिल्ली से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिये और अधिक हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली जो दिल्ली का लगभग एक तिहाई हिस्सा है, जहां की आबादी लगभग 36 लाख है और जहां गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोग भारी संख्या में रहते हैं। इस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यहां की परिवहन व्यवस्था में काफी कुछ करने की आवश्यकता है, यहां से लाखों लोग प्रतिदिन दिल्ली के विभिन्न भागों में अपने काम धन्धों पर आते जाते हैं। यहां एक दो ही रेलवे स्टेशन हैं, एक शाहदरा व दूसरा आनन्द बिहार है जो कि अपर्याप्त है।

अतः मेरी सरकार से मांग है यहां पर सीलमपुर, गांधीनगर, नंदनगरी व मण्डावली चन्द्र नगर पर नए रेलवे स्टेशन, हाल्ट शुरू किया जाए। जिससे लाखों लोगों को दूर न जाना पड़े और समय की भी बचत हो।

(तीन) रसोई गैस के वितरण हेतु रांची को पर्वतीय क्षेत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र रांची का काफी हिस्सा पठारी क्षेत्र है और यहां पर ईंधन के रूप में अधिकांश लोग लकड़ियों को जलाते हैं, जिसके कारण पेड़ कटते जा रहे हैं। पेड़ न कटें, इसके लिए पैट्रोलियम मंत्रालय ने पहाड़ी क्षेत्रों में एल पी जी के डिस्ट्रीब्यूशन के आबंटन में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे पहाड़ों पर रहने वाले एल पी जी का प्रयोग कर सकें। इससे पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी। इस संबंध में हिल्स एरिया के अंतर्गत जो एल पी जी मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, उसमें रांची को शामिल नहीं किया जाता है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि रांची को हम हिल्स एरिया के अन्तर्गत एल पी जी डिस्ट्रीब्यूशन का आबंटन करेंगे, किन्तु मेरे एक संसदीय प्रश्न में कहा गया है कि योजना आयोग ने रांची के कुछ एरिया को हिल्स एरिया नहीं माना है, जिससे आपके हिल्स एरिया में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे। जो वास्तव में हिल्स एरिया है, किन्तु योजना आयोग उसे हिल्स एरिया नहीं मानता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिल्स एरिया के अंन्तर्गत एल पी जी मार्केटिंग में रांची को शामिल किया जाए। जिससे हिल्स एरिया में पेड़ों को कटने से रोका जा सके।

(चार) महाराष्ट्र में कपास के खरीद मूल्य को बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल (खेड़) : महाराष्ट्र राज्य में एक बार फिर 6 कपास उत्पादकों ने बेमौसमी वर्षा के कारण उनकी फसलों की हुए भारी नुकसान और विभिन्न वित्तीय संस्थानों और ऋण-दाताओं से लिए गए उधार को न दे पाने के कारण आत्महत्या कर ली। यह स्थिति पिछले वर्ष भी उत्पन्न हुई थी। लेकिन सरकार ने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये उनको क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत कम धनराशि दी जा रही है। ऐसे समय में जबकि किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने 2100 रु. प्रति क्विंटल का बहुत कम खरीद मूल्य घोषित किया है जबकि किसान 2500 रु. प्रति क्विंटल की मांगे कर रहे हैं। ऐसा पता लगा है कि सरकार ने 1995 से खरीद मूल्य में परिवर्तन नहीं किया है। परिणामस्वरूप किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए, वे ऋण नहीं चुका पा रहे हैं इसलिए वे असमर्थ हैं और आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कपास की खरीद मूल्य कम से कम 3000 रु. प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया जाये। मैं केन्द्र सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि प्रत्येक प्रभावित परिवार विशेष सहायता के रूप में 2 लाख रु. दिए जाएं।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में एल.एन.जी. टर्मिनल स्थापित किये जाने की आवश्यकता

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में आन्ध्र प्रदेश में 8000 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस आवश्यकता को शार्ट जेस्टेशन नेफ्थ बेस्ड कमबाइन्ड साइकिल पावर प्लांटों द्वारा पूरा किया जाना हैं भारत सरकार ने पहले 1700 मेगावाट के लिए नेफ्था आबंटित किया था परन्तु इस समय 1500 मेगावाट के लिए नेफ्था की आपूर्ति की जा रही है। यदि पर्याप्त मात्रा में ईंधन आबंटित किया जाये तो राज्य सरकार उपलब्ध व्यवहार्य परियोजना रिपोर्टों के आधार पर 1700 मेगावाट तक की बिजली परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ कर सकती है।

नागार्जुन उर्वरक और रसायन लिमिटेड तथा गैस आधारित अन्य विद्युत परियोजनाओं जैसे स्पैक्ट्रम, जी वी के इन्डस्ट्रीज, जेगस्पाइ और आन्ध्र प्रदेश गैस विद्युत निगम, विखेश्वरम की विस्तारण क्षमता ईंधन आबंटन की आवश्यकता को आसानी से 3000 मेगावाट से अधिक पहुंचा देंगे। नाप्था अति परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों वाली रासायनिक उद्योगों के लिए फीडबैक स्टॉक के रूप में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार विद्युत मूल्यों में कोई स्थायित्व नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल एन जी ही एकमात्र उपलब्ध प्रामाणिक ईंधन है और भारत एल एन जी के मध्य पूर्व मार्ग पर स्थिति है। जो इसका सबसे प्रमुख स्रोत है, और जापान इसका प्रमुख उपभोक्ता है।

चूंकि सभी शार्ट गेस्टेशन और विस्तार परियोजनाएं विशाखापत्तनम और काकीनाडा बन्दरगाहों से पर्याप्त दूरी पर है, इसलिए काकीनाडा में अथवा विशाखापत्तनम में एल एन जी का एक टर्मिनल स्थापित करना उचित होगा। एच पी सी एल इस्पात लिमिटेड और जी यू के इन्डस्ट्रीज जैसे संगठनों ने आन्ध्र तट पर एल एन जी परियोजना स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः यह अनुरोध है कि एल एन जी टर्मिनल स्थापित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश को प्राथमिकता के दृष्टिकोण से देखा जाये।

(छः) महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानीय लोगों के साथ पत्राचार के लिए मराठी भाषा का प्रयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अभय सिंह भोंसले (सतारा) : 27 अप्रैल 1960 के आदेश के पैरा 7(क) के अनुसार भारत सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जनता से क्षेत्रीय भाषा में पत्र व्यवहार करना चाहिए और स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले आवेदन-पत्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 25.3.1968, 18.6.1972, 26.2.1986 और 18.6.1997 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से सभी आवश्यक निदेश जारी किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने भी केन्द्र सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला अधिकारियों को इन निर्देशों को लागू करने के लिए कहा था। लेकिन महाराष्ट्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय इन निदेशों को प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भाषा निदेशक ने बताया है कि वह केन्द्र सरकार कार्यालयों में मुख्य अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते क्योंकि अधिकांश अधिकारी जिलाधिकारी के पद के स्तर से ऊपर के हैं और केवल केन्द्र सरकार ही उन पर नियंत्रण रख सकती है। जनता, एमएलए और एमएल सी महाराष्ट्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में क्षेत्रीय भाषा लागू करने की मांग कर रहे हैं।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे कि स्थानीय लोगों से पत्र-व्यवहार करते समय मराठी भाषा का प्रयोग किया जाए।

(सात) अवाड़ी समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने तथा केरल के लिए ऋण-सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : महोदय, केरल में वाणिज्यिक बैंक राज्य की विकास परियोजनाओं में पूरा सहयोग नहीं

[श्री एस. अजय कुमार]

दे रहे हैं। केरल में ऋण-जमा अनुपात दक्षिण भारत में न्यूनतम है। 1996-98 के दौरान केरल में वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा 20110 करोड़ से बढ़कर 28000 करोड़ रु. हो गया, यद्यपि ऋण-जमा अनुपात 45.7 प्रतिशत से घटकर 43 प्रतिशत हो गया। यह 53 प्रतिशत के औसत राष्ट्रीय ऋण अनुपात की अपेक्षा कम था। वाणिज्यिक बैंकों के इस पूर्ण उपेक्षापूर्ण रवैये से लोक अभियान प्रभावित हुआ है। ये बैंक जान-बूझकर राज्य सरकार के इस तीव्र आर्थिक परिवर्तन की जान-बूझकर उपेक्षा करते हैं।

अवाड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने सिफारिश किया था कि 1996-98 के दौरान केरल का ऋण-जमा अनुपात 52.8 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए। ये बैंक बहुत बड़े स्तर पर धन इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग राज्य की परियोजनाओं से अलग अन्य मामले में किया जाता है।

मैं इस नीति पर कड़ी आलोचना कर रहा हूं क्योंकि इन सभी बैंकों का नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अवाड़ी समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाएं और केरल को दी जाने वाली अधिक ऋण सुविधाओं की मात्रा में वृद्धि की जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में प्रस्तावित ऊंचाहार विद्युत परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में खागा विधानसभा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ऊंचाहार परियोजना से संबंधित 132 के.वी. का एक विद्युत उपकेन्द्र बनाया जाना है। इस हेतु जमीन का अधिग्रहण भी किया जा चुका है और यह भी सत्य है कि इस योजना पर कुछ कार्य भी हुआ है परन्तु उक्त योजना अभी तक अधूरी ही पड़ी हुई है जिससे इस योजना पर किये गये कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वस्तुतः अभी तक इस योजना पर जो धनराशि व्यय की गई है, जब तक यह विद्युत उपकेन्द्र पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक इस पर व्यय की गई धनराशि व्यर्थ ही समझी जायेगी।

मेरी सरकार से मांग है कि खागा में अधूरे पड़े विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण जनहित में शीघ्र पूरा कराया जाये और यदि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो आवश्यक निदेश शीघ्र जारी किये जायें ताकि इसके अभाव में स्थानीय नागरिकों को जिन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे इन्हें राहत मिल सके।

(नौ) *तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में रानीपेट रेलवे स्टेशन को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : महोदय, तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में रानीपेट एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। यह एक औद्योगिक स्थल भी है। इस नगर में चर्म शोधनशालायें और अन्य कारखाने भी हैं। इस नगर और इसके आसपास के गांवों की जनसंख्या छह लाख से अधिक है। पिछले सौ वर्षों से रानीपेट नगर में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ग्रामवासी, व्यवसायी, विद्यार्थी और उद्योगपति रानीपेट से चेन्नई जाने वाली गाड़ी में ही यात्रा करते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना पुराना रेलवे स्टेशन अब बन्द पड़ा है। इससे जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि 6 लाख लोगों की सुविधा के लिये रानीपेट रेलवे स्टेशन को पुनः चालू करें और साथ ही अधिकारियों को यह निर्देश भी दें कि इस लाइन पर बालाजाह रोड स्टेशन से चेन्नई को जोड कर, गाड़िया शुरू करें।

(दस) हरियाणा में छोटी नदियों के जल प्रबन्धन हेतु एक योजना तैयार किए जाने की आवयश्कता

[हिन्दी]

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, एक ओर सरकार देश में कृषि विकास के लिये अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन करने के प्रयास में जुटी है दूसरी ओर देश की कृषि भूमि जल-प्रबंधन में हो रही लापरवाही के कारण दलदली और खारी होती जा रही है। अभी देश में दलदल और मिट्टी के खारी होने की समस्या विकराल होती जा रही है। पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी-छोटी नदियां वर्षा के समय भारी मात्रा में पानी अपने साथ बहाती हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति को प्रभावित करने के साथ-साथ खड़ी फसलों को भी बहाकर ले जाती हैं। जल जो जीवन माना जाता है वह आज विनाश का कारण बनता जा रहा है। घग्घर नदी हरियाणा और विशेषकर मेरे जिले सिरसा के लिये तो अभिशाप बनी हुई है। फतेहबाद का गोरखपुर गांव की 11500 एकड़ भूमि इसकी चपेट में आ गई है और वहां का किसान भुखमरी के कगार पर आकर खड़ा हो चुका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों के जल की प्रबंध व्यवस्था को सुधारू करने के लिए योजना क्रियान्वित करें। साथ ही कृषि भूमि पर दलदल, खारीपन के प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाई पास के निर्माण की आवश्यकता

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : सभापति महोदय, पेशावर से

कलकत्ता की ओर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, जो शेरसाह सूरी द्वारा निर्मित की गई है, की हालत वर्तमान समय में अत्यंत दयनीय है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से मेरा संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ मात्र 130 किलोमीटर दूर है। रोड की खस्ताहालत के कारण बस से 6 घंटे का समय लग जाता है। इस रोड़ पर ट्रैफिक इतना अधिक जाम रहता है कि हर समय आम नागरिकों को आने-जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह इस मार्ग पर कोई बाई पास का न होना है।

अतः मेरा आप से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर दादरी, खुर्जा, सिकन्दाराबाद एवं अलीगढ़ में आम जनता के आवागमन की सुविधा के लिये इन सभी जगहों पर बाई-पास बनाया जाये जिससे इस राजमार्ग की दयनीय हालत अच्छी हो सके तथा यहां पर आवागमन की सुविधा सुलभ हो सके।

अपराह्न 2.56 बजे

[अनुवाद]

रेल दावा अधिकरण (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 13 पर विचार करेगी। माननीय रेल मंत्री।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह विधेयक बहुत सीमित उद्देश्य के लिए लाया गया है। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतनमान से संबंधित यह विधेयक है। पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के लिए भी इसका नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन चूंकि इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सके, इसलिए उनका जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ, उस दिन से पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान लागू किये जा सके। अब इसमें एकमात्र समस्या यही है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसमें इस तरह की व्यवस्था है। इस विधेयक का सीमित उद्देश्य यही है कि इसमें सरकार को जो रूल बनाने का अधिकार है, उसमें भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू करने का अधिकार लेना चाहते हैं ताकि उनको भी ये सब लाभ 1.1.96 से मिल सकें। यही इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : श्री पी.सी. चाक्को।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : सभापति महोदय, मुझे रेल दावा अधिकरण (संशोधन) विधेयक के संबंध में कुछ कहना है।

सभापति महोदय : मैंने श्री पी.सी. चाक्को को बोलने के लिए कहा है।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) : सभापति महोदय, शायद यह सबसे गैर-विवादास्पद विधेयक है। मुझे खुशी है कि मुझे अपने माननीय मित्र, श्री नीतिश कुमार का समर्थन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर अभी तक मुझे उनका और श्री राम नाईक का समर्थन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। क्योंकि जब अच्छे लोग बुरी संगति में होते हैं तो, दुर्भाग्यवश, हम उनका समर्थन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस तरह का विधेयक आया है तो मैं खुशी से उनका समर्थन कर रहा हूं।

इस विधेयक से रेल दावा अधिकरण पूर्व तिथि से संशोधित वेतनमान लागू करने में सक्षम हो सकेगा। यह संभवतः 1987 में विधेयक प्रस्तुत करते समय गलती से छूट गया था और इसलिये पूर्व तिथि से संशोधित वेतनमान को लागू करने का प्रावधान अधिनियम में नहीं था।

परन्तु, महोदय, यह पुनरावलोकन करने और यह देखने का भी अवसर है कि क्या रेल दावा अधिकरण उतनी ही कुशलता से कार्य कर रहा है जितना कि इसे करना चाहिए हालांकि मंत्री महोदय संभवतः जिस परिस्थिति में वह कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार भारतीय रेलवे में दुर्भाग्यवश प्रति दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में बोले थे और इसीलिये वह शब्दों को तोल कर बोल रहे थे और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहते थे। अन्यथा एक मुंहफट मंत्री आज बहुत कम बोले। मैं मंत्री और राज्य मंत्री की मनोदशा को समझ सकता हूं क्योंकि भारतीय रेल इस समय संकट की घड़ी और अपने जीवन के बहुत बुरे चरण से गुजर रहा है। क्योंकि रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही है। रेल दावा अधिकरण का कार्य कई गुणा बढ़ जायेगा। भारतीय रेल के लिये आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिये कार्यक्रमों और ठोस उपायों के अभाव में रेलवे बिल्कुल निःसहाय प्रतीत हो रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

दावा अधिकरण के पास बहुत से मुद्दे हैं, रेल दुर्घटनाओं और इस संगठन के वृहत आकार के कारण इसके समक्ष और भी दावे आने

[श्री पी.सी. चाक्को]

की सम्भावना है। बहुत से कारणों से आने वाले विभिन्न दावों के कारण रेलवे की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और इसीलिये संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के निर्वहन के लिये रेल दावा अधिकरण का गठन किया गया था।

मेरी यह राय है कि यदि रेल दावा अधिकरण जिसका गठन संसद के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है रेल प्रशासन की संतुष्टि के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है। जो जनसाधारण के प्रति इसका दायित्व है, तो सभा में ऐसे विधान पर चर्चा करते समय हमें इसका पुनरावलोकन करने, विश्लेषण करने और यह देखने का अवसर मिलता है कि क्या ऐसे अधिकरण वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

महोदय, यहां स्थिति कुछ ऐसी है। हालांकि विभिन्न स्थानों पर इसकी खण्डपीठों का प्रावधान है इनके क्षेत्राधिकार भी बांटे जा सकते हैं; विभिन्न खण्डपीठों में कार्य भी बांटा जा सकता है और इसमें शीघ्र निर्णय लेने हेतु प्रावधान भी है, फिर भी रेल दावा अधिकरण के पास बड़ी संख्या में दावे लम्बित पड़े हैं। मूल अधिनियम के एक उपबन्ध में यह कहा गया है कि दावा अधिकरण प्रत्येक आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा और साधारणतया प्रत्येक आवेदन-पत्र पर निर्णय दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर लिया जाएगा। इससे पता चलता है कि यह अधिनियम और इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दावों के मामलों का यथाशीघ्र निपटारा करना है।

परन्तु हमें वर्तमान स्थिति और दावा अधिकरण के वर्तमान कार्यकरण का विश्लेषण करना होगा। मैं कोई उद्देश्य नहीं थोप रहा हूं। न ही मैं वर्तमान दावा अधिकरण गठित करने वालों और इस अधिकरण के अध्यक्ष को दोषी ठहरा रहा हूं। लेकिन सच यह है कि यह संगठन अथवा इस अधिकरण का ढांचा आशानुरूप नहीं है। क्योंकि बड़ी संख्या में दावे वर्षों से लम्बित पड़े हैं। रेल दावा अधिकरण जैसे अधिकरण से यह उम्मीद की जाती है कि वह दावों का समयबद्ध निपटान करेगा। संसद ने वर्ष 1987 में प्रस्ताव पारित किया था। इसे पारित किए अब 12 वर्ष से अधिक हो गए हैं। यद्यपि यह संशोधन विधेयक एक भिन्न प्रयोजन हेतु लाया गया है फिर भी हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से इसके कार्यकरण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। हमें इसका विश्लेषण करना होगा कि इस अधिकरण के कार्यकरण को अधिक प्रभावी और कार्यकुशल बनाने हेतु किन उपचारी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, भारतीय रेल वास्तव में भारत देश का निरूपक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक वृहत राष्ट्रीय संगठन है। यात्रियों के अनेक प्रकार के दावे होते हैं जो दुर्घटनाओं और विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। दावा अधिकरण को निर्णय लेने में बहुत अधिक निपुण और समयबद्ध होना चाहिए अन्यथा यह अधिकरण स्वयं ही संसद की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा।

महोदय, अधिनियम में अनेक उपबंध हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चेयरमैन की शक्तियां, वाइस-चेयरमेन की शक्तियां न्यायिक सदस्यों की शक्तियां और तकनीकी सदस्यों की शक्तियां शामिल हैं। संसद ने काफी सोच-विचारकर कानून बनाकर उन्हें ये शक्तियां प्रदान की हैं। शक्तियों की कोई कमी नहीं है। इसे एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं और किसी भी अपीलीय निकाय के पास जाए बिना निर्णय लिए जा सकते हैं। अतः वे निर्णय लेने और निर्णय लागू करने हेतु आत्मनिर्भर होते हैं। किंतु सच यह है कि पांच, छह और सात वर्षों के बाद भी काफी मामले अभी भी अधिकरण के पास लंबित हैं। मैं यह नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने इस विवादास्पद प्रश्न पर ध्यान दिया है या नहीं। यहां तक कि वे लोग जो अपने वैध दावों हेतु अधिकरण में जाते हैं, उनका भी यह एक पूर्वानुमित निष्कर्ष है कि उनके मामलों पर निर्णय होने में कम से कम चार से पांच वर्ष लगेंगे।

महोदय, संभवतः आम आदमी को इसी की चिंता है, भारतीय रेल उपयोगकर्ताओं को यही बात परेशान किए हुए है। यह आवश्यक है कि अधिकरण को सुविधाएं और भूतलक्षी प्रभाव से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रदान की जाएं किंतु साथ ही माननीय रेल मंत्री का यह फर्ज है कि वे देखें कि यह अधिकरण अधिक प्रभावशाली ढंग और कुशलता से काम करे। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं।

महोदय, मेरा निर्वाचन-क्षेत्र भारत की राजधानी से बहुत दूर है।

विगत में रह चुके रेल मंत्री केरल के लोगों की समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते रहे हैं चाहे वे समस्याएं रेलवे के विकास या नई रेल लाइनें ओर रेल गाड़ियां उपलब्ध कराने से संबंधित हों। तथापि, ऐसा लगता है कि चूंकि केरल एक सुदूर स्थित राज्य है, वहां के लोगों की लगातार मांग और विनती की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली में बैठे लोगों के लिए हमारी बात सुनना कठिन है। ऐसा लगता है कि यद्यपि वे भरसक प्रयास कर रहे हैं किंतु अभी भी हमारे दुख-दर्द की बात सुनी नहीं जा रही है। अधिकरण में भी हम ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं।

महोदय, सभा को यह जानने का अधिकार है कि कितनी खंडपीठ कार्यरत हैं, और क्या खंडपीठ रेल दावा अधिकरण के समक्ष आने वाले मामलों को संभालने हेतु पर्याप्त हैं? जबकि सभा कार्य निष्पादन अन्य बातों के आधार पर अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा कर रहा है, निर्णय लागू करके खामियों को दूर कर रहा है, हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न हो रही समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है? मैं सोचता हूं कि इस तंत्र को कई गुणा बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें मामलों को समय सीमा में निपटान करने का प्रावधान होना चाहिए।

न्यायिक सुधार विषय आजकल देश में एक व्यापक चर्चा का विषय है। यह मुद्दा भी उस विषय का ही एक हिस्सा है। 'न्याय में विलंब करना न्याय से वंचित रखना है' एक प्रसिद्ध उक्ति है। किंतु सत्य यह है कि अनेक मामले भिन्न-भिन्न कारणों से रेल दावा

अधिकरण के पास लंबित हैं। वर्षों तक निपटान न होने के कारण मामलों का ढेर लग जाता है। ऐसी स्थिति को पूरी तरह से सुधारा जाना चाहिए। जब मंत्री जी इसकी स्वीकृति की बात करते हैं तो सभा को भी उनसे इस आशय का एक आश्वासन लेने का अधिकार है।

चार वर्ष पहले, क्विलोन के पास एक भीषण दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने हेतु एक जांच आयोग गठित किया गया था। आयोग अधिकारिक रूप से एक बहुत विचित्र निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना एक तूफान के कारण हुई थी। यह बहुत ही दिलचस्प निष्कर्ष था जिसकी विशेषज्ञों ने खिल्ली उड़ाई थी। आज भी, प्रतिदिन जब हम सुबह उत्सुकता से अखबार देखते हैं, तो यह कामना करते हैं कि आज ऐसा कुछ न हो। किंतु आज रेल दुर्घटना एक आम बात हो गई है। इसके लिए मैं सरकार या मंत्री को दोषी नहीं मान रहा हूं। सरकार अधिकरणों को सुविधाएं प्रदान कर रही है और हमें इसकी प्रसन्नता है। अधिकरणों को अपना काम करना चाहिए। किंतु स्थिति उन लोगों के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है वे एहतियाती कदम कहां हैं जिनकी वहां होने की उम्मीद की जाती है। इस क्षेत्र में कोई अनुसंधान नहीं हो रहा है। काफी संख्या में बिना चौकसी वाले रेल फाटक हैं। हमारा चल स्टॉक भी लगभग पुराना हो गया है। लोगों की जान बहुत जोखिम में हैं। रेल से यात्रा करना बहुत जोखिम भरा हो गया है क्योंकि चल स्टॉक उचित रूप से सेवा नहीं कर रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रोजमर्रा का काम नहीं किया जा रहा है। किंतु सच्चाई यह है कि हर समय प्रत्येक कोने में खतरा छिपा हुआ है।

रेलवे, जो देश में सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है, एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां लोगों की जान बहुत जोखिम में है। ऐसी स्थिति को संभाला जाना चाहिए। ऐसी स्थिति के परिणामों को अधिकरणों द्वारा संभाला जा रहा है। अतः अधिकरण को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। साथ ही, हमारा इरादा यह नहीं है कि अधिकरणों को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए। अधिकरणों में यथासंभव कम काम होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। इसकी प्राप्ति हेतु रेलवे प्रणाली की कार्यकुशलता, रेलवे प्रणाली संबंधी सुरक्षा के उपाय आदि बहुत महत्वपूर्ण पूर्वशर्तें हैं। अन्यथा, जब भी हम ऐसे एक विधान पर चर्चा करेंगे तो हमें देश के सभी ताल्लुकों में खंडपीठ नियुक्त करनी होंगी। चाहे 500 पीठ स्थापित कर दी जाएं। आज रेल के पास पड़े दावों का निपटान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है चीजें हमारे हाथों से बाहर जा रही हैं, हमें इस मूल प्रश्न पर अपना ध्यान लगाना होगा। यह सभा इस प्रश्न पर रेल मंत्री से एक संतोषजनक उत्तर की आशा करती है।

रेल दावा अधिकरण न्यायिक स्वरूप के हैं। अतः इसमें न्यायिक पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति होती है। अधिकरण के तकनीकी सदस्यों के लिए ये अर्हताएं नियत हैं कि वे व्यक्ति तीन वर्ष से सेवा में हों और संयुक्त सचिव के बराबर का वेतन ले रहे हों। यही बाद में वाइस-चेयरमेन के पद हेतु अर्हता बन जाती है। इसके बाद, वाइस-चेयरमेन एक चेयरमेन के रूप में कार्य कर सकता है। इस तरह की स्थिति हेराफेरी को बढ़ाती है।

इसलिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इस देश में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं किंतु उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसा कोई अधिनियम , जो हमें उपलब्ध हो, उसका कार्यान्वयन बहुत जरूरी है। यहां रेल मंत्री और रेल मंत्रालय दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकरण गठन का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। यह एक बड़ी खामी है। सुविधा के बारे में मैं, सरकार को इस अधिकरण के पास आई शिकायतों के समयबद्ध कार्यान्वयन या समयबद्ध निर्णय समय पर निपटान करने का निर्णय करना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब भारत की रेलवे लाइनें खून से भीगी हुई हैं, हम रोज दुर्घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं, रेल-यात्रा काफी जोखिम भरी हो गई है और देश की आज की स्थिति को देखते हुए, संभवतया, हमें अपना ध्यान और मुस्तैदी से काम करने की ओर देना होगा। सभा के समक्ष मात्र विधान लाने और यह कहना कि यह विधान बहुत सरल है और इसलिए 'आप इसे पारित कर दो' ही काफी नहीं होगा। ठीक है, हमें इस विधेयक को मंजूरी देने और इसका समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु ऐसी अनेक बातें हैं जिसकी ओर सरकार तथा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया जाना है।

ये कुछ सुझाव हैं जिन्हें मैं माननीय रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहूंगा। इन आग्रहों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासौर) : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलते समय श्री पी.सी. चाक्को की माननीय रेल मंत्री और माननीय रेल राज्य मंत्री के संबंध में की गई यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी याद आती है कि वे बुरी संगत में अच्छे लोग हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. चाक्को : मैं उनका समर्थन कर रहा था।

श्री खारबेल स्वाईं : हां महोदय, वे श्री वाजपेयी की बुरी संगत में अच्छे लोग हैं, वे एल.के. आडवाणी की बुरी संगत में अच्छे लोग हैं क्योंकि वे बहुत बुरे लोग हैं। वे उनकी बुरी संगत में हैं और श्री पी.सी. चाक्को पी.वी. नरसिम्हा राव और 18 भूतपूर्व मंत्रियों, जो अब प्रतिदिन न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं, की बहुत अच्छी संगत में हैं। वे उनकी बहुत अच्छी संगत में हैं। प्याज ने पूर्व कांग्रेस सरकार के सभी पापों को धो दिया है...*(व्यवधान)*

अब, मैं विषय पर आता हूं। महोदय, मैं इस रेल दावा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं। मैं इस संबंध में विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि श्री पी.सी. चाक्को ने इस विधेयक के उपबन्धों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को पूर्व प्रभाव से नियम-कानून बनाने सम्बन्धी शक्तियां प्रदान करना है। मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं क्योंकि माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं। 1.1.1996 से रेलवे दावा अधिकरण के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को संशोधित वेतनमान मिलेंगे। 12 वर्ष पूर्व रेल दावा प्राधिकरण अस्तित्व में आया जिसके चेयरमेन एक सेवानिवृत्त

[श्री खारबेल स्वाई]

न्यायाधीश रखे गए थे। अब भी इसके चेयरमेन सेवानिवृत न्यायाधीश ही होते हैं। विशेषज्ञ, सामान्यतः एक रेल वित्त सेवा से और एक रेल यातायात सेवा से इसके सदस्य होते हैं। ऐसा आयकर दावा अधिकरण की पद्धति पर किया गया है।

इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों को भी वेतन और भत्ते पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही मिलते हैं। परन्तु रेल दावा अधिकरण के सदस्यों को अभी तक ये नहीं मिले हैं और केवल इस संशोधन विधेयक के द्वारा ही उन्हें ये मिल पाएंगे।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस रेल दावा अधिकरण के पास दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति क्षतिपूर्ति के संबंध में है। उन्हें माल यात्रा के दौरान वस्तुओं पार्सलों इत्यादि की होने वाली क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति देने का अधिकार दिया गया था। बाद में उन्हें एक अन्य उत्तरदायित्व भी दिया गया जो दुर्घटना-क्षतिपूर्ति के संबंध में था।

यह देखने में आया था कि पहले लोग क्षतिपूर्ति हेतु रेलवे के सी सी एस और न्यायालय में जाते थे। यदि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती थी अथवा कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता था, तो मृत व्यक्ति के संबंधी तथा घायल होने की अवस्था में स्वयं को न्यायालय में जाना होता था और न्यायालय ऐसे विवादों को निपटाने में काफी लंबा समय लेते थे। यह महसूस किया गया कि इन दावों को केवल दावा अधिकरणों के माध्यम से ही शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सकता है। इन अधिकरणों की स्थापना के पीछे यह अवधारणा थी। संपूर्ण भारत में 21 अधिकरण है। कलकत्ता और दिल्ली जैसे स्थानों पर एक से अधिक दावा अधिकरण हैं और भुवनेश्वर जैसे अन्य सभी स्थानों पर केवल एक-एक अधिकरण हैं।

पहले क्षतिपूर्ति की अधिकरण धनराशि 2 लाख रुपये थी; अब इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। मैं श्री पी.सी. चाक्को की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि विवादों के शीघ्र निपटान की अवधारणा पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके लिए मैं रेल दावा अधिकरणों को दोष नहीं देता क्योंकि हमारे देश की न्यायिक प्रणाली में ही किसी मामले की शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। श्री चाक्को ने न्यायिक सुधारों का जिक्र किया है। मैं उनके इस तर्क से भी सहमत हूं कि न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। मैं अधिकरणों को इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकरणों के लिए किसी मामले की शीघ्र सुनवाई संभव नहीं है। बहरहाल, यह पूर्व में विद्यमान तदर्थ रेलवे सुरक्षा आयोग जो मामलों के निपटारे में काफी समय लेता था, से अच्छी व्यवस्था है।

मैं श्री चाक्को से पूर्णतया सहमत हूं और माननीय रेल मंत्री से विवादों के समयबद्ध निपटान हेतु अपील करता हूं। उन्हें एक तिथि निर्धारित करनी चाहिए, जैसे प्रत्येक मामले को दो या तीन माह में निपटा लिया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा कर सकते हैं तो वह अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर कार्य कर पायेंगे और उन लोगों को जल्द न्याय दिलवा पायेंगे जो दुर्घटना पीड़ित हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से यह अपील करता हूं कि वे इस बारे में सोचें और प्रत्येक मामले के निपटारे हेतु एक समयावधि निर्धारित करें।

मेरा अगला सुझाव यह है, जैसा कि श्री चाक्को ने कहा है कि दावे संबंधी मामले दिन प्रति दिन बड़ी संख्या में एकत्र होते जा रहे हैं, तो अधिकरणों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। यदि हमारे पास दिल्ली में दो और कलकत्ता में दो अधिकरण हो सकते हैं तो अन्य स्थानों पर भी हमारे पास दो अधिकरण क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आखिरकार, हमें लोगों को शीघ्र न्याय देना है। यदि हमें शीघ्र न्याय देना हैं, तो हमें अधिकरणों की संख्या में वृद्धि करने जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। माननीय रेल मंत्री से मेरी यह अपील है।

मेरे पास दो मुद्दे और हैं। दो पहलू हैं जो रेल दावा अधिकरण के अन्तर्गत आते हैं। एक रेल सुरक्षा और दूसरा रेल संरक्षा से संबंधित है। हम रेल सुरक्षा के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। अतः मैं इसके संबंध में विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस विषय के संबंध में बहुत संक्षिप्त में, एक मिनट बोलूंगा। एक मुख्य पहलू जो हमने पिछले पांच या छह वर्षों में देखा है वह यह है कि रेल सुरक्षा के संबंध में रेलवे का निवेश प्रस्ताव डगमगा गया है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि रेल-पथ नवीकरण की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। रेल-पथ के रख-रखाव और यातायात संबंधी सुरक्षात्मक उपायों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में, भारत में रेलवे पर बढ़ते भार और यात्री गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की तुलना में मेरे विचार से दुर्घटनाओं को संख्या अधिक नहीं है लेकिन कोई भी दुर्घटना क्यों हो? क्या हम उन पर पूर्णतया रोक नहीं लगा सकते? एक भी व्यक्ति के जीवन की क्षति, एक भी डिब्बे या कोच की क्षति राष्ट्र की क्षति है।

यदि हम इसको रोक सकते हैं तो बेहतर होगा और इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करता हूं कि वे धन को अन्य अलाभकारी क्षेत्रों, जैसे आमान परिवर्तन आदि, में निवेश न करें। मेरे विचार से उस परियोजना को बिना सोचे-समझे शुरू किया गया था। मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करता हूं कि वे यह देखें कि आमान परिवर्तन हेतु कितनी राशि का अनुमान था; इस पर कितने यातायात का अनुमान था और अब इस पर वास्तव में कितना यातायात हो रहा है? क्या वास्तव में इसमें कोई वृद्धि हुई है? मैं आपको बता सकता हूं कि कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसके लाइन पर माल ढुलाई में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। हमें व्यय की गयी राशि की तुलना इस लाइन से प्राप्त आय से करनी है।

अतः, मैं उनसे अपील करता हूं कि अनावश्यक रूप से धनराशि अलाभकारी क्षेत्रों में न लगायें लेकिन मैं यह कहूंगा कि धनराशि का निवेश रेलवे सुरक्षा, आग्जिलरी वार्निंग सिस्टम, सक्रिटिंग, फ्लाई ओवरों के निर्माण, गार्ड और चालक के मध्य, चालक तथा निकटतम स्टेशन मास्टर के मध्य, चालक और नियंत्रण कक्ष के मध्य तथा एक चालक से दूसरे चालक के मध्य संचार-प्रणाली के विकास हेतु किया जाए। इस प्रणाली का विकास करना होगा। यदि हम सुरक्षा तत्व का समावेश करना चाहते हैं तो हमें यह प्रणाली शुरू करनी होगी। हमें

रेलपथों के यांत्रिक रख-रखाव को अपनाना होगा क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हाथों से हम रेल-पथों का रख-रखाव नहीं कर सकते। जब तक हम यांत्रिकृत रेल-पथ नवीकरण को नहीं अपनाते, तब तक हम रेल-दुर्घटनाओं की समस्या को हल नहीं कर सकते।

अंततः जब हम संरक्षा की बात करते हैं तो मैं पूछता हूं कि रेलवे सुरक्षा बल इतना लाचार क्यों है, रेलवे यात्रा के दौरान गुम हुई और चुराई गई वस्तुओं की क्षतिपूर्ति के रूप में इतनी धनराशि व्यय क्यों करें? स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के पश्चात् रेलवे द्वारा कुल माल ढुलाई का 89 प्रतिशत भाग ढुलाई किया जाता था; अब यह भाग घटकर 40 प्रतिशत रह गया है। अब, माल-यातायात के क्षेत्र में रेलवे का मुकाबला सड़क यातायात के साथ हो रहा है।

आप देखेंगे कि गुजरात से असम और कश्मीर से कन्याकुमारी तक छह लेन वाले एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण के बाद रेलवे द्वारा चलाए जा रहे माल-यातायात में और कमी आएगी। जब तक छोटी चोरियां नहीं रोकी जाती हैं, जब तक रेलवे एक वाणिज्यिक विचार का विकास नहीं करता है और जब तक रेलवे अपने यार्ड प्रबंधन का विकास नहीं करता है, तब तक माल-यातायात को सुधारा नहीं जा सकता है। जब हम कुछ माल सड़क मार्ग से भेजते हैं तो यह तीन दिन में गन्तव्य स्थान तक पहुंच सकता है; किंतु जब हम माल को रेल से भेजते हैं तो इसमें कई बार सात दिन, कई बार आठ दिन, कई बार पन्द्रह दिन लग जाते हैं। और कई बार तो माल बिल्कुल ही गुम हो जाता है। इसलिए रेल मार्ग का रख-रखाव उस क्षतिपूर्ति को कम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी अदायगी हम रेल दावा अधिकरण के माध्यम से कर रहे हैं।

अंत में, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि रेलवे पुलिस बल रेल माल की चोरी करने वाली पार्टी न बने जैसा कि हो रहा है।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

विधेयक का समर्थन करते समय मैं कतिपय टिप्पणियां करना चाहूंगा। विधेयक को संशोधित करने की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि रेल दावा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतनों और भत्तों में भूतलक्षी प्रभाव से वृद्धि की जानी है। ऐसा भूतलक्षी प्रभाव पदधारियों की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

चूंकि माल की कीमतें आसमान छू रही हैं अतः स्टॉफ के वेतनों और भत्तों में वृद्धि निश्चित रूप से न्यायसंगत है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

दूसरा विचारणीय विषय कार्य कुशलता है। यदि हम चाहते हैं कि पदधारी कार्यकुशल बनें तो उनके पारिश्रमिक को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन अथवा प्रबंध कार्यों में ही कुशलता नहीं प्राप्त की है बल्कि कदाचार को करने में भी कुशल हैं। युवा रेल अधिकारियों में इस प्रकार की गपशप होती रहती है कि अधिकरण के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है। ऐसी गपशप रेलयात्रियों के बीच भी चल रही है। मैं सोचता हूं कि इस संबंध में अधिकरण के उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे पास रेल दावा अधिकरण के उच्च वर्ग के लोगों और असामाजिक तत्वों के बीच विद्यमान संबंधों के बारे में विशेष सूचना है। वास्तविक समस्या यह है कि उपयोगकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है जबकि कदाचार करने वाले लोग अधिक पारिश्रमिक पा रहे हैं। यदि हम रेल यातायात की सड़क यातायात से तुलना करें तो पाएंगे कि दिन-प्रतिदिन और मास-दर-मास सड़क यातायात में भारी मात्रा में वृद्धि हो रही है। इस अनुपात में रेल यातायात में वृद्धि नहीं हुई है। यह इस सच्चाई का द्योतक है कि जो लोग अपना माल रेल से भेजना चाहते हैं, उनका रेलवे में विश्वास कम हो रहा है।

महोदय, उच्चाधिकारियों के वेतनों और भत्तों के संबंध में, मैं समझता हूं कि भारी असमानताएं हैं। जिस दर पर अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों को बढ़ाया गया है वह निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की तुलना में असंगत है। मैं रेलमंत्री से अपील करता हूं कि वे यह देखें कि ऐसी विसंगतियां हटा दी जाएं। इस संबंध में, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि घायल और दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को दिया गया मुआवजा बहुत कम है।

आज की आवश्यकता की तुलना में, विशेष रूप से मूल्यवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में, हम सोचते हैं कि गंभीर रूप से घायल लोगों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। मृत्यु या जानमाल की हानि के लिए देय मुआवजा को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए समय की मांग को देखने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। उच्च वर्गों के वेतनों और भत्तों में वृद्धि की दर प्रदर्शित...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति महोदय जी, यह जो बार-बार हरिजन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यह असंवैधानिक शब्द है और पार्लियामेंट में कई बार इस पर बहस हुई है। यह प्रस्ताव पास किया गया है। कानूनी तौर पर यह फैसला लिया गया था कि पार्लियामेंट में हरिजन शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है।

सभापति महोदय : आप बैठिए प्रोसिडिंग देखकर यदि शब्द असंसदीय है तो इस शब्द को निकाल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : मैंने 'हरिजन' शब्द का उल्लेख नहीं किया है ...*(व्यवधान)* मैंने केवल 'कम्पेरिजन' शब्द का प्रयोग किया है। मैंने किसी जाति या 'हरिजन' शब्द का उल्लेख नहीं किया है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आप कम्पेरिजन को एससी, एसटी कह कर बोल सकते हैं।...*(व्यवधान)* इससे पहले इन्होंने हरिजन शब्द एक-दो बार इस्तेमाल किया है।

सभापति महोदय : अगर यह शब्द बोला है तो इसे निकाल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : क्या 'हरिजन' शब्द असंसदीय है?...*(व्यवधान)*

श्री सुधीर गिरि : मैंने 'हरिजन' शब्द नहीं बोला है। इसका कोई उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इस मामले में मत पड़िए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : इसमें गलत क्या है?

[हिन्दी]

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : महोदय, मैं इतना समझती हूं। इन्होंने शुरू में हरिजन शब्द इस्तेमाल किया है और बाद में कम्पेरिजन की बात कही है। इसलिए इस शब्द को कार्यवाही से निकालना चाहिए।

सभापति महोदय : मायावती जी, इस शब्द को प्रोसिडिंग देखने के बाद यदि आवश्यक हुआ निकालने के लिए बोल दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, मायावती जी द्वारा 'कम्पेरिजन' शब्द 'हरिजन' के रूप में सुना जा रहा है। यह एक अलग मामला है। चूंकि सभापति ने अपना विनिर्णय दे दिया है अतः श्री प्रेमचन्द्रन ने जो कुछ कहा है वह प्रासंगिक हो जाता है। मायावती जी ने यह मुद्दा उठाया है कि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सभापति जी ने कहा है कि शब्द को रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा जिसका अर्थ है कि यह शब्द असंसदीय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह शब्द असंसदीय है या नहीं। अन्यथा, भविष्य में चर्चा के दौरान इससे बहुत बड़ी समस्या होगी। उन्होंने यह मुद्दा उठाया है और एक बहुत उपयुक्त प्रश्न पूछा है कि क्या 'हरिजन' शब्द असंसदीय है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने 'हरिजन' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : मैंने असंवैधानिक बोला है।...*(व्यवधान)* इन्होंने बाद में कम्पेरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है।...*(व्यवधान)* जो ट्रांसलेशन हो रही है मैं उसको सुन रही हूं।

सभापति महोदय : आप इस पर विवाद मत करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया विवाद मत कहिए।

श्री पी. सी. चाक्को : मूल प्रश्न यह है कि क्या इसे प्रयोग किया जाए या नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : 'हरिजन' शब्द को प्रयोग करने में क्या आपत्ति है? महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग किया था।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के आधार पर यह पार्लियामेंट नहीं चल रही है, संविधान के मुताबिक चल रही है। भारतीय संविधान में कहीं भी एस.सी., एस.टी. के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैंने संवैधानिक बात की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, इसका पहले जो भी अर्थ रहा हो, अध्यक्ष महोदय ने हाल ही में यह व्यवस्था दी थी कि माननीय सदस्यों को हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बात पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त में है...*(व्यवधान)*।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, इस देश के माननीय लोगों और नेताओं का इस तरह विवाद और उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यह हरिजन शब्द से भी ज्यादा आपत्तिजनक बात है।

सभापति महोदय : श्री चाक्को जी, कृपया इस विवाद में मत उलझिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, हमारा एक ही आग्रह है कि वहां से जो माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कम्पैरीजन शब्द का प्रयोग किया। बात वहीं खत्म हो जानी चाहिये। अब इस मुद्दे पर चर्चा इस अमेंडमेंट के बाद हो। मेरा कहने का मतलब है कि पहले यह बिल पास कर लिया जाये, फिर उस पर चर्चा कर लें।

सभापति महोदय : मैंने भी यही कहा।

श्री नीतीश कुमार : एक तो सुनने में गलती हो गई और उसके बाद इसे डिबेट का रूप दे रहे हैं। आप 4 बजे प्राइस राइज पर चर्चा

होगी। यह छोटा सा बिल है, इसे पास कर दिया जाये। इसलिये आग्रह करूंगा कि उस पर अलग से चर्चा कर ली जाये।

कुमारी मायावती : कम्पैरीजन बाद में बोला है और हरिजन पहले बोला है। यदि यह शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है तो बार-बार पार्लियामेंट में क्यों इस्तेमाल होता है?

सभापति महोदय : मायावती जी, आप बैठिये।

श्री नीतीश कुमार : बात यह है कि इस बिल पर चर्चा हो रही है, यह पूरी हो जाये, उसके बाद आप चर्चा कर लें।...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती : *...इसका उल्टा क्या होता है...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप विवाद में न पड़िये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, आप इनसे कहें कि पहले क्षमा मांगें।...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती : हमें अच्छी तरह से सुनाई दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इन्होंने गाली दी है, पहले यह क्षमा मांगें।

सभापति महोदय : अब इस पर कोई बात नहीं होगी। हम रेल बिल पर चर्चा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, हरिजन के नाम पर, क्या आप सब कुछ नष्ट करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इस विषय के संबंध में पहले ही विनिर्णय दे दिया है। हमें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हरिजन शब्द संसदीय हो तो उसका प्रयोग करने में क्या गलती है?

सभापति महोदय : इस पर स्पीकर साहब की रूलिंग हो चुकी है, इसलिये मामले को बार-बार क्यों उठा रहे हैं। सुधीर गिरि जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : सभापति जी, आपकी रूलिंग सबको मान्य है और जो शब्द आपको निकालना है, वह आप निकालें लेकिन शायद इस सबमें मान्यवर सदस्या ने कुछ सदस्यों को...कहा। उसको भी रेकार्ड से निकालना चाहिए, इतना मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : जो भी अनपार्लियामेंटरी वर्ड है, वह रेकार्ड से निकाल दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, राष्ट्रपिता पर दोषारोपण को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए...*(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : मैंने राष्ट्रपिता पर कोई दोषारोपण नहीं किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री सुधीर गिरि, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : समाज के उच्च वर्गों के वेतन और भत्तों में वृद्धि से सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के साथ जोर-जबरदस्ती के समझौते को स्वीकार करने संबंधी रवैया प्रदर्शित होता है क्योंकि समाज में इस प्रकार की विषमता अपने-आप विद्यमान नहीं रह सकती...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मेरा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है।

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरि ने अपनी बात समाप्त नहीं की है, अतः कृपया बैठ जाइये।

श्री पी. सी. थामस : मेरा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन?

श्री पी.सी. थामस : निमय 376 के अधीन। मैं माननीय सभापति महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि किसी सदस्य ने, यदि मैं गलती पर नहीं हूं, इस बात का उल्लख किया है कि महात्मा गांधी 'राष्ट्रपिता' नहीं हैं। यदि ऐसी ही बात है, तो इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इसमें अत्यंत गम्भीर आपत्ति है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने पहले ही यह कहा है।

श्री अकबर अहमद : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने नहीं बोला इनको गलत सुनाई दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस : यदि ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है।

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरि जी क्या आप अपनी बात समाप्त कर चुके हैं?

श्री सुधीर गिरि : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : इनको सुनाई कम देता है। हमको अच्छा सुनाई देता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सुधीर गिरि : संक्षेप में, मैं मंत्री महोदय से यह अपील करता हूं कि तमलुक-बीघा रेल परियोजना को तत्काल पूरा करना अत्यावश्यक है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इस परियोजना को पूरा करने हेतु बार-बार स्मरण कराता आ रहा हूं। यद्यपि मैंने इस अवसर का फायदा उठा लिया है, मैं यह भी अपील करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को तमलुक-बीघा रेल परियोजना को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल दावा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने रेल दावा अधिकरण के बारे में अपने विचार यहां व्यक्त किये हैं। मैं सुझाव के तौर पर कुछ बातें माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन लागू करने की बात उन्होंने कही है और विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने ऐसा ही कहा कि केवल वेतनमान में सुधार की बात है, लेकिन दावे से संबंधित बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात कही है। उससे अपने को संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज चाहे रेलवे के डीरेलमेंट से संबंधित दुर्घटना सवारी गाड़ियों की हो या मालगाड़ियों से संबंधित हो, तमाम ऐसे केसेज ट्रिब्यूनल में लंबित पड़े हैं जिनका निबटारा जल्दी नहीं हो पाता है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी क्लेम ट्रिब्यूनल में लम्बित पड़े हुए हैं उनका समयबद्ध तरीके से जल्दी से निस्तारण हो।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि खासकर सवारी गाड़ियों और माल की ढुलाई से संबंधित क्लेम ज्यादा होते हैं। माल की ढुलाई से संबंधित ज्यादा क्लेम इसलिए होते हैं चूंकि बहुत से सामान समयबद्ध तरीके से नहीं पहुंच पाते या रास्ते में डैमेज हो जाते हैं, उनके क्लेम से संबंधित बहुत से मामले लंबित हैं, उनका निस्तारण जल्दी होना चाहिए।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल के कार्यों का एक सकारात्मक उत्तर आना चाहिए और उसके फैसले भी सकारात्मक होने चाहिए। साथ ही साथ दुर्घटनाओं या माल की डिलीवरी या इस प्रकार के जितने भी मामले हैं, उन पर जल्दी कार्यवाही हो। जिस प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सम्मानित सदस्यों के वेतन के बारे में हम यहां पर संशोधन के माध्यम से पुनर्विचार कर रहे हैं, उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल के तमाम दूसरे कर्मचारियों के वेतन के बारे में भी पुनर्विचार करना चाहिए, उनकी सुख-सुविधाओं के बारे में भी मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल के जो भी अधिकार या कार्य हैं, समय-समय पर उनका भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है। न्यायसंगत दावों का फैसला जल्दी होना चाहिए, इसमें समय न लगे। ट्रिब्यूनल के कार्यों का पुनरीक्षण समय-समय पर होना चाहिए। खंडपीठ के अधिकार और कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए और दावों का फैसला भी जल्दी होना चाहिए, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।

एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वह सवारी गाड़ियों का मामला हो या माल की बोगियों का मामला हो, जहां तक बोगियों के रख-रखाव या सुरक्षा की बात है, वहीं पर संरक्षण की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी बोगियों का रख-रखाव इतना खराब है, उनका मेन्टेनेन्स नहीं हो पाता, जिसके कारण आम यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। आज हम चाहे जिस ट्रेन में भी सफर करें, हमें जो बैडरोल मिलता है वह बहुत गंदा और फटा-पुराना होता है। जब पूछते हैं कि किसका ठेका है, तो पता लगता है कि बिहार के ठेकेदार हैं। यह सौभाग्य है कि भारत सरकार के जितने भी रेल मंत्री हुए हैं, वे बिहार से ही हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि रख-रखाव और रेल से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वे माल की ढुलाई से संबंधित हों या सवारी गाड़ियों से संबंधित हों, बिहार को यह मौका मिला है कि एक ऐसी मिसाल कायम करे कि जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो माननीय मंत्री जी इसमें संशोधन लाये हैं, उसको यहां सर्वसम्मति से पास किया जाए और जो अन्य सुझाव आयें हैं उन पर भी विचार किया जाए।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, चूंकि समय पहले ही समाप्त हो चुका है, अतः मैं आपके घंटी बजाने से पूर्व केवल कुछ मिनट बोलूंगा।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है कि सभा का कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं करेगा। पूरी सभा सर्व सम्मति से इस विधेयक का समर्थन कर रही है। इस छोटे से विधेयक का समर्थन करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। साथ ही, प्रत्येक सदस्य सामूहिक रूप से इस बात का उल्लेख करता रहा है कि लालफीताशाही नहीं होनी चाहिए और दावों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिये। अतः, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि क्या सरकार के पास अधिकरणों को, यदि संभव हो, एक समयावधि निर्धारित करने हेतु स्पष्ट निर्देश देने की शक्तियां अथवा अधिकार हैं? यदि यह विधिक रूप से संभव नहीं है, तो यह समस्त सभा अधिकरणों से अपील करती है कि जब लोग दुर्घटनाओं के शिकार हों तो पीड़ितों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए अथवा ऐसे मामलों में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये और उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान शीघ्र किया जाये।

संक्षेप में, यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। जहां तक वेतन में संशोधन का संबंध है, हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं। जब हम उनका समर्थन करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम दुर्घटना में शिकार व्यक्तियों का समर्थन कर रहे हैं।

अंत में, यद्यपि यह बात अप्रासंगिक है और विषय से संबंधित नहीं है, मैं दोनों रेल मंत्रियों से यह अपील करता हूं कि विशाखापत्तनम-बंगलौर एक्सप्रैस की बारम्बारता को दो दिन से बढ़ाकर सात दिन किया जाए ताकि विशाखापत्तनम में रहने वाले लोग चेन्नई होकर पुट्टाबारथी में साईं बाबा के दर्शन कर सकें।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : यह संशोधन विधेयक एक सार्थक विधेयक है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस दौरान मुझे एक बात कहनी है। आजकल मैं रेल गाड़ियों में यात्रा करने से डरता हूं। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा अंत रेल डिब्बे में ही होगा, गहरी नींद में सोते समय किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे आश्वस्त रह सकता हूं कि मैं अगली सुबह देख पाऊंगा? गहन-रात्रि में सब कुछ हो जाएगा और मेरा भी नामोनिशान मिट जाएगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के पचास वर्ष बाद भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि गाड़ी में यात्रा करते समय आप जिन्दा रहेंगे? आप नहीं कह सकते। यह स्थिति है।

हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेल वे चौबीसों घंटे कार्यरत है। सतर्कता के बिना हम स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय सम्पूर्ण तंत्र अस्त-व्यस्त है। यह साधारण व्यक्ति के आवागमन का एकमात्र साधन है। यदि आप इसे सुव्यवस्थित नहीं रखेंगे तो इससे एक आम निर्धन देशवासी को कठिनाई होगी। अतः मैं माननीय मंत्री से और अधिक सतर्कता बरतने का अनुरोध करता हूं। आपकी गतिविधियों से विनाश हो रहा है। अतः मैं उनको केवल यही सुझाव दे सकता हूं कि वे रेलवे के संचालन में और अधिक सतर्कता बरतें।

रेल दावा अधिकरण का क्या कार्य है? लोग उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण अधिकरणों के पास जाते हैं जहां उन्हें शीघ्र न्याय मिलता है और अधिकरणों द्वारा उन्हें क्षतिपूर्ति राशि भी दी जाती है। परन्तु लोगों को रेल दावा अधिकरण से जीवनभर कोई प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिल सकती। ऐसे भी लोग हैं जो संसार को छोड़ चुके हैं परन्तु उन्हें इन अधिकरण से कोई क्षतिपूर्ति अथवा दावा राशि प्राप्त नहीं हुई है। मान लीजिए कि मैं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन करता हूं। मुझे इस बात का पक्का विश्वास नहीं है कि मुझे अपने जीवन काल में क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी भी या नहीं। क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपको अधिकरण से दावा राशि आपके जीवनकाल में ही मिल जाएगी? यह स्थिति है। कृपया इस मामले को शीघ्र निपटाइये। न्याय में विलम्ब न्यायहनन है। अतः, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठायें ताकि निर्धन व्यक्तियों को दावा राशि मिल सके और शिकायतों का शीघ्र निवारण किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद, मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक सार्थक विधेयक है जिसमें पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते भूतलक्षी प्रभाव से दिए जाने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम में केवल सम्पत्ति और जीवन की हानि और बहुत कुछ अन्य क्षतियां शामिल हैं। यह बताया गया है कि काफी समय पहले पेरूमोन, कोल्लाउर में हुई दुर्घटना में 106 व्यक्ति मारे गए थे। अतः इस दुर्घटना में लोगों के जीवन रक्षार्थ कई लोगों को लगाया गया था। उन्हें कोई उचित पुरस्कार नहीं दिया गया है। अतः मेरा यह सुझाव है कि जो लोग इस बचाव-कार्य में लगे थे, उनको उचित मुआवजा और पुरस्कार दिया जाये। मैं पेरूमोन, कोल्लाउर दुर्घटना सहित ऐसे बहुत से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जहां बचाव और राहत कार्य में लगे बहुत से लोगों को उचित रूप से पुरस्कृत नहीं किया गया अथवा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, यद्यपि बचाव कार्य के समय उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि जब वे रेल दावा अधिकरण विधेयक पर विचार करें तो इस पहलू पर भी विचार करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, चूंकि रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगें आनी हैं और रेलवे की सुरक्षा के ऊपर एक लम्बी बहस होनी है, इसलिए इस विधेयक का बहाना बनाकर सम्पूर्ण रेलवे के क्रिया-कलापों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। यह बिल बहुत सीमित उद्देश्यों का है और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ट्रिब्युनल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जितने सीमित पैमाने पर अभी ट्रिब्युनल्स हैं, जितने कार्य के निष्पादन की हम उनसे अपेक्षा रखते हैं, वह समय पर नहीं हो पा रहा है।

दूसरे डैलीगेटिड लैजिस्लेशन के जरिये एक्ट में ही नियम बनाकर इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह की चीजों के लिए आपको माननीय सदन के सामने आने की आवश्यकता न पड़े, इसकं कृपापूर्वक देखें।

अन्त में केवल एक बात हम कहेंगे। हम राज्य सभा की दर्शक दीर्घा में बैठे थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन दिनों विरोधी पक्ष में बैठा करते थे और उस जमाने में जगजीवन राम जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक बात कही कि रेलवे की दुर्घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि इस देश में मुसाफिर जग और जीवन को छोड़कर राम-राम जपते हुए ट्रेन में चलते हैं तो क्या मैं वही बात आपको दोहराकर कह सकता हूं। कृपापूर्वक इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे की सुरक्षा और मुसाफिरों की सुरक्षा की व्यवस्था करें, इस निवेदन के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सभापति महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है कि इस विधेयक का मकसद बहुत ही सीमित है, पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें 1.1.1996 से लागू हो सकें, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्युनल्स के सभापति, उप-सभापति और सदस्यों के लिए और उसी सीमित उद्देश्यों से यह विधेयक लाया गया है, क्योंकि इसमें जो प्रोवीजंस थे, उसमें जो रूल बनाने का प्रावधान है, मूल एक्ट में, उसमें रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से हम नहीं बना सकते थे, यही अधिकार इस विधेयक के जरिये लिया जा रहा है, ताकि उस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1.1.1996 से उनको यह लाभ दिलाये जा सकें, उनके वेतनमान के संबंध में, उनकी और सुविधाओं के संबंध में, लेकिन इसका सब लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन इस पर चर्चा के दौरान कुछ बातें सामने आई हैं। एक तो सेफ्टी को लेकर सब लोगों को चिन्ता है, हम सब लोगों को चिन्ता है, हम भी खुलासा करना चाहते हैं, सेफ्टी के क्या मैजर्स लिये गये हैं और किसी प्रकार की नई समस्याएं रेलवे के सामने आ रही हैं, हम इन बातों का सदन के सामने खुलासा करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को भी कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, सदन में भी उस दिन कहा, बताया गया है कि इस पर चर्चा होगी, विस्तृत तौर पर खुले मन से इस पर बातचीत होनी चाहिए और क्या उपाय किये जाने चाहिए, उस पर चर्चा हो। इसलिए उस विषय पर मैं आज प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं।

राधाकृष्णन जी को देखकर हम लोग यहां प्रसन्न होते हैं। इस उम्र में भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं और इतने एक्टिव हैं, हर विषय पर अपनी राय रखते हैं। बहुत ही मजाकिया लहजे में इन्होंने कहा है कि कौन जाने, सुबह पहुंच पायें या नहीं पहुंच पायें। यह दुनिया तो यहां आवागमन है, कब किसको जाना है, यह तो कोई नहीं जानता है, इसलिए अपने बारे में हम सोचकर नहीं चलते हैं और ज्यादा यात्रा पहले भी हम रेल से ही करते थे, आज भी हम रेल से कर रहे हैं। कल जब इस जगह पर नहीं रहेंगे, तब भी हम ज्यादा यात्रा रेल से ही करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : लाश भी रेलवे से ही जायेगी।

श्री नीतीश कुमार : इसलिए रेलवे से तो सब लोगों को अन्योनाश्रित संबंध है, यह छूट नहीं सकता है, लेकिन रेलवे की सुरक्षा पर बहस होनी है और हम लोग भी उसमें सारी बात रखना चाहते हैं। इसके अलावा रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के काम को लेकर और खासकर जो पैंडिंग केसेज हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। हमारे पास आंकड़े हैं, केसेज पैंडिंग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ केसेज एक साल से पैंडिंग हैं, थोडे केसेज दो साल से भी अधिक समय से पैंडिंग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी बीत जाये और रेलवे क्लेम्स पैंडिंग हैं। जितने आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, एक्सीडेंट से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन क्लेम्स और जो दूसरा नुकसान हो जाता है या सामान गायब हो जाता है, उसके भी मामले रेलवे क्लेम्स के बारे में आते हैं। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को अपना काम तेजी से निष्पादित करना चाहिए, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती है और पूरे सदन को अपेक्षा है, सरकार की भी यही अपेक्षा है। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में कुछ वेकेंसीज हैं, हम उन वेकेंसीज को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पहल कर चुके हैं, लेकिन उसके कई स्तर हैं, उसके विस्तार में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की वेकेंसीज को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये और उसके आधार पर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के काम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आये।

अपराह्न 4.00 बजे

रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल को अपने कामकाज में और व्यापकता प्रदान करने के लिए या रेलवे क्लेम्स के मामले का निष्पादन और बेहतर ढंग से कैसे हो सके तथा रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल की फंक्शनिंग के बारे में जो चर्चा की गई है, मैं चाहूंगा अच्छा होगा अगर पहले रेल्वे की संयुक्त समिति में इन पर विचार हो और माननीय सदस्यों ने जो राय दी है, उस पर चर्चा हो। रेल्वे क्लेम्स ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है, पहले जो व्यवस्था थी, वह नाकाफी थी। उसमें लोगों को परेशानी होती थी। हर दुर्घटना के बाद क्लेम सैटलमेंट के लिए सैटलमेंट कमिश्नर बनता था, राज्य सरकारें उसे बनाती थीं। उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। उसको दूर करने के लिए रेल्वे क्लेम्स ट्राइब्यूनल की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन बदले हुए दौर में रेल्वे ट्राइब्यूनल के काम को और बेहतर ढंग से करने के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : पटना में है या नहीं, अगर है तो और बेहतर बना दो।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वहां है और जगह भी खाली है। मेरा सुझाव होगा कि यहां जो सुझाव आए हैं, हम भी महसूस करते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, रेल संबंधी स्थायी समिति ने एक सिफारिश की है।

श्री नीतीश कुमार : नहीं, नहीं; 'यात्री सुविधाएं' एक अलग चीज है।

श्री टी. आर. बालू : यह सिफारिश 'यात्री सुविधाएं और सुरक्षा', दोनों के संबंध में हैं।

श्री नीतीश कुमार : जो कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है, वह संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने रेल दावा अधिकरण की कार्यप्रणाली और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पूछा था। और विलम्ब के बारे में, क्या कदम उठाये जाने चाहिएं ताकि प्रत्येक मामले को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सके?

[हिन्दी]

उसके बारे में जो लोगों ने कंसर्न जाहिर की, उस पर मैंने सुझाव दिया था कि रेलवे की स्थायी समिति इस विषय को भी अपने विचारणीय मुद्दों में लेकर इस पर गहन चर्चा कर सकती है। उसके बाद किसी सुधार या संशोधन की जरूरत होगी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। फिलहाल यह सीमिति उद्देश्य है, मैं नहीं समझता किसी माननीय सदस्य ने इस पर विरोध प्रकट किया है इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसको पारित किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं विचार प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, हम देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों के बारे में चर्चा करेंगे।

अपराह्न 4.04 बजे

[प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदया, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से संबंधित चर्चा का क्या रहा? उस दिन चर्चा पूरी नहीं हुई थी।

सभापति महोदय : क्या हुआ?

श्री टी. आर. बालू : उस दिन मूल्य वृद्धि पर चर्चा अधूरी रही थी। पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : दी गई कार्यसूची के अनुसार हमें 4 बजे देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों से संबंधित विषय पर चर्चा करनी है।

श्री टी. आर. बालू : महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि हम कितने बजे मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा करेंगे? उस दिन यह अधूरी रही थी।

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत हो, तो हम मूल्यवृद्धि पर चर्चा जारी रख सकते हैं। यह सभा पर निर्भर करता है। क्या हम इस पर चर्चा करें?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

सभापति महोदय : अतः, हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको बुला रही हूं, श्री टी. आर. बालू, श्री बालू कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : किंतु हम यह जानना चाहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा कब करेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जल्दी ही यह जान जाएंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला : आप कितनी देर बोलेंगे ताकि इसके अनुसार हम तालमेल कर लेंगे? कितने वक्ता शेष हैं?

सभापति महोदय : कम से कम 15 नाम हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : फिर तो यह चर्चा अनिश्चित काल तक चलेगी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : नहीं, यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती।

सभापति महोदय : हम इस चर्चा के पूरा होने के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों का मुद्दा ले सकते हैं। पन्द्रह नाम हैं और मेरे विचार में प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदया, मेरे विचार में माननीय गृह मंत्री आज शहर में नहीं हैं और माननीय गृह मंत्री की अनुपस्थिति में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा।

सभापति महोदय : यह ठीक बात है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वास्तव में, मुझे यह बताया गया था कि सरकार इस चर्चा को कल तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध करने वाली थी। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि गृहमंत्रालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : इस विषय पर माननीय गृहमंत्री की अनुपस्थिति में चर्चा नहीं की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नहीं इस पर चर्चा होगी।

श्री जी.एम. बनातवाला : किंतु इस सम्बन्ध में कुछ वचनबद्धता होनी चाहिए।

श्री राम नाईक : संसदीय प्रक्रिया और व्यवहार के अनुसार हम मुद्दों को नोट करके उन्हें माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। किंतु यह बात ठीक है कि यदि माननीय गृहमंत्री उपस्थित होते तो अच्छा होता...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : माननीय गृहमंत्री के बिना इस विषय पर चर्चा शुरू नहीं हो सकती...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे सब सहमत हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ऐसा नहीं हो सकता कि नोट्स लिए जाएं और उन्हें माननीय गृह मंत्री को पहुंचा दिया जाए।

श्री राम नाईक : उन्होंने मुझे गलत समझा है। मैंने कहा था कि उनकी यह बात ठीक है अतः मूल्य-वृद्धि पर चर्चा हो सकती है और इस विषय पर चर्चा तभी हो सकती है जब माननीय गृहमंत्री सभा में उपस्थित हों। इसलिए, मैं यह कह रहा था...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इस विषय पर चर्चा कब होगी?

श्री राम नाईक : मैं पता लगाता हूं और आपको 10-15 मिनट में बता दूंगा।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदया, मूल्यवृद्धि पर चर्चा हेतु पहले से ही आपके पास 15 सदस्यों के नाम हैं। यदि आप प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए पांच मिनट भी देती हैं तो इसमें दो घंटे से अधिक लग जाएंगे। इसका अर्थ है कि यह चर्चा 6 बजे तक चलेगी। अतः, जब तक आप सभा की बैठक को आगे नहीं बढ़ातीं, हम इस विषय को नहीं ले सकते।

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत हो तो हम सभा की बैठक को 8 बजे तक बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : कृपया, नहीं।

श्री राम नाईक : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? मेरा सुझाव यह है कि अब इस चर्चा को जारी रखा जाए और इसे आज ही समाप्त कर दिया जाए और अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों संबंधी चर्चा को कल के लिए नियत किया जाए। किंतु मुझे माननीय गृहमंत्री के सभा में उपलब्ध होने के बारे में पता लगाना होगा और इसका पता लगाकर मैं 10-15 मिनट में वापस आता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : ऐसा है कि होम मिनिस्टर साहब अभी आधे-पौने घंटे में आ रहे हैं। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है यदि मंहगाई का मुद्दा आज ले लीजिए और आज ही खत्म हो जाए...*(व्यवधान)*.

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : महंगाई का बहुत बड़ा मामला है।. ..*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : हम हाउस के ऊपर छोड़ रहे हैं। हाउस अगर पहले मंहगाई का मुद्दा खत्म करना चाहता है तो हम एट्रोसिटीज वाला आज ले सकते हैं। अगर महंगाई का मुद्दा आज खत्म नहीं होता तो उसे कल ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसे कल लिया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : महंगाई आज पूरा कर लें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. एम. सईद : सब पांच-पांच मिनट बोलेंगे तभी पूरा होगा।

अपराह्न 4.05 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि-जारी

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदया, उस दिन मैं सत्ता में बैठे लोगों विशेष रूप से राष्ट्रीय कृषि सहकारिता और विपणन परिसंघ में कुप्रबंधन और कुप्रशासन का उल्लेख कर रहा था।

महोदया, उदाहरण के लिए उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में आयात लाइसेंस के लिये आवेदन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के इन निर्देशों के बावजूद कि प्याज के आयात हेतु आवेदन पत्र एक विशेष प्रारूप में होना चाहिए, उन्होंनें ऐसा नहीं किया जिसका कारण उन्हें ही ज्ञात है। क्या किसी को विश्वास होगा कि नेफेड जैसी एक विशेष राष्ट्रीय एजेंसी जिसे प्रतिदिन हो रहे आयात और निर्यात से संबंधित सभी बातों और औपचारिकताओं की जानकारी रहती है, को यह नहीं पता है कि आयात लाइसेंस के लिये कैसे आवेदन किया जाये? ऐसा कभी नहीं सुना गया।

महोदया, इसके बावजूद, विदेश व्यापार के महानिदेशक ने उदारता दिखाते हुए यह जानने के लिए लाइसेंस स्वीकृति दे दी कि कार्य सभी दिशा में हो रहा है। इतना शोर शराबा होने के बावजूद जो व्यक्ति सबसे पहले गहरी निद्रा से जागे वह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी थे। उन्होंने 7 अक्तूबर को मंत्री मंडल की संयुक्त बैठक बुलाई और उसमें इन बातों पर चर्चा की कि यह समस्या कैसे उत्पन्न हुई तथा इस संबंध में क्या उपराचात्मक कदम उठाये जाने चाहिए। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही नेफेड ने 10,000 टन प्याज का आयात करने के लिये 8 अक्तूबर को आयात लाइसेंस हेतु आवेदन किया। शाम को ही, वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी और उसे आयात लाइसेंस मिल गया।

दिल्ल सरकार ने 9 अक्तूबर को 3,000 टन प्याज आयात करने के लिये आवेदन किया उन्हें उसी दिन लाइसेंस मिल गया। यह कार्य अगस्त या सितम्बर में ही हो जाना चाहिए था। परन्तु इसे ऐसा ही चलने दिया गया और प्याज की कीमतें निरन्तर बढ़ती रही और इसकी कीमतें बहुत ऊंची पहुंचकर 10 रु. प्रति किलोग्राम से 60 रु. प्रति किलोग्राम तक हो गईं।

महोदया, मैं इस सम्मानित सभा को महान तमिल संत थिरुवल्लुवर द्वारा तमिल में लिखे गए एक दोहे को याद दिलाना चाहूंगा :—

"सैथक्का एल्ला सेया केदुम
सैथक्का सैय्यामैथालम केदुम"

इसका अभिप्राय है कि :

"मनुष्य को किए गए गलत कार्यों से तो नुकसान होता ही है, भूल से भी किए गए गलत कार्य से भी उसको नुकसान होता है।"

सभा में मेरा ऐसा निवेदन है। भाजपा को जिस तरह से अपने कृत्यों से हानि पहुंची है वे इस प्रकार हैं : (क) नेफेड को परमिट जारी होने की तिथि से तीन दिन के भीतर ही ओजीएल की स्वीकृति के संबंध में घोषणा और (ख) सरकार द्वारा ईरान से विमान द्वारा प्याज मंगवाने के विषय में अधिक शोर मचाना।

दूसरी बात जो मैं सभा के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि किस प्रकार भाजपा को अपने कार्यों को भूल से न करने की गलती से हानि हुई है। पहला, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नेफेड को प्याज के आयात के संबंध में प्रति-प्रत्या भूति देने से मना किया जाना, दूसरा-प्याज का संकट होते हुए भी सरकार ने प्याज निर्यात किया और नेफेड जो कि एक ऐसी संस्था है जिसे मालूम होना चाहिए कि आयात लाइसेंस के लिय आवेदन केसे किया जाये, ने विशेष प्रारूप में आवेदन नहीं किया। दूसरे दिन माननीय सदस्य श्री वैको ने संयुक्त मोर्चा सरकार को दोषी ठहराया था जिसका उत्तर देने के लिये मुझे एक मिनट का समय दिया जाये। कृपया दसवीं लोक सभा की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का संदर्भ लें। श्री वैको ने संयुक्त मोर्चा सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगाया है कि पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि के लिये संयुक्त मोर्चा सरकार जिम्मेदार थी।

माननीय सभापति यक्ष श्री जसवंत सिंह, जो कि नये विदेश मंत्री हैं, की अध्यक्षता वाली ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन है। उन्होंने अपनी सिफारिशों में सिफारिश संख्या-99 तेल क्षेत्र के बारे में कहा है कि डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत होनी चाहिए।

रसोई गैस के संबंध में, राज सहायता धीरे-धीरे कम होनी चाहिए। यह सिफारिश संख्या 104 है।

तीसरे, उन्होंने यह सिफारिश की है-सिफारिश संख्या 126- कि उत्पादों की कीमतों में आपूर्ति की आर्थिक लागत प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। यह विशेष कर तब महत्वपूर्ण है जब निजी क्षेत्र में उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना हो।

यह सिफारिशें ऊर्जा संबंधी समिति की थी जिसके सभापति माननीय श्री जसवंत सिंह जी थे। परन्तु दूसरे दिन श्री वैको बिना यह जाने हुए मुझे दोषी बता रहे थे कि वह तो भाजपा सरकार की ही पोल खोल रहे हैं जिसके कि वह एक भाग हैं और सहयोगी हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, सदन में चर्चाएं होती हैं, उसके बाद गांव तक पहुंचती हैं लेकिन मंहगाई की चर्चा बाहर से शुरू हुई। बाहर से शुरू होने के बाद आज हम सदन में महंगाई की चर्चा कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने यह

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

कबूल किया है कि महंगाई बढ़ी है। मंहगाई क्यों बढ़ी, इस पर भी सभी पक्ष के लोगों ने अपने-अपने विचार रखे हैं।

सभापति महोदय, में महंगाई बढ़ने के चार-पांच कारण मानता हूं। जैसे कि वित्त मंत्री जी का बयान अखबार में आया था कि प्राकृतिक विपदा है लेकिन सिर्फ प्राकृतिक विपदा की वजह से ही महंगाई बढ़ी है यह बात मानने योग्य नहीं है। यह ठीक है कि गांव में जब पानी का सीजन नहीं था तो ऐसे में पानी पड़ने की वजह से सब्जी की खेती अच्छी नहीं हो पाई। हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि सब्जी का दाम अभी और बढ़ेगा। इसका कारण प्राकृतिक विपदा ही हो सकता है। विगत संसदीय चुनाव के बाद से ही महंगाई धीरे-धीरे लगातार बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन पता नहीं सरकार का ध्यान उधर क्यों नहीं गया। हर बार जब चुनाव होते हैं तब नेगेटिव वोट के आधार पर सरकार बनती है लेकिन इस बार जो गठबंधन की सरकार है उसे नेगेटिव के साथ-साथ पोजेटिव वोट भी मिले हैं। इसका प्रमाण है। देहातों में नारा लगता था-"राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे है अटल बिहारी"। यह नारा कहता है कि पोजेटिव मत देने की मतदाता की इच्छा थी। इतना ही नहीं, लोग कहते थे—"देखा सब को बारी-बारी, अब की बारी अटल बिहारी।" यह नारा कहता था कि लोगों की इच्छा पोजेटिव है। लोग चाहते थे कि अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें और प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी बैठ गए। नौ महीने से ज्यादा समय सरकार को चलाते हुए हो गये लेकिन नौ महीने की उपलब्धि में महंगाई की मार ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार समाप्त कर दी, राजस्थान में समाप्त कर दी। यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ नेगेटिव वोट की बदौलत में सरकारें बनी हैं। अगर नेगेटिव वोट की बदौलत सरकारें बनतीं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं होती। मैं महंगाई बढ़ने का एक कारण जो व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं वह यह है कि अटल जी की जो इमेज चुनाव के पहले थी, जो लोगों का रूझान अटल जी के प्रति था उसमें लगातार गिरावट आई है।

लोग यह मानकर चल रहे हैं कि यह एक कमजोर सरकार है और देश में सरकार नहीं चल रही है। यह चर्चा उस समय से शुरू हुई जब एक पदाधिकारी श्री बेजबरूआ के स्थानान्तरण का सवाल आया। उस समय सरकार को किसी न किसी कारण से वह स्थानान्तरण स्थगित करना पड़ा। तभी लोगों के मन में आया कि देश का प्रधानमंत्री एक पदाधिकारी का स्थानान्तरण नहीं कर सकता तो वह प्रधानमंत्री किस काम का? प्रधानमंत्री जी की इमेज को धक्का लगा। उसके बाद दूसरा नुकसान उस समय हुआ जब बिहार सरकार को बर्खास्त करने के लिये राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी गई तो राष्ट्रपति जी ने उस पर पुनर्विचार करने के लिये वापस सरकार के पास भेज दिया। प्रधानमंत्री जी का एक बयान बौद्धगया की एक मीटिंग में आया कि बिहार में माफिया राज चल रहा है। आज भी दुर्भाग्य से वह माफिया राज बिहार में चल रहा है...

सभापति महोदय : आप जल्द खत्म कीजिये क्योंकि आप ही लोगों ने यह निश्चय किया है कि इस चर्चा को जल्दी समाप्त कर देंगे। मैं तो एक घंटा बोलने दूं लेकिन सभी सदस्यों की यह राय हुई थी कि लोग बोलकर इस डिस्कशन को जल्दी खत्म कर देंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं छोड़ देता हूं और बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बोलिये लेकिन जल्दी कनक्लूड करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरे पास लिखा हुआ है, उसे बंद कर देता हूं और जितना जबानी है, बोल सकता हूं, आप लोग सुनते जाइये।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि महंगाई बढ़ने का कारण प्रधानमंत्री जी की इमेज भी रही। इसलिये कि व्यवसायी लोग और मुनाफाखोर यह समझने लगे थे कि यह सरकार कमजोर है और कुछ नहीं कर सकती है। इसलिये मंहगाई की मार सिर्फ एक वस्तु पर नहीं पड़ी बल्कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिसके दाम न बढ़े हों। जिस दिन बरनाला साहब आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात कह रहे थे, उसी दिन मैंने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 से मुनाफाखोरों का मनोबल बढ़ रहा है। वे स्वयं भी महसूस करने लगे थे कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिये। जैसे ही इस धारा-7 की खबर टी.वी. और अखबारों से मुनाफाखोरों के कानों में पहुंची उसी दिन से उन मुनाफाखोरों का मनोबल बढ़ गया और उनके मन में यह बात आई कि सरकार हमें संरक्षण दे रही है जिसके कारण यह महंगाई बढ़ी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धारा-7 को और कड़ा किया जाये और मुनाफाखोरों से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। बिहार सरकार ने न जाने कितना खर्च कर दिया। शासन केवल बात करने से नहीं चलता है, इसलिये शासन पर अंकुश लगाना होगा।

सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों यहां दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिये चर्चा की गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को शासन में आये 9 महीने हो गये फिर महंगाई पर रोक लगाने के लिये किसी तरह की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्रियों की बैठक भी तब जाकर हुई जब कुमारी ममता बनर्जी ने को-आर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया और यह कहा कि यदि मंहगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं। मुनाफाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए और मूल्य वृद्धि रोकने के लिये क्या किया गया? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 6 रुपये किलो वाला प्याज 65 रुपये किलो कैसे बिका और आज जब 25 रुपये किलो बिक रहा है तो सरकार कहती है कि हमने मूल्य नियंत्रण कर लिया है। क्या आप इस 6 रुपये किलो वाले प्याज को 25 रुपये किलो कर देने को मूल्यों पर नियंत्रण कहते हैं। यदि आप 6 रुपये किलो वाले प्याज को 6 रुपये या 5 रुपये किलो तक कर देते तो हमें दिखाई देता कि आपने मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण कर लिया है।

सभापति महोदय : 12 मिनट हो गए हैं। अब कनक्लूड कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदया, अगर इस सदन में किसी बात पर बहस होती है तो हम लोग यहां सुनने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर विषय पर बहस न होने दी जाएगी। बहस होने दीजिए। यहां देखने के लिए थोड़े ही हम बैठे हैं।

सभापति महोदय : अगर सदन चाहता है कि देर तक बैठें और चर्चा चलती रहे तो ठीक है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं दो से तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं कहना चाहता था कि मनुष्य मंत्रियों की बैठक तब हुई, जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार को हम बहुत जिम्मेदार नहीं मानते। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आपूर्ति निरीक्षक राज्य सरकारों के हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राज्य सरकार के हैं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राज्य सरकार के हैं, जिला पदाधिकारी राज्य सरकार के आदेश पर काम करते हैं। अगर कहीं महंगाई बढ़ रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है और राज्य सरकारों ने साजिश के तहत अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसको और बढ़ने दो, इसलिए राज्य सरकारों पर भी निगरानी रखने की जरूरत है। देहातों में पीडीएस की दुकानों से सामान वहां जाता है। देहात के उपभोक्ताओं को देखिये कि वहां क्या हो रहा है। पूरे देश की स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार की जानता हूं कि वहां 90 प्रतिशत लोगों को सामान पीडीएस के माध्यम से नहीं दिया गया। सभापति महोदया, आप बिहार की रहने वाली हैं और आप वहां की स्थिति से अवगत हैं। आप संयोग से आसन पर बैठी हैं। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए और आप आसन से कभी-कभी मौका मिलता रहे तो निर्देश जारी कर दीजिए कि सरकार इस पर निगरानी रखे। जो सामान उपभोक्ताओं के लिए गांवों में जाता है उसमें सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी मिले होते हैं। उस पीडीएस की दुकान के माध्यम से सारा सामान बिक्री कराकर वह हिस्सेदार बनते हैं जिससे उपभोक्ताओं को सामान नहीं मिलता है। इसकी कौन निगरानी करेगा? राज्यों में पदाधिकारियों के माध्यम से सामान की व्यवस्था और आपूर्ति कराने में जो गड़बड़ी होती है, उस पर कैसे अंकुश लगे, उसके लिए केन्द्र सरकार को मजबूत कानून बनाना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। इससे आगे नहीं बोलना चाहता लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि महंगाई को नियंत्रित करने में केन्द्र सरकार को जितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, केन्द्र सरकार ने उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया जिससे मुनाफाखोरों का बोलबाला बढ़ा और ऐसे में इस देश के गरीब लोगों ने घर के गहने बिकवाकर अन्न खरीदने का काम किया है। इसलिए केन्द्र सरकार को ऐसे मामले में गंभीर होना चाहिए, चिन्तन करना चाहिए। सरकार सिर्फ व्यवसायी और मुनाफाखोरों की सरकार नहीं है, बल्कि गांव के लोगों के आशीर्वाद की सरकार है, इसलिए इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : कुमारी मायावती।

मुझे विश्वास है कि आप संक्षेप में बहुत सुन्दर भाषण देंगी।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : सभापति महोदया, नियम 193 के तहत 3 दिसम्बर को महंगाई पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। चर्चा अधूरी रहने के कारण आज फिर इस विषय पर चर्चा हो रही है। विषय बहुत गंभीर है और आम जनता से जुड़ा हुआ है। मैंने यह महसूस किया है कि सारी वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, सत्ता पक्ष का कहना है कि इसके दो कारण हैं। एक कारण है खराब मौसम, और दूसरा कारण है उत्पादन में कमी। मैं इन दोनों कारणों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

क्योंकि यदि कुछ महीनों में उत्पादन में कमी हुई है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि इसकी व्यवस्था करे, आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को दूसरे देशों से मंगाया जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि उत्पादन में कमी हुई है, और दूसरी तरफ कमी होने के बावजूद भी आवश्यक वस्तुओं को वह विदेशों में भेज रही है, उसके बाद आम जनता चिल्लाती है कि फलां-फलां आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए तो फिर सरकार उन चीजों को बाहर से मंगाती है। मैं यह समझती हूं कि इसके पीछे केन्द्र सरकार की कोई सोची-समझी साजिश है। एक तरफ हम यह कहें कि उत्पादन में कमी है और फिर भी आवश्यक वस्तुओं को बाहर भेजें और जब आम जनता चिल्लाये तो उनको हम दूसरे देशों से अपने यहां मंगायें, इसका मतलब यह है कि आयात और निर्यात में केन्द्र सरकार ने जरूर कुछ न कुछ कमीशन खाया है। इनका आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है। बी.जे.पी. की सरकार को इस बात का एहसास है कि इस बार तो हमने ले-देकर गवर्नमेंट बना ली है लेकिन आगे हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जितना कमीशनखोरी से हमें कमाना है, इस बार हमें कमा लेना चाहिए। मुझे याद है...*(व्यवधान)* साबित क्यों नहीं किया। एलीगेशन लगाना आसान काम है, लेकिन ऐलीगेशन को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद है जब लोक सभा का इलेक्शन हुआ था तो बी.जे.पी. ने एक नारा लगाया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप लोगों को इस बात का एहसास है कि अभी तो आ गये हैं, लेकिन आगे आप लोग भविष्य में नहीं आने वाले हैं। इसी का ध्यान रखते हुए आप लोगों ने महंगाई को बढ़ावा दिया है। महंगाई अपने आप नहीं बढ़ी है, महंगाई सोची-समझी साजिश के तहत बढ़ाई गई है और इसमें सत्तापक्ष का हाथ नजर आता है। क्योंकि यदि महंगाई बढ़ी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को कड़ा बनाये और इसके साथ-साथ एक निगरानी सैल भी बनाना चाहिए था ताकि जो जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वे जेल में नजर आते, जेल के बाहर नजर नहीं आते। यदि यह सब किया जाता तो मैं समझती हूं कि महंगाई नहीं बढ़ती। मुझे पिछले पांच-छः महीने में जगह-जगह यह जानने का मौका मिला कि जब अधिकारियों ने जमाखोरों की दुकानों या उनके बिजनेस सैंटर्स पर छापे मारे, मैं सब बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रही हूं, मैं बी.जे.पी. की मिलीभगत से जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों की बात कह रही हूं, जब उनके यहां छापे मारे गये तो कालाबाजारी करने

[कुमारी मायावती]

वालों ने अधिकारियों की कई जगह पिटाई तक की है, लेकिन सरकार देखती रही। ब्यूरोक्रैट्स चाहते हैं कि निगरानी सैल के माध्यम से कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

लेकिन बी.जे.पी. के ऊपर से प्रैशर जाने के कारण जमाखोरी करने वाले लोग, कालाबाजारी करने वाले लोग खुले आम घूम रहे हैं। कई जगह अधिकारियों की पिटाई हुई है, बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि देश में महंगाई सोची-समझी साजिश के तहत बढ़ी है और बी.जे.पी. की सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने में एक्सपर्ट है। महंगाई इनकी मिली-भगत के कारण बढ़ी है। मुनाफाखोरों, कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाले लोगों से बी.जे.पी. की सरकार मिली हुई है और इनकी मिली-भगत से महंगाई बढ़ी है।

बी.जे.पी. की सरकार कहती है कि खराब मौसम और उत्पादन की कमी के कारण यह सब कुछ हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि मैंने यह महसूस किया है कि जिन प्रदेशों में बी.जे.पी. की सरकार है, सैंटर में बी.जे.पी. की सरकार है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर बी.जे.पी. की सरकार है लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। अभी महंगाई पर चर्चा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद इसी हाउस में यह चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक अकाल पड़ गया है और सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा है तो कहते हैं कि हमें पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है, इसलिए हम कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं। हकीकत यह नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि बी.जे.पी. की सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने में एक्सपर्ट है, हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की बी,जे.पी. सरकार में लगभग सौ के करीब मिनिस्टर हैं। सारा पैसा तो उनके ऊपर खर्च हो रहा है फिर सरकारी कर्मचारियों को वेतन कहां से मिलेगा, डैवलपमैंट का काम कहां से होगा। महंगाई बी.जे.पी. की मिली-भगत के कारण बढ़ी है लेकिन बी.जे.पी. कुछ और कहती है। उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संकट आने वाला है, उसके पीछे बी.जे.पी. की सरकार की अपनी कमजोरियां हैं लेकिन वह कहती है कि हमें पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है। इसी प्रकार महंगाई के मामले में भी आप कहते हैं कि पूर्व सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण मौजूदा सरकार को महंगाई का वजन उठाना पड़ रहा है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि यदि सही मायने में आप महंगाई को कम करना चाहते हैं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना चाहते हैं तो आपको किसानों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना होगा। यदि मौसम खराब है तो उसका भी कोई रास्ता निकालना होगा कि उत्पादन में कैसे वृद्धि हो। इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम को सख्त करना होगा, निगरानी सैल को सख्त करना होगा। जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे, मैं समझती हूं कि महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका बोझ, वैसे तो समाज के हर वर्ग पर इसका असर पड़ा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, मजदूर तबका है, जो दिन में मजदूरी करने जाता है, उन पर सबसे अधिक पड़ा है। माननीय सभापति जी को मालूम है कि बिहार कितना गरीब प्रदेश है, यदि एक मजदूर को दिन में 40 रुपये मजदूरी मिलती है, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखकर, उसमें से अगर उसने तेल ले लिया तो बाकी चीजें नहीं खरीद सकता। हमें यह देखना चाहिए कि जो समाज का सबसे गरीब तबका है, भारत के डाउन-ट्रॉडन लोग सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे नजर आते हैं, उस समाज की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मध्यम वर्ग भी इससे प्रभावित हुआ है, समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है लेकिन सबसे कमजोर तबका इससे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए जिससे महंगाई को रोका जा सके।

हालांकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई, उसमें मुख्यमंत्रियों के सजेशंस लिये हैं, लेकिन वे सजेशंस तो ले लिये हैं, नोट बुक में उनके सैक्रेटरीज ने नोट भी जरूर कर लिये होंगे, पूरी प्लानिंग भी बना ली होगी। हमें उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट की मेंटेलिटी साफ नहीं है और जब तक मौजूदा गवर्नमेंट की मेंटेलिटी साफ नहीं होगी, मुझे लगता है कि यदि आपकी मेंटेलिटी साफ नहीं है और आप लोग बिल्कुल महंगाई को कण्ट्रोल नहीं कर पाएंगे। मुझे बार-बार उस नारे की याद आती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपकी अब कभी बारी नहीं आयेगी। यदि आपको थोड़ा घना जनाधार बचाना भी है तो कम से कम डाउन ट्रोडन पीपुल या समाज का हर सैक्शन है, जो महंगाई से प्रभावित है, उसकी तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। वैसे तो मौजूदा गवर्नमेंट हर मोर्चे पर फेल हुई है, इसी हाउस के अन्दर हर मोर्चे पर इधर बहस चलती रही है, लेकिन महंगाई ने समाज के हर सैक्शन की कमर तोड़ी है। उसका नुकसान तो बी.जे.पी. को चार राज्यों के असेम्बली इलैक्शन में हुआ है, उसको आपको नुकसान उठाना पड़ा है।

आपने देश में एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ एट्रासिटीज बढ़ाई है। एट्रसिटीज भी बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। खास तौर से जो डाउन ट्रोडन पीपुल हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेज के, रिलीजियस माइनोरिटीज के लोग हैं, मैं माइनोरिटीज के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि इसके ऊपर हमारी पार्टी के मैम्बर पार्लियामेंट ने यहां नोटिस दिया हुआ है, वे उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन जब से बी.जे.पी. की गवर्नमेंट बनी है, लॉ एण्ड आर्डर का कण्ट्रोल करना मैं समझती हूं कि महंगाई से भी कनैक्टिड है। जब लॉ एण्ड ऑर्डर ढीला होगा तो जो जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने वाले लोग हैं, वे सोचेंगे कि लॉ एण्ड आर्डर नाम की चीज कण्ट्री में है ही नहीं तो जमाखोरी करो, कालाबाजारी करो, उससे कोई हमको कण्ट्रोल करने वाला नहीं है। पूरे देश में महंगाई बढ़ी है और इसकी वजह यह है कि सरकार की मेंटेलिटी ठीक नहीं है। लॉ एण्ड ऑर्डर देश में बिल्कुल फेल हो चुका है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल फेल हो चुका

है। क्यों हो चुका है? जिस गवर्नमेंट में अपराधी किस्म के मिनिस्टर बैठे हों, जिनका आपराधिक रिकार्ड हो, ऐसे प्रदेश के अन्दर कभी भी क्राइम नहीं रुकेगा। दबे कुचले, पिछड़े तबके और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग एक तरफ महंगाई से जूझ रहे हैं, वैसे तो समाज का हर वर्ग जूझ रहा है, लेकिन हर प्रकार की एट्रासिटीज से वे जूझ रहे हैं, इसलिए माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि यदि आप लोग अपना थोड़ा घना जनाधार बचाना चाहते हैं तो हाउस के अन्दर जिन बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, उसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे, इन्हीं लफ्जों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपकी घंटी की आवाज सुन रही हूं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, नहीं तो हमारे मेल मैम्बर बोलेंगे कि मैडम मैडम का ख्याल कर रही हैं, कम घंटी बजा रही हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सभापति महोदया, इस बहस का आज तीसरा दिन है और माननीय राजेश पायलट जी ने इसको प्रारम्भ किया था, बहुत अच्छे शब्दों के साथ, बहुत अच्छी भावना के साथ और सकारात्मक सुझावों के साथ।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि वस्तुओं के मूल्यों में जब भी आकस्मिक और अनावश्यक वृद्धि होती है तो जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जनता को ही नहीं, प्रशासन को भी करना पड़ता है और राजनीतिज्ञों को भी करना पड़ता है। उसका प्रमाण पहले ही मिल चुका है, उसके विशेष विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। विशेषकर जब दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो तो गरीब लोगों के लिए वह स्थिति बहुत भयावह हो जाती है।

माननीय सांसदों का इसके प्रति चिंतित होना स्वाभाविक भी है और उचित भी है। तीन दिन से इस पर चर्चा चल रही है, इसके सभी पहलुओं और बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। कई सदस्यों ने बड़ी सटीक बात कही है और उपयोगी सुझाव दिए हैं, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सभी पक्षों पर विचार व्यक्त किए गए हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं कह चुका हूं कि इसमें गलती किसकी थी या नहीं, उसका खामियाजा लोगों द्वारा उसे भुगतना पड़ा है।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सभापति महोदया, क्या वे जो बोल रहे हैं यह वाद-विवाद है।

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि वह सिर्फ हस्तक्षेप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमपाल : यह वाद-विवाद में मात्र हस्तक्षेप है। ...*(व्यवधान)* यह उत्तर नहीं है। मैंने वादविवाद में हस्तक्षेप के लिये अनुमति ली है। और मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये किसी भी मुद्दे का उल्लेख कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अभी सारी बातें समाप्त मत कीजिए। श्री बरनाला जी को भी उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, यह ठीक नहीं है। श्री राजेश पायलट के भाषण के तुरन्त बाद वह हस्तक्षेप कर सकते थे कुछ भी कह सकते थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : महोदया, वह एक लम्बा भाषण दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सोमपाल जी आप अपने विचार रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर ऐसे शोर करेंगे तो यह लम्बा खिंचता रहेगा।

श्री सोमपाल : सभापति महोदया, मैं अपने ही विचार रखूंगा, लेकिन जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनके संबंध में चर्चा करना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, अवहेलना नहीं करूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठिए, क्या सदन सभी को इंटरवीन करना जरूरी है, कृपया सदन को चलने दें।

श्री सोमपाल : सभापति महोदया, मैं दो व्यक्तियों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय पायलट ने जो कुछ बातें कहीं और दूसरा चिदम्बरम जी ने जो कहा। पायलट जी ने जब चर्चा प्रारंभ की, जैसा मैंने कहा कि यह बात सही कही कि जो हो गया सो हो गया। इस घटना से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इस संबंध में जो प्रशासनिक और आर्थिक उपाय हैं, उनके संबंध में सोचा जाना चाहिए। इसमें सभी पार्टियों को दलगत भाव से उठकर एक सकारात्मक चिंतन और सुझाव देने की आवश्यकता है। परंतु चिदम्बरम जी ने जो यहां आर्थिक मसलों पर अपना विद्वतापूर्ण विश्लेषण रखा, उसको मैंने सुना। जहां तक उनकी योग्यता का सवाल है, शब्द सामर्थ्य का सवाल है, आर्थिक विचारों, आर्थिक अवधारणा और आर्थिक विषयों पर उनकी जो पकड़ और योग्यता है, वह निर्विवाद है। उन्होंने अपने हार्वर्ड स्टाइल में पूरी मैक्रोएनालाइसिज जिस तरह से यहां दी, यह बात भी कही कि बजट के ऊपर बोलते हुए मैंने चेतावनी दी थी वित्त मंत्री जी को कि यह बजट मुद्रास्फीतिजनित होगा। उन्होंने एम 3 के प्रसार और यह भी कहा कि जितने भी मौद्रिक और वित्तीय उपस्कर और उपकरण हैं, सरकार उनके ऊपर नियंत्रण खो बैठी है, इस कारण मंहगाई हुई है। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में इनमें किसी भी तर्क में कहीं दूर तक कोई संगति नहीं है। क्योंकि अभी-अभी हाल में मुद्रास्फीति दर घटी है। यह बात सब जानते हैं कि जो प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जिन्हें हम प्राइमरी आर्टिकल्स कहते हैं, उनकी कीमतों में अनावश्यक वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति की दर

[श्री सोमपाल]

में कुछ समय के लिए वृद्धि हुई थी। मुद्रा के विस्तार, वित्तीय संसाधनों या उनके प्रबंधन या कुप्रबंधन के कारण कीमतों के ऊपर, सामान्य मूल्य स्तर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बात रखी। पूरे सांसदों को और मुझे भी उनका भाषण सुनना बड़ा सुखद लगा। जिस स्टाइल से, जिस उच्चारण से और जिस भाव से वे बोलते हैं, पश्चिमी आर्थिक दर्शन का विश्लेषण करते हुए, निर्दशन करते हुए, वह बहुत सुखकर था। परंतु यह पूर्णतः पुस्तकीय था और जो पाश्चात्य दर्शन है अर्थशास्त्र का, उसके ऊपर अवलम्बित था। वही सारी भाषा और वही सारे वाक्यांश उन्होंने इस्तेमाल किए। इस स्थिति का उससे दूर तक कहीं कोई नाता नहीं है।

यह मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सिवाय उन प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं के और किसी वस्तु के दाम नहीं बढ़े। न तो विनयमित उत्पादों के बढ़े, न सरकार के द्वारा प्रशासित जैसे प्रेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े। उनमें कहीं एक दशमलव, कहीं आधा दशमलव और कहीं दो दशमलव की वृद्धि हुई है। इस प्रकार सामान्य मूल्य स्तर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए जितना भी उन्होंने इस विश्लेषण पर जोर लगाया और अपनी विद्वता बघारी, इस वर्तमान संदर्भ से उसका कहीं दूर तक नाता नहीं है।

इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं सिर्फ यह उदाहरण देना चाहूंगा कि सब्जियों में हरी सब्जियां, आलू और प्याज, खाद्य तेलों में विशेषकर सरसों का तेल, इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं के विशेषकर किसी के दाम नहीं बढ़े हैं और उनके अपने कारण रहे हैं। उनका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। सब्जियों में प्याज ने नेतृत्व किया।

दालों में से अरहर की दाल और उड़द की दाल के दाम बढ़े हैं।. ..*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है कि कोई छिपाने वाली बात है। सभी को मालूम है। इस मामले में प्याज ने नेतृत्व किया और जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि प्याज केवल गृहिणी की ही आंख में आंसू नहीं लाता, वह दिग्गज राजनीतिज्ञों की आंख में भी आंसू ला देता है। कुछ देर के लिए उनकी दृष्टि को भी धुंधला कर देता है और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। कसूर हमारा था या नहीं था पर जनता ने मान लिया कि हमारा कसूर था। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं पर उसका एक कारण था कि ड्रॉप्सी नाम का एक रोग आया। आर्जमौन नाम का जो पौधा है, जिसे पीली कटैली कहते हैं, उसके अपमिश्रण के कारण विषैले तत्व उस खाद्य तेल में समाविष्ट हुए, जिसके कारण तेल की आपूर्ति घटी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप किस नियम के अधीन व्यवस्था संबंधी प्रश्न पूछना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया नियम का उल्लेख करें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किस नियम के अधीन व्यवस्था संबंधी प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप मेरी बात सुन लीजिये और जो निर्णय लेना हो ले लीजिये।...*(व्यवधान)* मैं इस बात से सहमत हूं कि मंत्री महोदय किसी प्रश्न विशेष को स्पष्ट करने के लिए किसी भी समय बीच म बोल सकते हैं। किन्तु यहां माननीय मंत्री जी बड़े लम्बे समय से बोल रहे हैं। बीच में बोलने का क्या उद्देश्य है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह व्यवस्था से संबंधित प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : इन मामलों को उत्तर देते समय ही निपटा दिया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान यदि कोई बात भ्रमित करती है तो वह उसे स्पष्ट कर सकते हैं किन्तु लम्बा भाषण नहीं दे सकते।. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह कोई व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : उन्हें चर्चा के पश्चात् उत्तर देना है। हम एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* वह किसी अन्य प्रयोजन से उत्तर दे रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री वारकला राधाकृष्णन : वह किसी स्थिति विशेष को स्पष्ट कर सकते हैं। वह तदर्थ उत्तर दे सकते हैं पर लम्बा उत्तर नहीं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह कोई व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोमपाल, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप बोलिये।

(व्यवधान)

श्री सोमपाल : जब वह चुप होंगे तभी तो मैं बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलिये। उनका इंतजार मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री सोमपाल : तेल के विषय में आपको याद है कि जलोधर, जिसे ड्राप्सी कहा जाता है, उस रोग के कारण आर्जमोन नाम का बीज,

जो विषयुक्त होता है, उसके अपमिश्रण के कारण यह स्थिति हुई और कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि यह दुर्भाग्यवश हो सकता है। जो सदस्य किसान हैं, वे जानते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : माननीय मंत्री महोदय, कुछ समय पहले उठाये गये मुद्दे का संदर्भ दे रहे हैं। श्री पी. चिदम्बरम तीन दिन पहले बोले थे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसंकुरा) : मुझे नहीं पता कि तेल के दाम किस प्रकार बढ़े।...*(व्यवधान)* ड्राप्सी से हुई मौतों के बाद लोगों ने सरसों का तेल लेना बंद कर दिया है किन्तु दाम बढ़ गये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : श्री चिदम्बरम तीन दिन पहले बोले थे।...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : कृपया शांत हो जाइये। पहले, व्यवस्था बनाए रखनी होगी। अनावश्यक हस्तक्षेप करना उनकी समस्या है। ...*(व्यवधान)*। वह एक विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और हर बात में व्यवस्था संबंधी प्रश्न देखते हैं चाहे ऐसा हो या न हो। यही समस्या है।...*(व्यवधान)* ऐसा लगता है उन्हें 'प्वाइंट ऑफ आर्डर' सिण्ड्रोम हो गया है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : श्री चिदम्बरम तीन दिन पहले बोले थे। तब आप हस्तक्षेप नहीं कर सके। आप उनके भाषण देने के तीन दिन बाद हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या यह संसदीय है?...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : मुझे अध्यक्षपीठ से अनुमति प्राप्त हुई है। महोदया, आपने मुझे अनुमति दी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : सभापति जी, मेरा कहना यह है कि उस कठिनाई के कारण, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह की ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदया, पहले व्यवस्था स्थापित कीजिये। तभी मैं बोल सकता हूं वरना नहीं। यह कोई तरीका नहीं है। जब वह बोल रहे थे तब मैंने बीच में नहीं बोला।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिये।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : इस सभा में यह परंपरा है कि कोई भी मंत्री सरकार की तरफ से हस्तक्षेप कर सकता है। हम इस परंपरा को बनाये रखें। अभी, श्री सोमपाल, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिये। यहां ऐसी परंपरा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप स्वयं अध्यक्ष रह चके हैं, फिर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : यहां ऐसी परंपरा है। वह हस्तक्षेप कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन, आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना है न कि किसी अन्य सदस्य को।

(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : वह किसी अन्य प्रयोजन से ऐसा कर रहे हैं। हम यहां चर्चा में भाग लेने आये हैं। वह उत्तर दे रहे हैं। यह स्पष्ट उत्तर है। वह यहां कहे गये प्रत्येक शब्द का उत्तर दे रहे हैं। यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, श्री प्रेमचन्द्रन, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, आप गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं। कृपया बैठ जाइये।

श्री सोमपाल : महोदया, यह सभा की एक स्थपित परंपरा है कि किसी भी सदस्य या मंत्री को दूसरे सदस्यों की इच्छा के अनुरूप विशेष तरीके से उत्तर देने के लिये नहीं कहा जा सकता।

सभापति महोदय : श्री सोमपाल कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये।

श्री सोमपाल : महोदया, मैं केवल आप को ही संबोधित कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, कृपया सभा का समय नष्ट न कीजिये।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना के कारण कुछ समय के लिए आपूर्ति अभाव हुआ और दाम बढ़े। उसके बाद हमने प्रशासनिक इन्तजाम किए हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। देशभर में प्रयोगशालाओं का जाल बिछाया गया। उनकी तकनीकी क्षमता को अपग्रेड किया गया। उससे पहले यह तय किया गया कि बाजार में जो भी तेल बेचेगा, उसके ऊपर परीक्षण का लेबल चिपका होगा और पैकिंग में वह बिकेगा। ग्रामीण उद्योग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को शिथिलता देने की छूट दी गई।

महोदय, अब मैं सब्जी के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, जब ड्राप्सी के केस हुए थे, उस समय दिल्ली में मस्टर्ड आयल के तेल का भाव 35 रुपए था। उसके बाद, वह बढ़ कर 65 रु. से 70 हो गया और अब यह 60 रु. पर बिक रहा है। ऐसा क्यों है?

श्री सोमपाल : महोदय, मैं अभी भी यह कह रहा हूं कि यह आकस्मिक वृद्धि हुई थी। सरसों की कमी पिछली फसल में निश्चित रूप से हुई थी और यह कमी कुछ दिन रहेगी। एनडीडीबी और दूसरे आउटलैट के माध्यम से अब सरसों का तेल 57 रुपए में बेचा जा रहा है। अब उसकी कीमत तब के मुकाबले में कम हैं।

जहां तक दालों का संबंध है,...*(व्यवधान)* मैं अलग-अलग माननीय सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ हूं। यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप उनको रोकें। समय मेरा बर्बाद हो रहा है।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम उत्तर के लिए नहीं कर रहे हैं मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ड्राप्सी से हुई मौतों के बाद, दाम गिर गये। पर यह वास्तविकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है आप अपनी बात कह चुकी हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : ड्राप्सी की घटनाओं से पूर्व यह 35 रु. में बिक रहा था, ड्राप्सी की घटनाओं के बाद यह 80 रु. में बिक रहा था। दिल्ली में अब यह घटकर 60 या 65 रु. तक हो गया है। कृपया इसके बारे में पता लगाइए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोमपाल जी आप कितना और समय चाहते हैं?

श्री सोमपाल : मुझे दस मिनट और चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आपको दस मिनट और चाहिए? क्या आप इसे पांच मिनट में पूरा नहीं कर सकते?...*(व्यवधान)* कृपया उन्हें पूरा कर लेने दें।

श्री सोमपाल : मैंने लिखित में पन्द्रह मिनट का समय मांगा है। उसमें से पांच मिनट खराब हो गये हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदया, हम उनकी आवाज सुनना चाहते हैं, अतः हम चाहते हैं कि वे अधिक समय तक बोलते रहें।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : सभापति जी, उसके बाद खाद्य तेलों को आयात किया गया और आयात कर में कमी की गई तथा इसको सामान्य लाइसेंस प्रणाली में रखा गया। साथ ही पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया। पामोलीन जैसे खाद्य तेल का आयात किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इसके संबंध में दोनों उपाय किए गए हैं। दालों में से केवल अरहर की दाल के भाव अधिक बढ़े। आप सभी जानते हैं कि मौसम की खराबी के कारण और असमय वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ और भाव बढ़े। यहां पर चिदम्बरम साहब की सिर्फ एक बात लागू होती है, मांग और आपूर्ति का जो सामान्य अर्थशास्त्र का मूल सिद्धान्त है, जहां कमी होती है, वहां कुछ-न-कुछ भाव बढ़ता है। इसकी रोकथाम करने के लिए ताकि स्थिति सीमा के बाहर न चली जाए, सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं।

जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का प्रश्न है, सदन इस बात से अवगत है कि 27 मई को वर्षा शुरू हुई और 24 जुलाई तक भारी वर्षा हुई। मैं उस समय पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने गया था, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि भारी वर्षा न हुई हो। ब्रह्मपुत्र की 17 नदियां अपने रिकार्ड स्तर से ऊपर बह रही थीं। यही स्थिति उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चारों भागों में रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाद में उत्तर भारत में दीपावली के अवसर पर...*(व्यवधान)* आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बीच में बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

श्री ई. अहमद, मुझे कम से कम आपसे यह उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी आपके बीच में व्यवधान नहीं डाला।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में दीपावली के समय नौ दिन वर्षा हुई, जिसका सैकड़ों वर्षों के इतिहास में कहीं उदाहरण नहीं मिलता। फिर लगता है कि 16 दिन तक बादल रहने के कारण जो फसल 13 लाख टन प्याज की होनी थी वह घट कर आठ लाख टन रह गई तथा 26 दिन तक खुले बाजार में आने में विलम्ब हुआ, इस कारण से उसके दाम बढ़े। फिर भी हमने निर्णय लिया कि प्याज आयात किया जाए। यह बात भी अपने आप में मानने की है कि विश्व के किसी भी कोने में इतनी बड़ी मात्रा में उस क्वलिटी का प्याज बचा नहीं जो हिन्दुस्तान के लोगों की पूर्ति कर देता, यह बात सब जानते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : फिर भेज क्यों रहे थे?

श्री सोमपाल : माननीय पायलट जी, इसलिए भेजा था क्योंकि उस समय नहीं भेजते तो एक रुपया भी किसान को नहीं मिलता और जो पहले से तय था वही भेजा। फिर जैसे ही कमी की पूर्ति पता लगी तो उसी समय हमने उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : मंत्री महोदय, उस समय यह भारत में उपलब्ध था। आपने इसका निर्यात किया। आपने अगस्त और सितंबर 98 में 17,000 टन प्याज का निर्यात किया।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : आपको स्मरण होगा कि दिवाली के निकट एक दिन में ताजेवाला हैडवर्क से, जहां से पश्चिमी यमुना और पूर्वी यमुना कैनाल सिस्टम निकलते हैं, 5 लाख 54 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया और दो दिन की बाढ़ में ताजेवाला से लेकर इलाहाबाद यमुना के दोनों

किनारे, जहां कई-कई किलोमीटर सब्जी होती है और मुख्य रूप से सप्लाई आती है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदया, यह बिल्कुल भी विश्वस्त करने योग्य नहीं है।

श्री सोमपाल : जब आपको बोलने का अवसर मिले तो आप ऐसा कह सकते हैं। मैंने आपको कभी नहीं रोका। यह तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सोमपाल जी, आप मुझे बोलिए।

श्री सोमपाल : महोदय, इस तरह से मैं कैसे बोलूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोगों की बात मत सुनिए और कृपा करके कंक्लूड कीजिए।

श्री सोमपाल : मेरा यह कहना है कि दो दिन में 927 किलोमीटर यमुना के दोनों ओर जो सब्जी होती है, राजेश जी इस बात को जानते हैं,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : मैडम, मुझे बोलने का समय दें, आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यदि ऐसा है तो, मैं नहीं बोलूंगा। मेरा सारा समय नष्ट हो रहा है। मुझे खेद है, ऐसे वातावरण में कोई नहीं बोल सकता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बोलिए, टोका-टोकी तो होती ही है। आप बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : मैं कैसे बोल सकता हूं जब तक मुझे बोलने की अनुमति न दी जाये। हर समय मुझे टोका गया है। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह सब चलता रहता है, आप अपनी बात बोलिए। श्री जलप्पा, आप स्वयं एक मंत्री थे। जो भी वे बोलेंगे, वह रिकार्ड नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अगर आप चाहते हैं कि समय बर्बाद न हो तो मंत्री जी को शांति से अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमपाल : सभापति जी, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यह अप्रत्याशित स्थिति थी जो इस देश को झेलनी पड़ी, जिसके कारण खास तौर से पेरीशेबल कमोडिटीज का, सब्जी का अभाव हुआ है। उसके संबंध में जो हमने उपाय किए, दो-तीन बातों में अपना वक्तव्य देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्रालय में फसल का अनुमान लगाने के लिए आधुनिकतम केन्द्र की स्थापना की ताकि ऐसी परिस्थितियों का पूर्व अनुमान आगे से ज्यादा बेहतरी से लगाया जा सके और ज्यादा वास्तविक स्थिति देश के सामने रखी जा सके।

दूसरा यह किया है कि कीमतों का जायजा लेने के लिए एक प्राइस माक्रिटिंग सैल भी स्थापित किया है-एक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में और एक कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत जिस में देश की प्रमुख मॉडियों से उसे कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा और रोजमर्रा चीजों की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। तीसरा, जो स्टाक हमारे पास रहते हैं, उनका रिलायबल इनफर्मेशन रहे, उसके लिए एक इनफर्मेशन नैट वर्क हम क्रियेट करने जा रहे हैं। जितने भी रूरल एरियाज में सब्जियां और पैरिशेबल कमेडिटीज होती है, उनमें बाजार की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक 20-25 ग्राम के ऊपर एक मंडी हो, इसकी एक दीर्घकालीन योजना बनायी है। कोल्ड-स्टोरेज की चेन और अपग्रेडिड स्टोरेज फैसिलिटी जिस में प्याज और आलू जैसी चीजों को एक फसल से ज्यादा समय रखने के लिए एक योजना बनायी है। प्रत्येक ब्लाक में दो हजार टन का एक कोल्ड स्टोरेज हो, इसके लिए 50 परसेंट अनुदान राशि केन्द्र सरकार देगी। पूरे देश में इसकी श्रृंखला स्थापित की जाएगी। इसके लिए ऋण देने की जो व्यवस्था है, उसे भी हम दुरुस्त कर रहे हैं कि इस तरह के लाइसेंस वाले गोडाउन्स के अन्दर किसान अपना सामान रख कर जो रसीद मिले, बैंक से उसके लिए ऋण ले सके जिससे उन्हें डिसट्रैस सेल क्रॉप के समय करने की मजबूरी नहीं हो और बाद में उपभोक्ताओं को भी वे वस्तुएं आवश्यक समय में उचित मूल्य पर मिल सकें। इसी तरह से सहकारी आन्दोलन को ज्यादा सामर्थ्यवान और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं। हमारा मंत्रालय राज्य सरकारों से बात करने के बाद कोआपरेटिव मूवमैंट को ज्यादा मजबूत और सामर्थ्यवान कर रहा है जिससे बिचौलियों की मुनाफा करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके और उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में अधिक सीधा संबंध स्थापित हो सके।

अभी तक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माक्रिटिंग एक्ट का सब जगह अनुपालन नहीं हो रहा है। उसमें प्रावधान है कि खुले रूप में नीलामी होनी चाहिए। सब जगह इसके अनुपालन के लिए सुनिश्चित इंतजाम किए जा रहे हैं। मंडी टैक्स और दूसरे टैक्स से भी प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों और उनके मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों और वित्त मंत्रियों से बात करके इसे किया जाएगा। अभी पिछले महीने की 27 तारीख को माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। उसमें भी सहमति ली है कि कृषि उत्पादों की आवाजाही के ऊपर

[श्री सोमपाल]

किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध कोई राज्य नहीं लगाएगा जिससे उपभोक्ता और उत्पादक को कोई नुकसान न हो। इस तरह करों की जो बहुलता है उसे स्टीम लाइन करने के लिए हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

इसी तरह हम एक सीड बैंक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। सब्जियों के सारे बीज चूंकि आलू की एक नई प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों ने खोजी है जिस में आलू के रूप में नहीं आलू के अनाज के स्वरूप में बीज का भंडारण किया जा सकता है। हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि अगले दो वर्ष में हमारे पास इतना बीज सब्जियों का रहे जिससे पूरे एक साल की बुआई हो। हम वह अतिरिक्त स्टाक रखेंगे जिससे कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो तो हम उस कमी को पूरा कर सकें।

इसी प्रकार मार्किट इंटरवैंशन के लिए नैफेड और दूसरी एजेंसियों को तथा सभी राज्य सरकारों को 50-50 परसैंट अंशदान के हिसाब से इंटरवैंशन करने की सुविधा दी जा रही है। जहां तक खाद्य तेलों और दालों का प्रश्न है उसके आयात और उसे उगाने के लिए एक समुचित नीति तैयार की जा रही है। भविष्य में जब भी ये निर्णय लिए जाएंगे, सभी मंत्रालयों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह करके लिए जाएंगे जिन का इनसे संबंध होगा। इसी तरह जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी प्याज और आलू के साथ जोड़ा जाए ताकि अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने का काम हो सके। तकनीकी क्षेत्र में नए बीज का और ज्यादा उत्पादन देने वालों बीजों को किसानों को मुहैय्या कराना, उनके इनपुट्स को समय पर समुचित मात्रा और दर पर उपलब्ध कराना और उनको नई क्रॉप प्रेक्टिस सिखाना, उनकी पोस्ट हारवैस्ट टैक्नॉलोजी, जिस में 30-40 परसैंट फलों एवं सब्जियों की हानि होती है, उसकी रोकथाम के सरकार ये सब इंतजाम करने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और उन सदस्यों को भी जिन्होंने बार-बार व्यवधान डाल दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदया, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इस देश में सभी स्थनो पर सामान्य जन मूल्य वृद्धि के बोझ से अत्यधिक दबा हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (थिरायिकिल) : आपको सभी सदस्यों को उत्तर देना चाहिए था।

श्री सोमपाल : मैं नहीं जानता कि आपके द्वारा व्यवधान डालने का क्या अर्थ है...*(व्यवधान)* यह आपको शोभा नहीं देता। आप एक वरिष्ठ सदस्य है और हम सब आप का सम्मान करते है...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : आप बहुत खराब परपंरा स्थापित कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : मैं अपनी पूरी आवाज में और आपसे अधिक जोर से बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती जयंती पटनायक का नाम पुकारा है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदया, अति निर्धन राज्यों में, मूल्य वृद्धि के प्रभाव अधिक कष्टकारी रहे हैं। विशेषतया सामान्य गृहणियां अर्थ व्यवस्था का अर्थ नहीं समझती वह केवल यही जानती है कि चाहे आमदनी गत वर्ष के स्तर से ज्यादा या कम हो फिर भी बाजार में जाने से उनका अधिक पैसा खर्च हो रहा है। मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि थोक मूल्य और खुदरा मूल्य में भारी अंतर है। मूल्य वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारण इस प्रकार हैं। (एक) प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन में कमी (दो) इन सभी पदार्थों का मुख्यतया, प्याज का निर्यात (तीन) रुपये का अवमूल्यन होने के कारण आयातित तेल और दालों की उच्च लागत और (4) व्यापारियों द्वारा जमाखोरी व सट्टेबाजी।

महोदया, एक और बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि वर्तमान पूर्वानुमान तंत्र इन कमियों का अनुमान लगाने में पूर्णतया विफल रही है। सितम्बर, 1998 में भी खरीफ फसलों में प्याज की बहुत अच्छी पैदावार होने की भविष्यवाणी की गयी थी और इसके परिणामस्वरूप स्थिति के सामान्य होने की अपेक्षा थी। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वानुमान लगाने की मुख्य जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है जिसके पास विभिन्न राज्यों में विभिन्न चरणों के उत्पादन की सम्पूर्ण जानकारी रहती है। परन्तु सरकार द्वारा अभी तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर खपत और मांग के संदर्भ में आयात व निर्यात की स्थिति, जिसके द्वारा अधिक सही और विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है को भी सरकार द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया है।

हम देख चुके हैं कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की मांग और आपूर्ति की स्थिति को बाजार के भरोसे छोड़ने से मूल्य में निश्चित ही वृद्धि होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चावल, गेहूं, चीनी के संबंध में बाजार हस्तक्षेप की निश्चित नीति है। अतः इन वस्तुओं के प्रबंधन हेतु बुनियादी संरचना और तत्संबंधी विधान सहित एक सरकारी नीति की आवश्यकता है। यह सब एक नामजद एजेन्सी द्वारा किया जाना चाहिए जो इन वस्तुओं के क्रय और विपणन को नियंत्रित कर सके। ये नामजद एजेंसियां केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित व वित्तपोषित होनी चाहिए और राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय वितरण प्रबंधन हेतु उनके उपक्रमों के माध्यम से अपना सहयोग व समन्वय प्रदान करना चाहिए।

एक गंभीर आरोप यह लगाया जाता है कि थोक-विक्रेता और व्यापारी-जमाखोरी व सट्टेबाजी के माध्यम से मूल्य वृद्धि हेतु उत्तरदायी हैं और आवश्यक उपभोक्ता वस्तु अधिनियम के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। अतः जमाखोरी को रोका जाना चाहिए और जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

उत्पादन और खेती के प्रमुख केन्द्रों में भी मूल्य वृद्धि हुई है और खपत करने वाले राज्यों के लिए उन वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण करना अधिक मुश्किल हो गया है जिसका वे अन्य राज्यों से आयात करते हैं।

सरकार को सभी आवश्यक वस्तुओं के राज्य में खुले आवागमन को सुनिश्चित करना चाहिए और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित

करना चाहिए कि थोक विक्रेता और व्यापारी अपने लाभान्तर को कम से कम रखें। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी उपक्रम व सरकारी संस्थान जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा है-बाजार में प्रविष्ट होने चाहिए और सभी वस्तुओं को बिना मुनाफे के बेचा जाना चाहिए। सरकार को कालाबाजारी और जमाखोरों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

मुक्त व्यापार की वस्तुओं के मूल्यों का आवश्यक उपभोक्ता वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पूर्वनिर्धारण अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु, मूल्य निर्धारण, कृषि केन्द्रोंऔर थोक व्यापार केन्द्रों पर किया जाना चाहिए। और इस आधार पर, खपत करने वाले राज्यों को परिवहन संचालन, भंडारण व व्यापार प्रबन्धन संबंधी सभी भत्तों का भुगतान करते हुए मूल्य-निर्धारण करना चाहिए। सरकार को किसानों के हितों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और उपभोक्ताओं को मूल्य-वृद्धि से बचाने के लिए अधिकतम विक्रय-मूल्य प्रदान करने हेतु गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय सब्जियों के मूल्य में होने वाले भारी परिवर्तन के बारे में पहले ही कह चुके हैं जोकि हम सभी के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है क्योंकि सब्जियां आम आदमी के भोजन का आवश्यक अंग बन चुकी हैं। अलग-अलग मौसम में अलग-अलग सब्जियों का उत्पादन होता हैं। बेमौसम में सब्जियों को प्राप्त करने के लिए पड़ौसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जो सब्जियां मौसम के दौरान उगायी जाती हैं, उनको शेष वर्ष के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए परन्तु इसके लिए हमारे पास शीत-भंडारण की सुविधा का अभाव है। शीतभंडारों में सब्जियों के भंडारण हेतु समुचित प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए। किसी राज्य के सब्जी-उत्पादन करने वाले क्षेत्र को दूसरे राज्य को सब्जी का निर्यात करने के लिए शीत भंडारों को बुनियादी सुविधाओं का विकास करने हेतु उदारवादी राज्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से प्राप्त राज सहायता प्राप्त करना कठिन है। एन सी डी सी की शीत-भंडारण योजना की उधार-लागत अधिक है। इन योजनाओं में अपर्याप्त बुनियादी सुविधा वाले राज्यों के लिए ब्याज की रियायती दरें होनी चाहिए। हम सरकार से वर्तमान मूल्य स्थिति पर नियंत्रण रखने और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आवश्यक लघु अवधि और दीर्घावधि उपाय किए जाने का अनुरोध करते हैं। सरकार द्वारा किए गए अर्थव्यवस्था संबंधी कुप्रबंध की वजह से मूल्य बढ़े हैं। सरकार की ओर से भारी लापरवाही हुई है। सरकार की अब नींद खुल जानी चाहिए हम कृषि मंत्री से पहले ही सुन चुके हैं--और सरकार को इस संबंध में तुरन्त कदम उठाने चाहिए। हम जानते हैं कि सरकार ने एक परमाणु बम विस्फोट किया है किंतु वह मूल्य वृद्धि संबंधी विस्फोट को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : होर्डर्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उनकी सरकार उड़ीसा में है। उड़ीसा में कितने होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स को अरेस्ट किया है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी वहां आदमी भेजेंगे?...*(व्यवधान)* आप भाषण तो दे देते हैं कि ऐसा करना चाहिए लेकिन ऐसा कौन करेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदया, पिछले कुछ महीनों से सभी आवश्यक वस्तुओं विशेषरूप से तेल, दाल, चावल, प्याज और अन्य सब्जियों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। भारत के सभी लोग विशेषकर गरीब लोग इस समस्या का सामना कर रहे थे। हमें आप आदमी की इस दुखद स्थिति के लिए अफसोस प्रकट करना चाहिए। इसके अनेक कारण हैं। गरीब लोगों की हालत पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है।

पिछले सत्र में, 9 जुलाई को इसी सभा में हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने अनेक समस्याओं का उल्लेख किया था।

उन्होंने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु अनेक उपाय सुझाए थे। किंतु भारत सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रही। यदि मांग और पूर्ति बराबर हो तो यहां इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अनेक प्रकार की समस्याएं हों, तो सरकार को स्थिति नियंत्रण में करना ही चाहिए। समस्या चाहे प्रकृति-निर्मित हो अथवा मानव-निर्मित या वह मुद्रा स्फीति या रुपये की घटती कीमत के कारण हो। चाहे वह कैसी भी समस्या हो सरकार को इसे नियंत्रित करना ही चाहिए। सरकार को मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने हेतु कदम अवश्य ही उठाने चाहिए।

एक दूसरा पहलू भी है। मैं समझता हूं कि मंत्रालयों के बीच में कोई समन्वय नहीं है। हमे इससे वाकिफ हैं। हमने अखबरों में यह पढ़ा है। कृषि मंत्रालय और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने सरकार को यह बताया है कि भारी वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण, प्याज की सारी फसल बर्बाद हो गई है। किंतु इस अवधि विशेष में, वाणिज्य मंत्रालय ने अन्य देशों को दो लाख टन प्याज का निर्यात किया। अतः समन्वय की कमी है। यह सरकार की विफलता है।

हाल ही के चुनावों के दौरान, जब चुनाव गणना से पूर्व अनुमान लगाने वाले लोगों ने सारे देश का सर्वेक्षण किया था और लोगों से पूछा चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दा क्या था तो 65 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा कि मुद्दा मूल्य वृद्धि का था। भारत में, 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। कुछ राज्यों में 36 प्रतिशत लोग और कुछ अन्य राज्यों में लगभग 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। ये लोग मेहनताने के रूप में तीस या पचास या सौ रुपये तक पाते हैं। इतने कम मेहनताने में उनके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को खरीदना कैसे संभव है? निस्संदेह कई क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां रही हैं। किंतु हम सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। यहां तक कि अभी गृह मंत्री ने भी कहा है कि सरकार ने एक गलत काम किया और इसी कारण लोगों ने यह फैसला दिया।

इसके बाद, मांग और आपूर्ति के संबंध में भविष्यवाणियां करने हेतु कोई तंत्र नहीं है। भारत की आजादी के गत पचास वर्षों के दौरान ऐसी भविष्यवाणी करने हेतु कोई तंत्र नहीं है। प्रत्येक साल, कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा फसल बर्बाद कर देती है। कुछ अन्य क्षेत्रों में बाढ़ फसल

[श्री के. येरननायडू]

बर्बाद कर देती है, तो कुछ क्षेत्रों में सूखे से फसल नष्ट हो जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह भविष्यवाणी करने के लिए एक तंत्र जरूर होना चाहिए कि देश में मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है। यदि मांग अधिक होने जा रही तो सरकार को यह आकलन कर लेना चाहिए कि कितना आयात किये जाने की आवश्यकता है। मंत्री का यही काम है। मंत्रालय में नौकरशाह और बहुत सारे व्यक्ति यह सब काम नहीं कर रहे हैं। अतः मेरी राय में, सरकार को इस संबंध में जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

जहां तक मूल्यवृद्धि का प्रश्न है इसके लिए अनेक कारक हैं। उत्पादन में गिरावट, अभाव की स्थिति और विचौलियों द्वारा जमाखोरी और व्यापार भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। अविवेक पूर्ण निर्यात और आयात नीति भी एक कारक है। कोई समयोचित बाजारी हस्तक्षेप नहीं होता है। उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा शरारत और चालाकी से परिपूर्ण नीति अपनाई जाती है। इसलिए ये सभी मूल्यवृद्धि के कारण हैं। इसके अतिरिक्त, कई बार लोग अफवाहों के कारण भी बहुत घबरा जाते हैं। महोदया, आप नमक के संबंध में हाल की घटना से परिचित हैं। वास्तव में, भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। किंतु जमाखारों और कालाबाजारियों द्वारा पैदा की गई घबराहट की स्थिति के कारण एक किलोग्राम नमक की कीमत 60 रुपये तक पहुंच गई। इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं थी। किंतु देश में चल रही घबराहट पूर्ण स्थिति के कारण जमाखोरों और कालाबाजारियों ने इस तरह की अफवाह उड़ाई। यदि ऐसी स्थिति उत्पन कर दी जाती है तो यह स्वाभाविक है कि मूल्यों में वृद्धि होगी। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए कि मूल्य स्थिर रहें। यहां तक कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एक बहुत कठोर अधिनियम है। यदि हम इन सभी चीजों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अधिनियम में कुछ कड़े उपबंध जोड़ने होंगे। हमें विधान को कम शक्तिशाली नहीं बनाना चाहिए।

इस संबंध में मैं एक बात के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने इस सभा में यह वक्तव्य दिया है कि वे अच्छे संशोधनों और कठोर उपबंधों वाला एक विधान लाएंगे। इसके लिए मैं हमारे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री की प्रशंसा करता हूं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना के कारण आंध्र प्रदेश में मूल्य थोड़े कम हैं।...*(व्यवधान)* मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। यदि आप *इंडिया टूडे* देखेंगे तो आप इस बारे में जान जाएंगे। महोदया, आप को पता है कि *इंडिया टुडे* ने पूरे देश में मूल्य-स्थिति और प्रत्येक बात के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण के बाद, *इंडिया टुडे* में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया है कि पूरे देश की तुलना में आंध्र प्रदेश में मूल्य थोड़े कम हैं। इसका कारण यह है कि हमने अनेक कदम उठाए हैं। हमारे पास बाजार हस्तक्षेप योजना है। हमने मिर्च की खरीद की है।

जब हर जगह मिर्च 70 रुपये में बेची जा रही है हमने आंध्र प्रदेश में उचित दर दुकान और सुपर बाजार के माध्यम से मिर्च को 35 रुपये के मूल्य पर बेचा। ऐसा ही तेल और अन्य मदों के मामले में किया। हमने हर-जगह से उपलब्ध उत्पादों की खरीद की और इसके बाद उन उत्पादों को उचित दर दुकान और सुपर बाजार के द्वारा गरीब लोगों को बेचा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की थी, हमने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिए थे। हमने मंदी के मौसम में अति आवश्यक वस्तुओं को थोक में खरीदा और उनका गोदामों में भंडार रखा। अत्यधिक मांग वाले मौसम के दौरान जब बाजार में इन वस्तुओं की बहुत कमी थी, हमने वह स्टॉक बाजार में भेज दिया। इस प्रकार से, हमने आंध्र प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को कम किया।

राज्य अकेले ही मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकते। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र का हस्तक्षेप और सहयोग भी आवश्यक है। कुमारी ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री से मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन तुरन्त बुलाने का निवेदन किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन तुरन्त आयोजित करने के संबंध में एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है केन्द्र सरकार को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन एक माह पूर्व आयोजित करना चाहिए था अथवा मूल्यों को कम करने के संबंध में कुछ कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन चुनावों के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सम्मेलन का आयोजन किया। मूल्य नियंत्रण केन्द्र और राज्यों दोनों का ही दायित्व है। आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, के अन्तर्गत इस संबंध में केन्द्र ने विभिन्न उपबन्धों की व्यवस्था की थी लेकिन इस अधिनियम को क्रियान्वित करने का दायित्व केन्द्र राज्यों दोनों का है। इसलिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने का उत्तरदायित्व लिया है। यदि हम आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपनायी गई कार्यवाही का अनुपालन करें तो हम सारे देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : एक प्रश्न पूछने हेतु मैं आपकी अनुमति लेना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ये मान नहीं रहे हैं।

श्री के. येरननायडू : यदि वे बोलना चाहते हैं तो वे बाद में बोल सकते हैं...*(व्यवधान)* दोनों ने ही आन्ध्र प्रदेश विधानसभा में विधानसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे कुछ कहानियां सुनायेंगे। लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूं।

डा. रवि मल्लू (नगरकुरनूल) : हम भी आंध्र प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं। हम जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में आप किस मूल्य पर वस्तुओं को बेच रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया : मैं अपने मित्र से एक छोटा सा स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप उन्हें बोलने देंगे, श्री येरननायडू।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : यदि आप अनुमति देंगे तो मैं बोलने दूंगा? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप की बारी आने पर आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री के. येरननायडू : गत वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण आंध्र प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन विशेषतया खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई। चावल उत्पादन में 27 लाख टन, मूंगफली के उत्पादन में 8.62 लाख टन, लाल मिर्च के उत्पादन में 2.58 लाख टन और मूंग के उत्पादन में 1.07 लाख टन की कमी आयी। कीटों के कारण भी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन घटा। लेकिन राज्य सरकार ने पहले ही प्रभावी कदम उठा लिये थे। मुख्य मंत्री ने अभी एक राज्य स्तरीय समन्वयन समिति के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री स्तर पर भी एक समिति है। कैबिनेट सचिव के स्तर पर भी एक समिति है। हमने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। हमने व्यापारियों और अधिकारियों की सदस्यता सहित एक मूल्य समन्वयन समिति का गठन किया है। हमने जिलाधीशों सहित जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया है। हमने एक राज्य मूल्य निगरानी एकक और एक कार्यदल कक्ष का भी गठन किया है इस प्रकार लगातार निगरानी रखते हुए हमने आंध्र प्रदेश में वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने में सफलता पाई है। राज्य सरकारों में अन्तर्निहित शक्तियों के साथ मूल्य नियंत्रण काफी कठिन है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के. येरननायडू : सारा देश, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना कर रहा है...*(व्यवधान)* वर्तमान वर्ष के आठ महीनों में जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरूद्ध 2700 मामले दर्ज किये गए थे और 50 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुएं बरामद की गयी थीं।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

सभापति महोदय : येरनायडू जी बैठिए। माननीय वोराजी का पाइंट ऑफ आर्डर है। वोरा जी, आपका पाइंट ऑफ आर्डर किस नियम के तहत है।

श्री मोतीलाल वोरा : सभापति महोदया, मेरे मित्र...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इनका पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री मोतीलाल वोरा : सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के तहत?

श्री मोतीलाल वोरा : मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। महोदया, मेरे मित्र श्री येरननायडू, आन्ध्र प्रदेश में मूल्य स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। हम देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे केवल आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उठाये गये कदमों का ही हवाला क्यों दे रहे हैं। क्या हम आन्ध्र प्रदेश में मूल्यों की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं। आपको यह स्पष्ट करना होगा।

सभापति महोदय : ठीक है, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री येरननायडू, अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के. येरननायडू : महोदया, मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

महोदया, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु कई कदम उठाए हैं और मूल्यों में कमी लाने में सफलता पाई हैं। इसलिए, मैं यहां उसकी तुलना करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : जब हम बात कर रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश या आन्ध्र प्रदेश में मूल्यों की स्थिति के बारे में चर्चा करना हमारा ध्येय नहीं है। हम पूरे देश के मूल्यों की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सरकार की पूर्ण विफलता के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : वे जो भी कहेंगे, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री येरननायडू, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के. येरननायडू : महोदया, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वहां मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया। मैं केन्द्र सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु सभी कदम उठायें। अतः मैं इस संदर्भ में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

एक केन्द्रीय मूल्य निगरानी कक्ष, जिसमें राज्यों और संघीय सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों का मांग संबंधी विभिन्न खाद्य फसलों का उत्पादन, विश्व में और देश में दलहनों के उत्पादन तथा उनके थोक व विक्रय मूल्यों सहित अग्रिम सूचना देने हेतु तुरन्त गठन किया जाना चाहिए।

महोदया, आन्ध्र प्रदेश जैसे छोटे राज्य में हम मूल्यों पर निगरानी हेतु 100 स्थानों से सूचना एकत्र कर रहे हैं। एक जिले में मिर्च का मूल्य 35 रु. प्रति किलोग्राम और दूसरे में 25 रु. प्रति किलोग्राम हो सकता है। परन्तु हम सब जिलों से सूचना एकत्रित कर रहे हैं और मूल्यों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार से भी मूल्य नियंत्रण हेतु ऐसे ही कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के. येरननायडू]

इसके बाद विभिन्न वस्तुओं के विशेषतया उन वस्तुओं के, जो आम व्यक्ति और समाज के निर्धन वर्ग द्वारा प्रयोग में लायी जाती हैं, के मूल्य रूझानों को एकत्रित किया जाना चाहिए और सारे देश में प्रसारित करना चाहिए।

केन्द्रीय मूल्य निगरानी कक्ष को बाजार की स्थिति संबंधी सूचना को इकट्ठा करने और प्रसारित करने का और फसल उत्पादन और देश और विश्व भर में विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

राज्य-सरकारों को मूल्य तंत्र के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि अधिक आर्थिक लाभ के लिए किसान एक फसल से दूसरी फसल का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

श्री मोतीलाल वोरा : महोदया, क्या ये पढ़ कर अपना वक्तव्य रहे हैं?

श्री के. येरननायडू : मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं।

श्री मोतीलाल वोरा : महोदया, वह वरिष्ठ संसद सदस्य हैं। उन्हें अपना भाषण इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए।

श्री के. येरननायडू : मेरी आयु लगभग 40 वर्ष है और संसद में मेरा अनुभव मात्र ढाई साल का है।...*(व्यवधान)* मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि हम अपने राज्य में कीमतों पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। यही बात पूरे देश पर भी लागू हो सकती है।

श्री मोतीलाल वोरा : आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह सलाह क्यों नहीं देते?

श्री के. येरननायडू : महोदया, मैं केवल सुझाव और देना चाहता हूं।

सरकार को कृषि मंत्रालय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच समुचित तालमेल सुनिश्चित करना चाहिए और गलतफहमी से बचना चाहिए। मोटे अनाजों, दालों और सब्जियों सहित उन फसलों, जिनके अन्तर्गत क्षेत्र और पैदावार में कमी पाई जाती है, हेतु प्रोत्साहन और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक निर्धारित तंत्र होना चाहिए। सरकार को न्यूनतम 50 प्रतिशत की दर से आवश्यक आदान राजसहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिनकी आपूर्ति कम होती है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. रवि मल्लू : महोदया, हमारे माननीय मित्र सरकार के अभिन्न अंग हैं। वह यहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए उपायों के बारे में बोल रहे थे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में खाद्य मंत्री और प्रधानमंत्री को क्या सलाह दी है। अब, वह अपने उत्तरदायित्व से बच रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : जी नहीं, नहीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह ठीक है।

डा. रवि मल्लू : वे सरकार के अभिन्न अंग थे। वह सरकार को सलाह देते...*(व्यवधान)* वह विपक्ष में नहीं हैं।

सभापति महोदय : इतना काफी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, श्री राजवीर सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय या, मैं रवि मल्लू जी से कह रहा हूं कि अब नायडू जी नहीं बोल रहे, मैं आपका मित्र हूं, आप मुझे सुन लें।

यहां पर महंगाई पर बहस चल रही है और बहस का मुद्दा यह है कि किसी भी तरीके से सरकार को सूली पर चढ़ाओ, चाहे सत्य बोलकर, चाहे असत्य बोलकर। राजेश पायलट जी हमारे मित्र हैं, मैं उनका भाषण पढ़ रहा था, परसों उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया और बोले कि 16 रुपये किलो आटा है। पता नहीं ये अमेरिका का भाव बता रहे थे कि हिन्दुस्तान का बता रहे थे, अभी दिल्ली में भी यह भाव नहीं है। मैं दिल्ली में रोज आटा खरीदता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। कई बार रस्सी का सांप बनाना विपक्ष का काम होता है।...*(व्यवधान)* हां, हम भी विपक्ष में थे, आपके साथ बैठते थे, आपने जो सिखाया, वहीं हमने सीखा। मैं यह कह रहा था कि यह जो कठिनाई आई, इसका क्या कारण है। कठिनाई आगे भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, कल को कोई भी सरकार बनेगी तो किसी के सामने भी यह कठिनाई आ सकती है। प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। क्या हमने 50 वर्ष में जो हिन्दुस्तान चलाया, जिन लोगों ने चलाया, सब ने चलाया, क्या कभी उन्होंने इन चीजों पर ध्यान दिया? महंगाई कोई पहली बार तो बढ़ी नहीं है, मंहगाई तो कांग्रेस के राज में भी बढ़ी है और दूसरे राज्यों में भी बढ़ी है और मुंह बाकर बढ़ी है। मुझे याद आ रहा है ...*(व्यवधान)* वोरा जी, आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, आप क्यों हम छोटों के मुंह लग रहे हैं, इसीलिए आपको महंगाई ज्यादा वस्त कर रही है। मेरा निवेदन है कि इतनी भयंकर महंगाई भी बढ़ी है कि सिनेमा के गीत तक आ गये कि बाकी बचा हुआ महंगाई मार गई। इतनी भयंकर महंगाई भी आई थी, उस समय ये गाने गाये जाते थे। फिल्म एक्ट्रैस को भी महंगाई ने मारा था और मुरली देवड़ा जी तो वहीं मुंबई में रहते हैं, इनको ज्यादा मार रही होगी।

मेरा कहना है कि महंगाई क्यों आई, इसके लिए दोषी कौन है। पांच वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। आप इतने नाकारा साबित हुए कि 1996 में सरकार चलाने के बाद आप पांच साल सरकार नहीं चला

पाये। पिछले पांच सालों में छह चुनाव हुए हैं। अगर बार-बार बाई इलैक्शंस होंगे, उत्तर प्रदेश में विधान सभा का इलैक्शन हुआ, लोक सभा के चुनाव हुए और यह सब जानते हैं कि चुनाव में नम्बर दो का पैसा अपना काम करता है। जब नम्बर दो का पैसा मार्केट में जायेगा तो महंगाई बढ़ेगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। आलू और प्याज तो केवल एक प्राकृतिक आपदा है। कांग्रेस के लोगों को तो मेरा सुझाव है कि उनको अपने दरवाजे पर प्याज का एक मंदिर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को दो बार प्याज से ही जीवनदान मिला, 1980 में और सन् 1998 में।...*(व्यवधान)* कई बार उल्टा भी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तीन प्रान्तों के चुनावों से आप बहुत खुश मत होइये, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि सन् 1967 में श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, आपका राज था और प्रदेशों के चुनाव हुए थे और सब राज्यों में कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक आपका सफाया हो गया था और सन् 1971 में जब चुनाव हुए तो लोक सभा में कांग्रेस मैजोरिटी में आ गई। प्रदेशों के चुनाव से सैंटर पर कोई खतरा पैदा नहीं हुआ।

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : तब तो आपको बधाई हो।

श्री राजवीर सिंह : देवड़ा जी, सुन लो, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन तीन प्रदेशों के चुनाव से ज्यादा खुश मत होइये, क्योंकि जब लोक सभा के चुनाव आयेंगे तो आप साफ हो जाएंगे।

तीन प्रदेशों दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात अब जानें दें।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : जब सचाई सामने आएगी, तब पता चलेगा।

श्री राजवीर सिंह : शकील साहब आप बैठिए, आप तो लालू की पूंछ पकड़कर यहां आ गए हैं और हमारे सामने बोल रहे हैं।

डा. शकील अहमद : तीन राज्यों में आपकी पूंछ कट गई।

सभापति महोदय : राजवीर सिंह जी आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री राजवीर सिंह : आलू और प्याज की महंगाई का दौर 1996 में और 1997 में भी था, तब हमारी सरकार नहीं थी। उस समय आलू खेतों में सड़ गया, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं थी। आलू का किसान रो रहा था, खून के आंसू बहा रहा था। उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह जी मंत्री थे, इन्होंने किसी आलू किसान के आंसू पोंछने की व्यवस्था नहीं की। इससे आलू किसान ने गुस्से में आकर अगली बार आलू-प्याज नहीं बोया। इस तरह से वह कम पड़ गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पर गम्भीरता से विचार करें। मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहता हूं।

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : वही कर रहे हैं?

श्री राजवीर सिंह : हां, वही कर रहा हूं, लेकिन आप सुनिए तो सही। जब तक हम अपने देश में कृषि का नियोजन नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होगा। कई बार गन्ना खेतों में जलाया जाता है। दो साल पहले भी जलाया गया था। कई बार खेतों में गेहूं सड़ जाता है, कई बार चावल मारा-मारा फिरता है। किसान की यह बहुत पुरानी समस्या है। पिछली बार उसने आलू और प्याज नहीं बोया, मेंथा बो दिया। मेंथा का उपयोग तेल बनाने के लिए होता है। उसने सोचा कि बाजार में तेल का दाम अच्छा है इसलिए मेंथा लगाओ, अच्छे दाम मिल जाएंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि मेंथा के दाम गिर गए और आज तक उसके घर में मेंथा पड़ा हुआ है। किसान पर इस तरह से दुधारी तलवार चलती है। इसकी चिंता नहीं करते, आप सिर्फ वोटों के चक्कर में पड़े हो, लेकिन किसान की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूं इसका एक ही तरीका है, सारे राजनीतिक दल मिलकर और बैठकर फैसला करें कि कहां गलती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमें इसके लिए कृषि का नियोजन करना पड़ेगा। इसके लिए सारे देश में सर्वे कराना पड़ेगा कि कितना तेल चाहिए, कितना आटा चाहिए और कितना गन्ना इत्यादि सामान चाहिए। उसके हिसाब से उत्पादन करना पड़ेगा और किसान को इसके लिए जागरूक बनाना होगा। इससे उपभोक्ता भी नहीं मरेगा और उत्पादक भी नहीं मरेगा। महंगाई के इस मूल में जाएं तो देखेंगे कि उत्पादक भी मरता है और उपभोक्ता भी मरता है। गैरनियोजन के कारण ही उपभोक्ता भी मर रहा है। इसका दोष अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का नहीं है, इसका दोष बरनाला जी या सोमपाल जी पर भी नहीं है, क्योंकि इनको आए हुए छः महीने भी नहीं हुए थे, जब महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। आपकी गलत नीतियों के कारण यह सब हुआ है।

1951 में उद्योग नीति अपनाई गई और लागू की गई। आज 1998 है, आज तक कृषि नीति की घोषणा नहीं हो पाई है। अब सोमपाल जी कृषि नीति की घोषणा करने जा रहे हैं। इस कटु अनुभव को भी देखें। आखिर इसका दोष किस पर है। क्यों नहीं कृषि नीति घोषित हुई? 1991 से 1996 तक कृषि नीति के लिए इसी सदन में कितनी बहस हुई, लेकिन वह लागू नहीं हुई। एक बार उसका मसौदा सर्वसम्मति से तैयार हो चुका था, पायलट जी को याद होगा, जाखड़ जी उस समय मंत्री थे, आप लोग इधर थे, हम उधर थे, लेकिन उसको भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। इसलिए हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा।

अभी एक महोदया कह रही थी, वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि आयात में घोटाला हुआ है। जब मैंने कहा कि आप पर भी आरोप लगे थे तो उन्होंने कहा कि आरोप लगाना बड़ा ही आसान है, तो क्या वह भी इसी तरह से आरोप लगा रही थी?

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उन्होंने एक आरोप लगाया था और मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिवालिया हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार में विकास के काम रुक गए हैं। मैं अगर नहीं बोलूंगा तो मैं अपने प्रदेश के साथ अन्याय करूंगा। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य जितने इस वर्ष हुए, उतने पचास वर्ष में कभी नहीं हुए।...*(व्यवधान)* अगर पचास वर्ष में कहता हूं तो आपको क्यों बुरा लगता है?...*(व्यवधान)* पांच वर्ष कह दूं? आपके हटने के बाद का समय कह दूं? आप जिसमें खुश हों जाएं, वह कह दूं? पिछले पचास वर्षों में उत्तर प्रदेश की जितनी उपेक्षा होती रही, उत्तर प्रदेश के माननीय मोतीलाल वोरा जी गवर्नर रह चुके हैं। वहां की हालत आपने देखी है। यह इस बात के गवाह हैं। आज उत्तर प्रदेश की

[श्री राजवीर सिंह]

सरकार ने कितना बड़ा फैसला लागू कर दिया है कि एक हजार की आबादी का कोई भी गांव बिना डामर की सड़क के नहीं छोड़ा जाएगा। हर गांव को हम सड़क से जोड़ने जा रहे हैं और हमने काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि काम करने वाली एजेंसियां कम पड़ गई हैं, ईंटें महंगी हो गई हैं, मैटिरियल मिलना मुश्किल हो गया है। यू.पी. में इतने विकास के काम हो रहे हैं कि वहां आज जो पी.एल.ए का पैसा पड़ा हुआ था,...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आपने कौन से साल का सेंसस लिया है? ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : मैंने 1991 का लिया है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : बताइए, इस देश को आप क्यों बेवकूफ बनाते हो?...*(व्यवधान)* 1991 में जो एक हजार की आबादी थी, आज वह पांच हजार की आबादी हो गई है।...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं आपको बतला रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : शहरों में जिस तेजी से आबादी बढ़ी है, गांव में नहीं बढ़ी है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आप सेंसस 1996 का लें। 1991 का क्यों लेते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : गांव में आबादी घटी है, बढ़ी नहीं है। सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : कल्याण सिंह जी की सरकार में गांव की आबादी घटी है?...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : जोगी जी, कल्याण सिंह जी की सरकार में नहीं, आपने जो जहर लगाया है, गांव को विकास से महरूम कर दिया। वहां पर पानी नहीं दिया, सिंचाई नहीं दी, आपने शिक्षा के लिए स्कूल नहीं दिए। उससे लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए दिल्ली और मुम्बई में झुग्गी-झोंपड़ियां खड़ी हो रही हैं। आपने गांव की उपेक्षा की। उस उपेक्षा के कारण दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता में समस्याएं पैदा हुई हैं। आपने अगर ग्रामीण लोगों की ये सुविधाएं दी होतीं तो वे शहरों की तरफ नहीं भागते। इन सब चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी को बुरा लगना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि महंगाई की समस्याएं बढ़ेंगी क्योंकि हमारे मित्र उसको बढ़ाऐंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब इधर के लोग मिलकर एक ही बात बोलते हैं।

मैंने बचपन में संस्कृत की पंचतंत्र की एक कथा पढ़ी थी। मैं आपको बताता हूं। एक बार एक पंडित जी किसी यजमान के यहां न्यौता खाने गए और वहां से पंडित जी को गाय की एक बछिया दान में मिली। वह बछिया छोटी थी और कमजोर भी थी, इसलिए पंडित जी ने उसे अपने कंधे पर ले लिया और घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में कुछ ठगों ने देखा कि बड़ी खूबसूरत बछिया है। वे सोचने लगे कि कैसे भी हो, इनसे यह बछिया ठगी जाए।...*(व्यवधान)* ठगों ने पूछा कि पंडित जी, यह क्या ले जा रहे हैं?

श्री के. बापीराजू (नरसापुर) : यह कथा यहां क्यों सुना रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : इन्हें क्या हो गया है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : उन्होंने पूछा कि यह क्या ले जा रहे हैं? बोले कि बछिया ले जा रहे हैं, हमें दान में मिली है।

क्या दिमाग खराब हो गया है, यह तो कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी ने कहा—जाओ भैया आपका दिमाग खराब है। मगर जब छः ठग, दूर-दूर खड़े हुए, एक ही बात कह रहे हैं, दूसरे ने भी यही कहा और तीसरे ने भी यही कहा, तो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपया समाप्त करें।

श्री राजवीर सिंह : महोदय, कहानी अधूरी रह गई, तो इनको आधे सिर का दर्द हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त करें, कहानी अधूरी न छोड़ें।

श्री राजवीर सिंह : सभी ठगों ने एक ही बात कही। ...*(व्यवधान)* जब छः-सात ठगों ने एक ही बात कही, तो उसको लगा कि वाकयी कहीं गलती हो गई है और वह बछिया को छोड़ चला गया।...*(व्यवधान)* इसी तरीके से देश की जनता, पंडित रूपी, उसको दान में मिली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और उसको ठगने वाले ठग, जो छः-सात बैठे हैं...*(व्यवधान)* कहते फिर रहे हैं कि कुत्ते का बच्चा है।...*(व्यवधान)* इसका असर हुआ है और दो-तीन प्रदेशों में हुआ है। मगर लोगों को पता लग गया है कि यह बड़ा-भारी चूक हो गई। नमक के बारे में आपकी पोल खुली, ड्राप्सी में कुछ लोगों का हाथ पकड़ा गया। नमक होते हुए भी नमक की कमी आपने क्रिएट कराई और प्रचार किया...*(व्यवधान)* जब-जब सरकार में दूसरे लोग आते हैं, तो दूसरे लोग आपको हजम नहीं हो पाते हैं। आप हमारा विरोध करते हैं, कोई फक्र नहीं पड़ता है, लेकिन आपने देवेगौड़ा साहब की सरकार गिराई, गुजराल साहब की सरकार गिराई और पहले चन्द्रशेखर साहब की सरकार गिराई।...*(व्यवधान)* आप पर तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, मेरी बात शायद मीडिया के माध्यम से बाहर भी जा सकती है, इन ठग लोगों के बारे में पता देश की जनता को हो गया है और अब वह इनके चक्कर में नहीं आएगी। महंगाई कोई टैम्पोरेली मामला नहीं है, महंगाई हमेशा से बढ़ती रही है। महंगाई काफी बार बढ़ी है। आपके राज में तो राशन कार्ड से लोगों को गेहूं भी खाने को नहीं मिला

था और आप भीख का कटोरा लेकर विदेशों से गेहूं मांगने के लिए गए थे। आपके राज में तो तेल भी नहीं मिलता था और इन कठिनाइयों को समाज ने झेला।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजवीर सिंह : मैं आपका आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए, निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरह के दुष्प्रचार का सामना करे। मीडिया ने भी जिस तरह से गलत ढंग से इसको पेश किया है, मीडिया से भी बात करनी चाहिए। मीडिया ने भी महंगाई को बढ़ाया है।...*(व्यवधान)* मैं आपको उदाहरण देता हूं। टीवी पर दुकानदार से पूछा जा रहा है और वह कह रहा है कि कल प्याज 60 रुपये किलो हो जाएगी। अखबारों में छप रहा है कि नमक भी नहीं मिलेगा। इस कारण लोगों के मन में दहशत पैदा हुई और लोगों ने नमक खरीदा। नमक की स्थिति भी ऐसी कर दी, जैसे गणेश जी ने दूध पिया और नमक पिला दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन सारी स्थितियों पर नियंत्रण लगायें और कृषि की प्लानिंग करें। जब तक कृषि की प्लानिंग नहीं होगी, तब तक ये समस्यायें समय-समय पर खड़ी रहेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : सभापति महोदया, यह सभा राष्ट्रीय चिन्ता के एक अत्यंत गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कर रही है। थोड़ी ही देर पहले, कृषि मंत्री चर्चा में हस्तक्षेप करके, वास्तव में चर्चा का उत्तर दे रहे थे। अतः, हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि हम भी यहां चर्चा में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं और विशेष रूप से तब जबकि इस मामले का प्रमुख उत्तरदायित्व कृषि मंत्री पर है और वह इस चर्चा के बीच में जो उत्तर दे रहे थे उससे लगता है इस संबंध में कृषि मंत्रालय की स्थिति बहुत अस्पष्ट है। इसी वजह से हमने उस समय इसका विरोध किया था।

यहां जिन बातों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करते हुए, माननीय श्री राजेश पायलट ने देश के शासन के बेहतर संचालन हेतु तीन मानदंडों का उल्लेख किया था। इनमें से पहला मानदण्ड मूल्य वृद्धि के संबंध में है। उन्होंने कहा था कि सरकार के सत्ता संचालन का निर्धारण मूल्य वृद्धि पर सरकार के काबू पाने के तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि इस देश के सरकारी कर्मचारियों, मध्यम वर्गों और कामकाजी वर्गों की जन संख्या इस देश की कुल जनसंख्या के 60 प्रतिशत से अधिक है। वे प्रमुखतः उपभोक्ता बाजार से प्राप्त आवश्यक वस्तुओं पर आश्रित हैं और यदि सरकार आवश्यक वस्तुओं के बाजार अथवा उनकी कीमतों को विनियमित। नियंत्रित करने में सक्षम है, तो उससे देश की सत्ता का खराब अथवा घटिया तरीके से संचालन अथवा कुशासन प्रदर्शित होगा। अतः, यह एक लिटमस टेस्ट है। इस देश में भाजपा सरकार का आठ अथवा नौ महीने का शासन ही इस सरकार का लिटमस टेस्ट है कि यह सरकार कैसे कार्य कर रही है।

सबसे पहले मैं प्याज, आलू, खाद्य तेल और सभी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूं। ये सभी इस सरकार के शासन चलाने के द्योतक हैं। इतना ही नहीं, आठ अथवा नौ महीने पहले की वस्तुओं की कीमतों और आज की कीमतों में काफी अंतर है।

कृषि मंत्री मौसम की स्थिति पर निर्भर रहे। कृषि उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक गिरावट आयी है। कीमतें किस दर से बढ़ी हैं? कृषि उत्पादन में गिरावट और कीमतों के बढ़ने की दर में तुलना नहीं की जा सकती। अतः कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं।

सरकार के इस कथन में कोई औचित्य नहीं है कि कृषि उत्पादन के कम होने अथवा मौसम के विपरीत होने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। अतः सरकार कीमतों पर नियंत्रण लगाने, बाजार को विनियमित रखने और बाजार में हस्तक्षेप करने के मामले में बुरी तरह से विफल रही है।

हमने संसद में विपक्ष की ओर से 9 जुलाई को सरकार को सचेत कर दिया था कि उत्पादों की कमी है कृषि उत्पादन कम हुआ है और उन्हें निर्यात को रोकने की कोशिश करनी चाहिये और हमें समाचार पत्रों से पता चला है—कृषि मंत्रालय इस बात को स्वीकार कर रहा है अथवा नहीं—मुझे ज्ञात नहीं है। मैंने कृषि मंत्रालय से विशेष रूप से आग्रह किया था कि वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज निर्यात न करने के लिये सचेत किया है। चेतावनी के बाद भी कृषि मंत्रालय ने प्याज का निर्यात किया। एक महीने में 45,000 टन प्याज का निर्यात किया गया। अतः इसमें सरकार की दूरदर्शिता क्या है? यह भी देखा जा सकता है कि कीमतों में उस समय वृद्धि हुई जब उन्होंने बाजार में हस्तक्षेप किया।

मुझे वित्त मंत्री द्वारा 9 जुलाई को दिया गया उत्तर याद है। उस दिन वह यह कह रहे थे कि यह संकट सितम्बर माह के अंत तक समाप्त हो जायेगा। सितम्बर के अंत में क्या हुआ? अतः कीमतें बढ़ती जा रही हैं। स्थिति में केवल तभी सुधार हुआ जब श्रीमती सुषमा स्वराज को दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते नयी शक्तियां प्रदत्त की गईं।

सभापति महोदय : अभी 15 वक्ता और बचे हैं। मैं इस सभा की राय लेना चाहती हूं कि हमें क्या करना चाहिये?

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : कृपया समय बढ़ा दीजिये।

सभापति महोदय : इसके लिये दो घंटे का समय आबंटित किया गया था जबकि हमने इस पर साढ़े छः घंटे से भी अधिक समय ले लिया है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : इससे यह पता चलता है कि विषय काफी महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : उस स्थिति में यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो क्या हम इस सभा को एक घंटे के लिये बढ़ा दें?

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : कृपया सभा को एक घंटे के लिये बढ़ा दें, लेकिन उसी स्थिति में जब प्रत्येक सदस्य केवल छः मिनट तक ही बोलेगा ताकि सभी सदस्यों को अवसर मिल सके।

सभापति महोदय : क्या सभा की यही राय है? प्रत्येक सदस्य इस बात को ध्यान में रखेगा ताकि मुझे घंटी न बजानी पड़े।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : आपको घंटी बजानी होगी अन्यथा हम भूल जायेंगे कि कितना समय हुआ है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्री रेड्डी आप यह कह सकते है कि अनुशासन के तौर पर प्रत्येक सदस्य छः मिनट बोलेगा। सत्र के अंत में हर समय ऐसा होता है। दिन में काफी समय बर्बाद हो जाता है।

अपराह्न 6.00 बजे

मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अब आप मुझे केवल छः मिनट का समय प्रदान करेंगी। इस सभा को क्या हो गया है। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और फिर दिन के अंत में जाकर हमारे पास अपने विचार व्यक्त करने तक को समय नहीं है। यह बहुत ही गलत है। पीठासीन अधिकारियों को सभा को हर समय व्यवस्था और अनुशासन के साथ चलाना चाहिये ताकि समय बर्बाद न हो। यदि दिन के अंत में हमें अपने विचार व्यक्त करने हों, तो हमारे पास समय नहीं होता।

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदया, व्यावहारिक तौर पर पन्द्रह के पन्द्रह सदस्य एक घंटे में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। इसका यह अर्थ हुआ कि मंत्री जी आज भी उत्तर नहीं देंगे। अतः यदि वास्तव में आप सभी को अवसर देना चाहती हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिये।

सभापति महोदय : हम एक कार्य कर सकते हैं। हम चर्चा आज समाप्त कर लेते हैं और मंत्री जी कल उत्तर देंगे। अन्यथा इस बात का कोई अंत ही नहीं होगा।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदया, आप ठीक कर रही हैं।

सभापति महोदय : अतः क्या सभा एक घंटे तक का समय बढ़ाने पर सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सभा का समय एक घंटे तक बढ़ाया जाता है और प्रत्येक सदस्य पांच मिनट की समय सीमा का पालन करेगा जिसमें एक मिनट तक की रियायत दी जा सकेगी। श्री प्रेमचन्द्रन, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि हमने किसानों से 3.12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीदा है और हमने अपने देश से 2.05 लाख टन प्याज का निर्यात किया है। इसके साथ-साथ हमने बाहर से ऊंची कीमत देकर प्याज खरीदा है। महोदया, यह तो लूटपाट हुई। यह कीमत बढ़ाने वाली बात नहीं है। अतः मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन मामलों की जांच करने हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये।

मंत्रालयों में भी परस्पर समन्वय नहीं है। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर दोषारोपण कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को चेतावनी दी है और वाणिज्य मंत्रालय किसी अन्य मंत्रालय पर भी दोषारोपण कर रहा है। इसके साथ-साथ नेफड, जो इन सभी चीजों का निर्यात कर रहा है, इन सभी तीन मंत्रालयों पर दोषारोपण कर रहा है। अतः इन मामलों की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : जी हां, महोदया मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अपराह्न 6.02 बजे

[**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मुद्रास्फीति के बारे में भी इस सभा ने वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करते समय और इसके बाद भी सचेत कर दिया था लेकिन सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उसका उपचार यह है कि एक कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनायी जानी चाहिये। मैं पुनः उसी बात पर बल दे रहा हूं कि जब श्री सोमपाल जी चर्चा का उत्तर दे रहे थे, तो वह कह रहे थे कि इस बात पर राजनीतिक सीमाओं के बाहर जाकर चर्चा की जानी चाहिये। इस पर राजनीतिक सीमाओं के बाहर जाकर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यह बात प्रत्येक दल की राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती है। टीपीडीएस के संबंध में बीजेपी सरकार की क्या नीति है यह बात उन्हें स्पष्ट करनी चाहिये। मैं केरल की एल डी एफ सरकार की ओर से इस बात को चुनौती के रूप में ले रहा हूं। हम कृषि उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। केरल तो केवल उपभोक्ता राज्य है। लेकिन हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हमने कीमतों पर नियंत्रण रखा हुआ है। इसका यह अर्थ है कि हमने अपने राज्य में विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारगर रूप से कार्य करने के कारण बाजार को विनियमित कर रखा है। यहां इस मामले में सरकार कीमतों को नियंत्रित करने में बुरी तरह से विफल रही है। यहां तक कि वित्त मंत्री ने भी भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक को संबोधित करते हुए यह कहा है कि कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित की जानी चाहियें और यह बाजार खुला बाजार होना चाहिये। इसका यह अर्थ है कि केन्द्र अथवा राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप न हो। इसका यह अर्थ है कि सरकार की ऐसी नीति है। अतः इस सब काम के लिये सरकार को दोष देना होगा। कीमतों को नियंत्रित करने में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। अवैध कार्य के लिये जमाखोरों, कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों को लाभ हो रहा है। अतः मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका अति धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, आपने मुझे परिचर्चा में भाग लेने के लिए वक्त दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राजनैतिक शास्त्र, संविधान की पुस्तकों और बहस-मुबाहिसों में यह पढ़ते और सुनते थे कि प्रजातंत्र में सरकार जनता के हितों के लिए गठित की जाती है लेकिन आज हालात दूसरे ही दिखायी दे रहे हैं। इस सरकार जिस का हम समर्थन कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह आम जनता की अनदेखी करते हुए एक विशेष वर्ग की बन कर रह गई है। इनकी नीतियों को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रही है।

देश की माली हालत खराब होती जा रही है। आम आदमी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के आसमान छूते दामों से परेशान है। उत्पादन चाहे कृषि का हो, स्टील या कपड़े जैसे उद्योग का, वह कम होता जा रहा है, पर सरकार देश के मुट्ठी भर विदेशी व्यापार में लगे लोगों के हितों को ध्यान में रखकर, निर्यात और आयात के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपयों के प्रोत्साहन घोषित कर आर्थिक स्थिति सुधारने के सपने दिखाने में लगी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इसे माना है कि आज देश की आर्थिक हालत खराब है और यह हमें पूर्व सरकार से विरासत में मिली है। निःसंदेह मेरी यह सोच है कि देश की आर्थिक हालत निरन्तर बिगड़ती जा रही है, परन्तु यह सरकार जो कि एक योग्य नेता का दावा करने वाली है और मैं मानता भी हूं कि आज हिन्दुस्तान के पास माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से योग्य कोई नेता नहीं होगा, तो भी पिछले आठ-नौ महीनों में देश की आर्थिक हालत बद से बदतर हुई है। खान-पान की दैनिक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि मौसम की खराबी की वजह से कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं समझता हूं कि उनकी यह सोच निहायत ही निराधार है।

सेन्टर फॉर मॉनीटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े मेरे पास हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि प्रधान मंत्री जी की सोच इसके विपरीत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजी सब्जियों का निर्यात इसी वर्ष 1998-99 में पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ा है, चाय 71 प्रतिशत अधिक विदेशों को भेजी गई है, दालें 37 प्रतिशत अधिक निर्यात की गई हैं, गैर-बासमती चावल 76 प्रतिशत अधिक बाहर बेचा गया है। गैर-बासमती चावल जो देश में आम आदमी का भोजन है, उसका निर्यात बढ़ाया जाएगा, देश के घरेलू बाजार में मांग की आपूर्ति कम होगी तो चावल के दाम बढ़ेंगे ही। क्या इसके लिए मौसम को दोषी ठहराया जा सकता है?

देश में सब्जियों का उत्पादन विश्व में पहले-दूसरे नंबर पर आंका जाता है, परंतु यह मात्रा देश में आम आदमी की जरूरत से कम है। 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक सब्जियां बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाती हैं। शेष 60 प्रतिशत सब्जियों में से, सरकार द्वारा निर्यात के लिए प्रोत्साहन देने की नीति अपनाने के कारण 14 प्रतिशत विदेशों को गत वर्ष की तुलना में और अधिक भेज दी गई, फिर घरेलू बाजार में सब्जियों की कमी महसूस होगी या नहीं? और यदि बाजार में कमी का अहसास होगा तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। फिर मौसम को दोषी कहकर कोसना वास्तव में धोखा है। वाजपेयी जी संभवतः भूल रहे हैं कि देश में किसान सब्जियां उसी भूमि में उत्पन्न करता है जहां पानी की उपलब्धता होती है। सब्जियों के उत्पादन के लिए अनिश्चित वर्षा के पानी पर देश का किसान कभी निर्भर नहीं रहता। इसलिए सब्जियों के उत्पादन पर मौसम की खराबी का प्रभाव नगण्य ही होता है। देश में दालों के उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि का कारण मुख्यतः यही आयात-निर्यात की सरकारी नीति है। भ्रष्ट नीयत और गलत नीति से उत्पन्न कुप्रभावों के लिए प्रकृति को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

देश की आर्थिक हालत खराब होने के साथ-साथ देश में आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था भी घोर संकट में है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। देश की आर्थिक हालत पर काबू पाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी पिछले दिनों दो आर्थिक नीतियां घोषित की हैं। इन दो आर्थिक नीतियों के अंतर्गत एक समिति गठित की है। एक समिति में दस सदस्य हैं और इसमें प्रायः सभी वे लोग हैं जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में सरकारी उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। उनमें प्रमुख श्री पी.एन. धर, श्री अशोक देसाई, श्री किरीट पारिख, श्री आई. जी. पटेल, सरदार एम.एस. आहलूवालिया आदि हैं। दूसरी समिति 12 सदस्यीय है जिसमें देश के बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा, श्री आर.पी. गोयंका, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री नुसली वाडिया, श्री मुकेश अंबानी आदि हैं। दोनों समितियों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक समिति आर्थिक नीति निर्धारण हेतु अपने सुझाव पेश करेगी तो दूसरी देश के व्यापार और उद्योग के विकास के लिए सिफारिशें सौंपेगी। आर्थिक नीति निर्धारण के संबंध में सुझाव देने वाली परिषद् में आर्थिक क्षेत्र में जाने माने विशेषज्ञ हैं। आज तक ये ही विशेषज्ञ किसी न किसी रूप में देश की आर्थिक नीति के निर्धारण व क्रियान्वयन की भूमिका में भागीदार रहे हैं और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज जो देश की माली हालत है, उसकी जिम्मेदारी एक सीमा तक इन्हीं अर्थ-विशेषज्ञों की भी है। आठ पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी गरीब और अमीर का अंतर कम होने के बजाय बढ़ रहा है।

सरकारी दावों और वायदों के बावजूद बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विदेशी कर्ज के भार से देश दबा दिया गया है, प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ने के दावों के बावजूद कर्ज व ब्याज की अदायगी में उत्पादन राशि का बड़ा भाग होम हो जाने के कारण देश वैसे का वैसा खड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, दूसरी लॉबी बड़े घराने के उद्योगपतियों की है जो आज तक फिक्की, सी.आई.आई. तथा अनेकों चैम्बर ऑफ कामर्स एंड ट्रेड से संबंधित उद्योगपतियों की संस्थाओं के माध्यम से सरकार को सलाह और सिफारिशों के साथ-साथ मांगें भेजते रहे हैं और उन्हीं के आधार पर सरकार ने भी हजारों, लाखों करोड़ों की रियायतें घोषित की हैं, किंतु देश का व्यापार व उद्योग एक स्थाई स्थिति पैदा नहीं कर पाये। 1996-97 में इन्हीं उद्योगपतियों द्वारा देश की जनता से 14,275 करोड़ रुपया प्राप्त किया गया था।

सभापति महोदय : ठीक है, अब समाप्त कीजिए।

डा. सुशील इन्दौरा : सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप पेपर्स को टेबल पर रख दीजिए।

डा. सुशील इन्दौरा : सर, इसमें कुछ कमियां हैं, जिनको मैं जोड़ना चाहता हूं।

सभापति महोदय : एक मिनट में समाप्त कीजिए।

डा. सुशील इन्दौरा : आज तक इन्हीं वर्ग के लोगों की सलाह, सुझाव और सिफारिशों पर सरकारी अर्थ तंत्र का संचालन किया जाता रहा है, जबकि देश की आर्थिक आधारशिला कृषि पर आधारित है।

सभापति महोदय : पहली बार संक्षेप में बोलना चाहिए।

डा. सुशील इन्दौरा : ठीक है, सर। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जो समितियां बनाई गई हैं वे उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की समितियां हैं जो कृषि के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं। किसानों की इस क्षेत्र में उपेक्षा गत वर्षों में भी की गई हैं जबकि उससे कई तरह की अपेक्षा की जाती हैं। मैं बात को लम्बा न करते हुए कहना चाहूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा कि सरकार को आज इन समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में जो असुविधाएं और दिक्कतें हैं, देश में व्यापक और पारम्परिक कृषि कार्य होने के बावजूद दुनिया में भारत का कृषि क्षेत्र पिछड़ गया है, क्योंकि गत वर्षों में जो सरकार द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थीं, वे नहीं कराई गई हैं। सरकार की आज सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कृषि के विकास के लिए कारगर कदम उठाये। इसके लिए मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं—

1. कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना।
2. कृषि उपज के साथ-साथ कृषि उपज दर में वृद्धि करना।
3. कृषि उत्पादों के विक्रय हेतु उत्पादक व उपभोक्ता के बीच बिचौलियों की वर्तमान श्रृंखला को तोड़ना और समाप्त करना।
4. लघु व सीमान्त किसान की जोत को लाभकारी बनाना।
5. देश में उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति से कृषि उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए व्यवस्था कायम करना।
6. जोत भूमि से अधिक बेकार पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए समयबद्ध कारगर योजना तैयार करना।
7. कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करना।
8. कृषि सिंचाई को अनिश्चित वर्षा के पानी की निर्भरता से मुक्ति दिलाना।

भारतीय जनता पार्टी का शासन यदि वचनबद्धता के प्रति सजग है तो तत्काल उसे उपरोक्त मुद्दों पर अपने आपको केन्द्रित करना होगा। कृषि के विकास में ही देश का विकास निहित है और यहीं से देश अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू होगा। सही अर्थों में आत्मनिर्भरता ही विकास का पर्याय है। गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री वाजपेयी जी ने कहा था—"स्वदेशी के नाम पर कूपमण्डूकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है", सही है, परंतु अपने संसाधनों की उपेक्षा कर, अपनी आवश्यकताओं और आंकाक्षाओं की अनदेखी कर, उधार के संसाधनों का दूसरे की नकल करते हुए उपयोग करने से क्या किसी का अपना विकास हुआ है? उधार के धन से अमीरी झलकाने वाले व्यक्ति के स्थान पर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और उनकी कमी होने पर उधार के संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग करने से ही विकास का सपना साकार हो सकता है। देश की धरती पर संसाधन उपलब्ध हैं उनका भरपूर उपयोग, परम्परागत उद्योग कृषि में करके देश को आत्मनिर्भर तो बनाएंगे ही, वैभव के शिखर पर भी खड़ा कर सकेंगे, क्योंकि विकास की जड़ें आत्मनिर्भरता में ही छिपी हुई हैं। देश में कृषि का विकास होगा तो भूखे को रोटी, बेरोजगार को रोजी, रोगी को स्वास्थ्य तथा आम आदमी को समृद्धि स्वाभाविक ही मिलती रहेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, राज्य विधान सभाओं के हाल ही में हुए चुनावों में कीमतें प्रमुख कारक रही हैं और मुझे इसकी बहुत खुशी है क्योंकि आम आदमी और निर्धन-से-निर्धन लोगों ने यह फैसला दिया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि केवल उच्च मध्यय वर्ग के लोग ही ऐसे हैं, जो कभी कोई परेशानी नहीं झेलते और फल का रसास्वादन करते हैं तथा गरीब लोगों को ही हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है और इन लोगों ने बेहतर व्यवस्था हेतु पचास वर्ष इंतजार किया है। अब, उन्होंने अपना फैसला दे दिया है।

कीमतों में भारी वृद्धि होती आ रही है और सरकार ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अन्ततः, जब उसने चुनाव करवाए, तो परिणाम उसके सामने आ गए। यह फैसला भाजपा के विरूद्ध और कांग्रेस तथा अन्य घटकों के पक्ष में था। लेकिन मैं प्राप्त मतों की प्रतिशतता के बारे में चिन्तित नहीं हूं। मेरे विचार से, यह फैसला लोकतंत्र के पक्ष में ज्यादा है।

प्रधान मंत्री ने अपने अत्युत्कृष्ट अन्दाज में इन सब बातों के लिए परिवर्तित जलवायु को दोषी माना है। उन्होंने इसे 'आसमानी' और तत्पश्चात 'सुल्तानी' कहा। उनकी यह बात 5। प्रतिशत सही है, क्योंकि जलवायु बदल गई है। जहां तक पर्यावरण का संबंध है, भारत विश्व के उन देशों में से है जहां की जलवायु में परिवर्तन आया है हमें इसके प्रति सचेत रहना होगा। एक बार प्रधान मंत्री ने कहा था, 'बेमौसम की बारिश आ गई।' प्रदूषण के कारण वातावरण में सतत परिवर्तन होने से भारत के कुछ भागों में सूखा पड़ता है, तो कुछ में अकाल और कुछ भागों में बाढ़ आती है। अमरीका विश्वभर में सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। जापान के क्योटो शहर में चीन और भारत ने मिलकर अमरीका की इस बात के लिए खिंचाई भी की थी। इस बार ब्यूनस अयरस में भी चीन और भारत एक साथ रहे और अमरीका

प्रदूषण कम करने के लिए राजी हो गया। इस बार मई का महीना विगत 57 वर्षों में सर्वाधिक गर्मी का महीना था। जलवायु बदल रही है। अतः प्रधान मंत्री का उक्त कथन 5। प्रतिशत सही था क्योंकि जलवायु बदल रही है। उन्होंने इसे 'आसमानी वजुहात' और तत्पश्चात् 'सुल्तानी वजुहात' कहा। इसके बाद 'जमीनी वजुहात' की स्थिति सामने आती है जिसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मुझे इसका बहुत खेद है क्योंकि मुझे इस बात से ईर्ष्या नहीं है कि भाजपा इस देश का शासन चला रही है। जब तक उसके पास समुचित संख्या है, उन्हें शासन चलाना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य है कि सही तरीके से शासन का संचालन करना चाहिए।

जो उर्दू में कहते हैं, वो गवर्नमेंट को घसीट नहीं सकते।

मेरे पास यहां यह सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण मौजूद हैं कि यह सरकार इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रही है। अति-निर्धन लोगों के लिए प्याज, आलू, टमाटर और आम उपयोग की अन्य वस्तुएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके लिए धर्म की बात इसके बाद में आती है। हमने पिछले अनुभवों से सबक नहीं लिया है। बंगलादेश के अस्तित्व में आने से विश्व की जनता के समक्ष यह बात प्रमाणित हो गई थी कि आधुनिक युग में धर्म मूलभूत संयोजक कारक नहीं है। हां, यह अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक घटक हैं। लेकिन बहुत-सी जरूरतें ऐसी हैं, जो मनुष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अतः, जब जनता का फैसला सामने आया, तो यह आरएसएस की हिन्दुत्व की अवधारणा के विरूद्ध था। निर्धन लोग, चाहे वे हिन्दु हों, मुस्लिम हों, सिख हों अथवा ईसाई हों, ने यह सिद्ध कर दिया कि आम उपभोग की वस्तुएं, जिनके सहारे उन्हें जिन्दा रहना है, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भारत को यह सबक सिखा दिया कि 'धर्म को राजनीति के साथ कभी मत जोड़ो'। यदि यह भाजपा के लिए अत्यंत कटु सबक है, तो हम सभी के लिए भी यह सबक है कि हमें धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अतः, प्याज, आलू और टमाटर के पक्ष में दिया गया यह फैसला कोई साधारण बात नहीं है। यह इस देश के लिए बहुत बड़ा सबक है। हमें दयालु, धर्म निरपेक्ष और देशभक्त अवश्य बनना चाहिए। हमें व्यक्तिगत आस्था के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहिए तथा हम उस पर गर्व कर सकते हैं।

अब, यह सरकार विफल कहां रही? यह तीन मोर्चों पर विफल रही है। मुझे अपनी बात बहुत जल्द कहनी होगी क्योंकि जब पूरा दिन बीतने वाला हो, तो कहानियां नहीं सुनाई जाती। सौभाग्यवश, दो अथवा तीन वरिष्ठ मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं। मैं मूल्य वृद्धि के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं सभी के आसानी से समझ में आने वाली स्थिति को बहुत संक्षेप में स्पष्ट करूंगा। मैं जल्दी से यह बताऊंगा कि 11 जून, 1998 से 30 अक्तूबर, 1998 की अवधि के दौरान कीमतें कैसे बढ़ी और सरकार इस पर निगरानी रखने में कैसे विफल रही।

प्याज का मूल्य 11 जून, 1998 को 6 रु. प्रति किलो ग्राम, 31 जुलाई, 1998 को 18 रुपये प्रति किलोग्राम, 31 अगस्त, 1998 को 22 रुपये प्रति किलोग्राम, 17 सितम्बर, 1998 को 33 रुपये प्रति किलोग्राम, 3 अक्तूबर, 1998 को 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 7 अक्तूबर, 1998 को 46 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 अक्बूबर, 1998 को 60 रुपये प्रति किलोग्राम था। जब इसकी कीमतें बढ़ रही थीं, तब इस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।

दूसरे यह सरकार निर्यात पर रोक लगाने में विफल रही। जहां तक इसके निर्यात का संबंध है, स्पेन और नीदरलैंड के बाद भारत प्याज का तीसरा बड़ा निर्यातक देश है। भारत सरकार इस संबंध में अति शीघ्र कोई निर्णय ले सकती थी। वास्तव में वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में कोई सुझाव दिया था, लेकिन इसमें इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया गया था। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री को इस का इतना क्रेडिट नहीं दे सकता कि उन्होंने सरकार को सचेत किया। वे एक केबिनेट मंत्री हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। वे प्रधान मंत्री निवास पर जा सकते थे। प्रधान मंत्री कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं है। वे चेतावनी दे सकते थे। वे प्रेस कांफ्रेंस बुला सकते थे और यह बता सकते थे कि ऐसा हो रहा है। अनौपचारिक रूप से, कोई टिप्पण भेजना अथवा अपने सार्थियों से बातचीत करना सही नहीं है। इस प्रकार, निर्यात बंद नहीं किया गया। यदि प्याज का निर्यात बंद कर दिया जाता, तो इसकी कीमत कम हो जाती।

सभापति महोदय, अब मैं सरकार की तीसरी विफलता पर आता हूं। निस्संदेह मुझे, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री को क्रेडिट अवश्य देना चाहिए क्योंकि उनका समन्वय बहुत अच्छा है। मैं इससे संतुष्ट हूं। लेकिन समग्र रूप से सरकार को भी वैसे ही करना चाहिए, जैसे श्री मदन लाल खुराना जी हमारे साथ कर रहे हैं। वे हमारे सामने कारण स्पष्ट कर रहे हैं। कभी-कभी गलती होने पर वे हमसे क्षमा भी मांगते हैं। वे सौहार्द और सूझबूझ का माहौल बना रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने अभी तक एक भी मुद्दे पर विपक्षी राजनैतिक दलों के साथ सलाह-मशिवरा नहीं किया है जबकि सामूहिक बुद्धिमत्ता वैयक्तिक बुद्धिमत्ता से हमेशा महान होती है।

इस सरकार की यही तीन प्रमुख विफलताएं हैं। इन सभी के कारण, हमारे जम्मू और कश्मीर राज्य को अत्यधिक क्षति पहुंची हैं। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि जब यहां प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलो है, परन्तु श्रीनगर में या तो यह मिलता ही नहीं या तो फिर इससे 10 रुपये प्रति किलोग्राम मंहगा मिलता है।

इसलिए जम्मू कश्मीर को अपेक्षाकृत अधिक संकट का सामना करना पड़ा है। अतः सभापति महोदय, इस विचार-विमर्श सहित मेरा प्रस्ताव यह है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर को परिवहन राजसहायता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए ताकि कम से कम यह संभव हो सके कि जो चीज दिल्ली में 60 रु. प्रति किलो के भाव पर बिकती है, श्रीनगर में भी 60 रु. किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध करायी जाये।

महोदय, श्रीनगर में मूल्य-सूचकांक दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से सदैव भिन्न रहता है। श्रीनगर अब सबसे महंगा शहर है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि वे जम्मू कश्मीर को आम उपभोग की वस्तुओं के मामले में परिवहन राज सहायता देने के मेरे प्रस्ताव पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी मूल्य-वृद्धि के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही हो, तो प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि मुझे बोलने की अनुमति न दी गई होती तो मेरा दल इस चर्चा में भाग लेने के अवसर से वंचित रह जाता।

महोदय, पिछले दो-तीन दिनों से नियम 193 के अंतर्गत चर्चा चल रही है। हमारे देश में जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, हम विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। जन सामान्य मूल्यवृद्धि के कारण बुरी तरह से पिस रहा है और उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब सभा में ये मामले उठाये जाते हैं, तो मंत्रीगण निराधार और अनुचित तर्कों का सहारा लेते हैं। यहां, माननीय कृषि मंत्री बता रहे हैं कि यह एक सार्वभौमिक स्थिति है। तत्पश्चात् वे कह रहे हैं कि यह मौसम की खराबी के कारण हुआ था। फिर वे कहते हैं कि यह नदियों में आयी बाढ़ के कारण था। फिर वे कह रहे हैं कि उत्पादन में कमी हुई है।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि खराब मौसम के अतिरिक्त यदि उत्पादन में कोई कमी आयी है, तो उसे नियंत्रित करना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है?

भाजपा के मेरे मित्र श्री राजवीर सिंह ने कहा कि यह कृत्रिम कमी है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? यदि कृत्रिम रूप से उत्पन्न कमी है तो क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि ऐसी स्थिति को रोकने हेतु कदम उठाये जायें। फिर वे किसलिए पदासीन हैं। क्या इस दायित्व का निर्वाह विपक्ष करेगा? लोग सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वह जमाखोरों के विरूद्ध कड़े कदम उठाये। परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। वे तरह-2 के बहानों का सहारा ले रहे हैं।

माननीय कृषि राज्य मंत्री यहां आये और अपनी सरकार और अपने विभाग के पक्ष में लम्बा भाषण दिया। माननीय प्रधान मंत्री ने अपने साथी मंत्रियों की विफलता को महसूस किया है। मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है मूल्य नियंत्रण के लिए नियुक्त मंत्रिमंडल उप समिति ने न तो कोई कार्यवाही की है और न कोई कदम उठाया है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि राज्यमंत्री भी इस उप समिति के सदस्य होंगे। यहां उनको अपने द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा देना चाहिए था इसके स्थान पर वे सार्वभौमिक स्थिति, कृत्रिम रूप से उत्पन्न कमी और ऐसी अन्य बातों के बारे में बता रहे हैं।

मैं कहता हूं कि सरकार का अत्यंत ढुल-मुल रवैया ओर स्थिति के कुप्रबंध के कारण मूल्य वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार के पास कोई औचित्य नहीं है। इस देश में मूल्यों के क्षेत्र में क्या हुआ है? लोग मूल्य वृद्धि के कारण कष्ट झेल रहे हैं।

कल वित्त मंत्री और आज कृषि राज्य मंत्री ने मूल्य-वृद्धि के बारे में लोगों को गुमराह करने की चेष्टा की है। वे अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए कतिपय रिकार्डों से कुछ आंकड़े उद्धृत कर रहे हैं परन्तु तथ्य कुछ और हैं। मैं मंत्री महोदय के सभा में प्रस्तुत विचारों के मद्देनजर, मूल्य-वृद्धि के प्रभाव को दिखाने के लिए कुछ आंकड़े उद्धृत करता हूं।

मुद्रास्फीति की दर जो गत वर्ष साढ़े चार प्रतिशत पर नियंत्रित करके रखी गई थी अचानक बढ़कर आठ प्रतिशत हो गयी है और इस महीने के अंत तक नौ प्रतिशत हो जायेगी। दिसम्बर के अंत तक यह नौ प्रतिशत हो जायेगी। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना काफी कठिन हो गया है। आम व्यक्ति को थोक मूल्य सूचकांक से कोई सरोकार नहीं है उसका सरोकार केवल खुदरा मूल्य से है। मैं सरकार का ध्यान औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1997 में औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पांच प्रतिशत था। सितम्बर, 1998 तक यह बढ़कर सोलह प्रतिशत हो गया है। यदि हम इसके ब्यौरे पर नजर डालें तो पता लगता है कि सितम्बर, 1998 में प्राथमिक वस्तुओं ने मुद्रास्फीति की वृद्धि में साठ प्रतिशत योगदान दिया जबकि तैयार वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि ने मुद्रास्फीति की कुल वृद्धि में अड़तीस प्रतिशत का योगदान दिया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद : मैंने अभी-अभी बोलना शुरू किया है। मैं काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब मंत्री यहां उपस्थित थे तो मुझे बोलने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था।

यदि आप अलग-अलग वस्तुओं जैसे दाल को देंखें, तो अरहर दाल के मूल्य में 1996 की तुलना में 1997 में 22 प्रतिशत की कमी आई परन्तु 1998 में, अरहर दाल के मूल्यों में 1997 की तुलना में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान स्थिति ये है।

इसके लिए कौन अपराधी है। यह कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की ओर से लापरवाही बरती जा रही है सरकार द्वारा कुप्रबंधन किया जा रहा है और सरकार में संवेदनशीलता का अभाव है।

इसके बाद आलू का मामला लीजिए। सितम्बर, 1997 में इसके मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सितम्बर, 1998 में यह 27 प्रतिशत तक बढ़ गया। ये कहते हैं कि प्रतिकूल मौसम इस मूल्य वृद्धि का कारण है या मौसम की अकस्मात खराबी इसका कारण है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा। यदि ऐसा है तो जो आलू मुम्बई में 30 रु. प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा था, दिल्ली में वह 60 रु. में और आगरा में 100 रु. में कैसे बिका? इस देश में किस प्रकार का मौसम रहता है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : क्या आप आलू के बारे में जिक्र कर रहे हैं? आलू के बारे में यह बात नहीं है।

श्री ई. अहमद : मुझे खेद है। मैं प्याज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं भूल सुधार कर लेता हूं। श्री बरनाला जी, मेरे पास सभी चीजों के नाम हैं, और मूल्य-वृद्धि की तरह हर जीच गड्डमड्ड हो गयी है। मेरी भूल सुधार करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सितम्बर में दिल्ली में प्याज 60 रु. प्रति किलो की दर से बिक रहा था, आगरा में यह 100 रु. और बम्बई में यह 30 रु. की दर से बेचा जा रहा था। यह स्थिति है। क्या यह मौसम की खराबी के कारण है। अतः, वस्तुतः सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और विभागों के बीच मे कोई समन्वय नहीं है। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र द्वारा भारतीय प्रकाशित अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा के कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा। वे कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाई गई है। श्री बरनाला, मैं आपसे पूर्ण विनम्रता के साथ एक बात पूछना चाहूंगा। 1955 के अधिनियम के अन्तर्गत क्या प्रावधान हैं? क्या इस अधिनियम में इतना दम है कि जमाखोरों के खिलाफ गम्भीर कार्यवाही की जा सके? आपने स्वयं ही सभा को यह आश्वासन दिया था कि बुधवार को सभा में नया विधेयक पेश किया जाएगा। इन प्रावधानों के अन्तर्गत आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? दूसरा, उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा कालाबाजारी करने वालों को रोकने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1998 को बनाए रखने का उल्लेख किया था। क्या राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच कोई समन्वय है? क्या यह ठीक नहीं है कि कुमारी ममता बनर्जी की धमकी के कारण ही सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिये मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायी? जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; जब वे स्वयं मुसीबतों और मुश्किलों में फंस गये, तभी उन्हें इस देश के जन सामान्य के समक्ष आई गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का समय मिला? क्या इसका कारण यह नहीं था कि सरकार आपसी मामालों में उलझी थी और विवादों से घिरी थी? इसलिये सरकार कीमतों में वृद्धि रोकने में पूर्णतः असफल रही; और आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। उन्होंने इस देश की जनता के साथ न्याय नहीं किया है। जनता निश्चित ही इसका उत्तर देगी। तीन राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में जनता अपना एक उत्तर तो दे चुकी है।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। श्री नकवी यहां पर हैं। लोग वन्देमातरम या पोखरन धमाकों के लिये वोट नहीं देंगे। वे यह देखकर वोट देंगे कि उन्हें बाजार से वस्तुएं किस मूल्य पर मिलती हैं। सरस्वती वदना से एक भी वोट नहीं मिलेगा, पोखरन धमाकों से एक भी वोट नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि जन साधारण संतुष्ट हो तो आपको वस्तुओं की कीमतों के संबंध में कुछ करना होगा।

अतः, मैं यह उम्मीद करता हूं कि सरकार इस विषय में कुछ करेगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुछ अच्छे सुझाव दे सकूं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि चूंकि अध्यक्षपीठ को इसकी पूरी जानकारी है—अतः, उन्हें अध्यक्षपीठ द्वारा निर्देश दिया जाएगा धन्यवाद।

श्री पी. सी. थामस (मुवतुपुजा) : मुझे खुशी है कि हम आज मूल्य वृद्धि से संबंधित इस गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया है। मैं यह कहता हूं कि कीमतों में वृद्धि का एक मुख्य कारण मंत्रालयों के बीच समन्वय का अभाव है।

हमने देखा है कि केन्द्र सरकार ने कीमतों में बेहताशा वृद्धि होने के संकेत मिलने के बावजूद उचित कदम नहीं उठाये। हमने यह भी पाया है कि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर उस समय रोक नहीं लगाई गई जब इस पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में उन्हीं वस्तुओं का अत्यधिक ऊंचे दामों पर आयात करना पड़ा। बहुत सी आयात की गई वस्तुओं का नुकसान हो गया, या तो वे खराब हो गईं या फिर आयात की गई वस्तुओं को उठाने और जनसाधारण तक पहुंचाने की प्रक्रिया में समन्वय का अभाव था। इस समय जन साधारण की स्थिति बहुत खराब है।

जहां तक राज्यसरकारों का संबंध है, अलग अलग पार्टियों के शासन वाली विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से हमें पता चलता है कि कई राज्यों में मूल्य ढांचा भिन्न था। लेकिन मैंने यह देखा है कि पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है।

औषधियों का उदाहरण लीजिए। माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा नहीं उठाया। मुझे उम्मीद है कि श्री बरनाला इस पर ध्यान देंगे क्योंकि वह यह मामला सभा में उठा चुके हैं। औषधियों की कीमतें इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं कि गरीब आदमी के लिये जीवन रक्षक औषधियों और आवश्यक औषधियों को खरीद पाना असंभव हो गया है। ऐसे वचन और आश्वासन दिये गये थे कि औषधियों पर उनकी मूल्य चिट लगाई जाएगी लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया कि सभी औषधियों पर उनका अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित हो। यह सिर्फ दवाओं के मामले में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य वस्तुओं के मामले में भी सही है। मैं जूतों के मामले का उदाहरण देता हूं। सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि जूतों के संबंध में ऐसा कोई कानून नहीं है कि मूल्य चिट लगाई जाये। हालांकि यह आवश्यक वस्तुओं के अधीन नहीं आता, फिर भी मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा। यह एक ऐसा मामला है जो कीमतों को प्रभावित करता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं जिसने आम आदमी की क्रम क्षमता को प्रभावित किया है। यह सभी मुद्दे परस्पर संबंधित हैं। आम आदमी की क्रय की क्षमता नहीं बढ़ी है। आम आदमी जिसकी क्रय क्षमता नहीं बढ़ी है, वह जीवित रहने की स्थिति में ही नहीं है।

मेरा अगला मुद्दा पेट्रोलियम और डीजल से संबंधित है ये भी आवश्यक वस्तुएं हैं। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को छुआ तक नहीं है। इसलिये मैं इस मुद्दे को उठाना चाहूंगा। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद आजकल बहुत आवश्यक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट गई हैं। सरकार के पास कीमतें घटाने का और यह कहने का बहुत अच्छा मौका था यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है कि कीमतों पर इस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट गई हैं और हम भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें घटाने के लिये कदम उठा रहे हैं। पर ऐसा नहीं किया गया।

जहां तक दूसरी आवयश्क वस्तुओं का प्रश्न है, उनके विषय में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। कुछ मित्रों ने यह बताया है कि केरल में कीमतें कम हैं। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। केरल में भी

[श्री पी.सी. थामस]

कीमतें बहुत अधिक हैं। संभवतः यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच समन्वय न होने के कारण है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। केरल में भी कीमतें बहुत अधिक हैं।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। सभी ने कहा है कि सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। इससे किसान को कोई लाभ नहीं हुआ है। उसे कीमतों में वृद्धि से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तब फिर, लाभ किसे हुआ है? उन व्यक्तियों को लाभ हुआ है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। उनमें गुट बनाने की क्षमता है और वे इस तरीके से कारोबार करते हैं कि गरीब व्यक्ति और गरीब होते जाते हैं और वे आवश्यक वस्तुएं भी नहीं खरीद पाते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या टैपियोका का प्राइस भी बढ़ा है?

श्री पी. सी. थामस : चेयरमैन सर, टैपियोका का प्राइस भी बढ़ा है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता जो माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं। यह एक मान्य तथ्य है, जिससे सभी सदस्य सहमत हैं चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों, कि मूल्यों में असाधरण वृद्धि हुई है और, सच यह है कि सरकार यह तर्क दे रही है कि मौसम के अच्छे न होने के कारण मूल्य बढ़े हैं। क्योंकि कहीं तो बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया था ऐसी ही कोई अन्य आपदायें आई थीं। मैं यह कहूंगा कि यह कोई नई बात नहीं है। देश के विभिन्न भागों में सदैव ही बाढ़ या सूखे की स्थिति रहती है। यह खेद का विषय है कि सरकार स्थिति का आकलन करने में विफल कैसे रही। सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर को आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को अगस्त-सितम्बर में लगभग 2 लाख टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति कैसे दी? मेरा यह मानना है कि सरकार की निर्यात-आयात नीति में भारी असमंजस है। एक तरफ तो प्याज जैसी सब्जियों का परिणाम जाने बगैर निर्यात किया गया और जब इसके निर्यात को रोकने का आदेश दिया गया है तब तक काफी देर हो चुकी थी। दूसरा उदाहरण चीनी का है। जब सरकार के पास चीनी का पयाप्त भंडार था तो उसने चीनी का मामूली कीमत पर आयात किया जबकि दूसरी तरफ सरकार ने उन आवश्यक वस्तुओं का आयात नहीं किया जिनकी देश में जरूरत थी। यह बहुत ही अनुचित है। हम इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि सरकार की इस संबंध में क्या नीति है? सरकार आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में विफल क्यों रही जबकि इसकी तुरन्त मांग थी और यह आशा थी कि खराब मौसम के कारण इनकी कमी रहेगी? सरकार ने चीनी का आयात क्यों किया जबकि उसका पर्याप्त भंडार था? जब कल मंत्री महोदय इस वाद-विवाद का उत्तर दें तब ये दोनों बातें स्पष्ट हो जानी चाहिएं।

केवल एक दूसरे को दोष देने या मुद्दे पर वाद-विवाद करने का कोई लाभ नहीं है। हमारे देश ने गौरवपूर्ण समय देखा है। हमें यह देखना चाहिए कि गरीब व्यक्ति दुःखी न हों। उसे रोटी, कपड़ा और मकान दिया जाना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं।

सरकार को शीतगृहों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अनेक बार देखा है कि जब सब्जियां बाजार में भारी मात्रा में होती हैं तो उनकी कीमतें अधिक नहीं होती, किंतु कुछ समय बाद अचानक उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। मेरे पास एक विश्वसनीय सूचना है। महाराष्ट्र में, नासिक के कुछ हिस्सों में, अनिश्चित मौसम को देखते हुए कुछ व्यापारियों ने प्याज और आलू का भंडारण कर लिया और जब उनके दाम ऊंचे हो गए तो उन्होंने उनकी भारी बिक्री की। हाल ही में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। सरकार को रोजाना, सप्ताह या महीने में यह देखना चाहिए कि अन्य राज्यों में क्या हो रहा है? 'मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन' का क्या परिणाम रहा? इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। राज्यों और केन्द्र के बीच समुचित समन्वय होना चाहिए। उन्हें आवश्यक वस्तुओं के वितरण, व्यापारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात या आयात के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

शीतगृह की अवधारणा का भारत को छोड़कर, संसार भर में अनुसरण किया जा रहा है। निःस्संदेह, इसके लिए धन की आवश्यकता है। यदि धन की कमी है तो सरकार निजी लोगों को बुला सकती है, बी ओ टी प्रणाली दे सकती है या विश्व बैंक से या यूनाइटेड नेशन फूड डेवलपमेंट असिस्टेंस से ऋण ले सकती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफी सब्जी पैदा करते हैं। ऐसे भी राज्य हैं जो ये सब्जियां नहीं उगाते। अतः, सरकार अन्तर-राज्यीय निर्यात का प्रबंध कर सकती है। सरकार को शीतगृहों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आज तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान नही दिया है। इसलिए आवश्यक रूप से एक दूसरे की गलतियां निकालने की बजाय हमें यह समस्या सुलझाने हेतु रचानात्मक, व्यावहारिक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि निर्यात-आयात नीति को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के बीच भी समन्वय होना चाहिए। मैं देखता हूं कि कुछ आयातित मदों के मामले में आयात शुल्क का निर्धारण करने में समन्वय है। शीतगृहों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जमाखोरों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम को कम कठोर बनाए जाने का एक प्रस्ताव था। देश की स्थिति को देखते हुए, इस अधिनियम को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

अंत में, कल जब मंत्री जी अपना उत्तर दें तो उन्हें सभा और भारत के लोगों को यह ठोस और स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वे किस प्रकार से मूल्यों को नियंत्रित करेंगे और किस प्रकार गरीब लोगों के भविष्य को सुधारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल्) : महोदय, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि बोलने के लिए मुझे नाम पुकारने के सम्बन्ध में मुझे कुछ अनियमितताओं का पता चला

है। मेरे दल का स्थान कांग्रेस के बाद दूसरा है लेकिन मेरे दल से इस चर्चा में केवल एक ही सदस्य ने भाग लिया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हुआ है।

महोदय, मूल्य-वृद्धि एक राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सम्बन्ध में देश में विभिन्न स्तरों पर अनेक वाद-विवाद हुए हैं। अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस संबंध में वर्तमान सरकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिए। उनकी यह गलत अवधारणा है कि बाजार अर्थव्यवस्था से सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक और खुले बाजार में कीमतें बढ़ेंगी। ऐसा हमारा अनुभव है। अतः, खुले बाजार को निर्बाध अवसर प्रदान करना निश्चित रूप से विनाशकारी होगा अर्थात् मूल्यों में वृद्धि होगी जिसे कम नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं।

यहां केरल में जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उल्लेख करना उचित होगा। हमने लगभग चार दशक पहले वैधानिक राशन प्रणाली शुरू की थी और राज्य में 14 वस्तुओं को आवश्यक वस्तुऐं घोषित किया गया था। इन वस्तुओं को नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा इकट्ठा किया जाता है और इन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है। पूरा राज्य वैधानिक राशन प्रणाली के अन्तर्गत आ जाता है। जो लोग गरीबी-रेखा से नीचे हैं उन्हें केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 प्रतिशत कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को खुले बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाता था। चावल, चीनी और केरासीन आदि जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है। नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य भर में 684 बिक्री डिपो हैं। इसके अतिरिक्त 2300 उचित दर की दुकानें हैं जिनके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जाती है। 1995-96 में कुल बिक्री 2.90 करोड़ रुपये की हुई। 1996-97 में 5.20 करोड़ रुपये का करोबार हुआ और इस वर्ष 7.76 करोड़ रुपए का करोबार हुआ। इतना कारोबार कैसे हुआ? ऐसा प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के कारण हुआ है। केवल प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के द्वारा ही हम मूल्यों को कम रख सकते हैं। अन्यथा यह संभव नहीं होगा। हमने इस योजना को केरल में सफलतापूर्वं लागू किया है और केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्याप्त है। मै। 'दी हिन्दू' में छपी एक रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें यह बताया गया था कि केरल एक उपभोक्ता राज्य होने के बावजूद भी त्रिवेन्द्रम में एक किलोग्राम गाजर का मूल्य 10 रुपये था जबकि दिल्ली में इसका भाव 150 रुपये था। कोचीन में एक क्विंटल चावल का मूल्य 1150 रुपये था जबकि हैदराबाद में इसका मूल्य 1320 रुपये था। यद्यपि हमारा राज्य एक उपभोक्ता राज्य है, फिर भी मूल्यों पर उचित दर की दुकानों, राशन डिपुओं तथा सहकारिताओं के राज्य भर में फैले नेटवर्क के माध्यम से किए गए प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से नियंत्रण रखा गया। हमारे पास इन सब चीजों के भंडार हैं और इन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है। केरल सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरूद्ध व्यापक कार्यवाही की थी। उनसे 20,41,194 रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं बरामद की गयीं और जमाखोरों पर 21,84,752 रुपये का जुर्माना किया गया और उक्त राशि को वसूल किया गया। हम केवल इस प्रक्रिया द्वारा ही मूल्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं।

मैं कुछ विधियों का सुझाव दे रहा हूं जिनके माध्यम से सरकार मूल्यों पर नियंत्रण कर सकती है। मेरे सुझाव इस प्रकार हैं :—

(एक) निर्यात-आयात नीति में संशोधन—नीति में इस प्रकार संशोधन किए जाएं कि मौजूदा घरेलू बाजार परिस्थितियों के अनुकूल हों;

(दो) राज सहायता में बिना कोई कटौती किए इसे जारी रखा जाये;

(तीन) कृषि-उत्पादों के हितों के विरूद्ध जाने वाली सभी आयातों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए;

(चार) देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये;

(पांच) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राजों को राज-सहायता उपलब्ध करायी जाये;

(छः) आवश्यक वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन संबंधी सभी प्रतिबन्ध हटाये जाएं;

(सात) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय को अविलम्ब लागू किया जाये;

(आठ) मुख्य सचिवों के सम्मेलन में एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के निःशुल्क आवागमन के संबंध में लिए गए निर्णय को लागू किया जाये।

यदि सरकार इनका अनुसरण करती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह मूल्यों पर नियंत्रण रख सकती है। मैं माननीय मंत्री से इन तथ्यों की जांच करने का अनुरोध करता हूं। यह अनुरोध केरल सरकार और केरल के लोगों की ओर से है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पूरा सदन महंगाई पर चर्चा कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने पूरे समाज और सरकार को विचलित कर दिया। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि महंगाई के लिए 50 फीसदी आसमानी महंगाई और 50 फीसदी भूतपूर्व सरकार जिम्मेदार है। मैं यह कहता हूं कि इसके लिए 50 फीसदी मौसम और 50 फीसदी मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते सरकार सजग हो जाती तो महंगाई इतनी न बढ़ती। आज गरीब मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग के परिवार की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। दाम बढ़ने से 6 हजार करोड़ रुपये साधारण लोगों की जेब से निकल गए। इस लूट का हिस्सा देशी-विदेशी व्यापारियों, साहूकारों, दलालों, अफसरों, नेताओं और मंत्रियों की जेब में चला गया। इस बारे में स्वयं प्रधान मंत्री जी बता सकते हैं। प्रधान मंत्री जी के लिए एक

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

कहावत है "वह क्या जाने पीर पराई, जाके पैर न फटे बिवाई"। चूंकि प्रधान मंत्री कुंवारे हैं, वह आम जनता की तकलीफों को क्या जान सकते हैं? इस बारे में सब को मालूम है।

हमने किसानों के प्रति महंगाई पर चर्चा बहुत कम की है। आज पूरे सदन को यह सोचना पड़ेगा कि किसान को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिले। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। यहां एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बरसात में टमाटर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे पथरी हो जाती है। भाजपा के उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने कहा कि क्या डाक्टर ने टमाटर खाने के लिए कहा है? इस प्रकार के बयानों से साफ जाहिर होता है कि यह सरकार की विफलता है। भाजपा के अध्यक्ष श्री कुशा भाई ठाकरे कहते हैं कि महंगाई विपक्ष की देन और साजिश है। ये अनर्गल बातें हैं। आज आधे से ज्यादा कृषक कर्जदार हैं। हमें इस ओर भी सोचना होगा कि वे कैसे कर्ज से उबरें और कैसे अपना उत्पादन बढ़ाएं। यहां तक कि उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ रहा है कि सरकार महंगाई रोके। यह बड़े शर्म की बात है। श्रीमती सुषमा स्वराज जो दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री थीं, उन्होंने कहा था कि नमक जमाखोरी करने वालों और महंगा बेचने वालों के ऊपर रासुका लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों पर रासुका लगाया है? वित्त मंत्री का बयान आता है कि हम एक महीने में महंगाई पर नियंत्रण कर लेंगे।

वर्षा तक नियंत्रण हो जायेगा लेकिन उसका फ्रेश रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। कीमतों में बढ़ोत्तरी और जमाखोरों, मुनाफाखोरों, कालाबारियों के साथ भाजपा की मिलीभगत थी। कृषि नीति के बुनियादी सिद्धान्तों की उपेक्षा करने का कारण महंगाई है। सहकारी समितियां आसान शर्तों पर ऋण व आर्थिक सहायता देकर व्यवस्था करे तभी महंगाई पर रोक लग सकती है। आपने देखा होगा कि पूरे देश में गरीब मजदूर रोटी प्याज, नमक और तेल खाता था जो मंहगा हुआ। अगर महंगाई की सबसे ज्यादा मार हुई है तो वह किसान, मजदूर और लेबर क्लास के लोगों पर हुई है। यहां तक कि घरों में शादियों में प्याज तक देखने को नहीं मिला जिससे भोजन में या अन्य व्यंजनों से बारातियों का स्वागत किया जा सकता। कस्टम विभाग की लापरवाही से और कागजी औपचारिकता पूरी न होने के कारण मुम्बई बन्दरगाह पर 150 टन प्याज सड़ गया। सरकार ने कीमतें रोकने के लिये 11 सूत्री रणनीति बनाई, लेकिन वह भी विफल रही और महंगाई पर कोई नियंत्रण न हो सका। आपने देखा होगा कि नमक के भाव बनारस और पटना में 60 रुपये किलो तक पहुंच गये। बढ़ती कीमतें और महंगाई न रोक पाने के कारण कुमारी ममता बनर्जी ने समन्वय समिति से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। सरकार ने इस मामले पर विचार किया। यदि कुमरी ममता बनर्जी समन्वय समिति से इस्तीफा न देती तो शायद प्रधानमंत्री जी यह नहीं कर पाते। मेरा सुझाव है कि व्यापक मूल्य नीति बने जिसका कड़ाई से पालन हो तभी जाकर हम महंगाई पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह सरकार कालाबाजारियों, चोरबाजारियों, जमाखोरों के विरूद्ध कार्यवाही कैसे करे क्योंकि वे लोग इन्हें वोट देते हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आपने किसी आढ़ती या कोल्ड स्टोरेज पर छापा नहीं मारा। अगर बड़े बड़े जमाखोरों, मुनाफाखोरों पर छापा मारते तो हम मूल्यों पर अवश्य नियंत्रण कर लेते। इससे जमाखोरी की वस्तुएं लोगों के सामने आ जाती।

सभापति महोदय, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने लखनऊ में कहा कि सरकार ने जमाखोरों, कालाबाजारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे महंगाई बढ़ी। गत एक वर्ष से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले एक वर्ष में जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी शायद कभी नहीं बढ़ी और न बढ़ेगी। यहां तक कि दालें 45 रुपये किलो के भाव बिकी हैं, सब्जियां के दाम तिगुने, चौगुने और यहां तक कि छः गुने बढ़ गये जो एक मिसाल हैं। शायद आप लोगों ने समाचार पत्र में देखा होगा कि आगरा में प्याज 122 रुपये किलो तक बिका है। यह बड़े शर्म की बात है। तेल ड्रापसी कांड से पहले तेल 45 रुपये से 48 रुपये किलो तक बिक रहा था। जैसे सरकार ने तेल पर नियंत्रण किया, उसके बाद इसका दाम 65 रुपये से 70 रुपये किलो हो गया।

दिल्ली की सरकार ने सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार, दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम, मदर डेयरी के माध्यम से 125 मीट्रिक टन प्याज राशन कार्ड पर प्रति कार्ड दो किलो देने का वायदा किया था लेकिन वह प्याज बंदरगाहों से लाया गया सड़ा हुआ प्याज था। खुले बाजार में 50 रुपये किलो प्याज बिका है। मांग और आपूर्ति का भारी अंतर होने का फायदा बड़े व्यापारियों ने उठाया है। जहां तक उत्पादन का सवाल है 1996-97 में 41.22 लाख मीट्रिक टन था जो 1997-98 में घटकर 34.5 लाख मीट्रिक टन हो गया यानी इस वर्ष प्याज 6.72 लाख टन कम पैदा हुआ है। जब कम पैदावार हुई तो सरकार को चाहिए था कि प्याज का निर्यात नहीं करती लकिन इस सब के बावजूद 4.41 टन प्याज का निर्यात किया गया जिससे महंगाई और बढ़ी। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि 13 हजार टन प्याज अरब देशों से आयात किया गया जो बंदरगाहों पर पड़ा सड़ता रहा और सरकार की वितरण प्रणाली के जरिये आम जनता तक नहीं पहुंच सका। इस कारण महंगाई बढ़ गई। हमारा देश फल, सब्जियों और अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है लेकिन इसके लिये किसानों को मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देनी होगी, उन्हें कृषि संबंधी उपकरण मुहैय्या कराकर हमारा देश अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर नियम 193 के अधीन हो रही चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद।

सायं 7.00 बजे

[अनुवाद]

***श्री बी.एम. मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। वर्तमान में यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर है। सर्वप्रथम, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पांच आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़े हैं। ये वस्तुयें आलू, खाद्यान्न, खाद्य तेल, दालें और नमक हैं। मैंने अपने जीवन में कभी नमक की कमी के बारे में नहीं सुना। हमारे स्वतंत्रोत्तर काल के 50 वर्षों में कभी भी नमक की कमी नहीं हुई। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार शासन चलाना नहीं जानतीं। देश पर शासन करना एक कला है। मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार की शासन करने की क्षमता समाप्त हो गयी है।

किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने चाहिएं और ये मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। दुर्भाग्यवश, राज्यों और केन्द्र के मध्य कोई समन्वय नहीं है। 1980 में आलुओं की कृत्रिम कमी पैदा की गई थी और अन्ततः उस आधार पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थीं। अब इतिहास ने अपने आप को दोहराया है।

अब देश भर में आलुओं की कमी है और सत्तारूढ़ दल का तीन राज्यों पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। आलुओं की कमी के कारण कांग्रेस सरकार को लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार काले धन की वृद्धि को रोकने में पूर्णतया विफल रही है। आलुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न करने हेतु 100 करोड़ की राशि व्यय की गयी है। यह सारी राशि काला धन है। इससे जमाखोरों और काला बाजारियों को प्रोत्साहन मिलता है और सरकार स्थिति का ठीक पूर्वावलोकन नहीं कर पायी। सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में विफल रही है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने ऐसे गोदामों का दौरा किया जिनमें आलुओं और नमक के पर्याप्त भंडार थे। परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इनका उचित वितरण नहीं किया गया और कृत्रिम कमी उत्पन्न की गई थी। ये केन्द्र और राज्य सरकारें निर्धन लोगों के हितों की तब तक रक्षा नहीं कर सकतीं जब तक कि ये व्यापारियों पर नियंत्रण करने में सफल नहीं होतीं।

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। इससे भी अधिक राज्य का कुशासन और कालाबाजारियों को उनके द्वारा दिया गया समर्थन, मूल्य में तीव्र वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। समाज का मध्यम व निर्धन वर्ग इस मूल्य वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारा लोक-शक्ति दल केन्द्र सत्तारूढ़ दल का मित्र दल है। अतः मैं कहूंगा कि श्री रामकृष्ण हेगड़े ने निर्यात नीति के संबंध में अपना जो मत दिया था केन्द्र में उसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। श्री हेगड़े ने अपना मत इस गरिमापूर्ण सभा में दिया था और हम उसी समय निर्यात को रोक सकते थे। तब हमें आलुओं का आयात करना चाहिए था। परन्तु वित्त मंत्रालय ने श्री आर.के. हेगड़े के मत को स्वीकार नहीं किया। मंत्रालयों के मध्य समन्वय का अभाव है जो इस संकट के लिए उत्तरदायी है। अतः मैं केन्द्र सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह संसद में अथवा संसद से बाहर भाषण देने की बजाय देश पर शासन करना सीखें।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा) : सभापति महोदय, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों पर हो रही चर्चा में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इस विषय पर पिछली बार भी चर्चा हुई थी। हर सत्र में, हर सरकार में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो जाती है। मैं तो नया सदस्य हूं। मेरे लिए संसद में इस चर्चा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल, हर सत्र में इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह हमें देखना है। पहले जो चर्चा की थी, मुझे लगता है कि वह सब बेकार गई।

इसके लिए हम जो डिस्कशन यहां कर रहे हैं वह कुछ सीरियसनैस के साथ करना चाहिए, नहीं तो जो बोल रहे हैं, सिर्फ हमें बोलने का चान्स मिल जाए या हमारा कुछ रिकार्ड पर आ जाए, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, बरनाला साहब का मैं बहुत आभारी हूं, वे सब लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन इस डिस्कशन में सरकार ने यह दिखा दिया कि हमारा कुछ दोष नहीं है, पुरानी सरकार का ही दोष है, उसने कुछ नहीं किया, हम भी कुछ नहीं करना चाहते, यह बेकार की बात है। इस पर क्या सुझाव दिया जाए, मैं कोई नया सुझाव देने वाला हूं, ऐसी बात नहीं है। सबको लगता है कि कीमतें रुकनी चाहिए। जनता और सांसदों को भी लगता है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार क्यों नहीं होता है। एक तरह से यह दिखाना कि हम राजनीति से अलग होकर बात कर रहे हैं। सब अपनी-अपनी सरकार के बारे में कह रहे हैं, कोई केरल के बारे में कह रहा है, कोई आंध्र प्रदेश के बारे में सवाल उठा रहा है कि हमारे राज्य में महंगाई कम है, सब ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरह का दिखावा करने से वहां की जनता खुश होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज किसान को उसकी फसल का रेट नहीं मिल रहा है। बाजार में बहुत महंगाई है। आलू और प्याज भी बहुत महंगी है। 30 से 60 रुपये प्रति किलो तक प्याज मिलती है। लेकिन किसान को इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। उसे बहुत कम रेट मिलते हैं। उसको जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। जब भी जमाखोरों पर रेड डाली जाती है तो उसका असर होता है। यदि एक जगह पर ऐसा हो जाता है तो उसका असर होता है, यह होते रहना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र की बात बताना चाहता हूं, मैफको, न्यू मुम्बई में रेड डाली गई और चार-साढ़े चार करोड़ का प्याज पकड़ा गया। उसके परिणामस्वरूप तुरंत रेट 50 रुपये से 30 रुपये पर आ गया। ऐसा हर जगह हो जातो अच्छा रहेगा। केवल बातों से नहीं होगा। परसेंटेज 8.4 से 8.1 पर आ गई, रेट कम हो गये, ऐसा बोलने से केवल मन का समाधान हो जायेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलने वाला है।

मैं अपने दोस्तों का बहुत आभारी हूं कि आज कु. ममता बनर्जी ने जो रुख अपनाया, वह एक अच्छा कदम है, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया था। आज समता पार्टी वालों ने भी अच्छी सपोर्ट दी। इस तरह से हम सरकार में हों या न हों, लेकिन हमें सीरियसनैस से काम करना चाहिए।

[श्री रामशेठ ठाकुर]

मेरे कुछ सुझाव हैं, हमारा यह देखना कि रेट्स एक-दो परसेंट कम हो गया, यह ठीक नहीं है। प्याज और आलू का रेट तीन सौ से चार सौ परसेंट तक बढ़ता है। मूंगफली का रेट तीस टका बढ़ता है, लोगों का जीना मश्किल हुआ है। चूंकि लोगों को बाजार से खरीदना पड़ता है। इसके असर के बारे में सरकार पक्ष के कई सांसदों ने कबूल भी किया और सरकार को भी तीन-चार राज्यों में भुगतना पड़ा है। मैं कहता हूं कि मांगों की कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा दिल से इम्पलीमेंट करने के बारे में सोचें तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। बहुत से माननीय सदस्य जो कि दूसरी तरफ से बोले, उन्होंने कीमतों में वृद्धि को यह कहते हुए उचित बताया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई है। जब हम कीमतों में वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन पिछले वर्षों को ध्यान में रखना होगा जब कीमतों में वृद्धि हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछली सरकारों के शासनकाल के दौरान भी कीमतें वर्ष प्रतिवर्ष लगातार बढ़ी हैं। किन्तु इस बार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतने असामान्य रूप से बढ़ी हैं कि वह जन साधारण की पहुंच में नहीं हैं। आम जनता विशेषतः अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये आवश्यक वस्तुएं तक नहीं खरीद सकीं।

महोदय, प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिये अति आवश्यक भी। लेकिन आम जनता इस स्थिति में नहीं थी कि प्याज खरीद सके। इमली में विटामिन सी, होता है जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिये अति महत्वपूर्ण है। लेकिन ऊंचे दामों के कारण आम जनता इमली नहीं खरीद सकी। आम आदमी इस स्थिति में नहीं है कि वह दालें और अन्य वस्तुएं खरीद कर प्रोटीन युक्त भोजन ले सके।

यहां तक कि विशेषतः निम्न वर्ग के लोग अर्थात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोग आवश्यक वस्तुएं भी नहीं खरीद सके जो कि आम आदमी के दिन प्रति दिन के जीवन के लिये अनिवार्य और जरूरी हैं। यह एक दिन की समस्या नहीं है। आप आठ या नौ महीने पहले सत्ता में आये थे। उसी दिन से, व्यवसायियों और व्यापारियों ने यह सोच लिया कि उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों से मुक्ति मिल गई। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहते हुए कि वह गैर-जमानती वारंट संबंधी धारा को खत्म करना चाहते हैं, और सजा को सात साल से घटा कर पांच साल करना चाहते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन लाः कर, यह स्पष्ट कर दिया है। ऐसे विधेयक के आने से, व्यवसायियों और व्यापारियों ने सोचा कि केन्द्र में सरकार उनके पक्ष में है। तब उन्होंने सोचा कि वे व्यापार जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। ऐसी भावनाओं के परिणामस्वरूप ही प्याज, इमली, नमक और दालों जैसी आवश्यक वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं पूरे देश में उपलब्ध नहीं थीं। ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं था बल्कि आसपास के राज्यों में भी यही स्थिति थी।

तेलुगु देशम के मेरे मित्र जोकि सभा में अपने दल के नेता भी हैं, यह बता रहे थे कि आन्ध्र प्रदेश में कीमतें कम हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली और हैदराबाद, तथा दिल्ली और पंजाब, और दिल्ली और हरियाणा और अन्य राज्यों में चल रही कीमतों में विशेष अंतर नहीं है। इसी तरह, वहां भी ऐसा ही था। आन्ध्र प्रदेश में भी आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं। जनता वहां भी कठिनाइयों का सामना कर रही थी।

कीमतों में असामान्य वृद्धि का कारण यह है कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया। कीमतों पर नियंत्रण के लिये कोई निर्णय लेते समय प्राथमिकता देनी चाहिये थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने न तो देश में हो रहे उत्पादन का मूल्यांकन करने का प्रयास किया और न ही प्याज, इमली, और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं और ऐसी अन्य वस्तुओं का आयात करने और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बाजार में उपलब्ध करवाने की कोई योजना बनाई जिससे व्यापारी और व्यवसायी कीमतें नियंत्रण में रखें। यह अति महत्वपूर्ण बात है जिसका ये लोग आकलन नहीं कर सके।

उन्होंने कीमतों में वृद्धि को कोई महत्व नहीं दिया है। वे लोग जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि तेलुगु देशम के लोग अब यह कह रहे हैं कि कीमतों में वृद्धि के अमुक अमुक कारण रहे। वे लगभग पिछले नौ महीनों से सरकार का समर्थन करते रहे और चुप रहे। केवल चुनावों के बाद ही उन्हें यह आभास हुआ कि जनता ने सरकार को नकारात्मक वोट दिया है। अब वे ऐसे सुझाव दे रहे हैं कि इसका एक कारण कीमतों में वृद्धि है।

मैं उन लोगों को जो कि कीमतों में वृद्धि की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, यह बताना चाहता हूं कि वे भी सरकार का ही भाग हैं। वे यह नहीं कह सकते कि केवल भाजपा ही जिम्मेदार है। जो लोग भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे है उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। कीमतों में वृद्धि एक मुद्दा है। इसे अब आम आदमी महसूस कर रहा है। पहले गांवों में रहने वाले लोगों को यह नहीं पता होता था कि कौन सी पार्टी शासन कर रही है। जब भी चुनाव होते थे वे आते थे और वोट दे कर चले जाते थे। अगली बार जब वे मत देने जाते थे तब पूछते थे कि किस पार्टी को वोट दें। अब कीमतों में वृद्धि के कारण उन्हें यह पता चल गया है कि कौन सी पार्टी केन्द्र में शासन कर रही है। उन्हें प्रतिदिन यह महसूस हो रहा है कि केन्द्र में भाजपा सरकार शासन कर रही है। प्याज, दालों और इमली की कीमतें बढ़ गयी हैं। अब मैं माननीय मंत्री को पिछले अनुभव याद दिलाना चाहूंगा जब श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और अन्य व्यक्ति सत्ता में थे और उत्पादन भी कम था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उत्पादन में गिरावट आई है। जब उत्पादन कम होता था तब बफर स्टॉक होते

थे। वे लोग बफर स्टॉक रखते थे और उसे जरूरत पड़ने पर निकाला जाता था या फिर खाद्यान्न और दूसरी आवश्यक वस्तुएं दूसरे देशों से आयात की जाती थीं। तब वह कीमतों का स्तर ऐसा बना कर रखते थे जो कि आम आदमी को स्वीकार हो। मैं खाद्य मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह कम से कम अब तो स्थिति का मूल्यांकन करें। स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये, पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू रखें और साथ ही गैर जमानती वारंट संबंधी धारा भी जारी रखें और सजा की अवधि भी सात वर्ष ही रखें। यदि आवश्यक हो तो सजा की अवधि को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दें। जिससे जमाखोर, व्यवसायी और व्यापारी सतर्क रहें। इस प्रकार, कीमतें घट जायेंगी। विभिन्न पार्टियों में मतभेद को भूल कर मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आप आम आदमी की स्थिति समझने का प्रयास करें और कीमतों को घटाएं ताकि वह प्याज, इमली और दाल जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीद कर पूरे दिन का न सही तो कम से कम आधे दिन का भोजन तो जुटा ही सकें।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर के संबंध में ही दो-तीन मुद्दे माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस सदन में महंगाई पर काफी चर्चा हो चुकी है और उसका लाभ भी हमारी प्रतिद्वंद्वी पार्टी को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काफी पिछड़े थे, आज उनके हौंसले बढ़े हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जहां आपने बहुत सारे बंदोबस्त किए हैं, इस समय सारे देश में, जैसे यहां पर चर्चा भी आई, फर्टिलाईजर विशेषकर डी.ए.पी. की बहुत कमी सब तरफ दिखाई दे रही है। चिल्लाहट है और मैं समझता हूं कि फसल लगाने में केवल दस-पन्द्रह दिन ही बाकी हैं। इस बीच सब जगह फर्टिलाईजर पहुंचे, इसकी तरफ सरकार को बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र से आज ही लौटा हूं। वहां भी मैंने देखा कि सब तरफ खासकर डी.ए.पी. के लिए हाहाकार हैं, लाइनें लगी हुई हैं, उनको जितना फर्टिलाईजर चाहिए, वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहीं इसके कारण आने वाली फसल को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि वर्षा नही हो रही और यदि फर्टिलाईजर भी नहीं मिला तो लोगों को काफी तकलीफ होगी और हमारी फसल पूरी तरह फेल हो जायेगी।

जम्मू-कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जो हर तरह से डैफीसिट है, वहां कोई विशेष बड़ी इंडस्ट्र नहीं चलती। सारा रॉ-मैटीरियल देश से वहां ले जाया जाता है और फिनिश्ड गुड्स भी वहां से बनाकर देश में आकर बिकते हैं। उन्होंने रास्ते में लखनपुर में एक टोल पोस्ट रखा है। किसी भी रॉ-मैटीरियल को ले जाने के लिए उनको 15 से 20 रुपये प्रति क्विंटल टोल टैक्स देना पड़ता है और यदि कोई चीज वापिस लानी हो तो उसके लिए उतना ही टोल टैक्स देना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर इस तरह की हिंडरैंस हो और हर क्विंटल पर 30-40 रुपये ऊपर चढ़ जाएं तो वहां महंगाई होना जरूरी है। वे कहते हैं कि हमारी आमदनी का सोर्स यही है। या तो किसी तरह से उनकी आमदनी बढ़ाइए। यह उपभोक्ता की तकलीफ है, यदि आप उस पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि उसका कुछ न कुछ इलाज होगा। एक क्विंटल पर 30-40 रुपये की वृद्धि बहुत अधिक है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए।

वहां चावल और धान, चावल आप फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भेज रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा देखिए। हमारी जितनी पोपुलेशन है, क्या उसके मुताबिक वहां राशन पहुंच रहा है? इतिला ऐसी है, हमारी सरकार कहती है कि हमारी फूड पैदा करने की शक्ति हर साल बढ़ती चली जा रही है और इम्पोर्ट भी हर साल बढ़ता चला जा रहा है यानि हमें वहां ज्यादा से ज्यादा फूड भेजना पड़ रहा है। इस पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं वह फूड पाकिस्तान की ओर स्मगल तो नहीं हो रहा है यानि हमारा अनाज उस तरफ जाता हो, मैं चाहूंगा कि आप इसकी तरफ पूरी तरह ध्यान दें और पूरी कैलकुलेशन करें ताकि वहां जरूरत से ज्यादा न जाए और पाकिस्तान को स्मगल न हो।

अंत में, मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह इस समय हुआ विशेषकर प्याज और आलू वगैरह की कीमतें आसमान को छूने लगी। देश में कोई प्राइस रैगुलेटरी कमेटी बनी रहनी चाहिए जो इन सब चीजों पर नजर रखें कि यदि कहीं भी इस तरह से ऐसक्लेशन आना शुरू होता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उसे उसी समय चैक करे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : धन्यवाद सभापति महोदय। महंगाई की चर्चा चली और इसके लिए बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का छः महीने शासन रहा। सही जावाबदारी आज तक शासन करने वालों की है। हमें जिस तरह कृषि नीति अपनानी चाहिए, उस तरह नहीं अपनाई। किसनों को फसल के बारे में जो आश्वासन देना चाहिए, उस तरह का आश्वासन हम कभी नहीं दे पाए। परिणामस्वरूप जब भी कोई फसल ज्यादा होती है, उस समय किसानों को सही दाम नहीं मिलते, किसान निराश हो जाते हैं और वे दूसरे साल वह फसल नहीं उगाते।

परिणामस्वरूप उसकी शार्टेज भी हो जाती है। जिस तरह गन्ने की बात हुई, आलू की बात हुई, गुजरात में इसी तरह कपास की बात हुई, तेल की बात हुई, यह सब सही दाम न देने के कारण किसानों में निराशा होने के कारण होता है। यदि पहले से ऐसी पॉलिसी बनाई गई होती कि किसी भी फसल का दाम निश्चित किया जायेगा, भले वह ज्यादा हो या कम हो, उस वक्त यह दाम मिलेगा, उस वक्त वह आश्वासन स्ट्राइक करेगा तो किसान जो हर साल फसल बदलते हैं, वे नहीं बदलेंगे और उसी फसल पर लगे रहेंगे।

उसके साथ-साथ गांव की बात हुई। गांवों के अन्दर दिन-प्रतिदिन खेती में कमी आ रही है, बुवाई कम हो रही है। किसान उपज की सही कीमत नहीं मिलने के कारण गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। आज कितनी ही जमीन बंजर पड़ी है, क्या हम उसका उपयोग कर सके हैं?

हम सब्जी की बात करते हैं, सब्जी छोटी जगह में भी हो सकती है छोटे से घर के आंगन में भी सब्जी हो सकती है, इसके लिए हम लोगों का उत्साह बढ़ा सकते हैं। क्या वह उत्साह हम लोग बढ़ा सके

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

हैं? आप दिल्ली में देखेंगे, हमारे 1-2 मिनिस्टर हैं वे अपने घर के पास बंगले की छोटी सी जगह में आलू बो लेते हैं, सब्जी उगा लेते हैं। सीजन के मुताबिक उनके घर पर इतनी सब्जी मिलती है कि उनका काम चल जाता है। क्या यह प्रोत्साहन हम सारे देश के अन्दर नहीं दे सकते कि अपनी जमीन के अन्दर इस तरह की सब्जी बोओगे तो आपको बीज मुफ्त में दिये जाएंगे? इसी तरह किसानों को यह कहा जा सकता है कि कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर वे अपना कोल्ड स्टोरेज बनायें। पिछले पांच साल में ही कोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रथा बढ़ी है, वरना कोल्ड स्टोरेज की तरफ कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता, परिणामस्वरूप रास्ते में सब्जी फेंकी जाती है। मैंने सुना था कि पिछली बार आलू इतना ज्यादा हो गया कि किसानों ने आलू रास्ते में बोरे में रखा तो लोग आलू बाहर फेंक गये और बोरा उठाकर चले गये, तीन रुपये बोरे के मिले, लेकिन उन्होंने आलू नहीं लिये। यह स्थिति क्यों होती है?

इसके लिए किसी पार्टी को जिम्मेदार बनाना ठीक नहीं है। मेरी सरकार से यह विनती है कि आने वाले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाये और किसानों को आश्वासन दिया जाये कि तुम्हें इस चीज की यह प्राइस मिलेगी। उस प्राइस के मुताबिक वे वह चीज बोएंगे। जहां आवश्यकता हो, वहां सब्सिडी दी जाये और इसके साथ-साथ कहीं कालाबाजारी करने वाले हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाये, उनके ऊपर एक्शन लिया जाये, जिससे आम जनता, गरीब जनता, जो ऐसे समय में परेशान होती है, वह परेशान न हो। यह तो एक-दो महीने की बात थी।

अभी गुजरात के अन्दर छह रुपये किलो आलू है और दस रुपये किलो प्याज मिल रही है।...*(व्यवधान)* नमक की बात यहां हुई। गुजरात में हमने कहा कि कहां नमक नहीं है, दिल्ली की हवा गुजरात आई तो वहां भी लाइन लग गई। हमने कहा कि नमक इतना सारा पड़ा हुआ है, आपको कितना चाहिए। दूसरे दिन कोई नमक लेने नहीं आया। हमारे साथियों ने कहा, कांग्रेस वाले हमारे मित्र हैं, वे अपनी बात फैलाने में जरा आगे निकल गये और मीडिया ने भी उनका साथ दिया। मैंने देखा कि टी.वी. में 10 सीरियल्स में से छह सीरियल्स के अन्दर आलू प्याज की ही बात चलती थी, जो वास्तविकता नहीं थी, उतनी ज्यादा बात चलती थी। यह गलत मार्ग पर ले जाने वाली बात है और गलत प्रचार के कारण ही यह सब हुआ। इस देश की प्रजा भोली है, निर्दोष है, उसको बोलते हैं कि कल यह चीज नहीं मिलेगी तो लम्बी लाइन लग जाती है, मगर वास्तविकता में यह था नहीं। पूरे देश के अन्दर कण्ट्रोल का माहौल था, लेकिन गुजरात में हमें कहना पड़ा, गुजरात में लोक सभा का चुनाव हुआ, गुजरात में क्यों आलू प्याज महंगा नहीं हुआ, महंगाई तो हर जगह थी, लेकिन वहां गलत प्रचार करने वाले कम थे। दूसरी जगह गलत प्रचार ज्यादा कर दिया। यह तो टैम्परेरी मुद्दा था, उसको बड़ा बना दिया कि रेट्स में कमी आनी चाहिए।

आखिर में सब किसानों को आश्वासन दिया जायेगा तो इस देश के अन्दर सब्जी इतनी हो सकती है, धान इतना हो सकता है कि पूछिये मत। हम हमेशा एक्सपोर्ट कर सकें, इस स्थिति में आ सकते हैं, सिर्फ कृषि नीति व्यवस्थित बनाई जाये और किसानों को उचित मूल्य का आश्वासन दिया जाये।

सभापति महोदय : देश में एवरेज 2.20 करोड़ टन आलू प्रतिवर्ष होता है, कम से कम 50 फीसदी कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी देश में होनी चाहिए। इस हिसाब से 1.10 करोड़ टन की कैपेसिटी चाहिए, लेकिन केवल 90 लाख टन की कैपेसिटी है। देश में 20 लाख टन की कैपेसिटी कम है। सरकार की तरफ से नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोआपरेटिव में डेढ़ लाख टन की कैपेसिटी का निर्माण करने का निर्णय हुआ है, फिर भी कोल्ड स्टोरेज की 18.5 लाख टन की कैपेसिटी घट रही है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की कमी है, उसको पूरा होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के.बापीराजू (नरसापुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जनता इतनी भोली होती है कि वह कुछ बातों पर विश्वास कर लेती है। जनता कभी भोली नहीं होती। हमारे देश की जनता बहुत गरीब है। भारत में लोकतंत्र है, बहुत लम्बे समय से है और भविष्य में भी भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक देश ही रहेगा।

यह कभी मत कहिए कि जनता भोली और अनजान है। वह बहुत समझदार है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब लोक सभा मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 7.25 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1998/17 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।